भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 22.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

मध्यप्रदेश शासन

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र. 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(v)
विहंगावलोकन		(vii) – (xvi)
अध्याय–1		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		01-12
अध्याय–2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा		
"मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन" की समीक्षा	2.1	13-35
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा	2.2	36-62
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा	2.3	63-77
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा	2.4	78-92
अध्याय–3		
सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा		
मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा	3.1	93-114
अध्याय–4		
लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	4	
सरकारी कम्पनियाँ	--	
विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.जेड) इंदौर		
अधिभार का परिहार्य भुगतान	4.1	115-116
आयकर का परिहार्य भुगतान	4.2	116
त्रुटिपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय	4.3	117
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड		
भूमि आवंटन में आवश्यक अविराम परीक्षा कार्य करने में असफलता	4.4	118-119
कमजोर निधि प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	4.5	119-120
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
राजस्व की हानि	4.6	120-121
विद्युत भार में वृद्धि द्वारा उपभोक्ता को अनुचित लाभ	4.7	121-122
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
ब्याज की हानि	4.8	122-124
मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड		
समझौते की शर्तों को लागू करने में असफल रहने के कारण राजस्व की हानि ।	4.9	124-125

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
संविदा सुपुर्दगी में परिहार्य व्यय		**4.10**	**125-127**
मध्यप्रदेश राज्य में कोल ब्लॉक्स का विकास एवं खनन		**4.11**	**127-134**
सामान्य			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही		**4.12**	**134-135**
परिशिष्ट			
क्र.संख्या	**विवरण**	**कण्डिका**	**पृष्ठ संख्या**
1.1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2013 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण एवं जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**1.7**	**137-143**
1.2	वर्ष के दौरान प्राप्त समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, देयताएं, ऋण छूट, अपलेखित ऋण तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2013 के अंत में बकाया गारंटी दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**1.10**	**144-145**
1.3	अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम	**1.15**	**146-153**
1.4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**1.15**	**154-155**
1.5	सांविधिक कम्पनियों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**1.15**	**156-157**
1.6	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**1.22**	**158**
2.1.1	कम्पनी/मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से, पी.टी.सी. के साथ विद्युत विक्रय अनुबंध तथा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा मार्ग के माध्यम से वर्ष 2006–07 से 2012–13 के दौरान हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंधों का विवरण	**2.1.1** और **2.1.9**	**159**
2.1.2	वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए नियोजन की तुलना में वास्तविक विद्युत परिदृश्य का विवरण	**2.1.8.1**	**160**
2.1.3	निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाने वाला विवरण पत्र (टोरेंट)	**2.1.8.3**	**161**
2.1.4	सासन यू.एम.पी.पी. के संबंध में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथियों, पूर्वित वाणिज्यिक संचालन तिथियों तथा संशोधित वाणिज्यिक संचालन तिथियों का विवरण	**2.1.11.2**	**162**
2.1.5	वाणिज्यिक संचालन तिथियों के संशोधनो के कारण संभावित हानि दर्शाता विवरण पत्र	**2.1.11.2**	**163**
2.1.6	विद्युत की अतिरिक्त लागत की गणना	**2.1.13.1**	**164**
2.1.7	पी.टी.सी. के साथ किये गये विद्युत विक्रय अनुबंध तथा ट्रेड मार्जिन की दर को दर्शाता विवरण	**2.1.14.1**	**165**

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
2.1.8	पी.टी.सी. के ट्रेडिंग मार्जिन के भुगतान के कारण परिहार्य व्यय दर्शाता विवरण पत्र	**2.1.14.1**	**166-167**
2.1.9	निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाता विवरण पत्र (बीना)	**2.1.15.1**	**168**
2.1.10	अप्रैल 2012 से जून 2013 के दौरान स्वतंत्र विघुत उत्पादको पर व्यय किए विलम्ब भुगतान अधिभार को दर्शाता विवरण पत्र	**2.1.16.4**	**169**
2.2.1	कम्पनी का संगठात्मक चार्ट	**2.2.1**	**170**
2.2.2	समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) लक्ष्य एवं उपलब्धियां	**2.2.7, 2.2.11, 2.2.12**	**171**
2.2.3	विभिन्न सिविल कार्यो के निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.2.10.2**	**172-174**
2.2.4	एम्पोरियमों में रखे गये अधिक स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.2.11.1**	**175-176**
2.2.5	कम्पनी की वित्तीय स्थिति वर्ष 2008–09 से 2012–13	**2.2.15**	**177**
2.2.6	वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक कंपनी की कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.2.15**	**178**
2.3.1	मांगपत्र प्राप्ति दिनांक से निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.3.7.1**	**179**
2.3.2	निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्र	**2.3.7.1**	**180**
2.3.3	तापीय संयंत्र स्टोर्स पर उपलब्ध निष्क्रिय, धीमी, और अगतिमान सामग्री/पुर्जो को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.3.8.2**	**181-182**
2.3.4	60 दिनों से अधिक द्वितीयक तेल रखाव का आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.3.8.4**	**183**
2.3.5	स्थल पर सामग्री जो प्रतिस्थापना के बाद न तो स्टोर को सौंपा गया और न ही पुर्जा या अवशेष के रूप में दिखाया गया दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**2.3.9.2**	**184-185**
2.4.1	अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान पी पी पी मॉडल के तहत बी.ओ.टी. और बी.ओ.टी (टोल प्लस वार्षिकी) पर पूर्ण किये गये परियोजना राजमार्ग	**2.4.1**	**186**
2.4.2	चल रही बी.ओ.टी. (टोल) परियोजनाओ के तहत चयनित परियोजना राजमार्ग	**2.4.3**	**187**
2.4.3	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का संगठन चार्ट	**2.4.2**	**188**
2.4.4	समीक्षा अवधि में परियोजना राजमार्गो का निष्पादन	**2.4.6**	**189**
2.4.5	टोल दरो के निर्धारण में त्रुटि के कारण कन्शेसनायर को अनपेक्षित लाभ की गणना	**2.4.6.6**	**190**
3.1	निगम का संगठनात्मक ढ़ाचा	**3.2**	**191**
3.2	पारंपरिक गोदामों एवं प्री–इंजीनियरिंग गोदामो का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई हानि को	**3.12**	**192**

विवरण		संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ संख्या
	दर्शाने वाला विवरण पत्रक		
3.3	निर्माण कार्यो में कम दण्ड राशि काटने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**3.13**	**193-196**
3.4	वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक हुये निर्माण कार्यो में पाई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**3.14** और **3.22**	**197-199**
3.5	वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्दिष्ट भण्डार लाभ (एक प्रतिशत) प्राप्त ना होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**3.18**	**200-201**
3.6	वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति, कार्यकारी परिणाम एवं परिचालन प्रदर्शन	**3.22**	**202**
3.7	वर्ष 2012–13 तक के पांच वित्तीय वर्षो में निगम के कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**3.22**	**203**
4.1	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को आवंटित किए गये कोल ब्लाको की स्थिति	**4.11.1**	**204-205**
4.2	पुनः निविदा प्रक्रिया का पालन न करने के कारण व अमेलिया कोयला ब्लाक के संदर्भ में अग्रिम में अयोग्य जे. वी. साझेदार के चयन के कारण संभावित हानि	**4.11.2**	**206**
4.3	उत्पादन की निर्धारित तिथि से विलम्ब की स्थिति में उत्पादन के प्रारम्भ का विवरण	**4.11.3**	**207**
4.4	उत्पादन में देरी के लिए तरल क्षतिपूर्ति का विवरण	**4.11.4**	**208**
4.5	कंडिकाएं/निष्पादन लेखापरीक्षाएं जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ नहीं प्राप्त की गई है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**4.12.1**	**209**
4.6	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक	**4.12.3**	**210**
4.7	निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा प्रारूप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है	**4.12.3**	**211**

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय–समय पर यथा संसोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971–क की धारा 19–क के अंतर्गत तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखपरीक्षा परिणामों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

2. सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है । राज्य के सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा का संचालन वहाँ के विधान के अनुसार किया जाता है ।

3. इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2012–13 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा वह भी जो विगत वर्षो में ध्यान में आये थे । परन्तु उन्हे पिछले प्रतिवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2012–13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

4. लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधायतों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रम (52 कम्पनियां तथा 3 सांविधिक निगम) और 9 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 58459 कर्मचारी कार्यरत थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 46365.94 करोड़ रूपये था। इसमें 2007–08 से ₹ 16472.66 करोड़ रूपये में 181.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2012–13 में कुल निवेश की 93.30 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2012–13 के दौरान समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 12156.08 करोड़ रूपये का योगदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2013 तक अद्यतन सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों ने ₹ 275.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹ 4307.57 करोड़ की हानि उठायी। 4 कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नही दिये थे। हानि का कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति में विभिन्न प्रकार की कमियों का होना बताया गया। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के तीन वर्गों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 458.22 करोड़ रूपये की हानियों तथा ₹ 62.97 करोड़ रूपये के निष्फल निवेश पर अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंधन से नियंत्रण पाया जा सकता था।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता हैं। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 49 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें लेखाकरण मानकों का पालन न करने के 95 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था।

लेखाओं के बकाया तथा समापन

सितम्बर 2013 तक 25 कार्यशील उपक्रमों के 64 लेखे 1 से 9 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। कम्पनी अधिनियम प्रावधानों के अनुसार बकाया लेखों को पूर्ण करना आवश्यक है। नौ अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रम परिसमापन के अधीन है। बाकि दो अकार्यशील उपक्रमों के लेखे तीन से पॉच वर्षो की अवधि के लिए बकाया हैं।

(अध्याय–1)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

2.1 "मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन" की समीक्षा

मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन" की समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, राज्य में विद्युत की मांग का आंकलन करने तथा विभिन्न स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत को पूल करके, विद्युत की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान की गई समीक्षा में, राज्य में विद्युत के नियोजन एवं क्रय सहित, मध्यप्रदेश/कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन को शामिल किया गया है।

समीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से 1009 मेगावाट क्षमता की नियोजित विद्युतक्रय के विरूद्व, कुल 207 मेगावाट विद्युत क्रय कर सकी।

नवम्बर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने एक गैस आधारित विद्युत परियोजना से, अनुबंधित क्षमता से कम विद्युतक्रय करने के कारण से ₹ 66.77 करोड़ का निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान किया।

बी.एल.ए. पावर के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंध के सम्बन्ध में किये गये समझौता ज्ञापन तथा कार्यान्वयन करार की शर्तो में विचलन के फलस्वरूप, ढाई प्रतिशत की विद्युत, रियायती टैरिफ की बजाय रेगुलेटेड टैरिफ की दर से खरीदना पड़ा जिससे ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा जिसकी प्रतिबद्व अतिरिक्त लागत ₹ 73.83 करोड़ होगी।

सासन विद्युत परियोजना की सभी छः इकाइयों की कमीशनिंग तिथि (सी.ओ.डी.) में हुये विलंबन के कारण से, कम्पनी 15 माह की अवधि तक,सासन पावर लिमिटेड से सस्ती दरों पर विद्युत प्राप्त करने से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के कारण, कम्पनी को ₹ 1252.46 करोड़ की संभावित हानि हुई।

बीना थर्मल विद्युत परियोजना की कमीशनिंग में, दिये गये समय विस्तार के अलावा हुई देरी के लिये, कम्पनी ने, टैरिफ आधारित विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार ₹ 10.89 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की।

स्थाई प्रभार दरों की कैपिंग हटाने के कारण, कम्पनी को टोरंट से क्रय की गई विद्युत पर स्थाई प्रभार के रूप में, ₹ 24.51 करोड़ का अनिश्चित व्यय वहन करना पड़ा तथा ₹ 145.96 करोड़ की अतिरक्त लागत वहन करने के लिए प्रतिबद्व हुई।

कोयले की लैण्डेड कॉस्ट तथा इसके सकल कैलोरी मूल्य को सत्यापित करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

बिलिंग एवं भुगतान प्रक्रिया में कमी तथा मापदण्डो से विचलन के कारण कम्पनी, विकासकर्ताओं से मिलने वाली ₹ 53.02 लाख की छूट का लाभ नहीं उठा सकी तथा साथ ही विलंब भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(अध्याय–2)

2.2 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (कम्पनी) की स्थापना दिसम्बर 1961 में मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में, लघु उद्योगों को विपणन, वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधात्मक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए की गयी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत, राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अधिमान क्रय के आधार पर केवल कंपनी से क्रय करने हेतु 149 वस्तुए आरक्षित की है। कंपनी, प्रदायकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों को प्रदाय की गई सामग्री पर प्रदायकर्ताओं से सेवाशुल्क/कमीशन प्राप्त करती है, जो कि कम्पनी की आय का प्रधान स्त्रोत है।

आयोजना

कंपनी ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई प्रोत्साहानात्मक व वित्तीय योजना तैयार नहीं की थी। कंपनी ने मेलो तथा रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन के प्रभाव का आंकलन नहीं किया। अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान व्यवसाय लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि 80.50 से 120.51 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी वर्ष 2009–10, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उद्योग विभाग, म. प्र. सरकार में पंजीकृत कुल लघु उद्योगों की तुलना में कंपनी में विपणन सहायता प्राप्त कर रहे लघु उद्योगों की प्रतिशतता 0.28 तथा 0.49 प्रतिशत के बीच थी।

विपणन गतिविधियां

आरक्षित मदों के व्यवसाय में कमी के कारण, विपणन विभाग का व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹ 661.75 करोड़ से कम होकर वर्ष 2012–13 में ₹ 529.60 करोड़ रहा। सरकारी विभागों को आपूर्ति में देरी के कारण मार्च 2012 तक आरोपित की गई अर्थदण्ड की राशि ₹ 1.68 करोड़ संबंधित सरकारी विभागों के पास जमा नहीं कराई गई है। कंपनी ने अखिल भारतीय टेण्डरों में राज्य आधारित इकाईयों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान प्रदाय करने हेतु, औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग इकाईयों की योग्यता के सत्यापन हेतु कोई पद्धति निर्धारित नहीं की है।

कम्पनी के विभिन्न विभागों की निष्पादनता

कम्पनी के संपदा एवं निर्माण विभाग के संभागों ने जमा निर्माण कार्यों के टेण्डरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन का परिहार करने हेतु कार्यों को कई भागों में विभाजित किया तथा कार्यो की संभावित लागत को ₹ पांच लाख के काफी सन्निकट रखा। संपदा एवं निर्माण विभाग ने रॉयल्टी की कटौती व उसे सरकारी राजकोष में जमा करने के लिये भिन्नात्मक पद्धतियों का अनुपालन किया। कंपनी नवोदय विद्यालय भवनों के निर्माण में भुगतान में देरी होने के संदर्भ में ब्याज वाक्यांश समाहित कराने में असफल रही।

एम्पोरियम की लाभदायकता मुख्यतः सरकारी विभागों, एजेंसियों, संस्थाओं इत्यादि को विपणन वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त कमीशन के शामिल करने के कारण रही, जिस हेतु कंपनी का विपणन विभाग स्थापित है। दिल्ली तथा रीवा एम्पोरियम द्वारा रखे गये स्कंध उनके टर्नओवर से अधिक थे। कम्पनी ने अनुप्रयुक्त माल के निस्तारण हेतु कोई निति निर्धारित नहीं की है। कंपनी के पाँच एम्पोरियम के जीर्णोद्वार हेतु किय गये करारनामों में कार्य में देरी हेतु अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान नहीं किया गया था।

लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपण्न से प्राप्त कमीशन को शामिल करने के कारण कच्चा माल भण्डार–भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर लाभ में रहे। लौह एवं इस्तपात क्रय करने वाली लघु उद्योग इकाईयों की संख्या वर्ष 2008–09 में 146 से घटकर वर्ष 2012–13 में 102 रही, जिस कारण लौह एवं इस्पात उत्पादकों से प्रदायित मात्रा की तुलना में लौह एवं इस्पात के उठाव में कमी रही। कोयले का अर्जन, आवंटन की तुलना में 72.45 से 86.26 प्रतिशत रहा, तथा कंपनी राज्य में कोयले का प्रयोग करने वाली 19471 इकाईयों की तुलना में केवल 455 इकाईयों को कोयला प्रदाय कर सकी।

कंपनी का टर्नओवर वर्ष 2008–09 में ₹ 151.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 223.05 करोड़ (46.82 प्रतिशत) रहा, जबकि शुद्व लाभ वर्ष 2008–09 में ₹ 13.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 13.76 करोड़ (4.40 प्रतिशत) रहा। लाभ मुख्यतः सावधि जमाओं पर प्राप्त ब्याज के कारण रहा, जबकि कंपनी की चालन गतिविधियों में कमी दर्ज की गई।

कंपनी की देनदारियाँ मार्च 2008 में ₹ 5.72 करोड़ थीं, जो बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 9.44 करोड़ रहीं। कंपनी ने अपने अप्रयुक्त व आधिक्यों कोषों के विनियोग के लिये कोई दीर्घकालीन योजना निर्धारित नहीं की।

मानव शक्ति प्रबंधन

कंपनी ने अपनी मानव शक्ति आवश्यकताओं का पुनः आंकलन नहीं किया था।

निगरानी व आंतरिक नियंत्रण

सरकारी विभागों द्वारा आरक्षित वस्तुओं का बाजार से सीधे क्रय करने के जाँचने हेतु कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया, जबकि उक्त वस्तुयें कंपनी से क्रय करने हेतु आरक्षित थी। कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ता इकाईयों के लघु उद्योग इकाई होने के सत्यापन का कोई तंत्र नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करने के लिये कंपनी के पास कोई स्वतंत्र सूचना प्रौघोगिकी विभाग/सेल नहीं है। कंपनी का पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं था, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मो को दिया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र स्कंध के भौतिक सत्यापन तथा कुछ प्रारंभिक जाँचों तक सीमित था, जबकि कंपनी का मुख्य कार्यकारी क्षेत्र आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर रहा।

(अध्याय–2)

2.3 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

परिचय

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड राज्य में स्थित तीन ताप संयंत्र (कुल क्षमता 3687 एम. डब्ल्यू.) एवं सात पनबिजली संयंत्र, इसके 21 स्टोरो के माध्यम से कच्चा माल/निविष्टियां जैसे

कोयला, तेल एवं महत्वपूर्ण सामग्री/पुर्जे उपलब्ध करा रहा है। अतः स्टोरों की समय पर जरूरत पूरी करने एवं सबसे कुशल किफायती एवं शीघ्रतिशीघ्र इस प्रकार की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर, पूँजी की न्यूनतम अवरूद्धता के साथ सामग्री का कुशल प्रबंधन आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चत करता है।

कम्पनी में सामग्री प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करने हेतु, 2010–11 से 2012–13 तक के लेन–देन को शामिल करते हुए तीन ताप संयंत्रो से संबंद्ध सभी स्टोरों के सम्बन्ध में अप्रैल से जुलाई 2013 तक इस विषय पर एक समीक्षा आयोजित की गई। समीक्षा की प्रमुख खोजों, निष्कर्षो एवं सिफारिशों को नीचे सारांश रूप में दिया गया है।

योजना और सामग्री की खरीद के लिए समय निर्धारण

किसी भी मापदंड के अभाव में, दिनों के संदर्भ में प्रकाशन एवं निविदाएं प्रदान करने हेतु मांगपत्र की प्राप्ति की तारीख से कम्पनी ने उपयोगकर्ता विभाग से 38 दिनों से लेकर 246 दिनों तक का समय सूचना प्रकाशित करने एवं निविदा आमंत्रित करने में लिया एवं 238 दिनों से 510 दिन का समय खरीदी आदेश देने में लिया गया इस प्रकार वार्षिक योजना आवश्यकता प्रभावित हुई।

सामग्रीयों की प्राप्ति

43 मामलों में जहाँ क्रय आदेश के मूल्य ₹ पाँच लाख पार कर गए, वहाँ समाचार पत्रों में आवश्यकता प्रकाशित नहीं की गई, जो कि स्थापित प्रक्रियाओं के अंतर्गत जरूरी है। इसके अतिरिक्त कम्पनी के पास प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने का अवसर पहले ही नहीं था, फिर भी सफल निविदा के आधार पर 66 क्रय आदेश जारी करने के कारण संभावित आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए एक द्वितीयक स्त्रोत विकसित करने में भी वह विफल रही।

वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना ₹ 9.75 करोड़ की कीमत की सामग्री/पुर्जे खरीदे गए जिसके परिणामस्वरूप वे विभिन्न स्टोरों पर अतिरिक्त एवं बेकार पड़े पाए गए जिससे कंपनी की धन राशि अवरूद्ध हुई।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमत सीमा से अधिक कोयला घाटे को अपलिखित किया गया राशि जो वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः ₹50.14 करोड़, ₹ 35.19 करोड़ एवं ₹40.50 करोड़ रही।

द्वितीय तेल की 60 दिन से भी अधिक रखाव के कारण, इसके अतिरिक्त रख–रखाव पर 2010–2013 में ₹1.40 करोड़ से ₹ 2.76 करोड़ की लागत आई।

₹ 102.84 करोड़ के मूल्य के 164 क्रय आदेशों में कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 6.64 करोड की 10 प्रतिशत सुरक्षानिधि इकट्ठा करने के लिए निविदा शर्त माफ कर दी। 52 खरीदी आदेशों के सम्बन्ध में दो से तीन साल व्यतीत होने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई।

निरीक्षण, प्राप्ति और सामग्री के जारी करने में अनियमितताएँ

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान प्रक्रिया हेतु स्टोरो पर सामग्री प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (एम.आर.सी.) जारी करने के कंपनी के स्पष्ट निर्देशों के विरूद्ध खरीदी आदेशों से 325 आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रबंधन ने एम.आर.सी. जारी करने से क्रमशः 209 दिन (सारणी), 918 दिन (बिरसिंहपुर) और 101 दिन (चचाई) में देरी की।

(अध्याय–2)

2.4 मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जुलाई 2004 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गयी है । मध्यप्रदेश के राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़को को मजबूत करने, उनका उन्नयन एवं विकास करना निगम का प्रमुख कार्य है । कुशल, पर्याप्त तथा समुचित तरीके से राज्य में अवसंरचना विकास हेतु कंपनी को अधिदेश प्राप्त है ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान 16 परियोजना राजमार्ग को बनाओ, चलाओ तथा हस्तातरण (बी.ओ.टी.) योजना के तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के विभिन्न माडॅल के द्वारा पूरा किया गया ।

सड़क परियोजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन

कंपनी द्वारा 16 में से 11 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया गया। शेष पाँच परियोजनाओं में 67 दिनो से लेकर 564 दिनो की देरी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्राप्त करने में हुयी । इसका मुख्य कारण वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में देरी, साइट हस्तांतरण में देरी तथा राईट ऑफ वे से जुड़ी समस्यायें थी ।

पर्यावरणीय शमन की लागत का गलत उपचार

कंपनी द्वारा पर्यावरणीय शमन की लागत पर 25 % वृद्धि एवं इसको निर्माण लागत के रूप में लिये जाने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 62.71 लाख का अधिक भुगतान व्ही.जी.एफ. के रूप में किया गया ।

उच्च विशिष्टता के कारण परियोजना लागत में वृद्धि

सड़क पर वर्तमान एवं अनुमानित ट्राफिक को ध्यान में रखते हुये, खिमलासा–मलथॉन खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने की आवश्यकता नही थी । इस खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने के परिणामस्वरूप अनुपातिक व्ही.जी.एफ. के रूप में ₹ 14.37 करोड़ का परिहार्य एवं अनुचित व्यय ।

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) मॉडल के तहत बोनस एवं एन्युटी का भुगतान

तीन परियोजना राजमार्गो को विकसित करने के लिये कंपनी द्वारा नया मॉडल बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी) तैयार किया गया । निर्माण अवधि को परामर्शदाता की सिफारिश के अनुसार तय अवधि में न करने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 16.82 करोड़ का अधिक भुगतान ।

पी.पी.पी. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव

बीना–खुरवई–सिरोज परियोजना राजमार्ग हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव पी.पी.पी. के सिद्धांत के विरूद्ध है ।

टोल का गलत निर्धारण

कंपनी द्वारा टोल निर्धारण की कोई मानक प्रक्रिया एवं कार्यविधि न बनाने के कारण, कन्शेसनायर को ₹ 37.43 लाख का अनायास लाभ ।

कन्शेसनायर द्वारा प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब

इंदौर–उज्जैन परियोजना राजमार्ग के कन्शेसनायर द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक ₹ 7.69 करोड़ की राशि को प्रीमियम के रूप में जमा नही किया गया ।

(अध्याय–2)

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

3. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम (निगम) का गठन 31 मार्च 2003 को हुआ था। निगम का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों, उवर्रक, नमक, बोरो की गाठें इत्यादि के भण्डारण हेतु अधोसंरचना का निर्माण करना, गोदाम से माल की निकासी तथा किसानों एवं निजी पार्टियों को कीटनाशक सेवाएं उपलब्ध कराना है । मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डी.सी.पी.) के तहत उपार्जित किये गये खाद्यान्नों के भण्डारण करने हेतु निगम भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नोडल एजेन्सी है ।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम राज्य में उपलब्ध 97.50 लाख मैट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के विरूद्ध पूरे राज्य में फैले 275 केन्द्रों पर कुल 54.73 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के 2887 गोदाम थे निगम के कार्यकलापो की समीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ दर्शित हुई है।

नियोजन

आगामी वर्षो के कार्यकलापों को अच्छी तरह से करने के लिये निगम ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिये राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये, जिससे सहमति ज्ञापन किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

भूमि की आवश्यकता को राज्य सरकार के साथ हुए सहमति ज्ञापन में पर्याप्त अग्रिम रूप से सम्मलित नहीं करने से निगम, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, छिन्दवाड़ा खंडवा, सीहोर और सिवनी में गोदामों का निर्माण नहीं कर सका ।

निगम ने भण्डारण क्षमता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कोई भी दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की । निगम ने अपनी भण्डारण क्षमता वर्ष 2008–09 में 11.41 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2012–13 में 14.81 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई लेकिन उसका हिस्सा सीमान्तिक रूप से वर्ष 2008–09 में 15.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 15.18 प्रतिशत रह गयी।

गोदामों का निर्माण

धन की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 31,70,790 लाख मीट्रिक टन के भण्डारण क्षमता के लक्ष्य के विरूद्ध निगम ने केवल 6,53,350 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया ।

निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप बाद में कार्य सौपने पर ₹ 1.28 करोड़ के अधिक मूल्य पर निविदायें प्रदान की गई।

परिवर्तनीय कैप और प्री इंजीनियरिंग गोदामों के निर्माण पूर्ण होने में विलम्ब के कारण निगम गोदाम हेतु लागू भण्डारण शुल्क ₹ 49 प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर केप हेतु लागू ₹ 24 प्रति मीट्रिक टन की दर से दावा कर सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.86 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

गोदामों की उपयोगिता

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान समग्र लक्ष्य के विरूद्ध स्वंय के गोदामों एवं संयुक्त उद्यमों के गोदामों की उपयोगिता कम रही । निगम द्वारा चार शाखाओं में स्वंय एवं किराये के गोदामों में शेष भण्डारण क्षमता की उपलब्धता के बावजूद संयुक्त उद्यमों वाले गोदाम में खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया, जिससे निगम को ₹ 25.69 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

खाद्यान्न का भण्डारण

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम द्वारा निर्दिष्ट भण्डारण लाभ न प्राप्त करने तथा स्कन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 91.50 करोड़ मूल्य की हानि की गणना की गई लेकिन निगम ने उसके कारणों का ना तो विश्लेषण किया और ना हीं उपचारात्मक कार्यवाही की ।

निगम द्वारा बिना किसी क्षेत्र परिक्षण के वृहद पैमाने पर नये किस्म के मल्टी लेयर्ड क्रॉस फिल्म केप कव्हर के उपयोग का निर्णय लिया गया । निगम को उच्च कीमत के नये कैप कव्हर खरीदने के कारण ₹ 2.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पडा ।

निगम को केन्द्रीय भण्डार निगम/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक वजन के पौलिथिन कैप कव्हर खरीदने कारण ₹ 44.00 लाख का परिहार्य व्यय वहन करना पडा ।

वित्तीय/बजटीय प्रबंधन

11 निर्माण कार्यो के संबंध में वास्तविक निष्पादित मात्रा अनुमोदित मात्रा को पार कर गई तथा ₹ 4.57 करोड़ के अधिक मात्रा का भुगतान ठेकेदार को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया । 10 निर्माण कार्यो के संबंध में ₹ 3.79 करोड़ अतिरिक्त मदों में व्यय किये गये कार्य का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया ।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के सभी समुहों में स्वीकृत पदो के विरूद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी थी ।

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

निगम के कार्यों की समीक्षा के लिये गठित कार्यकारी समिति की बैठक निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई ।

निगम ने ₹ 5.34 करोड़ के कम्प्युटर सिस्टम को उसकी स्थापना (मार्च 2008) के बाद के सितम्बर 2013 तक उसके साफ्टवेयर में समस्याओं का समाधान ना करने के कारण उपयोग नहीं किया ।

भूमि के पट्टा विलेखों का समय पर नवीकरण सुनिश्चित करने के लिये निगम द्वारा कोई निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई ।

(अध्याय–2)

4. लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियाँ और संबंधित गंभीर वित्तीय जटिलता दर्शाती है। उल्लेखित अनियमिततायें सामान्यतः निम्नांकित प्रकृत्ति की है।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न किये जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹ 33.44 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.2, 4.6, 4.7 एवं 4.9)

त्रुटिपूर्ण योजना के कारण दो प्रकरणों में ₹1.55 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.1 एवं 4.3)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न किए जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹7.18 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.4, 4.5,4.8, एवं 4.10)

अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण नियंत्रण के कारण एक प्रकरण में ₹168.12 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.11)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :–

विशेष अर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इन्दौर) द्वारा आयकर छूट का उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.25 करोड़ के आयकर एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान ।

(कंडिका 4.2)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, को आपूर्ति उपलब्धता सूचना एवं विस्तारित माँग के लिए बिलिंग जारी करने में देरी के कारण राशि ₹ 84.84 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.6)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, को विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के अनुसार संस्वीकृति पत्र की शर्तों को पूर्ण करने से पूर्व अतिरिक्त भार विस्तारित करने एवं एम. पी.ई.आर.सी. टैरिफ के अनुसार अधिक भार पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित न करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुचाने के कारण राशि ₹ 3.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.7)

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ने टैरिफ के माध्यम से राजस्व राशि₹ 23. 13 करोड़ का परित्याग किया एवं उस पर राशि ₹ 1.27 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई ।

(कंडिका 4.8)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, ए ग्रेड फॉस्फेट के उत्पादन के समझौते की शर्तो को लागू करने में असफल रहा । जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को राशि ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई । साथ ही कम्पनी अनिष्पादित मात्रा के लिए राशि ₹ 73.55 लाख की दण्डराशि के आरोपण में भी असफल रही। एवं कम्पनी द्वारा रॉक फॉस्फेट के संविदा खनन के लिए संविदा सुपुदर्गी में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.82 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.9 एवं 4.10)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, ने तरलता क्षति को आरोपित न करने के कारण राशि ₹ 153.29 करोड़ की हानि उठाई एवं उसके संयुक्त उपक्रम में भूगर्भीय प्रतिवेदन क्रय करने में देरी एवं दण्डनीय ब्याज के भुगतान एवं अर्थदण्ड के परिणामस्वरूप राशि ₹ 14.83 करोड़ की हानि उठाई ।

(कंडिका 4.11)

(अध्याय 4)

अध्याय–1

अध्याय – 1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम समाविष्ट है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये की गई है । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने सितम्बर 2013 के अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार ₹ 58237.27 करोड़ का व्यवसाय किया । मध्यप्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। सितम्बर 2013 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने अपने अंतिम रूप दिये गये अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सितम्बर 2013 को कुल मिलाकर ₹ 4031.63 करोड़ की हानि उठाई । 31 मार्च 2013 को उपक्रमों में 58459 कर्मचारी[1] कार्यरत थे ।

1.2 नीचे दी गई तालिका 1.1 के विवरणों के अनुसार 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रम थे (55 कार्यशील एवं 9 अकार्यशील) । इनमें से कोई भी कम्पनी स्टाफ एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं थी ।

तालिका क्रमांक 1.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	52	9	61
सांविधिक निगम	3	निरंक	3
योग	**55**	**9**	**64**

1.3 वर्ष 2012–13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक[4] उपक्रम की स्थापना की गई एवं एक[5] उपक्रम को समाप्त किया गया था ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार/सरकारों की पूंजी, प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है । यह भी कि एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकारों, सरकारी कम्पनीयों तथा सरकार के नियंत्रण वाले उपक्रमों के किसी समूह द्वारा संयोजित की गई हो तो उसे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (मानद सरकारी कम्पनी) मानी जायेगी ।

[1] 42 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा विवरण के अनुसार शेष 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरण नहीं दिया ।

[2] सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये है ।

[3] 619–ख कम्पनियाँ सम्मिलित है।

[4] मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड।

[5] मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को सम्मिलित कर जिसको दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से बिना परिसमापन समाप्त कर दिया गया है।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा अपने–अपने संबंधित विधायतों[6] द्वारा नियन्त्रित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (म.प्र.स.प.नि.) हेतु नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (म.प्र.वि.लॉ.का.) और मध्यप्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.) की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों (619–ख कम्पनियों सहित) में निवेश नीचे दिये गये तालिका क्र. 1.2 के विवरणों के अनुसार ₹ 46365.94 करोड़ था ।

तालिका क्रमांक 1.2 *(₹ करोड़ में)*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			महायोग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	16863.12	27401.22	44264.34	511.01	1396.58	1907.59	46171.93
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	59.57	134.44	194.01	..	..	..	194.01
योग	**16922.69**	**27535.66**	**44458.35**	**511.01**	**1396.58**	**1907.59**	**46365.94**

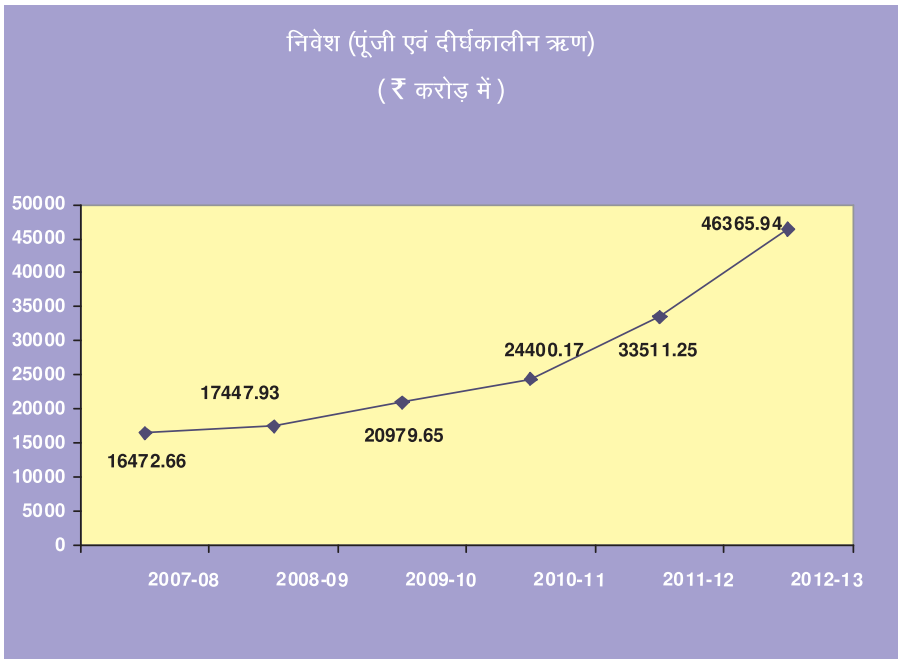
(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का सारांश ***परिशिष्ट–1.1*** में दर्शाया गया है ।

1.8 31 मार्च 2013 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.58 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में और शेष 0.42 प्रतिशत अकार्यशील कम्पनियों में था। इस कुल निवेश में पूंजी के 37.60 प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋणों के 62.40 प्रतिशत समाविष्ट है। निवेशों में 181.47 प्रतिशत तक कि वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2007–08 में ₹16472.66 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 46365.94 करोड़ तक थी, जिसे ग्राफ क्र. 1.1 में दर्शाया गया है ।

[6] म.प्र.स.प.नि.; सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, म.प्र.वे.ला.का.; वेयर हाउसिंग निगम अधिनियम, 1962; म.प्र.वि.नि; राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951।

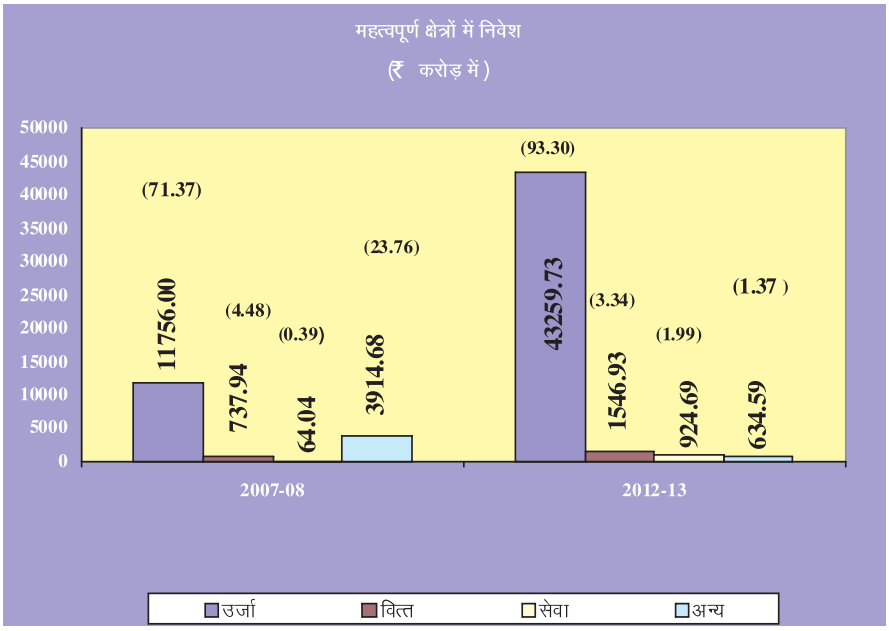
ग्राफ क्रमांक 1.1



(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.9 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत ग्राफ क्र. 1.2 में प्रदर्शित किया गया है :

ग्राफ क्रमांक 1.2



(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में रहा जो कि वर्ष 2007–08 में ₹11756.0 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 43259.73 करोड़ हो गया। वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2012–13 में सरकार का निवेश ऊर्जा वित्त एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ गया जबकि अन्य क्षेत्र में कम हो गया ।

बजट से प्राप्त समता पूँजी, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां तथा ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार से समता पूंजी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिये गये है। 2012–13 को समाप्त तीन वर्षो के संक्षिप्त विवरण तालिका क्र. 1.3 में दिए गए हैः

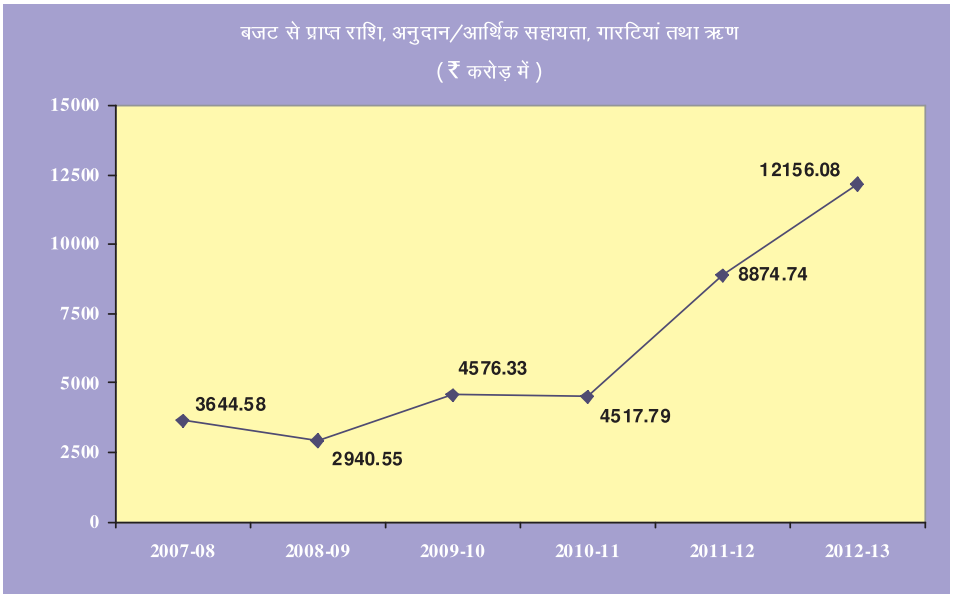
तालिका क्रमांक 1.3

क्र. स.	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से प्राप्त समता पूंजी	10	1060.63	9	1147.38	9	1418.65
2.	बजट से दिए गए ऋण	6	989.25	6	1745.99	4	2148.50
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	14	2467.91	18	5981.37	18	8588.93
4.	कुल प्राप्त राशि (1+2+3)		4517.79		8874.74		12156.08
5.	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	..	..	..	..		..
6.	जारी गारंटियां	6	748.63	8	2429.15	7	5303.11
7.	वचनबद्धता वाली गारंटी	7	3247.37	7	3259.42	8	4815.88

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.11 विगत छः वर्षो के लिये समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता संबंधी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ग्राफ क्र. 1.3 में दिये गये है ।

ग्राफ क्रमांक 1.3



(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

बजट से समता ऋण एवं अनुदान/आर्थिक सहायता वर्ष 2011–12 में ₹8874.74 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹12156.08 करोड़ प्राप्त हुये । जिसका कारण 9 उपक्रमों[7] में समता का बढ़ना, 4 उपक्रमों[8] में ऋणों का बढ़ना तथा 18 उपक्रमों[9] में अनुदान/आर्थिक सहायता बढ़ना रहा है।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्वीकृत अधिकतम गारंटी पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन भुगतान करने के लिये बाध्य है । चाहे उपक्रमों ने उस राशि का लाभ उठाया हो या राशि बकाया हो । सरकार ने वर्ष 2012–13 क अंत तक आठ[10] उपक्रमों को समता पूंजी एवं ऋण की राशि ₹ 4815.88 करोड़ की गारंटी दी थी । 31 मार्च 2013 को आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹ 40.63 करोड भुगतान करने थे। केवल तीन[11] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹1.98 करोड का भुगतान किया गया।

वित्त लेखे के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार बकाया समता पूंजी, ऋण तथा गारंटियों के आकड़ों का मिलान राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकडों के साथ होना चाहिये । यदि आंकड़े मेल नहीं खाते है, तो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को मिलान करना चाहिये । 31 मार्च 2013 को इस सम्बन्ध में स्थिति तालिका क्र. 1.4 में दी गई है :

तालिका क्रमांक 1.4 *(₹ करोड़ में)*

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखो के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	9414.00	12355.75	2941.75
ऋण	21190.62	17072.77	4117.85
गारंटियां	6281.62	5303.11	978.51

(स्त्रोत :– वित्तीय लेखे 2012–13 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.14 हमने पाया कि अन्तर, 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे । सरकारी कम्पनियों/निगमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये समता पूंजी तथा ऋणों के आंकड़ों में विसंगति के मिलान के लिये को सरकार एवं समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखे गए थे । सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाना चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों का विवरण क्रमाशः ***परिशिष्ट 1.3, 1.4, एवं 1.5*** में दिया गया है।

[7] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, व ब–1।

[8] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6, 14,16,17।

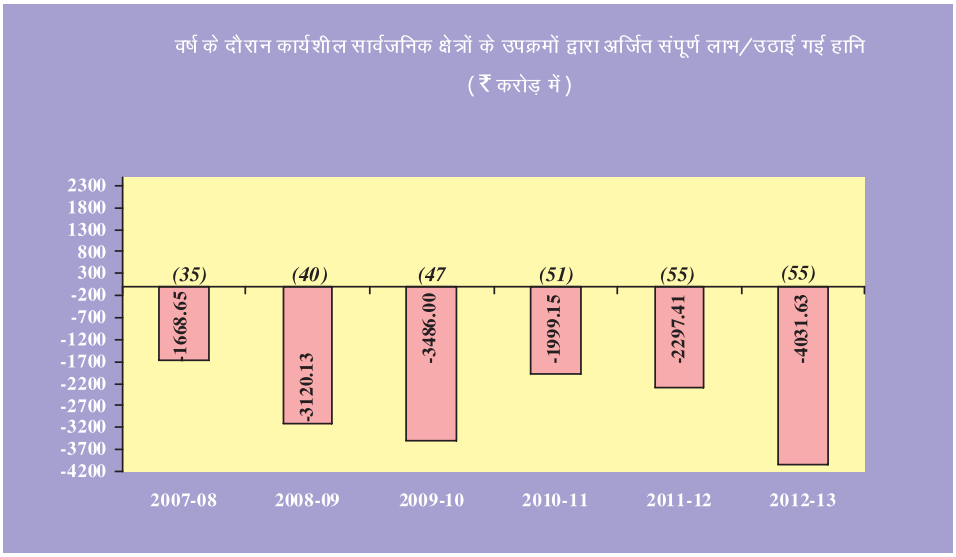
[9] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20।

[10] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. अ. – 6,8,13,14,15,16,17 एवं ब–1।

[11] परिशिष्ट – 1.3 के क्र. अ. – 32, 36, एवं ब–2।

1.16 वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के विवरण ग्राफ क्र. 1.4 में दिये गये है।

ग्राफ क्रमांक 1.4



(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है।)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹4031.63 करोड़ की हानि उठाई। 55 कार्यशील उपक्रमों में से 26 उपक्रमों ने ₹ 275.94 करोड़ का लाभ कमाया जबकि सात[12] उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि और 18 उपक्रमों ने ₹ 4307.57 करोड़ की हानि उठाई। चार[13] कंपनियो से उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये। लाभ में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 45.77 करोड़) मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (₹41.72 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹37. 18 करोड़), मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (₹26.03 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹25.92 करोड़) का था। हानि में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹1432.23 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1424.99 करोड़), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1414.93 करोड़) एवम् मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कम्पनी लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) का था। वर्ष 2011–12 की अपेक्षा हानियों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण तीनो वितरण कम्पनियों द्वारा भारी हानि उठाना था।

1.17 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹458.22 करोड़ की हानियां उठाई और ₹62.97 करोड़ के निष्फल निवेश किये, जिसको अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्धन से नियन्त्रित किया जा सकता था । जिसका उल्लेख तालिका क्र. 1.5 में है।

[12] परिशिष्ट 1.1 के क्र अ. 19, 23, 31, 37, 38, 41, एवं 51।

[13] परिशिष्ट 1.3 के क्र. अ – 9, 16, 49, 50।

तालिका क्रमांक 1.5 (₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	योग
निवल लाभ / (हानि)	(1999.15)	(2297.41)	(4031.63)	(8328.19)
नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रण योग्य हानियां	800.85	27.35	458.22	1286.42
निष्फल निवेश	..	180.29	62.97	243.26

1.18 राज्य सरकार ने समता पूंजी पर न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिये एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 2005) । अपने 30 सितम्बर 2013 को अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों ने कुल ₹ 275.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के तीन[14] उपक्रमों ने ₹15.82 करोड का लाभांश घोषित किया। जबकि शेष 23 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अंतिम रूप न दिये गये बकाया लेखे

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166,210,230,619 तथा 619 –ख के अधीन कम्पनी के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अंतिम रूप देना अपेक्षित है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखाओं को उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना होता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधान सभा के पटल पर रखा जाता है । तालिका क्र. 1.6 में सितम्बर 2013 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति के विवरण दिये गये है :

तालिका क्रमांक 1.6

क्र. स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	40	47	51	55	55
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	25	49	59	50	49*
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	69	66	58	63	64
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की औसत बकाया (3 / 1)	1.73	1.40	1.14	1.15	1.16
5.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	29	33	26	26	25
6.	बकायों की सीमा	1 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.20 बकाया लेखों की संख्या में 2010–11 तक कमी आई। तत्पश्चात् उनमें 2012–13 तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के दौरान 55 कार्यशील उपक्रमों के 49 लेखें अंतिम रूप दिए गए तथा 64 लेखे बकाया थे।

[14] मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड; और संत रविदास हस्तशिल्प एवं विकास निगम लिमिटेड।

* इसमें कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के 48 लेखे तथा सांविधिक निगम (मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन) का एक लेखा सम्मिलित है।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में भी लेखे बकाया थे । सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रमों में से सात[15] परिसमापन प्रक्रिया में थे एवं शेष दो[16] उपक्रमों में लेखें तीन से पांच वर्ष तक के लिए बकाया थे ।

1.22 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे 11 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके लेखे तैयार नहीं थे, ₹296.60 करोड (समता अंशः ₹18.43 करोड, ऋणः ₹9.00 करोड , आर्थिक सहायताः ₹160.70 करोड तथा अनुदानः ₹108.47 करोड) का निवेश किया था जिसका विवरण परिशिष्ट–1.6 में दिया गया है । वार्षिक लेखे न बनने एवं उनकी लेखापरीक्षा ना होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्ययों को लेखाओं में ठीक ढंग से लेखांकन किया गया है या नहीं एवं व्यय/निवेश जिस उदेश्य से किये गये थे उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं । इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा से बाहर रह गया। इसके अतिरिक्त लेखे तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वस्प कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ–साथ जनता के पैसों में धोखाधड़ी का जोखिम तथा दुरूपयोग भी हो सकता है ।

1.23 प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए । हालांकि संबंधित प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों की जानकारी के संबंध में तिमाही आधार पर सूचित किया जाता है तथा यह मामला सितम्बर 2013 में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव के ध्यान में भी लाया गया अपितु उपचार हेतु कोई उपाय नहीं किया गया।

1.24 बकायों की उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को बकाया लेखाओं के समापन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए लेखाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.25 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रम थे । इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों ने समापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

1.26 वर्ष 2012–13 के दौरान किसी भी कम्पनी/निगम की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई । अकार्यशील कम्पनियों की समापन की स्थिति[17] तालिका क्र. 1.7 में दी गई है ।

15 मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

16 मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

17 कम्पनियों द्वारा कोई अंतिम जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011–12 से लिया गया।

तालिका क्रमांक 1.7

क्र. सं.	विवरण	कम्पनियां
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे	
(क)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7[18]
(ख)	समापन यथा बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नही हुई है।	2[19]

1.27 स्वैच्छिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया के लिये कम्पनी अधिनियम अधिक शीघ्रगामी है और उसको सशक्त रूप से अंगीकार/ अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार इनकी अकार्यशील स्थिति को दृष्टिगत करते हुये इनको अस्तित्व में बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकती है।

लेखाओं पर टिप्पणियां

1.28 अवधि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 43 कार्यशील कम्पनियों ने वर्ष के दौरान अपने अंकेक्षित 48 लेखे, प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये । इनमें से 22 कम्पनियों के 27 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण तालिका क्र. 1.8 में है ।

तालिका क्रमांक 1.8

क्रं स.	विवरण	2010–11		2011–12		2012–13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	11	208.26	8	463.78	3	8.39
2.	हानि में वृद्धि	3	64.36	4	40.45	2	52.16
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	4	59.25	2	107.32	2	697.28
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	94.14	5	176.33	2	2548.36

(स्त्रोत :– नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की कुल राशि पर टिप्पणी)

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ/हानि एवं वर्गीकरण की त्रुटियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का काफी प्रभाव है।

[18] मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

[19] मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

1.29 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कार्यशील कम्पनियों के समस्त लेखाओं को अर्हता प्रमाण पत्र दिये थे । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 8 लेखाओं पर टिप्पणियां दी । इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानको का अनुपालन खराब रहा। वर्ष के दौरान 16 लेखाओं में लेखांकन मानकों के पालन न करने के 95 उदाहरण थे।

1.30 कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है।

म. प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (2012–13)

- सरकार से साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के लिये प्राप्त ₹1.32 करोड़ के अनुदान को लेखे में पूंजीगत कार्य प्रगति के स्थान पर चालू सम्पत्ति में आय दिखाया गया।

म. प्र. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (2012–13)

- सहयोगी कम्पनी की समता में निवेश को ₹697.12 करोड़ कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप अंश पूंजी भी उतनी ही राशि से कम दर्शाई गई।
- जनवरी 2013 के लिए उत्पादन आधारित प्रतिफल का लेखा न करने के परिणामस्वरूप अन्य आय व अन्य अचल सम्पत्ति ₹72.00 लाख से कम दर्शाई गई।
- राशि ₹ 2.06 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों को अवकाश के नकदीकरण स्वरूप सेवानिवृत्ति के समय किया गया जिसकी वसूली मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी से की जानी थी। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हित व्यय को आधिक्य एवं मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी से व्यापार प्राप्य में ₹2.06 करोड़ कम दर्शाया गया।

म. प्र. राज्य सिविल सप्लाई निगम लिमिटेड (2011–12)

- कम्पनी द्वारा एक राशि को गलत वर्गीकरण करने के कारण नकद साख को गैर चालू दायित्व समझा गया। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹2548.30 करोड़ के गैर चालू दायित्व का अधिक्य एवं उपरोक्त राशि से ही चालू दायित्व कम दर्शाया गया।
- कम्पनी ने कार्यालय भवन की स्थायी संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.56 करोड़ से स्थायी सम्पत्ति में कमी तथा पूंजीगत कार्य प्रगति में ₹1.56 करोड़ का अधिक्य आया।

1.31 वर्ष 2012–13 के दौरान एकमात्र कार्यशील सांविधिक निगम मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम ने वर्ष 2011–12 के लिए अपने लेखे अग्रेषित किये थे । तथा जिसकी अनुपूरक लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई ।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियां

1.32 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–3(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और ऐसे क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, कि पहचान करनी होती है । वर्ष 2012–13 के लिये 17 कम्पनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सम्भावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का एक निर्देश सारांश तालिका क्र. 1.9 में दिया है ।

तालिका क्रमांक 1.9

क्र. स.	सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके लिए अनुशंसायें की गई	*परिशिष्ट 1.3* की कम्पनियों की क्र. स. का सन्दर्भ
1.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यवसाय के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	8	क.6ए क.15ए क.20ए क. 26ए क.27ए क.29ए क. 33ए तथा क.38ए
2.	लागत अभिलेखों का संधारण न करना	2	क.33ए क.44ए
3.	मात्रात्मक विवरण, दिनांकित स्थितियां, परिचय संख्या अधिग्रहण की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य, ह्रासगत मूल्य तथा उनके स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख संधारित न करना	11	क.1ए क.3ए क.6ए क. 20ए क.21ए क.32ए क. 33ए क.34ए क.35ए क.36ए तथा क.43ए

(स्त्रोत :– सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के अनुसार)

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूलियां

1.33 वर्ष 2012–13 में औचित्य लेखापरीक्षा के समय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धन को ₹25.80 करोड़ की वसूलियां बताई गई थी जिसमें से राशि ₹24.59 करोड़ 9[20] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार की थी तथापि वर्ष 2012–13 में छह[21] सार्वजनिक उपक्रमों से केवल ₹3.77 करोड़ की वसूली की गई ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति

1.34 तालिका क्र.1.10 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा पटल पर रखने की स्थिति को दर्शाती है ।

तलिका क्रमांक 1.10

क्र. स.	सांविधिक निगमों का नाम	वर्ष, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे गए		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को प्रेषित करने की तिथि	विधानसभा के पटल पर रखने की तिथि
1.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम	2011.12	09 जनवरी 2013	19 मार्च 2013
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	2011.12	13 दिसम्बर 2012	20 फरवरी 2013

[20] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इन्दौर) लिमिटेड; मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड; मध्यप्रदेश वित्त निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड; म.प्र.औ.के.वि.नि. (भोपाल), सेज इन्दौर लिमिटेड।

[21] म.प्र.औ.के.वि.नि. (इन्दौर)लिमिटेड; मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,; मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड;मध्यप्रदेश वित्त निगम लिमिटेड;मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड।

मध्य प्रदेश सड़क परिवाहन निगम का वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो कि 13 अप्रैल 2009 को जारी किया गया, विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया । इस हेतु म.प्र. सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण सांविधिक निगमों पर विधान मण्डल का नियंत्रण कमजोर हुआ और इसके कारण वित्तीय उत्तरदायित्व भी कमजोर हुये । सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधान सभा में त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.35 सरकार ने वर्ष 2012–13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अपने किसी भी उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन नहीं किया । हालांकि, दिनांक 10 अप्रैल 2012 के प्रभाव से एम. पी. पावर ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड का नाम एम. पी. पावर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है और इसे मध्यप्रदेश के तीन[22] विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बना दिया गया है। दिनांक 26 अप्रैल 2012 के प्रभाव से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को परिसमापन के बिना खत्म कर दिया गया है । तथा 26 फरवरी 2013 से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का नाम संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया हैं।

[22] मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर; मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल।

अध्याय–2

अध्याय–2

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

2.1 ''मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन'' की समीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, राज्य में विद्युत की मांग का आंकलन करने तथा विभिन्न स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत को पूल करके, विद्युत की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान की गई समीक्षा में, राज्य में विद्युत के नियोजन एवं क्रय सहित, मध्यप्रदेश/कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन को शामिल किया गया है।

समीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से 1009 मेगावाट क्षमता की नियोजित विद्युतक्रय के विरूद्व, कुल 207 मेगावाट विद्युत क्रय कर सकी।

नवम्बर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने एक गैस आधारित विद्युत परियोजना से, अनुबंधित क्षमता से कम विद्युतक्रय करने के कारण से ₹ 66.77 करोड़ का निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान किया।

बी.एल.ए. पावर के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंध के सम्बन्ध में किये गये समझौता ज्ञापन तथा कार्यान्वयन करार की शर्तो में विचलन के फलस्वरूप, ढाई प्रतिशत की विद्युत, रियायती टैरिफ की बजाय रेगुलेटेड टैरिफ की दर से खरीदना पड़ा जिससे ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा जिसकी प्रतिबद्व अतिरिक्त लागत ₹ 73.83 करोड़ होगी।

सासन विद्युत परियोजना की सभी छः इकाइयों की कमीशनिंग तिथि (सी.ओ.डी.) में हुये विलंबन के कारण से, कम्पनी 15 माह की अवधि तक,सासन पावर लिमिटेड से सस्ती दरों पर विद्युत प्राप्त करने से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के कारण, कम्पनी को ₹ 1252.46 करोड़ की संभावित हानि हुई।

बीना थर्मल विद्युत परियोजना की कमीशनिंग में, दिये गये समय विस्तार के अलावा हुई देरी के लिये, कम्पनी ने, टैरिफ आधारित विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार ₹ 10.89 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की।

स्थाई प्रभार दरों की कैपिंग हटाने के कारण, कम्पनी को टोरंट से क्रय की गई विद्युत पर स्थाई प्रभार के रूप में, ₹ 24.51 करोड़ का अनिश्चित व्यय वहन करना पड़ा तथा ₹ 145.96 करोड़ की अतिरक्त लागत वहन करने के लिए प्रतिबद्व हुई।

कोयले की लैण्डेड कॉस्ट तथा इसके सकल कैलोरी मूल्य को सत्यापित करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

बिलिंग एवं भुगतान प्रक्रिया में कमी तथा मापदण्डो से विचलन के कारण कम्पनी, विकासकर्ताओं से मिलने वाली ₹ 53.02 लाख की छूट का लाभ नहीं उठा सकी तथा साथ ही विलंब भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रस्तावना

2.1.1 कुशल तरीके से, उचित दरों पर विश्वसनीय व गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने, फरवरी 2005 में, एक राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की। मध्यप्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड[1] (कम्पनी) को राज्य में विद्युत मांग का आंकलन करने तथा विभिन्न स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत को पूल करके राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य ने विद्युत की अप्रतिबंधित अधिकतम मांग[2] 7200 मेगावाट थी तथा जिसके विरूद्व कम्पनी/राज्य 6436 मेगावाट तक की मांग की पूर्ति कर सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप 764 मेगावाट विद्युत की कमी रही जिसे विद्युत आपूर्ति में कमी करके प्रबंधित किया गया। वर्ष 2012–13 में जबकि अप्रतिबंधित अधिकतम मांग बढ़कर 9804 मेगावाट ही गई, तब 9412 मेगावाट की ही मांगपूर्ति की जा सकी तथा 392 मेगावाट की कमी रही। अतः मार्च 2013 के अंत तक कम्पनी बड़े पैमाने पर राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही। मध्यप्रदेश सरकार ने, वर्ष 2013 में, राज्य के कृषक उपभोक्तओं को दस घंटे विद्युत प्रदाय करने तथा राज्य के अन्य उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत प्रदाय करने के उद्देश्य से ''अटल ज्योति अभियान'' की शुरूआत की।

विद्युत की अप्रतिबंधित अधिकतम मांग तथा विद्युत की उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिये, कम्पनी विभिन्न स्त्रोतों यथा–राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादन संस्थानों, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संस्थानों तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों आदि से विद्युत क्रय करने की योजना बनाती है जिससे मांग की पूर्ति की जा सके। कम्पनी द्वारा इस प्रकार बनाई गई योजनाओं को मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

दीर्घकालीन व्यवस्थाओं तथा अल्पकालीन व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत प्राप्त की जाती है। कम्पनी द्वारा दीर्घ अवधि अनुबंध या तो निविदा प्रक्रिया आधार पर या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किये गये समझौता ज्ञापनों के आधार पर किये जाते है। समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश सरकार तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, जो राज्य में विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखते है, के मध्य किये जाते है और समझौता ज्ञापन के तहत मध्यप्रदेश सरकार विविध सुविधायें जैसे स्वयं के स्त्रोत से या अधिग्रहण के माध्यम से परियोजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराने, परियोजना के लिये जल का आवंटन कराने, परियोजना के लिये मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान कराने में सहायता करने आदि का उत्तरदायित्व लेती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गई सहायता/सुविधाओं के बदले में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को, परियोजना से उत्पादित विद्युत का पांच[3] *प्रतिशत* विद्युत रियायती दरों (रियायती विद्युत)[4], केवल ईंधन की लागत पर, राज्य सरकार को उपलब्ध कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन, मध्यप्रदेश सरकार

[1] विद्युत क्षेत्र में सुधार के एक भाग के रूप में, मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का गठन 2 मई 2005 को किया गया। बाद में, 10 अप्रैल 2012 से कम्पनी का नाम बदलकर मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी कर दिया गया।

[2] आधे घंटे या प्रतिघंटा अवधि में अधिकतम वास्तविक मांग का वह बिन्दु जो ग्राहक द्वारा, बिना किसी रूकावट के, विद्युत खपत के उच्चतम बिन्दु को प्रदर्शित करता है।

[3] यदि मध्यप्रदेश में स्थित केप्टिव कोयला ब्लाक से ईंधन प्राप्त किया जाता है तो यह 7.5 प्रतिशत होती है।

[4] रियायती विद्युत वह होती है जिसे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परिवर्तनशील लागत, अर्थात केवल ईंधन की लागत पर आपूर्ति करने को सहमत होता है।

या इसके द्वारा मनोनीत संस्था को, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई दरों पर विद्युत उत्पादन गृह की संस्थापित क्षमता के 30 *प्रतिशत* विद्युत (विद्युत टैरिफ आधारित विघुत)[5] को उपलब्ध कराने का प्रथम अधिकार उपलब्ध कराता है। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करते है। मध्यप्रदेश सरकार और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के मध्य हुये समझौता ज्ञापन/कार्यान्वयन करार के आधार पर, मध्यप्रदेश सरकार, रियायती विद्युत के लिए विद्युत क्रय अनुबंध करती है तथा कम्पनी, टैरिफ आधारित विद्युत के लिए विद्युत क्रय अनुबंध करती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत संस्था के रूप में कम्पनी रियायती विद्युत प्राप्त करती है। इस प्रकार, दीर्घावधि विद्युत क्रय के माध्यम से कम्पनी रियायती विद्युत, टैरिफ आधारित विद्युत तथा निविदा आधारित विद्युत[6] प्राप्त करती है।

वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान, परम्परागत स्त्रोतों[7] से विद्युत क्रय करने के लिए कम्पनी द्वारा किये गये दीर्घावधि अनुबंधो का विस्तृत वर्णन ***परिशिष्ट 2.1.1*** मे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने गैर परम्परागत स्त्रोतों[8] से विद्युत क्रय करने के लिये 98 विद्युत क्रय अनुबंध किये है।

संगठनात्मक संरचना

2.1.2 कम्पनी का प्रबंधन इसके संचालक मण्डल में निहित है जो अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक) तथा पांच अन्य गैर–कार्यकारी निदेशकों से मिलकर बना है। कम्पनी के दैनदैनिकी कार्यो का निष्पादन प्रबंध निदेशक, जो कम्पनी का मुख्य अधिकारी होता है, द्वारा आठ विभाग प्रमुखों[9] तथा एक कम्पनी सचिव के माध्यम से किया जाता है।

कम्पनी की पूंजीगत संरचना

2.1.3 समामेलन के समय कम्पनी की अधिकृत पूंजी एवं चूकता पूंजी प्रत्येक ₹ 10 लाख थी जो मार्च 2013 के अंत में क्रमशः ₹ 6500 करोड़ तथा ₹4012.36 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.1.4 मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान की गई समीक्षा में मध्यप्रदेश सरकार/बोर्ड[10] /कम्पनी द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान किये गये विद्युत क्रय अनुबंधो और इन अनुबंधो के संचालन के साथ–साथ परम्परागत एवं गैर–परम्परागत विद्युत के क्रय तथा नियोजन को सम्मिलित किया गया है। समीक्षा में पी.टी.सी. इण्डिया लिमिटेड, जिसने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किये थे, के साथ किये गये विद्युत विक्रय अनुबंधो को भी सम्मिलित किया गया है।

[5] टैरिफ आधारित विद्युत, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित विद्युत के 30 प्रतिशत विद्युत के बराबर भाग का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर, मध्यप्रदेश सरकार या उसके द्वारा मनोनीत संस्था को विद्युत प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है।

[6] निविदा आधारित विद्युत, निविदा के आधार पर अनुबंधित की गई विद्युत का प्रतिनिधित्व करती है।

[7] परम्परागत स्त्रोत, ताप तथा जल के माध्यम से उत्पादित विद्युत का प्रतिनिधित्व करते है।

[8] गैर परम्परागत स्त्रोत, सौर, पवन, गैस तथा बायोमास इत्यादि से उत्पादित विद्युत का प्रतिनिधित्व करते है।

[9] (i) कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), (ii) कार्यकारी निदेशक (विद्युत प्रबंधन), (iii) कार्यकारी निदेशक (निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ), (iv) मुख्य महाप्रबंधक (विनियामक), (v) मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), (vi) मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य), (vii) महाप्रबंधक (जनसंर्पक) तथा (viii) महानिदेशक (प्रवर्तन),

[10] बोर्ड से तात्पर्य पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से है जिससे कम्पनी द्वारा, विद्युत क्रय करने की जिम्मेदारी ले ली गई है।

पारंपरिक विद्युत के लिए किये गये 23 विद्युत क्रय अनुबंधो में से 12 अनुबंधो तथा, गैर परम्परागत विद्युत के लिए किये गये 98 विद्युत क्रय अनुबंधो मे से 24 अनुबंधो को रेन्डम आधार पर जांच के लिए चयनित किया गया था।

प्रबंधन/सरकार के साथ मई 2013 में एन्ट्री कांफ्रेस की गई। अगस्त 2013 में कम्पनी और सरकार को लेखापरीक्षा निष्कर्ष सूचित किये गये। अगस्त 2013 से नवम्बर 2013 के मध्य उत्तर प्राप्त किये गये। दिसम्बर 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेस में प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा कम्पनी ने प्रबंध निदेशक के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा की गई। कम्पनी/सरकार से प्राप्त उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.5 समीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या :

- मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी ने विद्युत की मांग का आंकलन किया तथा राष्ट्रीय विद्युत योजना/नीति के अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादक प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए योजना बनाई;
- मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी द्वारा किये गये समझौता ज्ञापनों/कार्यान्वयन करारो/मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध/विद्युत क्रय अनुबंध के प्रावधान, स्थापित दिशा निर्देशों/नियमों/विनियमों के अनुरूप थे तथा कम्पनी के हितों के लिए अहितकर नहीं थे ;
- विद्युत क्रय अनुबंधो को इनकी निबंधन और शर्तो के अनुसार संचालित किया गया था; तथा
- एक प्रभावशाली निगरानी तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.6 निष्पादन का आंकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड थे :

- विद्युत अधिनियम 2003 तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 ;
- भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई राष्ट्रीय विद्युत नीतियां तथा टैरिफ नीतियां;
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देश एवं टैरिफ की निबंधन एवं शर्ते;
- मध्यप्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये मानक निविदा दस्तावेज एंव माडल विद्युत क्रय अनुबंध तथा समझौता ज्ञापन और विद्युत क्रय अनुबंध; तथा
- संचालक मंडल के निर्णय तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा नीचे की गई है –:

नियोजन

दीर्घकालीन अनुबंधो के माध्यम से विद्युत क्रय करने के लक्ष्य :

2.1.8.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार, क्षमता वृद्वि योजनाओं कि क्रियान्वयन की प्रगति तथा मांग में वृद्वि की नियमित निगरानी की आवश्यकता होगी तथा समय–समय पर आवश्यक समायोजन करने होंगे।

दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत के लक्षित क्रय को प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप ₹ 288.16 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान नियोजित क्षमतावृद्वि की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां तथा कमियो से सम्बन्धित विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.1.2*** में दिये गये है। ***परिशिष्ट 2.1.2*** से यह देखा जा सकता है कि दीर्घावधि आधार पर 1009 मेगावाट की नियोजित क्षमता वृद्वि के विरूद्व कम्पनी सिर्फ 207 मेगावाट की ही वृद्वि कर सकी जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 के अंत में क्षमता वृद्वि में 802 मेगावाट की कमी रही। यह कमी मुख्यतः नियोजित परियोजना को पूर्ण करने में हुई देरी के कारण रही। जिसके फलस्वरूप विद्युत कटौती में वृद्वि हुई या अल्पावधि व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्युत क्रय की गई।

हमने पाया कि कम्पनी ने, अल्पावधि व्यवस्थाओं से विद्युत क्रय को ध्यान में न रखते हुए, अपनी सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की योजना बनाई थी फिर भी वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान कम्पनी को 2361.93 मिलियन यूनिट का, ₹4.86 प्रति यूनिट की औसत लागत से, अल्पावधि क्रय करना पड़ा। हमने देखा कि उक्त अवधि के दौरान दीर्घावधि आधार पर क्रय की गई विद्युत की प्रति इकाई औसत लागत ₹ 3.64 प्रति इकाई थी।

दिसम्बर 2013 में, एग्जिट कांफ्रेस के दौरान प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कहा कि परियोजनाओं के समयानुकूल कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पूर्णतः उस सम्बन्धित स्वतंत्र विद्युत उत्पादक का होता है तथा मध्यप्रदेश सरकार या कम्पनी की भूमिका बहुत सीमित होती है। उन्होने, आगे, कहा कि योजना के संदर्भ में दीर्घावधि विद्युत क्रय में कमी के परिणामस्वरूप बिजली में कटौती आदि हो सकती थी तथा अल्पावधि विद्युत का क्रय मुख्यतः अधिकतम मांग को पूरा करने के लिये किया गया था, अतः इसे दीर्घावधि आधार पर विद्युत क्रय में कमी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

तथ्य, हालांकि, यह था कि कम्पनी को उच्च लागत पर अल्पावधि विद्युत क्रय करना पड़ा यद्यपि इस प्रकार से विद्युत क्रय नियोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंधो से विद्युत आपूर्ति को वैसे ही कार्यान्वित किया जाता जैसे कि इसकी योजना थी, तो कम्पनी अल्पावधि आधार पर क्रय की गई विद्युत की मात्रा को कम कर सकती थी।

महेश्वर पन बिजली परियोजना को पूर्ण करने में देरी

2.1.8.2 पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (बोर्ड) तथा श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य, नवम्बर 1994 में, एक विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया जो कि आगे सितम्बर 2005 में, वित्तीय समापन[11] पूर्ण न कर पाने के कारण से, पुनः संशोधित किया गया। विद्युत क्रय अनुबंध की निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन की तिथि मार्च 2010 में निर्धारित थी और जिसे अप्रत्याशित घटना परिस्थिति के

[11] विद्युत उत्पादन केन्द्र से सम्बन्धित समस्त वित्तीय अनुबंधो का कार्यान्वयन।

कारण अक्टूबर 2012 तक बढ़ा दिया था। यद्यपि, परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि अब तक (दिसम्बर 2013) प्राप्त नहीं की जा सकी है।

संशोधित विद्युत क्रय अनुबंध में, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित वाणिज्यक संचालन तिथि प्राप्त करने में असफल होने पर, अनुबंध को समाप्त करने की व्यवस्था है।

हमने देखा कि परियोजना लागत जो वर्ष 1993 में ₹ 736 करोड़ रूपये थी, वर्ष 2011 में बढ़कर ₹3993 करोड़ रूपये हो गई। कम्पनी ने, अक्टूबर 2011 में, अनुमान लगाया कि परियोजना लागत में वृद्वि के कारण से टैरिफ[12] ₹ 1.51 प्रति इकाई से बढ़कर ₹ 8.21 प्रति इकाई हो जायेगा। हमने आगे देखा कि मार्च 2012 तक परियोजना पर कुल ₹ 2917.70 करोड़ खर्च किये गये जो कि अनुमानित परियोजना लागत के 73 प्रतिशत के बराबर है। अतः परियोजना में देरी से सम्पूर्ण परियोजना लागत तथा टैरिफ में आगे और अधिक वृद्वि हो सकती है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त न कर पाने तथा शर्ते पूरी न कर पाने के बावजूद भी, कम्पनी विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकी।

सरकार ने (अक्टूबर 2013) उत्तर दिया कि परियोजना के वित्तीय पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था तथा यह निर्णय किया गया है कि परियोजना से उत्पादित विद्युत के टैरिफ निर्धारण पर निर्णय करने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा।

तथ्य यह है कि प्रोजेक्ट की कमीशनिंग में अधिक देरी होने से परियोजना लागत बढ़ेगी जिससे टैरिफ बढ़ेगा, जिसका कि अनुमान कम्पनी ने पहले से ही लगा लिया है। एग्जिट कांफ्रेंस में, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), इस मामले पर पुर्नविचार करने तथा राज्य के हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही के लिये सहमत हो गये।

महंगे स्त्रोत से विद्युत क्रय करने हेतु अनुबंध

2.1.8.3 कम्पनी ने (16 जनवरी 2007) पी.टी.सी. इण्डिया लिमिटेड के साथ, 100 मेगावाट विद्युत क्रय करने हेतु, एक विद्युत विक्रय अनुबंध किया जिसके लिये पी.टी.सी. इण्डिया लिमिटेड (पी.टी.सी.) ने (अगस्त 2005) टोरंट पावर जनरेशन लिमिटेड (टोरंट) के साथ, 1100 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने हेतु, एक विद्युत क्रय अनुबंध किया था।

दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं से सम्बन्धित परिच्छेद को विद्युत क्रय अनुबंध में सम्मिलित न करा पाने की कम्पनी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 66.77 करोड़ के निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान करना पड़ा।

पी.टी.सी. तथा टोरंट के मध्य हुये विद्युत क्रय अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, टोरंट को, 100 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता की पूर्ति हेतु उपभोग होने वाले ईंधन की व्यवस्था करनी थी। परियोजना के लिये आवश्यक कुल 5.45 मिलियन मीट्रिक स्टेण्र्डड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एम. एम. एस. सी. एम. डी.) गैस के विरूद्ध टोरंट ने कुल 4.20 एम.एम.एस.सी.एम. डी. गैस (क्षमता के 77 प्रतिशत के बराबर) के लिये ही अनुबंध किया। चूंकि टोरंट, शेष 1.25 एम. एम. एस. सी. एम. डी. (कुल क्षमता का 23 प्रतिशत) गैस की आपूर्ति की दीर्घकालीन व्यवस्था हेतु अनुबंध नहीं कर सका इसलिये इसे शेष बची हुई गैस को खुले बाजार से खरीदना पड़ा। टोरंट ने (नवम्बर 2011) पी.टी.सी. को मौजूदा दीर्घकालीन स्त्रोतों से गैस लिंकेज में आई कमी के बारे में बताया और शेष गैस को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति देने हेतु प्रार्थना की। चूंकि खुले बाजार से गैस खरीदने से भारित औसत ऊर्जा

[12] विद्युत क्रय अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, मुद्रा स्फीति के समायोजन को समाहित करते हुये, तय की गई औसत स्थाई तथा परिवर्तनशील लागत।

प्रभार दर (ई.सी.एस.) क्र. ₹ 2.70 प्रति किलो वाट घंटा से बढ़कर ₹ 3.55 प्रति किलो वाट घंटा हो जाती, इसलिए कम्पनी ने (नवम्बर 2011) टोरंट से अनुबंधित क्षमता की 77 प्रतिशत विद्युत ही खरीदने का निर्णय लिया। अतः दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति व्यवस्था से सम्बन्धित परिच्छेद को करार में शामिल न करा पाने की कम्पनी की असफलता के कारण कम्पनी को, नवम्बर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, ₹ 66.77 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.3)*** का निष्क्रिय क्षमता प्रभार[13] का भुगतान करना पड़ा।

इसके पश्चात्, पी.टी.सी. तथा टोरंट के मध्य (अप्रैल 2012) हुये विद्युत क्रय अनुबंध के आधार पर, कम्पनी ने पी.टी.सी. के साथ (अप्रैल 2012), टोरंट की 382.5 मेगावाट की गैस आधारित विस्तारित परियोजना से, 35 मेगावाट विद्युत खरीदने के लिये एक और अनुबंध कर लिया।

हमने देखा कि गैस क्रय करने के लिये किया गया अनुवर्ती अनुबंध करने के समय कम्पनी को, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक के समक्ष गैस की अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या तथा इसके कारण चुकाये जा रहे निष्क्रिय क्षमता प्रभार के बारे में, पहले से मालूम था। अतः कम्पनी द्वारा, गैस आधारित परियोजना से 35 मेगावाट विद्युत के लिये किये गये अनुवर्ती अनुबंध करने में, जबकि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक गैस की दीर्घकालीन आपूर्ति की व्यवस्था में अक्षम था, औचित्य का अभाव था।

सरकार ने (अक्टूबर 2013) उत्तर दिया कि विद्युत की साधारण मांग के घंटो तथा अधिकतम मांग के घंटो में 2000 मेगावाट की माँग का एक बड़ा अन्तर था और चूंकि गैस संयंत्र इस प्रकार की माँग की त्वरित विविधता को पूरा करने के लिये उपुयक्त थे, इसलिए इन संयंत्रो से संचयी क्षमता लेना अनिवार्य था। एग्जिट कांफ्रेस के दौरान, प्रबंध संचालक ने कहा कि विस्तारित परियोजना से 35 मेगावाट विद्युत खरीदने के अनुबंध होने तक, एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र से अधिकतम मांग के समय विद्युत क्रय करने के हिसाब से, 1100 मेगावाट परियोजना से विद्युत की आपूर्ति किया जाना उचित था।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि अप्रैल 2012 में, अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय, कम्पनी, गैस बाजार की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में बखूबी जानती थी तथा दीर्घावधि गैस लिंकेज से पर्याप्त गैस उपलब्ध न हो पाने के कारण से कम्पनी, नवम्बर 2011 से, निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान कर रही थी। यह तर्क कि एक गैस आधारित संयंत्र से क्षमता का संचय इस उद्देश्य से करना कि उसमें अधिकतम मांग के समय आपूर्ति की जायेगी, न्याय संगत नहीं है क्योकि कम्पनी ने 25 वर्ष की अवधि तक 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिये अनुबंध किया था न कि अधिकतम मांग के समय आपूर्ति करने के लिये।

विद्युत क्रय अनुबंधो के माध्यम से विद्युत का क्रय

2.1.9 भारत सरकार ने (जनवरी 2005), विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार से या राज्य सरकार की स्वामित्व वाली परियोजनाओं आदि से विद्युत क्रय को छोड़कर, टैरिफआधारित निविदा प्रक्रिया द्वारा प्रतिर्स्पधा के आधार पर, विद्युत क्रय करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये थे। जनवरी 2006 में, भारत सरकार द्वारा जारी की गई टैरिफनीति के परिच्छेद 5.1 के अनुसार, वितरण लाइसेंसी द्वारा समस्त भावी विद्युत आवश्यकताये प्रतिर्स्पधात्मक रूप से क्रय करनी चाहिये थी।

[13] वह उत्पादन क्षमता जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने, उन स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से जो समझौता ज्ञापन के माध्यम से राज्य में विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहे है, विद्युत क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश (विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश) नीति 2010 (विद्युत नीति) अधिसूचित की।

हमने पाया कि 2006–07 में 2012–13 के दौरान, 3365.5 मेगावाट थर्मल विद्युत खरीदने के लिये किये गये 20 विद्युत क्रय अनुबंधो ***(परिशिष्ट 2.1.1)*** में से, प्रतिर्स्पधात्मक निविदा आधारित अनुबंधित विद्युत केवल 4.46 प्रतिशत थी जो वर्ष 2010–11 में ₹2.45 प्रति इकाई के संतुलित टैरिफ[14] पर केवल एक विडर से अनुबंधित थी। वर्ष 2010–11 के बाद, कम्पनी ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर थर्मल विद्युत क्रय करने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं की। इसके बावजूद, कम्पनी/सरकार ने विद्युत नीति की अधिसूचना की अगली तिथि से मार्च 2013 के दौरान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ कुल 22 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये। विद्युत क्रय अनुबंधो के संचालन में पाई गई अपर्याप्तताओं से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

2.1.9.1 *रियायती विद्युत क्रय करने के लिये किये गये समझौता ज्ञापन से विचलन*

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, अगस्त 2007 में, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार, कम्पनी ने (जनवरी 2011) 20 वर्ष के लिये टैरिफ आधारित विद्युत की आपूर्ति के लिये बी. एल.ए. पावर प्रायवेट लिमिटेड (बी.एल.ए.) के साथ एक विद्युत क्रय अनुबंध किया। मई 2011 में, मध्यप्रदेश सरकार ने, शुद्व विद्युत उत्पादन के पांच प्रतिशत के बराबर ''रियायती विद्युत'' की आपूर्ति हेतु एक अन्य विद्युत क्रय अनुबंध किया। परियोजना की इकाई क्रमांक-I (45 मेगावाट) की वाणिज्यिक संचालन तिथि अप्रैल 2012 घोषित की गई तथा कम्पनी ने, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, शुद्ध विद्युत उत्पादन के पांच प्रतिशत के रूप में 13.60 मिलियन यूनिट की रियायती विद्युत (कीमत ₹ 3.03 करोड़) तथा 82.62 मिलियन यूनिट टैरिफ आधारित विद्युत (कीमत ₹ 37.10 करोड़) प्राप्त की।

समझौता ज्ञापन/कार्यान्वयन करार के प्रावधानों में विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय तथा ₹ 73.83 करोड की अतिरिक्त प्रतिबद्व लागत में परिणित हुई।

दस्तावेजो की जांच के दौरान हमने देखा कि भारत सरकार ने, जून 1996 में, बी.एल.ए. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादक की सिस्टर कम्पनी थी, को एक कोयला ब्लॉक कैप्टिव वितरण[15] हेतु आवंटन किया था। मध्यप्रदेश सरकार (मई 1998) ने कोयला ब्लॉक के लिये माईनिंग लीज प्रदान की। अप्रैल 2011 में बी. एल. ए. ने बी.एल.ए. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, विद्युत परियोजना के लिये कोयला ब्लॉक से कोयला आपूर्ति हेतु एक अनुबंध किया। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार, यदि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक केप्टिव कोयला ब्लॉक से परियोजना के लिये ईंधन की आपूर्ति प्राप्त करता है तो मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी परियोजना से शुद्व उत्पादित विद्युत के 7.5 प्रतिशत के बराबर रियायती विद्युत प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगी। यद्यपि, रियायती विद्युत के लिए विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित करते समय, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक की सिस्टर कम्पनी के पास केप्टिव वितरण के रूप में आवंटित कोल ब्लॉक से ईंधन की उपलब्धता थी, फिर भी मध्यप्रदेश सरकार शुद्व विद्युत उत्पादन के 7.5 प्रतिशत के बराबर रियायती विद्युत प्रदाय करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ढाई प्रतिशत की रियायती विद्युत छोड़ना पड़ा तथा अप्रैल 12 से मार्च 13 की अवधि में ₹ 1.53[16] करोड़ का अतिरिक्त

[14] समतुल्य टैरिफ से तात्पर्य विद्युत क्रय अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति के समयोजन को समाहित करते हुए तक की गई, औसत स्थाई तथा परिवर्तनशील लागत से है।

[15] केप्टिव वितरण से तात्पर्य आवंटित खदान से निकाला गया ऐसा कोयला जिसे रेल द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिसका उपयोग सीमेंट, स्टील संयंत्र आदि उद्योगों में किया जा सकेगा।

[16] 6.80 मिलियन यूनिट (13.60/2 x ₹ 2.26 (टैरिफ दर से कुल औसत लागत ₹ 4.49 प्रति यूनिट–औसत परिवर्तनशील लागत ₹ 2.23 प्रति यूनिट)

खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, 19 वर्ष की शेष बची हुई अनुबंध की अवधि में, वर्तमान टैरिफ के हिसाब से ₹ 73.83 करोड़[17] रूपये की अतिरिक्त प्रतिबद्व लागत आयेगी।

सरकार ने (अक्टूबर 2013) कहा कि, मई 1998 में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बी. एल. ए. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित कोयला खदान को बी.एल.ए. के द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु केप्टिव उपयोग करने का उल्लेख नहीं था।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के सितम्बर 2012 के पत्र से स्पष्ट है कि बी. एल. ए. इन्डस्ट्रीज को आवंटित कोयला खदाने केप्टिव वितरण के लिये ही थी। आगे, एग्जिट कांफ्रेस में यह कहा गया कि कम्पनी ने 7.5 प्रतिशत की रियायती विद्युत प्रदान करने की प्रार्थना की थी, जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा स्वीकार्य नहीं की गई। चूंकि बी. एल. ए., मध्यप्रदेश राज्य में इसकी सिस्टर कम्पनी को आवंटित कोयला खदान से निकाले गये कायले का उपयोग कर रही थी इसलिए मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी को समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, शुद्व उत्पादित विद्युत के 7.5 प्रतिशत विद्युत को परिवर्तनशील लागत पर प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से मोलभाव करना चाहिए था।

2.1.9.2 मध्यप्रदेश सरकार ने, सितम्बर 2007 में, रिलायंस पावर लिमिटेड, मुम्बई (आर.पी. एल.) के साथ, उसके द्वारा स्थापित की जा रही 6x660 मेगावाट की थर्मल विद्युत परियोजना के लिए, समझौता ज्ञापन किया जो एक वर्ष तक लागू रहना था और सरकार इसे, आपसी सहमति की दशा में, सहमत समय के लिये आगे बढ़ा सकती थी। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी, 20 वर्ष की अवधि के लिये 5/7.5 प्रतिशत रियायती विद्युत तथा 30 प्रतिशत टैरिफआधारित विद्युत प्राप्त करने की हकदार थी। हमने देखा कि मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी ने आर. पी. एल. के साथ अब तक (जुलाई 2013) विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया। हमने आगे पाया कि आर. पी. एल. के साथ किये गये समझौता ज्ञापन की वैधता अवधि जून 2010 में समाप्त हो गई थी। हमने यह भी देखा कि समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई रक्षात्मक परिच्छेद शामिल नहीं किया गया जिससे यह आश्वस्त किया जा सके कि यदि स्वतंत्र विद्युत उत्पादन, विद्युत क्रय अनुबंध को हस्ताक्षरित करने में देरी करता है तो ऐसी दशा में समझौता ज्ञापन समाप्त नहीं होगा। अतः ऐसे रक्षात्मक परिच्छेद के अभाव में आर.पी.एल., राज्य को बिना समतुल्य फायदा पहुँचाये, परियोजना के लिए सरकार से अपेक्षित सहयोग[18] लेता रहेगा।

एग्जिट कांफ्रेस में, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कहा कि कोयला आवंटन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा यदि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक के पक्ष में निर्णय जाता है तो वह विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिये आगे आ सकता है। उन्होने आश्वस्त किया कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित न किये जाने की दशा में, समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादक को उपलब्ध कराई गई, सुविधाओं को वापस लेने के लिए विभाग मध्यप्रदेश सरकार के पास जायेगा।

तथ्य यह है कि मध्यप्रदेश सरकार, राज्य के हितो की सुरक्षा करने के लिए आज दिनांक तक, विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं करा सकी और समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया।

[17] (45 मेगावाट x 85% संयंत्र उपलब्धता फैक्टर x 2.5% परिवर्तनशील भाग x 19 साल x 365 दिन x 24 घंटे x 1000 यूनिट x ₹ 2.26 प्रति यूनिट) + (45 मेगावाट 85% संयंत्र उपलब्धता फैक्टर x 2.5% परिवर्तनशील भाग x 20 साल x 365 दिन x 24 घंटे x 1000 यूनिट x ₹ 2.26 प्रति यूनिट)

[18] मध्यप्रदेश सरकार, कम्पनी को भूमि अधिग्रहण, जल आवंटन, केप्टिव कोयला ब्लाक या कोयला लिकेंज दिलाने तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय या राज्यीय कानूनों के अनुसार आवश्यक मंजूरियां आदि दिलवाने में आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत का क्रय

2.1.9.3 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधान के अनुसार, दीर्घावधि आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से विद्युत क्रय करने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने (जनवरी 2005) दिशा निर्देश जारी किये। इन दिशा निर्देशों में उल्लेखित है कि निविदा द्वारा विद्युत का क्रय केस–I[19] और केस–II[20] तंत्रो के माध्यम से किया जा सकता हैं।

कम्पनी ने, जून 2006 में, केस–I के अंतर्गत, दीर्घावधि आधार पर 2000 मेगावाट तक की विद्युत क्षमता की आपूर्ति के लिये निविदायें आमंत्रित की। बातचीत के उपरांत, रिलायंस पावर लिमिटेड, मुम्बई (अप्रैल–2008), मध्यप्रदेश में स्थापित अपने चितरंगी पावर प्रोजेक्ट से 1241 मेगावाट विद्युत, ₹ 2.45 प्रति इकाई के संतुलित टैरिफ पर, आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। कम्पनी ने, सितम्बर 2007 में आर.पी.एल. के साथ उसी परियोजना से 1188 मेगावाट टैरिफ आधारित विद्युत क्रय करने का एक और समझौता ज्ञापन[21] किया।

अक्टूबर 2010 में, कम्पनी ने आर. पी. एल. से, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से, पेशकश की गई 1241 मेगावाट विद्युत के लिए, विद्युत क्रय अनुबंध करने का आग्रह किया। यद्यपि आर. पी.एल. ने कम्पनी को सूचित किया कि वह विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक होगी यदि कम्पनी, समझौता ज्ञापन बाध्यता के अंतर्गत 1188 मेगावाट की टैरिफ आधारित विद्युत को प्राप्त करने के उसके अधिकार को छोड़ देती है। कम्पनी ने (दिसम्बर 2010) आर.पी.एल. को बताया कि निविदा प्रक्रिया (केस–I) के अंतर्गत की गई पेशकश एक स्वतंत्र पेशकश है तथा समझौता ज्ञापन मार्ग से पेशकश की गई ''टैरिफआधारित'' विद्युत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि, आर.पी. एल. ने अब तक (जुलाई 2013) विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया है। विद्युत क्रय अनुबंध को हस्ताक्षरित करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाली देरी, कम्पनी को प्रतिर्स्पधात्मक निविदा प्रक्रिया मार्ग से विद्युत क्रय की प्रक्रिया परिमित/बाधित करने के अलावा, 25 वर्षो तक कम लागत[22] पर 1241 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने से वंचित कर देगी।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर न किये जाने के बावजूद भी, कम्पनी ने ₹ 37.50 करोड़ की निविदा एवं बैंक गारण्टी की राशि जब्त नहीं की।

हमने आगे देखा कि जब आर.पी.एल. विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, तथा वह निविदा प्रतिभूति के रूप में समय–समय पर दी गई ₹ 37.50 करोड़ की बैंक गारण्टी की वैधता बढा रहा था। कम्पनी ने उस बैंक गारण्टी को भुनाकर जब्त नहीं किया।

सरकार ने (अक्टूबर 2013) उत्तर दिया कि पूर्णतः कोयला लिंकेज न मिल पाने तथा वित्तीय समापन प्राप्त न कर पाने के कारण से आर.पी.एल. ने विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। आगे, यह कहा गया कि बैंक गारण्टी जब्त करने के बाद, आर.पी. एल. पर विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाना संभव नहीं होगा। सरकार का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एक सफल निविदाकर्ता को विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षिरित कराना आवश्यक है भले ही वह कोयला लिंकेज तथा वित्तीय समापन प्राप्त न

[19] जहां परियोजना का स्थान, तकनीक तथा उपयोग किये जाने वाले ईंधन आदि के बारे में क्रेता द्वारा उल्लेखित नहीं होता है।
[20] ऐसी जल विद्युत परियोजनायें, भार केन्द्र परियोजनायें या अन्य स्थान विशेष परियोजनाएं जिनके लिए विशिष्ट ईंधन आवंटन जैसे केप्टिव कोयला खदानों की उपलब्धता आदि है तथा जिन्हें क्रेता, टैरिफ आधारित निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित करना चाहता है।
[21] उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर सरकार अथवा इसके द्वारा मनोनीत संस्था को, उत्पादन इकाईयों की सकल क्षमता की 30% विद्युत [1188 मेगावाट (3900 मेगावाट x 30%)] 20 वर्षो की अवधि के लिये, प्राप्त करने का प्रथम अधिकार रहेगा।
[22] वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान दीर्घावधि स्त्रोतों से खरीदी गई विद्युत की औसत लागत ₹ 3.64 प्रति इकाई की तुलना में आर.पी.एल. से ₹ 2.45 प्रति इकाई की दर से विद्युत क्रय।

कर पाये। कम्पनी को, विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के दबाव बनाने के अपने अधिकार को रक्षित रखते हुए बैंक गारण्टी को जब्त करने की संभाव्यता पर विचार करना चाहिये।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के अंतर्गत विद्युत क्रय अनुबंध

2.1.10 गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के लिये, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय [23]ने (सितम्बर 1992/नवम्बर 1994) में दिशा निर्देश जारी किये।

नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व

2.1.10.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) ने इसके विनियमन (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत के उत्पादन तथा सह उत्पादन) (संशोधन–1) 2010 (नवम्बर 2010) के माध्यम से, सभी अनुग्रहीत संस्थाओं[24] के द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत की न्यूनतम मात्रा क्रय करने हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.)[25] हेतु निर्दिष्ट किया। वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान, सौर आर.पी.ओ. तथा गैर–सौर आर.पी.ओ. के लिये तय किये गये लक्ष्य तथा उसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

वर्ष	वर्षिक ऊर्जा की वास्तविक आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	सौर विद्युत का आर.पी.ओ.				कमी (प्रतिशत में)	गैर–सौर विद्युत का आर.पी.ओ.				कमी (प्रतिशत में)
		प्रतिशत में	मिलियन यूनिट	वास्तविक	कमी (मिलियन यूनिट में)		प्रतिशत में	मिलियन यूनिट में	वास्तविक	कमी (मिलियन यूनिट)	
2011-12	40410	0.40	162	0	162	100	2.10	849	540	309	36.39
2012-13	44590	0.60	268	6	262	98	3.40	1516	699	817	53.89

स्त्रोतः– कम्पनी के रिकार्ड से संकलित

यह देखा गया है कि वर्ष 2011–12 के दौरान, आर.पी.ओ. लक्ष्य के विरूद्व, गैर–सौर विद्युत के क्रय में 36.39 प्रतिशत की कमी थी, जो वर्ष 2012–13 के दौरान बढ़कर 53.89 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान, सौर आर.पी.ओ. के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत की कमी थी। हमने आगे पाया कि आर.पी.ओ. को प्राप्त करने में आई कमी मुख्यतः सौर तथा गैर–सौर विद्युत के लिये किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों में हुई कमी के कारण थी।

गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत का क्रय

2.1.10.2 वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान कम्पनी ने सौर आधारित विद्युत क्रय करने हेतु 205.25 मेगावाट संस्थापित क्षमता के आठ विद्युत क्रय अनुबंध किये जिनमें से 125 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के दो विद्युत क्रय अनुबंध, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तथा 80.25 मेगावाट संस्थापित क्षमता के छः विद्युत क्रय अनुबंध समझौता ज्ञापन मार्ग से किये गये। इसी तरह, 2.4 मेगावाट संस्थापित क्षमता के दो विद्युत क्रय अनुबंध तथा 286.06 मेगावाट संस्थापित क्षमता के 86 विद्युत क्रय अनुबंध, समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से बायोमास तथा पवन विद्युत उत्पादकों (डब्ल्यू.ई.जी.) के साथ किये गये।

[23] जिसका पूर्ववर्ती नाम और 'गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय' था।

[24] कम्पनी एक अनुग्रहीत संस्था है क्योंकि यह, राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से विद्युत क्रय करती है।

[25] यह कुल विद्युत का वह न्यूनतम प्रतिशत है जो कि विद्युत वितरण कम्पनियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय करना आवश्यक है।

फरवरी 2012 मे, दीर्घावधि आधार पर 200 मेगावाट सौर ऊर्जा क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया की शुरूआत की थी। निविदा आमंत्रित करने के समय, एम. पी.ई.आर.सी. द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेश के अनुसार सौर विद्युत का टैरिफ ₹ 15.35/13.94 प्रति इकाई था। निविदा के मूल्याकंन के पश्चात् कम्पनी ने, अक्टूबर 2012 में, अल्फा इन्फ्रापोप लिमिटेड तथा बेलस्पन सोलर मध्यप्रदेश प्रायवेट लिमिटेड के साथ क्रमशः ₹ 7.90 प्रति इकाई तथा ₹ 8.05 प्रति इकाई की दर से क्रमशः 20 मेगावाट तथा 105 मेगावाट सौर ऊर्जा क्रय करने के लिये विद्युत क्रय अनुबंध किये। अतः निविदा के माध्यम से प्राप्त किया गया टैरिफ, एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित टैरिफ की तुलना में क्रमशः 48.53 प्रतिशत तथा 42.25 प्रतिशत कम था।

हमने पाया कि टैरिफ नीति 2006[26] तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निविदा हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों की मूल भावना के विरूद्व, वर्ष 2007–08 से 2012–13 के दौरान, किये गये 98 विद्युत क्रय अनुबंधो मे से 96 विद्युत क्रय अनुबंध समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से किये गये तथा इस प्रकार कम दर प्राप्त करने का अवसर खो दिया जैसे कि उपरोक्त दो विद्युत क्रय अनुबंध के सम्बन्ध में देखा गया है।

सरकार ने (अक्टूबर 2013) कहा कि एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा बायोमास तथा पवन विद्युत परियोजनाओं के लिये निर्धारित टैरिफ बहुत अधिक था जिसके कारण इन परियोजनाओं के लिये उत्पादकों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। आगे, यह कहा कि आर.पी.ओ. के अनुसार नवीकरणीय विद्युत की उपलब्धता अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है और इन परिस्थितियों में एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित टैरिफ से क्रय दरों पर विद्युत प्राप्त करने की सम्भाव्यता की खोज करना, संगत नहीं था। आगे, एग्जिट कांन्फ्रेस के दौरान गैर–सौर आधारित संयंत्रो के सम्बन्ध में यह कहा गया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निविदा के माध्यम से विघुत क्रय करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित दिशा–निर्देश जारी नहीं किये है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदा आधारित विद्युत की लागत निर्धारित करने के लिए कम्पनी ने अब तक कोई निविदा प्रक्रिया की शुरूआत नहीं की है। यह तथ्य कि परम्परागत तथा सौर विद्युत परियोजनाओं में निविदा के माध्यम से आई विद्युत की लागत, एम.पी.ई. आर.सी द्वारा निर्धारित टैरिफ[27] से कम थी, यह दर्शाता है कि कम्पनी को विद्युत की कम दरें प्राप्त होती यदि यह निविदा के माध्यम से क्रय के विकल्प को चुनती। निविदा प्रक्रिया माध्यम से यह क्षेत्र कई विद्युत उत्पादकों के लिये खुलेगा जिसमें कम दरें प्राप्त होगी जैसा कि उपरोक्त दो मामलों में देखा गया है। आगे, बायोमास/पवन विद्युत संयंत्रों के लिये निविदा प्रक्रिया माध्यम से विद्युत क्रय के लिये प्रयास करने के लिये प्रतिबंध भी नहीं था।

मॉडल विद्युत क्रय अनुबंधो/विद्युत क्रय अनुबंधो के प्रावधानों में विचलन

2.1.11 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा (फरवरी/जून 2011) अनुमोदित मॉडल विद्युत क्रय अनुबंधो के अनुसार, कम्पनी को, दीर्घावधि आधार पर टैरिफ आधारित तथा रियायती विद्युत क्रय करने हेतु इन विद्युत क्रय अनुबंधो का निष्पादन करवाना आवश्यक है।

[26] विद्युत की समस्त भावी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रतिर्स्पधात्मक निविदा मार्ग से पूर्ण की जानी चाहिए।
[27] मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा परियोजनाओं की सम्पूर्ण अवधि के लिये संतुलित टैरिफ निर्धारित किया जाना है।

वाणिज्यिक संचालन तिथियाँ

2.1.11.1 वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी.ओ.डी.) वह तिथि होती है जिस पर विद्युत परियोजना की कोई इकाई से विद्युत आपूर्ति शुरू होगी। कार्य की सामयिक पूर्णता ही किसी अनुबंध का मूल गुण होता है। अतः विद्युत क्रय अनुबंध में सी.ओ.डी. का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पहलू होगा क्योंकि अनुबंधित क्षमता की विद्युत आपूर्ति इस तिथि से शुरू होती है। हमने कई उदाहरण देखे है जहाँ मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हुई देरी के कारण निर्धारित सी.ओ.डी. प्राप्त करने में देरी हुई। सी.ओ.डी. में हुई देरी के कारण या तो अल्पावधि श्रोतो से अधिक दरों पर विद्युत खरीदनी पड़ी या विद्युत में कटौती करनी पड़ी। निर्धारित सी.ओ.डी. में हुई देरी तथा नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं करने से सम्बन्धित क्रय मामलों पर नीचे चर्चा की गई है :

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भूमि तथा अन्य मंजूरियां उपलब्ध कराने में हुई देरी

2.1.11.2 सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यू. एम. पी. पी.) की कुल 3960 मेगावाट क्षमता में से 1485 मेगावाट विद्युत क्रय करने हेतु, कम्पनी ने, सासन पावर लिमिटेड (सासन) के साथ, अगस्त 2007, में एक विद्युत क्रय अनुबंध किया। विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, कम्पनी द्वारा सासन को भूमि का आधिपत्य तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से कार्यस्थल की मंजूरी सौंपी जानी थी। विद्युत क्रय अनुबंध में यह भी उल्लेख था कि विद्युत उत्पादक के पास सी.ओ.डी. को पूर्वित करने का विकल्प रहेगा। सासन ने सी. ओ.डी. को पूर्वित करने के विकल्प का उपयोग किया जिससे कम्पनी सहमत हो गई तथा इस प्रकार, अक्टूबर 2008 में दोनो पक्षों के मध्य एक पूरक अनुबंध हुआ।

मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने तथा अन्य मंजूरिया दिलवाने में हुई देरी के कारण से निर्धारित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि प्राप्त नहीं हुई। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी, सासन से सस्ती विद्युत प्राप्त करने से वंचित रही तथा ₹ 1252.46 करोड़ की अनुवर्ती सम्भाव्य हानि हुई।

विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार निर्धारित सी.ओ.डी., सासन के आग्रह पर पूर्वित की गई सी. ओ.डी. तथा कम्पनी की गलती के कारण संशोधित सी.ओ.डी. से सम्बन्धित विवरण ***परिशिष्ट 2.1.4*** में दिये गये है। पूरक अनुबंध की शर्तो के अनुसार सासन ने (जुलाई 2008) भूमि तथा वन मंजूरी उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी से आग्रह किया।

कम्पनी/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार की गई प्रतिबद्वताओं में हुई देरी जैसे भूमि सौपनें में देरी (9 महीने), वन मंजूरी में देरी (21 महीने), इन्टर कनेक्शन/ट्रान्समिशन सुविधा उपलब्ध कराने में हुई देरी आदि को उदधृत करते हुए सासन ने सी.ओ.डी. को आगे बढ़ाने के लिए कम्पनी से आग्रह किया। कम्पनी ने (सितम्बर 2010) सासन के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उसी अनुरूप सी.ओ.डी. को संशोधित कर दिया। परिणामतः कम्पनी, 15 माह की अवधि के लिये, सासन से सस्ती दरों पर विद्युत खरीदने से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप, समरूप अवधि के दौरान, कम्पनी को अन्य श्रोतों से विद्युत क्रय करने के कारण ₹ 1252.46 करोड़ की संभाव्य हानि हुई जो ***परिशिष्ट 2.1.5*** में वर्णित है।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि परियोजना मूल अनुबंध में निर्धारित की गई सी.ओ.डी. के अनुसार पूर्ण कर ली गई थी और भूमि उपलब्ध कराने में हुई देरी को देरी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि परियोजना के लिये आवश्यक भूमि की 95 प्रतिशत भूमि, सासन को समय पर उपलब्ध करा दी गई थी। आगे, एग्जिट कांफ्रेस के दौरान प्रबंध संचालक ने कहा कि सासन ने कमीशनिंग तिथि को आवेश में आकर पूर्ववर्ती करने हेतु प्रयास किया जो नियोजन के अनुसार कार्यन्वित नही हो सका। उत्तर मान्य नही है क्योकि कम्पनी ने, सासन की यह दलील स्वीकार कर ली कि प्रतिबद्वताओं को पूरा करने मे कम्पनी की असफलता के कारण सी ओ डी मे देरी हुई तथा उसी अनुसार सी.ओ. डी को संशोधित किया गया। आगे, इकाई–I के सी ओ डी मे, मूल अनुबंध में निर्धारित की

गई सी.ओ.डी. की तुलना में, चार माह का विलम्ब हुआ तथा ईकाई–II जिसकी प्रारंभिक निर्धारित सी.ओ.डी. दिसम्बर 2013 थी, को जनवरी 2014 तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

कमीशनिंग मे देरी

2.1.11.3 कम्पनी ने (जनवरी 2011) बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (बीना) के साथ, उनके द्वारा सिरचोपी, तहसील बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश मे स्थापित किये जाने वाली 1250 मेगावाट थर्मल विघुत परियोजना[28] से रियायती विघुत (*पांच प्रतिशत*) तथा टेरिफ आधारित विघुत (*65 प्रतिशत*) क्रय करने हेतु एक विघुत क्रय अनुबंध किया। टैरिफ आधारित विद्युत के लिए किये गये विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, विद्युत क्रय अनुबंध में निर्धारित सी.ओ.डी. को प्राप्त करने में हुई देरी के लिए बीना नगदी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

बीना ने (जनवरी 2012), अभूतपर्वू भारी वर्षा की वजह से इकाई–I (फेस–I) की सी.ओ.डी. के लिये चार माह का समय विस्तार मांगा। कम्पनी ने बीना का आग्रह स्वीकार किया और उसी अनुरूप सी.ओ.डी. को संशोधित करके जुलाई 2012 कर दिया। बीना ने विस्तारित/संशोधित सी.ओ.डी. की तिथि से एक महीने की देरी से वास्तविक सी.ओ.डी. प्राप्त की। यद्यपि, कम्पनी द्वारा बीना पर, दी गई समय विस्तार की अवधि के परे हुई एक माह की अधिक देरी के लिये, कोई नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की गई।

इसी तरह, कम्पनी ने, बीना द्वारा इकाई–II (फेस–I) की सी.ओ.डी. के लिए मांगे गये समय विस्तार को स्वीकार कर लिया तथा सी.ओ.डी. की संशोधित तिथि फरवरी 2013 कर दी। यद्यपि, बीना ने, 37 दिनों की देरी के साथ, वास्तविक सी.ओ.डी. 7 अप्रैल 2013 को हासिल की। इस मामले में भी कम्पनी ने बीना पर, दिये गये समय विस्तार के परे हुई देरी के लिए, कोई नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की।

पी.पी.ए के प्रावधानों के अनुसार, हुई देरी के लिये, कम्पनी ₹ 10.89 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित करने में असफल रही।

अतः विकासकर्ता द्वारा इकाई–I तथा II की सी.ओ.डी. प्राप्त करने में हुई देरी के कारण से कम्पनी, इन इकाइयों से विद्युत प्राप्त करने से वंचित रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी, विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, ₹ 10.89 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित करने में असफल रही।

हमने आगे देखा कि कम्पनी ने, रियायती विद्युत के लिए किये गये विद्युत क्रय अनुबंध में नगदी क्षतिपूर्ति के परिच्छेद को सम्मिलित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी, विलंबित सी.ओ.डी. पर, नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं कर सकी।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित न करने के लिये बीना के साथ एक अनुबंध किया गया था क्योंकि कम्पनी ने भी, विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, बीना को समय पर साख पत्र (एल. सी.) उपलब्ध कराने में चूक की थी जिसके लिये कम्पनी द्वारा ₹ 98.60 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति भुगतान की जानी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एल.सी. उपलब्ध न कराने पर पेनल्टी तभी भुगतान योग्य थी जबकि कम्पनी द्वारा की गई चूक के कारण से कमीशनिंग टेस्ट में देरी हुई होती। हमको इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि कम्पनी द्वारा एल.सी. उपलब्ध कराने में हुई देरी के कारण से कमीशनिंग टेस्ट में देरी हुई।

[28] इस परियोजना के दो चरण (फेस) है यथा फेस –I जो 500 मेगावाट (2x250 मेगावाट) तथा फेस–II जो 750 मेगावाट (2x250 मेगावाट) की है।

विद्युत की कम आपूर्ति के लिये नगदी क्षतिपूर्ति की वसूली न करना

2.1.11.4 बीना के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार, विकासकर्ता अनुबंधित क्षमता उपलब्ध कराने में हुई, प्रथम 60 दिनों की देरी के लिये ₹ 10000 प्रतिदिन/मेगावाट तथा प्रथम 60 दिनो के उपरान्त हुई देरी के लिए ₹ 15000 प्रतिदिन/मेगावाट के हिसाब से, नगदी क्षतिपूर्ति क्रेता को चुकाने के लिए उत्तरदायी था। यद्यपि, विकासक को, 12 माह की अवधि तक, पूर्व सहमत दरो पर, वैकल्पिक स्रोत के विद्युत आपूर्ति करने का विकल्प दिया गया था।

6719.60 मेगावाट विद्युत की कम आपूर्ति प्राप्त करने के बावजूद कम्पनी ₹ 6.72 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं कर सकी।

फेस–**I** की इकाई–**I** (250 मेगावाट) से 31 अगस्त 2012 से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई। हमने पाया कि बीना को, विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार, 31 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिये, 26920.32 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करना था। यद्यपि, विकासकर्ता ने, संयंत्र में स्थिरीकरण की कठिनाई की वजह से, कुल 20200.92 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की। कम्पनी ने, विद्युत क्रय, अनुबंध की शर्तो के अनुसार, ₹ 6.72 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा कम आपूर्ति की गई विद्युत को, कम्पनी जरूरत पड़ने पर ले लेगी। एग्जिट कांफ्रेन्स में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कहा कि बीना एक पुनजीर्वित परियोजना थी तथा परियोजना को पुर्नजीवित रखने के लिये विकासकर्ता को दी गई राहत देने का निर्णय, सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय था। सरकार द्वारा दिया गया उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी थी तथा विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के परे दी गई कोई राहत, विकासकर्ता को अनुचित लाभ दिये जाने के समान है तथा राज्य के द्वारा क्रय की गई विद्युत की लागत पर इसका प्रभाव पड़ा है।

संचालन एवं संधारण खर्चो पर अतिरिक्त व्यय

2.1.12.1 पी.टी.सी. इण्डिया लिमिटेड (पीटीसी) ने (अगस्त 2005) टोरंट पावर जनरेशन लिमिटेड (टोरंट) के साथ, उनके गुजरात में स्थित 1100 मेगावाट गैस आधारित थर्मल पावर संयंत्र से प्रारंभिक पाँच वर्षो तक 100 मेगावाट तत्पश्चात् अगले 10 वर्षो तक 50 मेगावाट विद्युत क्रय करने के लिए, एक विद्युत क्रय अनुबंध किया। जनवरी 2007 में, पी.टी.सी. ने कम्पनी के साथ उतनी ही क्षमता की विद्युत की आपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध किया। पी.टी.सी. तथा टोरंट के मध्य किया गया विद्युत क्रय अनुबंध, अनुबंध की शर्तो के अनुसार, पी.टी.सी. तथा कम्पनी के मध्य हुये अनुबंध का अभिन्न अंग था।

विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, टोरंट द्वारा दायर की गई याचिका/प्रार्थना पत्र के आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा परियोजना से उत्पादित विद्युत के टैरिफ का निर्धारण किया जाना था। जून 2009 में, टोरंट द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर सी.ई.आर.सी. ने पूंजीगत खर्चो का अनुमोदन किया तथा जनवरी 2010 में, टैरिफ निर्धारित कर दिया। टोंरट द्वारा अपनी याचिका में दावित संचालन एवं संधारण व्यय, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2009–10 से 2013–14 की उक्त अवधि के लिए निर्धारित किये गये मानक संचालन एवं संधारण व्ययों ₹ 14.80 लाख/मेगावाट से ₹ 18.49 लाख मेगावाट की तुलना में अधिक थे। टोंरट द्वारा इस दलील पर उच्च दावा किया गया कि विद्युत संयंत्र में उच्च श्रेणी की मशीने/तकनीक का उपयोग किया गया है जो संयंत्र उपलब्धता को 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत कर देगा। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने दलील पर विचार करते हुये, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ

कम्पनी ने बिना कोई स्पष्ट लाभ प्राप्त किये, अपने ऊपर डाले गये अतिरिक्त भार के विरूद्ध केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से अपील नहीं की जो ₹ 25.69 करोड़ के अतिरिक्त व्यय तथा ₹ 8.39 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिबद्ध व्यय में परिणीत हुआ।

की शर्तें एवं निबंधन) विनिमय, 2009 के अंतर्गत अपने अधिकारो[29] का उपयोग करते हुये, मापदण्डो को शिथिल कर दिया तथा ₹ 26.70 लाख/मेगावाट से 29.68 लाख/मेगावाट की दर से संचालन एवं संधारण व्ययों को अनुमोदित कर दिया जो तय मापदण्डो से 60 से 69 प्रतिशत अधिक थे।

कम्पनी ने, अप्रैल 2011 से जून 2013 की अवधि में हुये, ₹ 25.69 करोड़ के अतिरिक्त भार तथा शेष नौ महीने (जुलाई 2013 से मार्च 2014) की अवधि के लिए ₹ 8.39 करोड़ के प्रतिबद्ध अतिरिक्त खर्चे को स्वीकार कर लिया।

हमने पाया कि उच्च संयत्र उपलब्धता के कारण अधिक उत्पादन होगा जिसके परिणामस्वरूप विकासकर्ता को, कम्पनी को बिना समतुल्य लाभ पहुचाये हुए, जिसके लिए कम्पनी को अधिक दर से संचालन एवं संधारण व्यय करना पड़ा, अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

यद्यपि कम्पनी, विकासकर्ता को मिलने वाले फायदें में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को समझा नहीं पाई। एग्जिट कांफ्रेन्स के दौरान, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि कम्पनी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर करने की संभाव्यता पर विचार करेगी।

स्थाई प्रभार की कैपिंग

2.1.13 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक अयोग/केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय किये गये वित्तीय मापदण्डो के आधार पर सामान्यतः वार्षिक स्थाई प्रभारों का निर्धारण किया जाता है तथा इस प्रकार तय किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार, विद्युत क्रय अनुबंध में तय किये गये स्थाई प्रभारों से अधिक नहीं होने चाहिए।

2.1.13.1 टोंरट तथा पी.टी.सी. के मध्य हुये विद्युत क्रय अनुबंध, जिसके आधार पर कम्पनी तथा पी.टी.सी. के मध्य अनुबंध हुआ था, के अनुसार, स्थाई प्रभार की दरें दोनों पक्षकारों के मध्य प्रारंभ में तय हुई दरों से अधिक नहीं होगी। टोंरट तथा पी.टी.सी. के मध्य हुए विद्युत क्रय अनुबंध के साथ संलग्न अनुसूची–ई के अनुसार स्थाई प्रभार की दरें, वाणिज्यिक संचालन तिथि से लेकर परियोजना की पंद्रहवी वर्षगांठ तक, ₹ 0.83 प्रति इकाई रहेगी।

तथापि, टोरंट ने पी.टी.सी. से, ऋण तथा कार्यशील पूंजी की ब्याज दरों में वृद्वि, संचालन एवं संधारण व्ययो में वृद्वि आदि के आधार पर स्थाई प्रभारों में वृद्वि करने का आग्रह किया और तदानुसार पी.टी.सी. ने (जून 2009) कम्पनी से अनुरोध किया कि या तो कम्पनी स्थाई प्रभार दरों को ₹ 0.83 प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹ 1.12 प्रति इकाई कर दे या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ को स्वीकर कर ले। पी.टी.सी. द्वारा किये गये अनुरोध पर सलाह लेने के लिए, कम्पनी ने (सितम्बर 2009) अपने कानूनी सलाहकार से राय मांगी, जिन्होंने अपनी राय (नवम्बर 2009) में कहा कि कम्पनी को मूल विद्युत क्रय अनुबंध में तय की गई दर ₹ 0.83 प्रति इकाई की स्थाई प्रभार कैपिंग पर दृढ़ रहना चाहिये। कम्पनी ने (अक्टूबर 2009) कानूनी सलाह प्राप्त होने का इन्तजार किये बिना ही, पी.टी.सी. की मांग स्वीकार कर ली।

[29] केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को, अपनी स्वप्रेरणा से या इच्छुक व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर, शिथिल कर सकता है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (जनवरी 2010) ने, मार्च 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिये, स्थाई प्रभार ₹ 1.08 प्रति इकाई निर्धारित किये और कम्पनी ने इसी अनुसार मार्च 2011 से स्थाई प्रभार का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया।

विद्युत क्रय अनुबंध/विद्युत विक्रय अनुबंध में दी गई सहमत शर्तों पर दृढ़ रहने में कम्पनी की असफलता, ₹ 24.51 करोड़ के अतिरिक्त व्यय तथा ₹ 145.96 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्ध लागत में परिणित हुई।

इस प्रकार, विद्युत क्रय अनुबंध/विद्युत विक्रय अनुबंध में सहमत शर्तो पर दृढ़ न बने रहने की कम्पनी की असफलता के कारण, कम्पनी को, मार्च 2011 से मार्च 2013 की अवधि में, स्थाई प्रभार हेतु ₹ 24.51 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.6)*** का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा वाणिज्यिक संचालन तिथि की 15 वी वर्षगांठ में बची हुई शेष अवधि, जैसा कि विद्युत क्रय अनुबंध में वर्णित है, के लिए ₹ 145.96 करोड ***(परिशिष्ट 2.1.6)***. की अतिरिक्त लागत चुकाने को प्रतिबद्ध हो गई।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कहा कि विद्युत की दरें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 व 63 के अंतर्गत निर्धारित की जाती है तथा विद्युत अधिनियम 2003 में स्थाई प्रभार की कैपिंग का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के अपने कानूनी सलाहकार ने राय दी थी कि कम्पनी को, स्थाई प्रभारों की कैपिंग के साथ, मूल विद्युत क्रय अनुबंध के प्रवर्तन पर दृढ रहना चाहिए तथा लेखापरीक्षा के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि स्थाई प्रभारों की कैपिंग विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध थी।

अंतर्राज्जीय विद्युत क्रय हेतु एक मध्यस्थ को कमीशन का भुगतान

यदि कम्पनी ने राज्य के बाहर स्थित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से विद्युत क्रय अनुबंध करने के विकल्प पर विचार किया होता तो यह पी.टी.सी. को टेडिंग मार्जिन के रूप में दिये गये ₹ 10.17 करोड़ के भुगतान तथा ₹ 875.48 करोड़ के भावी परिहार्य भुगतान से बच सकती थी।

2.1.14.1 कम्पनी ने पी.टी.सी. के साथ, पी.टी.सी. द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युतक्रय अनुबंधों के आधार पर, विद्युत क्रय करने के लिए चार अनुबंध किये। इस प्रकार, पी.टी.सी. द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंध, कम्पनी तथा पी.टी.सी. के मध्य हुये अनुबंध का अभिन्न हिस्सा थे। किये गये अनुबंधो का वर्णन ***परिशिष्ट 2.1.7*** में दिया गया है।

परिशिष्ट 2.1.7 से यह देखा जा सकता है कि इन अनुबंधो के माध्यम से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत पर, कम्पनी द्वारा पी.टी.सी. को ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान करना पड़ा। मई 2013 तक, स्वतंत्र विद्युत उत्पादको ने कुल 2033.43 मिलियन यूनिट विद्युत की आपूर्ति की तथा कम्पनी ने ₹ 10.17 करोड़ का ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान किया।

हमने पाया कि किसी भी विनियमन/अधिनियम/अधिसूचना में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो कम्पनी को, राज्य के बाहर स्थापित विद्युत संयंत्रो से, पी.टी.सी. के माध्यम से विद्युत क्रय अनुबंध करने के लिये बाध्य करें। अतः यह, राज्य के बाहर स्थित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से सीधे विद्युत क्रय अनुबंध करने के विकल्प पर विचार कर सकती थी, जैसा कि इसने, सितम्बर 2008 में, झारखंड इन्ट्रीग्रेटेड पावर लिमिटेड के मामले ने किया था तथा पी. टी. सी. को ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान करने से बच गई थी। अनुबंधो की शेष बची हुई अवधि के लिए पी.टी.सी. को ₹ 875.48 करोड़ के संभावित परिहार्य भुगतान करना पड़ेगा, जिसकी गणना ***परिशिष्ट 2.1.8*** में वर्णित है।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि पी.टी.सी. के साथ किये गये अनुबंधो के निष्पादन के समय, कम्पनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और विकासकर्ता कम्पनी के साथ प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध करने के किये इच्छुक नहीं थे। चूंकि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक पी.टी.सी. के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करने के लिये तैयार थे अतः स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से दीर्घावधि आधार पर विद्युत क्रय करने के अनुबंध, पी.टी.सी. के माध्यम से किये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कम्पनी ने विद्युत क्रय अनुबंध करने का प्रयास किया परन्तु अपनी वित्तीय स्थिति के कारण से इसमें असफल रही थी। जैसा कि, राज्य के अन्दर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय अनुबंध करने में कोई समस्या नहीं थी, वैसे ही कम्पनी अगर इरादा करती तो प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्राज्जीय विद्युत क्रय अनुबंध करने में सफल हो जाती। तथ्यों से आगे यह साबित होता है कि कम्पनी ने 117 विद्युत क्रय अनुबंध (राज्य के बाहर से विद्युत क्रय हेतु किये गये एक विद्युत क्रय अनुबंध को शामिल करते हुये) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बिना किसी मध्यस्थ के किये जबकि मात्र चार अनुबंध पी.टी.सी. के माध्यम से किये गये।

विविध

ईंधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कम ईंधन आपूर्ति करने पर विकासकर्ताओ के द्वारा आरोपित पेनाल्टी को सह भाजित करने से सम्बन्धित परिशिष्ट को अनुबंध में शामिल न किया जाना।

2.1.15.1 बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (बीना) ने अपनी 1250 मेगावाट थर्मल विद्युत परियोजना हेतु कोयले की आपूर्ति के लिये सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सी.सी. एल)/साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) किये। एफ.एस.ए. की शर्तो के अनुसार, यदि वार्षिक अनुबंधित क्षमता से कम कोयला प्रदान किया जाता है तो सी.सी.एल./एस.ई.सी.एल. बीना को क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। हमने देखा कि बीना ने सी.सी.एल./एस.ई.सी.एल. से, वार्षिक अनुबंधित क्षमता से कम कोयला प्राप्त किया जिसके लिये बीना को कमी की उतनी मात्रा खुले बाजार से या आयात के द्वारा खरीदना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 2012 से जनवरी 2013 के दौरान, विद्युत दर ₹ 2.708 प्रति इकाई से बढ़कर ₹ 3.144 प्रति इकाई हो गई। विद्युत दरें अधिक होने की वजह से कम्पनी ने, फरवरी 2013 से अनुबंधित क्षमता से कम विद्युत प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा फरवरी 2013 से मई 2013 की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत अनुबंधित क्षमता के आधार पर ₹ 36.38 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.9)*** के निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान किया।

ऊर्जा प्रभार की उच्च लागत के कारण, कम्पनी ने अनुबंधित क्षमता से कम विद्युत क्षमता प्राप्त की तथा ₹ 36.38 करोड़ के निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान किया।

आगे, हमने देखा कि कम्पनी ने जब बीना को, आपूर्ति में आई कमी को पूरा करने के लिए, खुले बाजार से तथा आयातित कोयला खरीदने की अनुमति दी तथा निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान भी किया तब कम्पनी ने एफ.एस.ए. की शर्तो के अनुसार, ईंधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बीना को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति के बंटवारे से सम्बन्धित, समर्थ परिशिष्ट को विद्युत क्रय अनुबंध में शामिल नहीं किया।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि ईंधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ग्रेड स्लिपेज, ओव्हर साईज स्टोन्स, शार्ट डिलेवरी इत्यादि के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को क्रेडिट दिया गया था जो प्राथमिक ईंधन के लेण्डेड मूल्य में पहले से ही समायोजित किया जा रहा था। अतः, इस प्रकार के परिशिष्ट को शामिल न किये जाने से विद्युत दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी कहा गया कि सी.सी.एल. से बीना को मिलने वाली क्षतिपूर्ति पर तीन वर्ष हेतु स्थगन था। सरकार द्वारा दिया गया उत्तर उपयुक्त नहीं है क्योकि एफ.एस.ए. में अनुबंधित मात्रा से कम आपूर्ति को शामिल नहीं किया गया था। आगे, एफ.एस.ए. के अनुसार, कम आपूर्ति/उठावना की क्षतिपूर्ति के लिए एक पृथक दावा पेश किया जाता है तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से कही भी यह प्रमाण नहीं मिला कि बीना द्वारा इस प्रकार की क्षतिपूर्ति को बिलों में समयोजित किया गया। आगे, आपूर्ति में कमी के समायोजन हेतु दिये गये स्थगन से सी.सी.एल. तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक के हितों की रक्षा होगी परन्तु आपूर्ति मे कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से खरीदे गये या

आयातित कोयले के कारण से आई अतिरिक्त लागत को क्रेता को ही वहन करना पड़ेगा। अतः कम्पनी को विद्युत क्रय अनुबंध में उपयुक्त बदलाव करके, एफ.एस.ए. से आने वाले अतिरिक्त भार को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस तथ्य से कम्पनी के प्रबंध संचालक सहमत थे।

अतिरिक्त भूमि का आवंटन

2.1.15.2 दीर्घावधि में ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत क्रय करने के लिये किये गये विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार, सोर फोटो वोल्टिक (पी.व्ही.) परियोजनाओं के लिये दो हेक्टेयर प्रति मेगावाट की दर से भूमि का आवंटन/ उपार्जन किया जाना था। ऐकेम सोलर एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड के मामले में हमने देखा कि उन्हें 50 हेक्टेयर भूमि आवंटित किये जाने की बजाय 74.914 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई जबकि वेलस्पेन सोलर एम.पी. लिमिटेड के मामले में उसकी 25 मेगावाट क्षमता के सोलर पी.व्ही. की प्रत्येक परियोजना के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रति परियोजना 50 हेक्टेयर भूमि आवंटित किये जाने के बजाय, प्रति परियोजना 98.279 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया। इस प्रकार 73.19 हेक्टेयर भूमि का आवश्यकता से अधिक आवंटन हुआ।

इसी प्रकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश, 2007 के अनुसार, स्थानीय कोयले से चलने वाले, चितरंगी में स्थापित **6x660** मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के लिए आवश्यक 3280 एकड़ (0.83 एकड़/मेगावाट) भूमि के विरूद्व मध्यप्रदेश सरकार ने रिलायंस पावर लिमिटेड को 3466 एकड़ भूमि आवंटित की जिसके परिणामस्वरूप 186 एकड अतिरिक्त भूमि का आवंटन हुआ।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य की नोडल एजेन्सी है, सौर परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में आवश्यक सहायता करती है तथा सौर ऊर्जा विकास को को आवंटित की जाने वाली भूमि के कुल भाग का निर्धारण उस भूमि के भू–भाग पर निर्भर करता है क्योंकि असमतल भूमि पर सौर पेनलों को स्थापित करना संभव नहीं होगा। थर्मल विद्युत परियोजनाओं के मामले में सरकार ने कहा कि भूमि की आवश्यकता का निर्धारण उन परियोजना से सम्बन्धित सहायकों जैसे जलाशय की स्थिति, संयंत्र से कोयला खदान की दूरी इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि विद्युत क्रय अनुबंध तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि से अधिक भूमि आवंटित की गई थी। प्रावधानों से अधिक भूमि का आवंटन होने से परियोजना की लागत अधिक हो गई जिसके परिणामतः टैरिफ अधिक हो गया।

निगरानी एवं नियंत्रण

2.1.16 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा कम्पनी के समक्ष, पिछले माह में आपूर्ति की गई रियायती तथा टैरिफ आधारित विद्युत के, ऊर्जा बिल प्रत्येक माह के सातवे दिन प्रस्तुत किया जाना होता है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक से ऊर्जा बिल प्राप्त होने पर, कम्पनी उनकी जॉच करके, पास करती है तथा प्रारंभिक लेखापरीक्षा के बाद उनका भुगतान करती है। कम्पनी द्वारा पास किये गये तथा भुगतान किये गये बिलों की जांच करने पर निम्नांकित कमियाँ लेखापरीक्षा मे पाई गई :

2.1.16.1 उपयोग किये जा रहे कोयले/गैस की लैण्डेड लागत तथा प्राथमिक ईधन एवं द्वितीयक ईधन के सकल कैलोरी मूल्य, जो स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा उनके बिलों में दावित किये जा रहे थे, की कम्पनी के द्वारा या किसी तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से

तकनीकी जॉच कराने का कोई तंत्र मौजूद नही था। उक्त तंत्र की अनुपस्थिति में अप्रमाणिक दावों के भुगतान की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता ।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि दिसम्बर 2012 में, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमन में किये गये संशोधन के उपरान्त, उत्पादकों द्वारा मासिक बिलों के साथ यह सूचनायें उपलब्ध कराई जा रही है । एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान प्रबंध निदेशक ने कहा कि क्रय की गई विद्युत तथा कोयले की लैण्डेड लागत तथा सकल कैलौरी मूल्य के किये भुगतान प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा था।

दिया गया उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत बिलों की शुद्धता की, देय से अधिक भुगतान की संभाव्यता को रोकने के लिये, जॉच नहीं की जा रही थी ।

2.1.16.2 टैरिफ अधारित विद्युत क्रय करने के लिये स्वंत्रत विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों में देय तिथि से पहले भुगतान करने पर छूट देने से सम्बन्धित परिच्छेद शामिल था जबकि रियायती विद्युत के लिये ऐसा कोई परिच्छेद शामिल नहीं था । रियायती विद्युत के लिये किये गये आठ में से दो[30] विद्युत क्रय अनुबंधों से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी थी । हमनें पाया कि कुछ निश्चित मामालों में कम्पनी ने, ऊर्जा बिलों का भुगतान देय तिथि से, एक से 30 दिनों की, अग्रिम अवधि में कर दिया था ।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि रियायती विद्युत के लिये बनाये गये मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध से इस छूट से संबंधित परिच्छेद को विशिष्ट रूप से हटाया गया था । एक्जिट कांफ्रेन्स के दौरान, प्रबंध निदेशक ने कहा कि सरकार ने इस छूट परिच्छेद को शामिल करना उचित नहीं समझा क्योंकि रियायती ऊर्जा के लिये किये गये भुगतान में सिर्फ ईधन का भुगतान ही शामिल था जो कि संयंत्र द्वारा आवश्यक रूप से उपयोग किये गये ईधन की प्रतिपूर्ति के रूप में था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी तथा विद्युत वितरण कम्पनियाँ अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गये ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर रही है तथा इस प्रकार देय तिथि से पूर्व बिलों का भुगतान करना, जबकि पूर्व भुगतान पर छूट से संबंधित कोई परिच्छेद नहीं है, कम्पनी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय हित में नहीं था। अतः कम्पनी को या तो बिलों का भुगतान केवल देय तिथि पर ही करना चाहिये या फिर अपनी वित्तीय लागत को कम करने हेतु रियायती विद्युत के लिये किये गये विद्युत क्रय अनुबंध में छूट से संबंधित परिच्छेद को शामिल करने पर विचार करना चाहिये।

छूट परिच्छेद में किये गये परिवर्तन के कारण कम्पनी को ₹ 53.02 लाख का त्याग करना पड़ा।

2.1.16.3 बीना के साथ, इसकी संस्थापित क्षमता की 65 प्रतिशत विद्युत क्रय करने के लिये, किये गये विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार, बिल प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के अन्दर भुगतान करने पर छूट प्रदान किया जाना था जबकि मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार बिल प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर भुगतान करने पर छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान था। मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध के संदर्भ में विद्युत क्रय अनुबंध में किये गये बदलाव के कारण, कम्पनी को, दिसम्बर 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान, प्राप्त होने वाली ₹ 53.02 लाख की छूट का परित्याग करना पड़ा ।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि बीना के एक पुर्नजीवित परियोजना होने के कारण से, यह सुनिश्चित किया गया कि बिलों का भुगतान 30 दिनों की बजाय 21 दिनों में किया जायेगा । चूँकि टैरिफ निर्धारण के लिये तय की गई भुगतान की अवधि तथा छूट की दर,

[30] (i) बी. एल. ए. पावर प्रायवेट लिमिटेड (ii) बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड

मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार नहीं थी, अतः स्वंतत्र विद्युत उत्पादक को पहुँचाने वाली शर्तो को विद्युत क्रय अनुबंध में शामिल करने के परिणामस्वरूप कम्पनी को समय पूर्व भुगतान से मिलने वाली छूट का परित्याग करना पड़ा तथा यह तथ्य कि बीना एक पुर्नजीवित परियोजना थी, प्रासंगिक नहीं है। एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान प्रमुख सचिव (ऊर्जा), लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से सहमत हुये तथा कम्पनी को, भविष्य में टैरिफ निर्धारण के लिये मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका दायर कराते समय, इस पहलू को ध्यान में रखने के निर्देश दिये।

समय पर भुगतान करने में हुई चूक के कारण प्रभार का भुगतान

2.1.16.4 गैर परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के लिये स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार, जब अनुबंध के अंतर्गत कम्पनी द्वारा देय किसी बिल का भुगतान देय तिथि के बाद भी बिलवित किया जाता है तो कम्पनी द्वारा पूर्व निर्धारित दरों से, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाता है।

12 स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के ऊर्जा बिलों का समय पर भुगतान करने में हुई चूक के कारण कम्पनी ने ₹ 6.02 करोड़ के विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान किया।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा, अप्रैल 2012 से जून 2013 की अवधि के दौरान, प्रस्तुत किये गये ऊर्जा बिलों की नमूना जॉच यह दर्शाती है कि कम्पनी ने 12 स्वतंत्र विद्युतउत्पादकों के ऊर्जा बिलों का समय पर भुगतान करने में चूक की और ₹ 6.02 करोड़ के विलम्ब भुगतान प्रभार का व्यय किया ***(परिशिष्ट 2.1.10)***।

सरकार ने (नवम्बर 2013) कहा कि कम्पनी की प्राप्तियाँ हमेशा ही भुगतान जरूरतो से कम रहीं है तथा इसी कारण से भुगतान में विलम्ब को टाला नहीं जा सकता । आगे यह कहा गया कि मैगनीज़ ऑर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अतिरिक्त, किसी भी स्वतंत्र विद्युत उत्पादक को विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान नहीं किया गया है । तथ्य यह है कि कम्पनी ने देय तिथि से पहले ही बिलों का भुगतान किया है जैसा कि पूर्वोक्त कंडिका 2.1.15.2 में वर्णित है । अतः कम्पनी का यह उत्तर कि कम्पनी भुगतानों में हुई देरी का टाल न सकी, तथ्यों से परे है ।

मापदण्डों के विचलन के कारण विलम्ब भुगतान अधिभार की अदायगी

ऊर्जा बिलों के भुगतान के लिये दिये जाने वाले दिनों की संख्या निर्धारण हेतु बनाये गये मानदण्डों में विचलन के परिणामस्वरूप परिहार्य विलम्ब भुगतान अधिभार पर ₹ 94.97 लाख का व्यय हुआ।

2.1.16.5 विद्युत क्रय अनुबंधों की जांच में यह पाया गया कि कम्पनी ने, मध्य प्रदेश, विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की शर्ते एवं निबंधन) विनियमन, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युतनियामक आयोग (टैरिफ की शर्ते एवं निबंधन) विनियमन, 2009 में दी गई 60 दिनों को भुगतान अवधि के बजाय 30 दिनों की भुगतान अवधि के लिये सहमत हो गई जिसके लिये कम्पनी ने चार विद्युतक्रय अनुबंधों में, जिनसे विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी थी, ₹ 94.97 लाख के परिहार्य विलम्ब भुगतान अधिभार पर व्यय किये। इसके अलावा, विनियमों ने उल्लेखित भुगतान अवधि से भिन्न भुगतान अवधि अपना कर, कम्पनी को ऐसे सभी विद्युतक्रय अनुबंधों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, अतिरिक्त विलम्ब भुगतान अधिभार पर व्यय करना पड़ेगा ।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान, सरकार ने उत्तर दिया कि अंतिम टैरिफ को निर्धारित करते समय, बिलों के भुगतान हेतु निर्धारित देय दिवसों की सख्या 60 से घटकर 30 दिनों तक करने से सम्बन्धित मध्यप्रदेश विद्युतनियामक आयोग के ध्यान में लाया जायेगा ।

2..1.16.6 आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंधन को, आंतरिक नियंत्रण, नीतियाँ योजनाओं तथा प्रक्रिया की समीक्षा को समाहित करते हुये परिचालकों के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा, सृदृढ़ बनाने हेतु एक आवश्यक तंत्र है। हमने पाया कि कम्पनी के पास एक आंतरिक

लेखापरीक्षा ईकाई नहीं है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेड फर्मो के द्वारा कराया जा रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में कम्पनी की मूलभूत गतिविधियों यथा बिलिंग और आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान, विद्युत का क्रय, विद्युत का विक्रय, साखपत्र तथा एस्क्रो अनुबंध इत्यादि को शामिल नहीं किया गया है तथा यह, लेखाकंन विवरण तैयार करने एवं वैधानिक अनुपालनों में कम्पनी की सहायता करने तथा कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित अन्य मामलों में सहायता प्रदान करने तक सीमित था।

आंतरिक लेखापरीक्षा के संकुचित कार्यक्षेत्र की वजह से कम्पनी की लेखापरीक्षा कमेटी का, आंतरिक लेखापरीखा प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा उन पर कार्यवाही करने का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित हो गया ।

वैधानिक लेखापरीक्षक ने, वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखों पर, अपनें प्रतिवेदन में मत दिया था कि कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र अपर्याप्त तथा कम्पनी के व्यापार के आकार तथा प्रकार के अनुरूप नहीं था तथा इसे आगे और अधिक सुदृढ़ बननाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा को बदलते हुए व्यापारिक परिवेश में जोखिम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये, अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यता है ।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने, कम्पनी के निगरानी तथा नियंत्रण तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने पर सहमति प्रकट की।

निष्कर्ष

कम्पनी, दीर्घावधि आधार पर, विद्युत के लक्ष्यित क्रय को प्राप्त करने में असफल सही । कम्पनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये समझौता ज्ञापन/कार्यान्वयन करार/मॉडल विद्युतक्रय अनुबंध/विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो से विचलित हुई तथा निविदा को अंतिम रूप देने के बाद भी, रिलायंस पॉवर लिमिटेड के साथ अनुबंध करने में असफल रही ।

कम्पनी, विद्युत क्रय अनुबंध/विद्युत विक्रय अनुबंध में दी गई सहमत शर्तो पर दृढ़ रहने में असफल रही जिसके परिणाम स्वरूप स्थाई प्रभारों पर कैपिंग को हटाने की वजह से, किये गये विद्युत क्रय पर उच्च स्थाई प्रभारों के कारण से अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। विद्युत का प्रत्यक्ष क्रय करने के बजाय मध्यस्थ के माध्यम से विद्युत करने की वजह से कमीशन देने के कारण परिहार्य व्यय करना पड़ा। कम्पनी, ईधन की कम आपूर्ति के लिये विकासकर्ताओं द्वारा ईधन आपूर्तिकर्ताओं पर आरोपित की गई पेनाल्टी के बंटवारे से संबंधित परिशिष्ट को अनुबंध में शामिल करवाने में असफल रही। कम्पनी, दिये गये समय विस्तार के बाद भी, कमीशनिंग में हुई देरी के लिये नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं कर सकी। बिलों की प्रोसेसिंग तथा भुगतान प्रक्रिया के लिये निगरानी तंत्र अपर्याप्त तथा जिसके परिणामस्वरूप छूट प्राप्त करने में हानि तथा विलम्ब भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र कम्पनी के आकार तथा गतिविधियों के अनुरूप नहीं था।

अनुशंसाऐं

कम्पनी को चाहिये किः–

- विद्युत क्रय के लिये बनाई गई अपनी योजना पर दृढ़ रहे तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी की गई नीतियों/दिशा–निर्देशों की अनुपालन को आश्वस्त करे ;
- अधिनियम/मॉडल विद्युत क्रय अनुबंध/ विद्युत क्रय अनुबंध के प्रावधानों पर दृढ़ रहे तथा उन्हे लागू करें ;
- दीर्घ अवधि विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से विद्युत क्रय से बचने के लिये एक वैकल्पिक व्यवस्था को खोजे;
- ईधन आपूर्ति कर्ता/स्वंतत्र विधुत उत्पादक द्वारा ईधन की अनुबंधित मात्रा की सुपुर्दगी/उठावना में हुई असफलता के कारण उत्पन्न होने वाली हानि से बचने के लिये विद्युत अनुबंध में उचित परिशिष्ट शामिल करना चाहिये ; तथा
- अपने निगरानी तंत्र तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करना चाहिये ।

2.2 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (कम्पनी) की स्थापना दिसम्बर 1961 में मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में, लघु उद्योगों को विपणन, वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधात्मक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए की गयी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत, राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अधिमान क्रय के आधार पर केवल कंपनी से क्रय करने हेतु 149 वस्तुए आरक्षित की है। कंपनी, प्रदायकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों को प्रदाय की गई सामग्री पर प्रदायकर्ताओं से सेवाशुल्क/कमीशन प्राप्त करती है, जो कि कम्पनी की आय का प्रधान स्त्रोत है।

आयोजना

कंपनी ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई प्रोत्साहानात्मक व वित्तीय योजना तैयार नहीं की थी। कंपनी ने मेलो तथा रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन के प्रभाव का आंकलन नहीं किया। अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान व्यवसाय लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि 80.50 से 120.51 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी वर्ष 2009–10, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उद्योग विभाग, म. प्र. सरकार में पंजीकृत कुल लघु उद्योगों की तुलना में कंपनी में विपणन सहायता प्राप्त कर रहे लघु उद्योगों की प्रतिशतता 0.28 तथा 0.49 प्रतिशत के बीच थी।

विपणन गतिविधियां

आरक्षित मदों के व्यवसाय में कमी के कारण, विपणन विभाग का व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹ 667.15 करोड़ से कम होकर वर्ष 2012–13 में ₹ 529.60 करोड़ रहा। सरकारी विभागों को आपूर्ति में देरी के कारण मार्च 2012 तक आरोपित की गई अर्थदण्ड की राशि ₹ 1.68 करोड़ संबंधित सरकारी विभागों के पास जमा नहीं कराई गई है। कंपनी ने अखिल भारतीय टेण्डरों में राज्य आधारित इकाईयों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान प्रदाय करने हेतु, औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग इकाईयों की योग्यता के सत्यापन हेतु कोई पद्धति निर्धारित नहीं की है।

कम्पनी के विभिन्न विभागों की निष्पादनता

कम्पनी के संपदा एवं निर्माण विभाग के संभागों ने जमा निर्माण कार्यों के टेण्डरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन का परिहार करने हेतु कार्यों को कई भागों में विभाजित किया तथा कार्यों की संभावित लागत को ₹ पांच लाख के काफी सन्निकट रखा। संपदा एवं निर्माण विभाग ने रॉयल्टी की कटौती व उसे सरकारी राजकोष में जमा करने के लिये भिन्नात्मक पद्धतियों का अनुपालन किया। कंपनी नवोदय विद्यालय भवनों के निर्माण में भुगतान में देरी होने के संदर्भ में ब्याज वाक्यांश समाहित कराने में असफल रही।

एम्पोरियम की लाभदायकता मुख्यतः सरकारी विभागों, एजेंसियों, संस्थाओं इत्यादि को विपणन वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त कमीशन के शामिल करने के कारण रही, जिस हेतु कंपनी का विपण्न विभाग स्थापित है। दिल्ली तथा रीवा एम्पोरियम द्वारा रखे गये स्कंध उनके टर्नओवर से अधिक थे। कम्पनी ने अनुप्रयुक्त माल के निस्तारण हेतु कोई निति निर्धारित नहीं की है। कंपनी के पाँच एम्पोरियम के जीर्णोद्वार हेतु किय गये करारनामों में कार्य में देरी हेतु अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान नहीं किया गया था।

लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन से प्राप्त कमीशन को शामिल करने के कारण कच्चा माल भण्डार–भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर लाभ में रहे। लौह एवं इस्तपात क्रय करने वाली लघु उद्योग इकाईयों की संख्या वर्ष 2008–09 में 146 से घटकर वर्ष 2012–13 में 102 रही, जिस कारण लौह एवं इस्पात उत्पादकों से प्रदायित मात्रा की तुलना में

लौह एवं इस्पात के उठाव में कमी रही। कोयले का अर्जन, आवंटन की तुलना में 72.45 से 86. 26 प्रतिशत रहा, तथा कंपनी राज्य में कोयले का प्रयोग करने वाली 19471 इकाईयों की तुलना में केवल 455 इकाईयों को कोयला प्रदाय कर सकी।

कंपनी का टर्नओवर वर्ष 2008–09 में ₹ 151.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 223.05 करोड़ (46.82 प्रतिशत) रहा, जबकि शुद्व लाभ वर्ष 2008–09 में ₹ 13.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 13.76 करोड़ (4.40 प्रतिशत) रहा। लाभ मुख्यतः सावधि जमाओं पर प्राप्त ब्याज के कारण रहा, जबकि कंपनी की चालन गतिविधियों में कमी दर्ज की गई।

कंपनी की देनदारियाँ मार्च 2008 में ₹ 5.72 करोड़ थीं, जो बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 9.44 करोड़ रहीं। कंपनी ने अपने अप्रयुक्त व आधिक्यों कोषों के विनियोग के लिये कोई दीर्घकालीन योजना निर्धारित नहीं की।

मानव शक्ति प्रबंधन

कंपनी ने अपनी मानव शक्ति आवश्यकताओं का पुनः आंकलन नहीं किया था।

निगरानी व आंतरिक नियंत्रण

सरकारी विभागों द्वारा आरक्षित वस्तुओं का बाजार से सीधे क्रय करने के जाँचने हेतु कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया, जबकि उक्त वस्तुयें कंपनी से क्रय करने हेतु आरक्षित थी। कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ता इकाईयों के लघु उद्योग इकाई होने के सत्यापन का कोई तंत्र नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करने के लिये कंपनी के पास कोई स्वतंत्र सूचना प्रौघोगिकी विभाग/सेल नहीं है। कंपनी का पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं था, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मो को दिया गया । आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र स्कंध के भौतिक सत्यापन तथा कुछ प्रारंभिक जाँचों तक सीमित था, जबकि कंपनी का मुख्य कार्यकारी क्षेत्र आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर रहा।

प्रस्तावना

2.2.1 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना दिसम्बर 1961 में, मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप, लघु उद्योगों को विपणन, वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग व प्रोत्साहन देने के लिये की गई थी। कंपनी की गतिविधियों में भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत आरक्षित तथा अनारक्षित वस्तुओं[1] हेतु दर अनुबंध करना, सरकारी संस्थाओं के निर्माण कार्य तथा नवीनीकरण कार्य, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करना, लघु उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल[2] के क्रय का प्रबंध करना, विभिन्न वस्तुओं की जाँच सुविधायें[3] प्रदान करना आदि सम्मिलित हैं। अतः कंपनी की गतिविधियाँ बहुआयमी हैं। कंपनी के तीन क्षेत्रीय विपणन कार्यालय[4], चार कच्चे माल भंडार[5], आठ एम्पोरियम[6], आठ संपदा तथा निर्माण संभाग[7] तथा दो जाँच प्रयोगशालायें[8] है।

[1] वे वस्तुयें जो भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।

[2] लौह–इस्पात तथा कोयला

[3] यांत्रिकी, वैघुत, औषधि तथा नागरिक निर्माण सम्बन्धी वस्तुयें

[4] ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर

[5] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर

[6] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, नई दिल्ली तथा कोलकाता (दो)

[7] भोपाल (दो), ग्वालियर (दो), इंदौर, जबलपुर, सतना, रायपुर (वर्तमान में भोपाल में स्थापित)

[8] इन्दौर तथा जबलपुर

कंपनी के विकास को सुनिश्चित करने हेतु, मध्यप्रदेश सरकार कंपनी की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित करती है तथा कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन करती है। मध्यप्रदेश सरकार ने भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत, राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अधिमान क्रय के आधार पर केवल कंपनी से क्रय करने हेतु 149 वस्तुएं आरक्षित की है। कंपनी को आरक्षित वस्तुओं तथा भंडार क्रय नियमों के अंदर न आने वाले अनारक्षित वस्तुओं के क्रय करने हेतु एक नोडल एजेन्सी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी अपने व्ययों की पूर्ति हेतु, प्रदायकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों के प्रदाय की गई सामग्री पर, प्रदायकर्ताओं से सेवाशुल्क/कमीशन प्राप्त करती है, जो कि कंपनी की आय का प्रधान स्रोत है। साथ ही, कंपनी जमा निर्माण कार्य आधार पर कराये गये निर्माण कार्यो पर पर्यवेक्षण शुल्क प्राप्त करती है। कंपनी हस्तशिल्प एवं हथकरघा सामग्रियों के विक्रय हेतु एम्पोरियम संचालित करती है। कंपनी का प्रबंध संचालन कम्पनी के संचालक मंडल में निहित है, जिसमें मार्च 2013 में छह संचालक[9] थे। प्रबंध संचालक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे पाँच मुख्य महाप्रबंधक[10] सहायता करते है, जिनके अधीन उप मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक होते है । जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.1*** में उल्लिखित संगठनात्मक सूची में दर्शाया गया है।

कंपनी की चुकता पूंजी 31 मार्च 2013 को ₹ 2.83 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2011–12 तक अपने वार्षिक लेखे पूर्ण किया है, तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में कंपनी ने ₹ 223.05 करोड़ के टर्नओवर पर, कर के पश्चात् ₹ 13.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2013 की स्थिति में कंपनी में 535 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के विरूद्व 346 कर्मचारी कार्यरत थे।

लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा पद्धति

2.2.2 कंपनी की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007–08, मध्यप्रदेश सरकार में अवधि 2003–04 से 2007–08 हेतु की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) की बैठक (जुलाई 2011) में उक्त निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की गई तथा समिति की अनुशंसायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। हमने, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के समक्ष प्रबंधन द्वारा दिये गये वक्तव्यों की समीक्षा की तथा उन्हें वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा की सम्बन्धित कंडिकाओं में शामिल किया है। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में कंपनी की अवधि 2008–13 के निष्पादन की समीक्षा की गई, जिसमें कंपनी की 25 में से 14[11] इकाईयों का विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु उनके टर्न ओवर के आधार पर चयन किया गया। लेखापरीक्षा पद्धति के संदर्भ में लेखापरीक्षा के लिये अंगीकृत लेखापरीक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुख्यालय[12] तथा चयनित इकाइयों पर अभिलेखों की समीक्षा, प्रबंधन से विचार विमर्श तथा लेखापरीक्षा मानदंड के संदर्भ में प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों का विश्लेषण सम्मिलित है।

2.2.3 हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्रबंधन के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2013 को एन्ट्री कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जो कंपनी के प्रबंध संचालक तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष कंपनी प्रबंधन तथा राज्य सरकार को सूचित (अगस्त 2013) किये गये जिन पर नवम्बर 2013 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस में

[9] छह संचालको में अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, दो कार्यकारी संचालक (म.प्र. सरकार) म. प्र. सरकार द्वारा वाणिज्य, उद्योग व वित्त विभाग से नामित तथा दो अकार्यकारी संचालक

[10] वित्त एवं लेखा, एम्पोरियम, संपदा व निर्माण, विपण्न तथा तकनीकी व समन्वय।

[11] क्षेत्रीय विपण्न कार्यालय – ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, मृगनयनी एम्पोरियम–भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर तथा जबलपुर, टेस्टिंग लेब–इन्दौर, संपदा एवं निर्माण संभाग–भोपाल–I, भोपाल–II, ग्वालियर–I, ग्वालियर–II, जबलपुर तथा इन्दौर

[12] भोपाल

चर्चा की गई, एग्जिट कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा कम्पनी के प्रबंध संचालक ने भाग लिया। सरकार तथा प्रबंधन द्वारा एग्जिट कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किये गये विचारों तथा उनके द्वारा प्रेषित उत्तरों (अक्टूबर 2013) को ध्यान में रखकर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी, क्या :

- लघु उद्योगों को अर्जन (क्रय), वित्तीय, विपण्न, तकनीकी तथा प्रबंधन क्षेत्र में राज्य उद्योग नीति तथा समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दीर्घकालीन एवं अल्प कालीन योजना तैयार की गई ;
- कंपनी की विपण्न गतिविधियाँ, भंडार क्रय नियम के प्रावधानों तथा कंपनी के पार्षद सीमानियमों तथा पार्षद अंर्तनियमों के अनुरूप चलाई गई ;
- कंपनी के विभिन्न विभागों का संचालन राज्य के लघु उद्योगों को पर्याप्त एवं समुचित सहयोग देते हुये मितव्ययी, प्रभावकारी तथा कार्यकुशल ढंग से किया गया तथा लोक निर्माण विभाग मेनुअल के प्रावधानों का अनुपालन किया गया;
- कंपनी का वित्तीय प्रबंधन तंत्र कार्यकुशल व प्रभावकारी था;
- कंपनी के कार्यचालन हेतु मानव संसाधन प्रबंधन कुशल व प्रभावकारी था; तथा
- निगरानी व आंतरिक नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था लागू था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षो के निर्धारण हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न निर्धारित किये गये :

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु बनाई गई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2004 तथा 2010;
- कंपनी तथा मध्यप्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन ;
- भंडार क्रय नियम तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 के प्रावधान ;
- कंपनी के पार्षद सीमानियम एवं पार्षद अंर्तनियम ;
- केन्द्र एवं राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रावधान तथा कार्य अनुबंधों के सामान्य सिद्वांत; तथा
- संचालक मंडल की बैठकों के एजेन्डा तथा मिनिट्स।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आयोजना

औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियाँ

2.2.6 वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देन हेतु, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ औघोगिक प्रोत्साहन नीति 2004 जारी की जो तत्पश्चात् 2010 में संशोधित की गई। उक्त औद्योगिक प्रोत्साहन नितियों के अनुपालन में कंपनी को निम्नलिखित कदम उठाने थे :

- लघु उघोग इकाईयों तथा सूक्ष्म क्षेत्र इकाईयों में प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कार्य कुशलता के सुधार हेतु विकसित औघोगिक विकास केन्द्र जैसे पीथमपुर, मालनपुर,

मन्डीदीप की इकाईयों में शून्य स्कंध स्तर प्राप्त करने हेतु लघु उद्योग इकाईयों व अन्य इकाईयों के बीच अंत सम्बन्ध तथा वेन्डर डेवलपमेंट स्थापित करना।

- बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को आसान एवं अबाधित वित्तीय सहयोग प्रदान करना ।

- क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित कर विपण्न गतिविधियों का विस्तार करना, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार की विपण्न नीति के संदर्भ में व्यापार मेलों व इन्दौर तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर ग्रामीण हाटों का आयोजन, लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों का प्रदर्शन, विपण्न गतिविधियों के विस्तार हेतु करना।

- लघु उद्योग इकाईयों के हित में, कंपनी के कार्यचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाना तथा लघु उद्योग इकाईयों द्वारा की जाने वाली प्रदायगी में वृद्वि के लिये भंडार क्रय नियमों में सुधार करवाना।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में हमने पाया :

कंपनी ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में वेंडर डेवलेपमेंट हेतु लघु उद्योग इकाईयों के विकास के लिये कोई प्रोत्साहानात्मक तथा वित्तीय योजना तैयार नहीं की थी।

- राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये कंपनी ने कोई प्रोत्साहनात्मक एवं वित्तीय योजना नहीं बनाई थी। साथ ही, औद्योगिक नीति में वांछित, लघु उद्योग तथा सूक्ष्म क्षेत्र इकाईयों में प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कार्य कुशलता के सुधार हेतु, शून्य स्कंध स्तर प्राप्त करने के लिये लघु उद्योग इकाईयों व विकसित औद्योगिक विकास केन्द्रों में स्थापित अन्य इकाईयों के बीच अंतः संबंध स्थापित करने तथा वेन्डर डेवलपमेंट हेतु कंपनी द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

- निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में कंपनी ने छह अंतर्राष्ट्रीय एवं दस राष्ट्रीय मेलों का आयोजन किया। यद्यपि, कंपनी ने मेलों का प्रभाव तथा कमियों का व्यापार मेलों के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करने का आंकलन नहीं किया, राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास हेतु मेलों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कम्पनी के पास कोई तंत्र नहीं है।

- कंपनी ने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में चार रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन [13] आयोजित किये तथा इन (रिवर्स क्रेता–विक्रेता) सम्मेलनों में ₹ 2082.58 करोड़ के 237 समझौता ज्ञापन क्रियान्वित किये गये। यद्यपि कंपनी ने इन समझौता ज्ञापनों में कितने व्यवसाय के रूप में क्रियान्वित हुये, इस हेतु कोई डाटा बेस नहीं रखा। मेलों के माध्यम से व्यवसाय में वृद्वि की निगरानी हेतु किसी तंत्र की अनुपस्थिति, राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु कंपनी द्वारा किये गये प्रयत्नों के प्रभाव के आंकलन से सरकार वंचित रही।

- सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07) के अनुसार राज्य में अपंजीकृत [14] लघु उद्योग इकाईयों की संख्या 1181732 थी। कंपनी उद्योग संचालनालय में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के साथ विपण्न व्यवसाय, कच्चा माल प्रदाय सहयोग आदि का व्यवसाय करती है, कंपनी ने अभी तक कोई दीर्घ कालीन/अल्प कालीन योजना विकसित नहीं की है, ताकि उक्त

[13] रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, वृहद अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को मध्यप्रदेश से अपनी उत्पाद आवश्यकताओं की पूर्ति तथा लघु उद्योग इकाईयों से संबंधों हेतु एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

[14] ऐसी इकाईयाँ जो उद्योग संचालनालय, म.प्र. शासन में पंजीकृत नहीं है।

अपंजीकृत इकाईयों को कंपनी/सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें।

- वर्ष 2006–07 की अखिल भारतीय गणना अनुसार 44.5 प्रतिशत लघु उद्योग इकाईयाँ विपण्न समस्या एवं 15.01 प्रतिशत कच्चे माल की समस्या के कारण बीमारू थीं। कंपनी ने उक्त बीमारू लघु उद्योग इकाईयों को चिन्हित कर उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किये।

- यद्यपि कम्पनी का विपणन विभाग, सरकारी विभागों द्वारा क्रय तथा प्रदायगी के टेण्डर ई–पोर्टल पर आमंत्रित करती है, तथापि लघु उद्योग इकाईयों वार दिये गये प्रदाय आदेशों को मात्रा एवं मूल्य के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर नहीं दर्शाया जाता। साथ ही, मात्रा व मूल्य के संदर्भ में प्रदायकर्ताओं द्वारा की जाने वाली प्रदायगी हेतु उनकी उत्पादन क्षमता को भी पोर्टल पर नहीं दर्शाया जाता है।

सरकार ने अपने जवाब (अक्टूबर 2013) में बताया कि कंपनी ने लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों के भावी/संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करते हुये रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सम्मेलन आदि का आयोजन किया। आगे बताया कि टेण्डर नोटिस दर सूची तथा इकाई/उत्पादों की सूची जिनके साथ अनुबंध किये गये हैं, आदि ई–पोर्टल पर दर्शाये जा रहे थे।

यद्यपि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में निर्धारित पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इकाईयां की उत्पादन क्षमता, मूल्य व मात्रा का प्रदायादेशों के संदर्भ में, कंपनी ने ई–पोर्टल पर नहीं दर्शाया। अपंजीकृत इकाईयों को सहयोग, लघु उद्योग इकाईयों के विकास हेतु प्रोत्साहनात्मक व वित्तीय योजना तथा वेन्डर डेवलपमेंट कार्य क्रम की अनुपस्थिति के बारे में जवाब नहीं दिया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एग्जिट कांफ्रेस में व्यक्त (नवम्बर 2013) किया कि सरकार, कंपनी को सरकार का आपूर्तिकर्ता के पूर्व निर्धारित भूमिका के स्थान पर लघु उद्योग इकाईयों के प्रोत्साहक के रूप में विकसित करने हेतु विचार कर रही है।

लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उल्लेखित उद्देश्यों/लक्ष्यों के अनुरूप समझौता ज्ञापन तैयार नहीं किये गये ।

2.2.7 कंपनी म. प्र. सरकार के साथ प्रतिवर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करती है, समझौता ज्ञापन में लक्षित व्यवसायिक लक्ष्य, लाभ, सरकार को लाभांश, परियोजनाओं का सामयिक पूर्ण किया जाना आदि सम्मिलित किये जाते है। यद्यपि लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ कि, वर्ष 2012–13 में 5000 नई लघु उद्योग इकाईयों के पंजीकरण/सूचीयन के लक्ष्य के अलावा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया। कंपनी की निष्पादनता के साथ–साथ समझौता ज्ञापन में निर्धारित किये गये लक्ष्य सरकार की नीति के उद्देश्यों की पूर्णता सुनिश्चित नहीं करते हैं।

कुल व्यवसाय के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य[15] तथा उनके विरूद्व उपलब्धियाँ तथा उनकी प्रतिशतता अवधि 2008–09 से 2012–13 हेतु विवरण निम्नांकित है :

[15] कंपनी के विभिन्न विभागों जैसे – विपण्न, संपदा एवं निर्माण, एम्पोरियम, कच्चा माल, बिजनेस डेवलपमेंट सेल तथा तकनीकी विभाग के मौद्रिक लक्ष्य समाहित किये जातें है।

तालिका क्रमांक 2.2.1 (₹ करोड़ में)

विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
लक्ष्य	876.33	1093.05	889.80	1032.95	1113.00
उपलब्धियाँ[16]	1056.03	879.86	997.43	960.64	1076.83
प्रतिशतता	120.51	80.50	112.10	93.00	96.75

स्रोत : कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ

कम्पनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उनके विरूद्व उपलब्धियाँ 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो के लिये ***परिशिष्ट 2.2.2*** में दिये गये है। अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियों का प्रतिशत 80.50 से 120.51 प्रतिशत के बीच रहे। यद्यपि, कंपनी वर्ष 2009–10, 2011–12 एवं 2012–13 में समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी । हमने देखा कि कम्पनी से आपूर्ति प्राप्त करने वाले बड़े विभागों[17] द्वारा उन वस्तुओं[18] की, जिनकी क्रय कम्पनी से करने हेतु आरक्षित है, खुले बाजार से उनका क्रय करना व्यवसाय में कमी के प्रमुख कारण थे । साथ ही लौह एवं इस्पात के व्यवसाय में कमी का उल्लेख ***कंडिका 2.2.12*** में किया गया है। सरकार ने अपने जवाब (अक्टूबर 2013) में व्यक्त किया कि विभिन्न विभागों के क्रय बजट कम्पनी को ज्ञात नहीं होते है, तथा क्रय करने वाले बड़े विभाग, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में पंजीकृत ठेकेदारों को आरक्षित वस्तुओं के क्रय सहित क्रयादेश देते है, जिस पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है ।

चुँकि, राज्य में लघु उद्योग इकाईयों के विकास में सहयोग करने की जिम्मेदारी कम्पनी के पास है, अतः राज्य में लघु उद्योगों के लिये आरक्षित वस्तुओं की आपूर्ति की अन्य स्त्रोतों से न हो, यह मामला कम्पनी को सरकार के साथ रखा जाना चाहिये था ।

लघु उद्योग इकाईयों का विकास

2.2.8 कम्पनी के पार्षद सीमा नियम एवं अंतनियमों के अनुसार, कम्पनी राज्य में लघु उद्योगों को विपणन, वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग व प्रोत्साहन देने के लिये उत्तरदायी है ।

यद्यपि, हमने पाया कि कम्पनी लघु उद्योग इकाईयों को केवल विपणन सहयोग प्रदान करती है । उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार में पंजीकृत लघु इकाईयाँ तथा कम्पनी द्वारा अवधि 2008–09 में 2012–13 के दौरान कम्पनी द्वारा विपणन गतिविधियों द्वारा सहायता प्राप्त लघु उद्योग इकाईयाँ का विवरण तालिका 2.2.2 में दिया गया है :–

[16] उपलब्धियाँ कम्पनी द्वारा किये गये कुल व्यवसाय को दर्शाती है, जो कि परिशिष्ट 2.2.6 में दर्शाये गये टर्नओवर के समान नहीं होगी क्योंकि ये केवल कंपनी द्वारा किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यवसाय को दर्शाती है।

[17] जन स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, सिंचाई/जल संसाधन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन ।

[18] गेल्वेनाइल्ड लौह पाइप/रिइन्फोर्समेन्ट सिमेंन्ट कंक्रीट पाइप, ह्यूम/अनप्लास्टीसाइडड पोली विनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) पाइप

तलिका 2.2.2

वर्ष	उद्योग संचालनालय में पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयाँ	कम्पनी सहयोग प्राप्त लघु उद्योग इकाईयाँ	सहयोग की प्रतिशतता
2008-09	117592	580	0.49
2009-10	137336	660	0.48
2010-11	157038	655	0.42
2011-12	177138	611	0.34
2012-13	197024	560	0.28

स्त्रोत : कम्पनी तथा उद्योग संचालनालय द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ

उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन में पंजीकृत कुल इकाईयों की तुलना में कम्पनी से सहायता प्राप्त करने वाली लघु उद्योग इकाईयों का प्रतिशत वर्ष 2008–09 में 0.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 0.28 प्रतिशत रहा।

हमने पाया कि उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन में पंजीकृत कुल इकाईयों की तुलना में कम्पनी में सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों का प्रतिशत वर्ष 2008–09 में 0.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 0.28 प्रतिशत रहा। लघु उद्योग इकाईयों को दी जाने वाले सहयोग के प्रतिशत में कमी का मुख्य कारण, आरक्षित वस्तुओं के व्यवसाय में कमी होना तथा राज्य की लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित अनारक्षित वस्तुओं हेतु कम्पनी द्वारा बाजार निर्धारण में असफल होना प्रमुख है ।

सरकार ने व्यक्त (अक्टूबर 2013) किया कि कम्पनी द्वारा निर्धारण किये जाने वाले उत्पादों/वस्तुओं में व्यवसाय करने वाली पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार के जबाव से यह स्पष्ट होता है, कि सरकार के पास लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं की जानकारी सरकार के पास नहीं रहती है। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने केवल उन्हीं लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की, जिनकी पहुँच कम्पनी तक थी, जिससे कम्पनी द्वारा लघु उद्योगों को सहायता निरंतर कम होती जा रही है ।

विपणन गतिविधियाँ

विपणन सहयोग

2.2.9 कम्पनी भंडार क्रय नियमों में आरक्षित तथा अनारक्षित वस्तुओं हेतु दर अनुबंध करती है, जो एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहते है । प्रदायकर्ताओं से कम्पनी को प्राप्त होने वाले सेवा शुल्क/कमीशन[19] का भाग भी कम्पनी द्वारा जारी निविदाओं के मूल्य में शामिल रहता है । विभिन्न वस्तुओं/उत्पादों हेतु की गई अनुबंधित दरें क्रेता विभागों की जानकारी हेतु प्रचारित एवं कम्पनी की वेबसाइट पर जारी की जाती है ।

आरक्षित वस्तुओं के व्यवसाय में कमी के करण कम्पनी के विपण्न विभाग के व्यवसाय में कमी दर्ज की गई ।

कम्पनी के विपणन विभाग द्वारा किया गया कुल व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹ 667.15 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 529.60 करोड़ रहा तथा उक्त समान अवधि में लघु उद्योग इकाईयों द्वारा आरक्षित वस्ताओं[20] का व्यवसाय ₹ 455.21 करोड़ से घटकर ₹ 355. 20 करोड़ रहा ।

भारत सरकार ने लघु उद्योग इकाईयों से क्रय करने हेतु 350 वस्तुएँ आरक्षित की थी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत 149 वस्तुयें आरक्षित की है।

[19] दो प्रतिशत

[20] दवाईयाँ, जी आई पाइप, आई.एस.आई.मार्क हृयुम पाइप, कास्ट आयरन डिटेचेवल (सीआईडी) ज्वाइंट्स इत्यादि ।

उक्त सूची के विस्तार, अप्रचलित[21] वस्तुओं को सूची से हटाने तथा नवीन वस्तुओं को सूची में जोड़ने हेतु मामला कम्पनी द्वारा सरकार के साथ नहीं उठाया गया ।

सरकार के व्यक्त किया (अक्टूबर 2013) कि बडे क्रेता विभाग आरक्षित वस्तुओं सहित अन्य सामग्रीयों हेतु नीचे खुले बाजार में ठेकेदारों से क्रय कर रहे है, जिस पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है । आगे बताया गया की भण्डार क्रय नियमों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

सरकार का जवाब यह प्रकट करता है, कि कम्पनी ने न तो लघु उद्योग इकाईयों से क्रय की जाने वाली वस्तुओं में विस्तार करने हेतु न ही आरक्षित वस्तुओं का केवल कम्पनी के माध्यम से क्रय करने हेतु लघु उद्योग इकाईयों के व्यवसाय में वृद्धि के लिये अब तक (दिसम्बर 2013) कोई योजना निर्धारित नहीं की है ।

मांग पत्रों का अनियमित प्रबंधन

2.2.9.1 भण्डार क्रय नियम–14[22] आरक्षित वस्तुओं के क्रय हेतु क्रेता विभागों द्वारा कम्पनी को मांग पत्र प्रेषित करने का प्रावधान करता है । अनाधिकृत मध्यस्थों[23] से विभिन्न विभागों के मांगपत्रों का कम्पनी को प्रदाय रोकने तथा सम्पूर्ण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिये राज्य सरकार ने समस्त क्रेता विभागों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांग पत्र भेजने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2007) किया । सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में, कम्पनी ने फरवरी 2009 में समस्त विभागों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांग पत्र प्रेषित करने हेतु सूचित किया।

हमने पाया किः

- कम्पनी डाक तथा संदेशवाहक के माध्यम से मांग पत्र प्राप्त करती रही है, जो कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है । कम्पनी को मार्च 2013 तक कोई भी माँग पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त नहीं हुए थे । अतः कम्पनी द्वारा मध्यस्थों को दूर कर पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के सरकार के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया गया । साथ ही, परिणामस्वरूप विभागों को अधिक व्यय करने पड़े, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

 सरकार ने तथ्य को स्वीकर किया (अक्टूबर 2013) तथा बताया कि कम्पनी ने अप्रेल 2013 से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माँग पत्र प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है ।

- वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान सीमेन्ट प्रदाय के 53 मामलों में तथा वर्ष 2011–12 के दौरान फेंसिग पोल के प्रदाय में, मध्यस्थ/प्रदायकर्ताओं द्वारा विभागों से माँग पत्र प्राप्त कर, 14 से 310 दिन के बीच सीमेन्ट प्रदाय मामलों में तथा 50 से 83 दिन के बीच फेंसिग पोल के मामलों में माँग पत्रों को अपने पास रखा गया। कम्पनी द्वारा उक्त वस्तुओं की दरों में बढ़ोतरी करने के बाद, ये क्रयादेश/माँग पत्र कम्पनी को प्रदायादेश दिये गये । इसके परिणामस्वरूप सीमेन्ट में ₹ 23.20 लाख तथा फेसिंग पोल के क्रय में ₹ 3.67 लाख का क्रेता विभागों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा प्रदायकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया ।

[21] लगभग 20 वस्तुऐं जो मांग में नहीं है, जैसे टाइपराइटर, ग्लेन्ड रोप, स्याही तथा रिबन आदि ।

[22] लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय केवल कम्पनी के माध्यम से ही किया जाना चाहिये ।

[23] एजेन्ट, लघु उद्योग इकाईयाँ आदि ।

सरकार ने अपने जवाब (अक्टूबर 2013) में बताया कि माँग पत्र में देरी हेतु संबंधित विभाग जिम्मेदार है, न कि कम्पनी । आगे, कम्पनी ने बताया कि मामला संबंधित क्रेता विभागों को बताया गया है । तथापि तथ्य शेष है, कि कम्पनी यह सुनिश्चित करने में असफल रही, कि माँग पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही प्राप्त किये जाये, परिणामस्वरूप माध्यम माँग पत्रों को प्रस्तुत कर प्रदायादेश प्राप्त करने हेतु दबाव बनाने में सफल रहे ।

अपात्र इकाईयों को मूल्य अधिमान दिया जाना

2.2.9.2 कम्पनी ने विभिन्न शासकीय विभागों की आवश्यता हेतु जी.आई.पाईप, पीव्हीसी पाईप तथा केसिंग पाईप के क्रय हेतु अखिल भारतीय स्तर पर निविदाऐं आमंत्रित[24] की मध्य प्रदेश शासन की विद्यमान निति के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त न्यूनतम दरों पर, राज्य की लघु उद्योग इकाईयों को 10 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान देने का प्रावधान था ।

उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों तथा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों/स्पष्टीकरण/आदेशें में लघु उद्योग इकाईयों तथा सहायक औधोगिक इकाईयों को परिभाषित[25] किया गया है।

कम्पनी ने मैसर्स एस.टी.एल. एक्स्पोर्ट को राज्य की लघु उद्योग इकाई मानने हुए मूल्य अधिमान दिया तथा प्रदाय आदेश[26] जारी किये। इसके अलावा मैसर्स एस.टी.एल. एक्सटेन्शन (प्रायवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स सिद्धार्थ माकेटिंग सर्विसेस को भी प्रदाय आदेश दिये । उपरोक्त तीनों कम्पनियाँ सिद्धार्थ समूह का भाग थी क्योंकि इन कम्पनियों के निदेशकों का इसी समूह की अन्य कम्पनियों में निदेशक/अंशधारिता के रूप में व्यवसायिक हित था ।

कम्पनी ने अपात्र इकाई को ₹ 11.63 करोड़ का मूल्य अधिमान प्रदाय किया।

हमने पाया कि उक्त समूह की कम्पनियाँ उद्योग (विकास/नियमन) अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग इकाई की परिभाषा में नही आती, अतः ये इकाईयाँ मूल्य अधिमान हेतु अपात्र है क्योंकि सिद्धार्थ समूह को प्लांट एवं मशीनरी में निवेश ₹ 5.00 करोड़ (वर्ष 2007–08 से 2011–12) से अधिक था । अतः मैसर्स एसटील एक्सपोर्टस को जी–आई पाईप के क्रय हेतु ₹ 11.63 करोड़ का मूल्य अधिमान नियमानुसार नहीं था । उक्त के परिणाम स्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया साथ ही क्रय आदेश जारी करने वाले विभागों पर मूल्य अधिमान के रूप में अतिरिक्त लागत का भार पड़ा ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि उक्त कम्पनियाँ लघु उद्योग ईकाईयाँ है तथा इनका आपस में कोई संबंध नहीं है तथा ये अन्य कम्पनियों के निदेशकों द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित नहीं है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समूह की कम्पनियों में, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सारभूत प्रभाव है । साथ ही हमने पाया कि कम्पनी ने मूल्य अधिमान की योग्यता निर्धारित करते समय इन कम्पनियों के अंकक्षित लेखों के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में निवेश को सत्यापित नहीं किया ।

[24] दिसम्बर 2010 तथा अगस्त 2012

[25] ऐसी इकाईयाँ जिनका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश रूपये 25 लाख से अधिक किन्तु रूपये 5.00 करोड़ से कम है । आगे यह भी कि ऐसी इकाईया जो किसी अन्य इकाई की सहायक हो या अन्य इकाई/इकाईयों द्वारा अधिकृत या नियंत्रित हो तथा यदि प्रथम इकाई तथा अन्य इकाई/इकाईयों का प्लांट एवं मशीनरी में निवेश उपरोक्त सीमा से अधिक होता तो प्रथम इकाई लघु उद्योग इकाई के रूप में परिभाषित नहीं होगी ।

[26] वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 दौरान

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक्जिट कान्फ्रेस (नवम्बर 2012) में प्रकरण की जाँच करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु कम्पनी को निर्देशित किया ।

विपणन विभाग द्वारा जारी निविदाओं में अनियमितताएं

2.2.9.3 कम्पनी द्वारा लेपटाप, कम्प्यूटर तथा डेस्कटाप आदि के प्रदाय हेतु मार्च 2008 में निविदाए आमंत्रित की । इस निविदा में वही ईकाईयाँ भाग लेने हेतु योग्य थी जिनका वार्षिक विक्रय ₹ 500 करोड़ से अधिक था । मैसर्स एचएलबीएस प्राईवेट लिमिटेड जो कि एक लघु उद्योग थी एवं जिसका विक्रय ₹ 500 करोड़ से कम था तथा जो कि निविदा शर्तों के अनुसर योग्य नही थी, को आपूर्ति हेतु अनुबंधित किया तथा ₹18.90 लाख रूपये के प्रदाय आदेश कम्प्यूटर प्रदाय हेतु दिये । योग्यता मापदण्डों में प्रदाय आदेश जारी करते समय परिवर्तन करना निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन करना था साथ ही विभिन्न लघु उद्योगों को निविदा में भाग लेने के अवसर से वंचित करना था । साथ ही, ऐसे उत्पाद जिनका निर्माण लघु उद्योग इकाईयों द्वारा किया जाता है, उन्हे वंचित कर अन्य इकाईयों से निविदा प्राप्त करना कम्पनी के लघु उद्योग ईकाईयों के प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्यों से विपरीत था ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि एचएलबीएस का ऑफर, उनकें राज्य की लघु उद्योग ईकाई होने के कारण मान्य किया गया था निविदा प्रपत्रों में पूर्व अनुभव तथा योग्यता के मापदण्डों को शिथिल किया गया था ताकि राज्य की लघु उद्योग ईकाईयाँ निविदा में भाग ले सके । तथ्य यह रहा कि कम्पनी लघु उद्योग के प्रोत्साहन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रही जो कि निविदा में विक्रय की शर्तों के रूप में शामिल कर, प्राप्त किया जा सकता था । आगे यह थी कि राज्य की लघु उद्योग ईकाईयों को अवसर दिये बिना उक्त फर्म को प्रदाय आदेश कि रूप में अनुचित लाभ दिया गया ।

संदिग्ध व्यवसायिक सत्यनिष्ठा वाली ईकाई को डी.आई पाईप के प्रदाय आदेश देना

2.2.9.4 कम्पनी ने अखिल भारतीय स्तर पर डक्ट आईरन पाईप क्रय हेतु, शासकीय विभागों की आवश्यकता के लिये निविदाए आमंत्रित (मार्च 2012) की। हमने निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पाया कि एक ईकाई में रश्मि मैटालिक्स लिमिटेड जिसे शासन तथा शासकीय निकायों द्वारा काली सूची में शामिल किया गया था तथा जो शासकीय करों के अपवंचन, धोखाधडी तथा अनियमितताओं में शामिल थी । कम्पनी ने वास्तविक तथ्य ज्ञात होते हुए भी उक्त इकाई की अनुबंधित कर ₹1.06 करोड़ के प्रदाय आदेश वर्ष 2012–13 के दौरान दिये । इसके परिणामस्वरूप फर्म को अनुचित लाभ दिया गया साथ ही क्रय करनें वाले विभागों को उच्च गुणवत्ता के प्रदाय हेतु हितों का ध्यान नहीं रखा गया ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि निविदा की विशेष शर्तें तथा निविदा प्रपत्रों की शर्तें तथा सामान्य शर्तों में ऐसी ईकाईयाँ जो शासकीय आय के अपवंचन में शामिल हो, को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान नहीं था, अतः उक्त ईकाई को कम्पनी द्वारा अयोग्य नहीं किया जा सका । साथ ही भविष्य में ध्यान रखा जाने का लेख किया ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को इस बात की जानकारी थी कि उक्त इकाई द्वारा शासकीय विभागों तथा उपक्रमों को प्रदाय कि गयी सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी, अतः कम्पनी को निविदाएँ निरस्त कर, निविदा दरों में संशोधन कर निविदाएँ पुनः निविदा आंमत्रित की जानी थी ताकि गुणवत्ता से समझौते की स्थिति से बचा जा सकता था, जो कि राज्य के हितों के विरूद्ध था ।

कम्पनी के अन्य विभागों का निष्पादन

संपदा एवं निर्माण विभाग का निष्पादन

2.2.10 कम्पनी का एक संपदा एवं निर्माण विभाग है । कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कम्पनी औद्योगिक संपदा तथा लघु उद्योग में औद्यगिक क्षेत्रों में निर्माण, सधारण एवं प्रशासन हेतु पात्र थी ।

कम्पनी ने यद्यपि शालाओं, होस्टल, स्वास्थ केन्द्र आदि से संबंधित निर्माण कार्य डिपाजिट कार्य आधार पर लिये । साथ ही इस विभाग द्वारा आंतरिक सुधार तथा नवीनीकरण कार्य जोकि शासकीय निगमों/कार्यालयों से संबंधित थे, संपादित किये । कम्पनी पारितोषिक के रूप में इन कार्यों पर पर्यवेक्षण विभागों से प्राप्त करती है ।

कम्पनी ने वर्ष 2008–09 से 2011–12[27] के दौरान ₹ 174.79 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 163.00 करोड़ का उपयोग किया ।

डिपॉजिट कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.10.1 जमाकर्ता विभाग की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी कार्यों के प्राक्कलन (आकस्मिता तथा पर्यवेक्षण शुल्क शामिल कर) तैयार कर राशि प्राप्त करती है तथा कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित विभाग से प्राप्त करती है । कार्य सामान्यता लोक निर्माण विभाग के मेन्यूअल/दरों की अनुसूची तथा लोक निर्माण विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के आधार पर संपादित किये जाते है । ठेकेदारों द्वारा दरों की अनुसूची के आधार पर कार्य किये जाते है ।

हमने पाया की कम्पनी द्वारा दिसम्बर 2013 तक लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल तथा आदेशों को अंगीकृत नहीं किया जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- लोक निर्माण विभाग द्वारा अप्रेल 2010 से ₹ 10.00 लाख या अधिक के कार्य हेतु ई–टेन्डरिंग अनिवार्य की गयी । मई 2012 से सभी कार्यों की निविदा राशि की अनिवार्यता समाप्त करते हुए ई–टेन्डरिंग से अनिवार्य की गयी । किन्तु कम्पनी द्वारा सितम्बर 2011 से ई–टेन्डरिंग प्रथा ₹ 25.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यो के लिये लागू की गयी ।
- राज्य शासन द्वारा निर्माण कार्यो, सामग्री के प्रदाय आदि की निविदाओं को दर्शाने हेतु ई–प्रोक्युअरमेंट पोर्टल चालू किया (फरवरी–2007) । उक्त पोर्टल पर शासकीय विभागों ऐजेन्सी, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता तथा विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु निविदाए पोर्टल पर दर्शायी जाती है । किन्तु कम्पनी द्वारा ₹ 25.00 लाख से अधिक कि निविदाए दर्शायी गयी ।
- लोक निर्माण विभाग के मैन्यूअल के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निविदाएँ वास्तविक लागत[28] के आधार पर स्वीकृत की जाती थी न की कार्य की अनुमानित लागत के आधार पर हमने 35 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि इन प्रकरणों में वास्तविक लागत ₹ 25.47 लाख से ₹ 34.77 लाख थी तथा निविदाएं मुख्य महाप्रबंधक (संपदा एवं निर्माण) द्वारा कार्य की अनुमानित लागत के आधार पर स्वीकृत की गयी जबकि वास्तविक लागत के आधार पर, निविदायें स्वीकृत करने हेतु प्रबंध संचालक सक्षम थे ।

[27] लेखाओ का अंतिमीकरण न होने के कारण वर्ष 2012–13 जानकारी उपलब्ध नही ।

[28] कार्य की अनुमानित लागत ठेकदार द्वारा दी गयी दरे (दरो की अनुसूची के प्रतिशत पर)

सरकार ने जवाब में बताया (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी ने सभी कार्यो की निविदाएँ ई–टेन्डरिंग माध्यम से किये जाने के आदेश प्रसारित किये है (अगस्त 2013) । साथ ही लोक निर्माण विभाग के अनुसार ₹ 25.00 लाख की कार्यों की स्वीकृति का पालन सुनिश्चित किया गया था ।

समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन में पारदर्शिता का अभाव

2.2.10.2 लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों एवं प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार सभी निर्माण कार्य जिनकी लागत ₹ पाँच लाख से अधिक है उनके विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, जिससे निविदाओं का व्यापक प्रचार हो सके ।

लेखा परीक्षा में नमूना जॉच के दौरान हमने देखा कि 790 प्रकरणों में कार्य की अनुमानित लागत ₹ पाँच लाख (₹ 4.50 लाख तथा ₹ 4.99 लाख के बीच) से कम रखी गयी तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन से परिहार्य किया गया । 13 प्रकरणों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त कार्यो में वास्तविक व्यय ₹7.23 लाख से ₹24.96 लाख रहा ।

समाचार पत्रों में निविदाओं के प्रकाशित करने का परिहार्य करने हेतु कम्पनी ने कार्यों की अनुमानित लागत ₹ पाँच लाख से कम रखी ।

आगे हमने यह पाया कि विभिन्न शासकीय एजेन्सीयों/विभागों द्वारा जमा कार्यों हेतु राशि एक मुश्त उपलब्ध करायी गयी तथा प्राक्कलन भी पूर्ण कार्य के लिये बनाये गये जो कि एक ही विभाग के लिये तथा एक ही प्रांगण[29] में संपादित होने थे । कम्पनी के इस प्रकार के कार्यो को टुकड़ों में विभाजित कर संपादित किया ताकि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचा जा सके साथ ही निविदाओं का प्रकाशन समाचार पत्रों में परिहार्य किया जा सके । नमूना जांच के दौरान पाया गया कि तीन कार्यो को 34 भागों में बॉट कर संपादित किया गया जिनका विवरण ***परिशिष्ट – 2.2.3*** में दिया गया है ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि आपत्ति को मान्य करते हुए कम्पनी ने सभी कार्यो को ई–टेन्डरिंग (अगस्त 2013) के माध्यम से निविदा जारी करने तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के निर्देश दिये है । प्रबंध संचालक ने एक्जिट कान्फ्रेस (नवम्बर 2013) में लेखापरीक्षा आपत्ति के मान्य किया तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भागों में विभाजीत कार्यों की जाँच किये जाने हेतु निर्देशित किया ।

अंतिम बिलों से रायल्टी की राशि की कटौती की जाना

2.2.10.3 राज्य शासन के खनन संसाधन विभाग ने निर्देशित (जुलाई 2004) किया कि निर्माण कार्यो में उपयोग होने वाले लघु खनिजो पर देय रायल्टी अग्रिम में जमा होना चाहिये तथा ठेकेदारो के अंतिम बिलों से काटी गयी रायल्टी की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक ठेकदार द्वारा खनन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

हमने पाया कि कम्पनी के संपदा एंव निर्माण संभागों द्वारा रायल्टी की कटौती हेतु भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनायी जा रही थी। इन्दौर संभाग द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राशि ₹ 34.48 लाख संपादित कार्यों के विरूद्ध रोकी गयी थी जबकि ग्वालियर, सतना तथा भोपाल संभागों द्वारा अंतिम बिलों को निराकरण के दौरान रायल्टी की कटौती न करते हुए ठेकेदारों से शपथपत्र[30] प्राप्त किये गये ।

[29] किसी विशेष कार्य के प्राक्कलन[1] के भागों में विभाजित करना यद्यपि जिसकी राशि सम्पूर्ण कार्य हेतु प्राप्त हुई तथा जिसे एक प्रांगण में संपादित करना था ।

[30] जिसके अुनसार ठेकेदार द्वारा उपयोग की गयी सामग्री पर रायल्टी का भुगतान किया गया तथा कोई अन्य देय राशि पायी गयी तो वह भुगतान हेतु जिम्मेदार रहेगा तथा बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होगा ।

राज्य शासन के आदेश कम्पनी द्वारा जारी किये गये आदेशों के ऊपर स्थान रखते है अतः ठेकेदारों के अंतिम बिलों का भुगतान शपथपत्र के विरूद्ध किया जाना, राज्य शासन के आदेशों के अनुसार नहीं था ।

आदेशों की शर्तों में खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाने वाली समय सीमा तथा कटौती की गयी रायल्टी की राशि के संबंधी में कोई प्रावधान न होने के कारण वर्ष 2008–09 से इन्दौर संभाग द्वारा काटी गयी राशि शासकीय खाते में जमा नहीं हो सकी। ।

प्रबंध संचालक ने एक्जिट कान्फ्रेस में सुनिश्चित किया कि सभी संभागों में रायल्टी हेतु एक समान प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

अनुबंध में ब्याज वसूली का प्रावधान न होना

2.2.10.4 कम्पनी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के विभिन्न जिलों में नवोदय विद्यालय के निर्माण हेतु नवोदय विद्यालय समिति से अनुबंध निष्पादित किये । अनुबंधों में शामिल नियम एवं शर्तो के अनुसार, कम्पनी द्वारा प्रतिमाह चलित देयक नवोदय विद्यालय समिति को प्रस्तुत करना था तथा भुगतान प्राप्त करना था ।

कम्पनी नवोदय विद्यालय समिति से ₹10.01 करोड़ वसूल नहीं कर सकी, जो कि 3 माह से 32 माहो तक लंबित थे।

हमने पाया कि कम्पनी द्वारा अनुबंधो के अंतर्गत संपादित विभिन्न कार्यों पर ₹ 10.01 करोड़ का व्यय किया गया किन्तु उनका भुगतान 3 माहों से 32 माह तक समिति के पास भुगतान हेतु लंबित रहा तथा लंबित रखे जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । हमने आगे यह भी पाया कि कम्पनी समिति द्वारा लंबित भुगतानों तथा लंबित भुगतानों के कारण हुई ब्याज हानि संबंधित प्रावधान अनुबंध की शर्तों में शामिल करने में असफल रही। उक्त अवरोधित पूंजी पर ब्याज की हानि 8% की दर[31] पर ₹ 72.24 लाख अवधि अगस्त 2011 से नवम्बर 2012 के दौरान लंबित राशि पर रही ।

मुख्य महाप्रबंधक (संपदा एवं निर्माण) ने एक्जिट कॉफ्रेन्स में बताया (नवम्बर 2013) कि संबंधित विभाग से मामले पर चर्चा की जा रही है । कम्पनी एक वाणिज्यिक संस्था है, अतः उसे कार्यों को सम्पादन जमा आधार पर करना था तथा स्वयं की निधियाँ अवरूद्ध नहीं करना थी ।

एम्पोरियम विभाग का निष्पादन

एम्पोरियम विभाग की लाभदायक्ता में वृद्धि का मुख्य कारण विपणन वस्तुओं पर प्राप्त कमीशन को शमिल करना था ।

2.2.11 कम्पनी द्वारा आठ एम्पोरियम संचालित किये जाते है जो कि हथकरघा तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का विक्रय करते है । हथकरघा तथ हस्तशिल्प वस्तुएँ सामान्यतः राज्य के बुनकरों तथा शिल्पियों से क्रय की जाती है तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण क्रय मूल्य में 60% जोड़कर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत कुछ आरक्षित सामग्रियों का व्यवसाय का कार्य भी एम्पोरियम विभाग द्वारा संपादित (अप्रैल 2001) किया जाता है । एम्पोरियम विभाग का व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹28.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 112.64 करोड़ हो गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.2.2*** में दिया गया है । एम्पोरियम विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2012–13 को छोड़कर की गयी । एम्पोरियम विभाग का लाभ वर्ष 2008–09 में ₹ 0.76 करोड़ था जो कि वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹ 2.99 करोड़ हो गया ।

[31] सावधि जमाओ पर समीक्षा अवधि के दौरान न्यूनतम ब्याज दर

हमने पाया कि एम्पोरियम विभाग कि लाभदायकता में वृद्धि मृख्य रूप से विपणन वस्तुए[32] पर अर्जित कमीशन[33] को शामिल करने के कारण थी, जो शासकीय विभागों को प्रदाय की गयी थी । भोपाल तथा कोलकाता एम्पोरियम ने समीक्षा अवधि के दौरान विपणन कमीशन छोड़कर लाभ अर्जित किया किन्तु अन्य पाँच एम्पोरियम[34] लगातार हानि में थे, यदि विपणन गतिविधियों पर अर्जित कमीशन को इनकी आय में से अलग किया जाता है ।

सरकार ने उत्तर में तथ्यों को मान्य किया तथा बताया (अक्टूबर 2013) कि कुछ एम्पोरियम मृगनयनी विपणन सेवा पर प्राप्त कमीशन के कारण लाभ में थे ।

एम्पोरियमों में सामग्री प्रबंधन

2.2.11.1 सामग्री प्रबंधन वस्तुओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये प्रभावशाली पद्धति बताता है तथा लागत परिमाप में वस्तुओं को सही जगह सही समय पर प्रदर्शित करता है । एम्पोरियम प्रमुख द्वारा सामग्री का क्रय बाजार रूख, मूल्य, पूर्व क्रय मूल्य, गुणवत्ता, ग्राहकों द्वारा माँगी गयी वस्तुओं के आधार पर किया जाता है, विभिन्न एम्पोरियमों द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान धारित की गयी सामग्री का विवरण ***परिशिष्ट 2.2.4*** में दिया गया है ।

हमने पाया किः

- कम्पनी के पास क्रय नियमावली या कार्यपालक निर्देशों के अनुसार सामग्री धारित करने की सीमा संबंधि मानक निर्धारित नहीं थे ।
- भोपाल एम्पोरियम द्वारा धारित सामग्री का प्रतिशत वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में सभी एम्पोरियमों की तुलना में न्यूनतम रहा जो कि 11.33 तथा 18.22 प्रतिशत के बीच था ।
- रीवा (2011–12 तथा 2012–13) तथा नई दिल्ली (2008–09 तथा 2009–10) एम्पोरियमों द्वारा धारित अंतिम स्टॉक उनके विक्रय से अधिक था जो कि अनावश्यक स्टॉक का एकत्रीकरण दर्शाता था साथ ही निधियाँ भी अवरूद्ध थी तथा सामग्री का क्षय भी तीव्रता से हो रहा था ।

सरकार ने उत्तर (अक्टूबर 2013) में बताया कि कम्पनी सभी एम्पोरियम के स्टाक को एक साथ मान्य करती है तथा सामग्री स्तर का वर्षवार परीक्षण किया जाता है ।

चूँकि सभी एम्पोरियमों में सामग्री का स्तर गंभीर रूप से बढ़ रहा है । अतः कम्पनी को चाहिये कि वह प्रत्येक एम्पोरियम द्वारा धारित की जाने वाली सामग्री हेतु मानक निर्धारित करे ।

मार्च 2013 के अंत में ₹1.10 करोड़ की सामग्री जो दो वर्षो से पुरानी थी, अविक्रीत रही ।

पुरानी सामग्री के निराकरण हेतु नीति का अभाव

2.2.11.2 कम्पनी सामग्री के भौतिक सत्यापन प्रपत्रों में शेष सामग्री की स्थिति दर्शाती है। हमने पाया कि मार्च 2013 के अंत में ₹ 1.10 करोड़ थी जो दो वर्षो से अधिक पुरानी थी । लागत मूल्य सामग्री की स्थिति निम्नानुसार तालिका क्रमांक 2.2.3 में दर्शाई गयी है :–

[32] स्टेशनरी, फिनाईल, साबुन तथा खिलौने आदि

[33] आरक्षित वस्तओं पर दो प्रतिशत तथा अनारक्षित वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत

[34] इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नई दिल्ली

तलिका 2.2.3 (₹लाख में)

एम्पोरियम का नाम	सामग्री 1–2 वर्ष पुरानी	सामग्री 2–3 वर्ष पुरानी	सामग्री 3–5 वर्ष पुरानी	सामग्री 5–10 वर्ष पुरानी	10 वर्ष से अधिक पुरानी
इन्दौर एम्पोरियम	24.55	2.10	0.60	1.35	1.41
जबलपुर एम्पोरियम	12.99	1.95	1.37	0.43	0.26
ग्वालियर एम्पोरियम	3.13	3.14	0.81	0.50	निरंक
भोपाल एम्पोरियम	11.42	3.42	2.12	1.40	0.28
रीवा एम्पोरियम	17.07	1.02	0.25	10.54	निरंक
दिल्ली एम्पोरियम	264.56	20.15	8.08	4.99	2.19
मृगनयनी कोलकाता एम्पोरियम	28.25	15.45	4.01	1.73	5.61
अंवति कोलकाता एम्पोरियम	13.41	6.30	5.19	3.32	.001
योग	**375.38**	**53.53**	**22.43**	**24.26**	**9.75**
कुल योग		**109.97**			

स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी

हमने आगे यह पाया कि :–

- कम्पनी ने दस वर्ष से पुरानी सामग्री के अप्रचलित होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।
- कम्पनी ने अप्रचलित सामग्री के निराकरण हेतु कोई नीति नहीं अपनायी।
- मार्च 2013 के अंत में उक्त में शामिल क्षतिग्रस्त सामग्री ₹ 32.53 लाख थी तथा जिसका वसूली योग्य मूल्य ₹ 19.54 लाख था । अतः क्षतिग्रस्त सामग्री के वसूली योग्य मूल्य में कमी होने से कम्पनी को ₹12.99 लाख को क्षति हुई ।
 कम्पनी ने उक्त सामग्री के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही नही की (नवम्बर 2013)। सरकार ने उत्तर में तथ्यों को मान्य (अक्टूबर 2013) किया तथा बताया कि इस संबंध में निति का निर्धारण किया जायेगा ।

अनुमोदन हेतु भेजी सामग्री वापिस न होना

₹ 24.41 लाख की सामग्री ग्राहको को अनुमोदन पर भेजी गयी किन्तु सामग्री प्रपत्रों में उनकी वापसी या विक्रय के द्वारा समायोजन मार्च 2013 तक नहीं किया जा सका ।

2.2.11.3 अनुमोदन पर सामग्री भेजी जाना एक ऐसी व्यवस्था को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत भावी ग्राहकों को क्रय के पूर्व वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती है। यह वस्तुएँ यदि ग्राहकों द्वारा क्रय हेतु मान्य नहीं होती है तो उसे सात दिवसों में वापस लिया जाना चाहिये । यदि सात दिन में वापस प्राप्त नहीं होती है तो वस्तुओं को विक्रय मान कर बिलिंग की जानी चाहिये ।

हमने पाया कि ₹24.41 लाख की सामग्री अनुमोदन की शर्तो पर विभिन्न ग्राहको को भेजी गयी थी किन्तु मार्च 2013 के अंत तक उन्हें न तो वापिस लिया गया था और न ही उनकी बिलिंग की गयी थी ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि अनुमोदन पर भेजी गयी सामग्री वापिस प्राप्त करने या उसके बिल जारी करने के कारण अक्टूबर 2013 में घटकर ₹ 5.12 लाख बची थी, हालाकि कम्पनी द्वारा लेखा परीक्षा में आपत्ति के उपरांत कार्यवाही कर उक्त शेष को कम किया था । यद्यपि कितनी सामग्री वापस की गई या बिलिंग की गयी, इसकी जानकारी अनुपलब्ध थी । साथ ही कम्पनी ने अनुमोदन हेतु कोई निरिक्षण व्यवस्था लागू नहीं की ।

एम्पोरियम शिल्पियों एवं बुनकरों को सहायता

2.2.11.4 कम्पनी के उद्देश्यों में शिल्पियों तथा बुनकरो की सामग्री को एम्पोरियम के माध्यम से विपणन सहायता उपलब्ध कराकर विकास करना था । यद्यपि हमने देखा कि

विभिन्न एम्पोरियम द्वारा उपलब्ध करायी गयी विपणन सहायता प्राप्त वेन्डरो की संख्या बहुत कम थी तथा कुछ एम्पोरियमों में वास्तव में घट रही थी । इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर एम्पोरियम लगातार कुछ चयनित वेन्ड़रों से ही सामग्री क्रय कर रहे थे । यह पाया गया कि वर्ष 2008–09 में आठ एम्पोरियम 251 वेन्डरों से सामग्री क्रय कर रहे थे । जो कि वर्ष 2012–13 में नाम मात्र रूप से बढ़कर 312 ही हुए ।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि एम्पोरियमों द्वारा सामग्री का क्रय सामान्य रूप में मध्यप्रदेश राज्य के बुनकरों एवं शिल्पीयों से किया जाता है । साथ ही यह निर्णय वाणिज्यिक आधार पर लिया जाता है, तथा विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही क्रय नहीं किया जाता है । साथ ही यह बताया गया कि बुनकरों तथ शिल्पियों में वृद्धि उपलब्धता तथा उत्पादों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है ।

एम्पोरियमों का उद्देश्य बुनकरो तथ शिल्पियों को प्रोत्साहन देना है किन्तु कम्पनी द्वारा मुख्य रूप से निर्माणकर्ता तथ आपूर्ति कर्ताओं से सामग्री क्रय की गयी न कि बुनकरों और शिल्पीयों से । अतः बुनकरो और शिल्पीयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य बहुत संकुचित रहा ।

एम्पोरियमों का नवीनीकरण

2.2.11.5 कम्पनी ने ग्राहको की बदलती मांगो तथा बदलती हुए क्रय आदतों को ध्यान में रखते हुए एम्पोरियमों के नवीनीकरण का निर्णय लिया ताकि उनका वातावरण ग्राहक हितैषी बने तथा बुनकर एवं शिल्पियों के विकास के उद्देश्य को प्रोत्साहन दिया जा सके । इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान छः[35] एम्पोरियमों का नवीनीकरण किया जिसमें ₹ 3.55 करोड़ का व्यय किया । जबकि नवीनीकरण के पश्चात् दो[36] एम्पोरियमों के विक्रय तथा लाभ में वृद्धि तथा जबलपुर एम्पोरियम में कमी हुई । अन्य ऐम्पोरियमों के नवीनीकरण कार्य वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्ण हुआ ।

कम्पनी नवीनीकरण हेतु कार्य को क्षेत्र के देखते हुए, समय निर्धारित कर ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादित करती है । कम्पनी हस्तशिल्प तथा हाथकरघा उत्पादों का व्यवसाय अपने एम्पोरियमों के माध्यम से करती है अतः नवीनीकरण कार्यो में किसी भी प्रकार का विलम्ब प्रत्यक्ष रूप से विक्रय तथा उस पर होने वाले लाभ पर प्रभाव डालता है ।

कम्पनी ने इन्दौर एम्पोरियम के नवीनीकरण विलम्ब से पूर्ण होने पर ₹ 15.50 लाख की पेनाल्टी कम लगायी ।

हमने पाया कि कम्पनी के छः एम्पोरियमों के नवीनीकरण हेतु अनुबंध निष्पादित किये किन्तु पाँच[37] अनुबंधो में पेनाल्टी संबंधित प्रावधान शामिल नहीं किये । इन्दौर एम्पोरियम के प्रकरण में, जिसका अनुबंध मैसर्स एन्टीक ईन्टीरियर, ग्वालियर से निष्पादित किया गया था, ₹ 10000 प्रतिदिन पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान रखा गया था । इन्दौर एम्पोरियम का नवीनीकरण ठेकेदार द्वारा साढ़े छः माह विलम्ब से संपादित किया गया था जिससे ₹ 19.70 लाख पेनाल्टी लगायी जानी थी । किन्तु कम्पनी ने ₹ 4.20 लाख की पेनाल्टी लगायी, इस कारण ₹ 15.50 लाख की पेनाल्टी कम लगायी गयी तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। साथ ही नवीनीकरण कार्य में विलम्ब के कारण इन्दौर एम्पोरियम को ₹57.00 लाख के प्रेषण विक्रय से वंचित होना पड़ा।

[35] एम्पोरियम – भोपाल, कोलकाता, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा रीवा

[36] भोपाल और कोलकाता

[37] एम्पोरियम भोपाल, कोलकाता, जबलपुर, ग्वालियर तथा रीवा ।

भोपाल तथा जबलपुर एम्पोरियमों के अनुबंधों में पेनाल्टी वाक्यांश का प्रावधान न करने के कारण कम्पनी अपने हितो को संरक्षित नहीं कर सकी, जिनका नवीनीकरण क्रमशः 10 और 12 माहों के विलम्ब से पूर्ण हुआ था ।

सरकार ने जवाब में तथ्यों को मान्य किया तथा बताया (अक्टूबर 2013) कि एम्पोरियमों के नवीनीकरण संबंधित निविदा शर्तों में परिवर्तन किया गया है तथा भविष्य में नवीनीकरण संबंधित कार्यो में पेनाल्टी वाक्यांश शामिल किया जायेगा । आगे यह भी बताया गया कि समिति ने 42 दिनों के विलम्ब को मान्य करते हुए इन्दौर एम्पोरियम के नवीनीकरण पर ₹4.20 लाख की पेनाल्टी लगायी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार ₹19.70 की पेनाल्टी लगायी जानी थी जिसके विरूद्ध ₹ 4.20 लाख ही लगायी गयी । साथ ही अनुबंध में कार्यादेश में समय वृद्धि बढ़ाने तथा निर्माण में विलम्ब को माफ करने या घटाने का वाक्यांश नही था । हम यह अनुशंसित करते है कि कम्पनी निष्पादित किये जाने वाले अनुबंधो में एकरूपता मान्य करे ताकि कम्पनी के वित्तीय हित सुरक्षित हो सके ।

कच्चा माल विभाग का निष्पादन

कच्चा माल भंडारो की लाभदायकता का मुख्य कारण आरक्षित तथा अनारिक्षत सामग्री के विपणन पर प्राप्त कमीशन शामिल करने के कारण था, जबकि भडांरो की मुख्य गतिविधि से लगातार हानि हो रही थी ।

2.2.12 कम्पनी की गतिविधियों में ऐसी लघु उद्योग ईकाईयों को जिन्हे कच्चे माल के रूप में लोहा तथा इस्पात की आवश्यकता होती है, कच्चा माल विभाग, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आवंटित लोहा एंव इस्पात का लघु उद्योग ईकाईयों को प्रदाय करता है । साथ ही, यह आरक्षित[38] तथ अनारक्षित[39] सामग्री, जो कि शासकीय विभागों को प्रदाय की जाती है का व्यवसाय भी करता है ।

कच्चा माल विभग द्वारा समीक्षा अवधि के दौरान किये गये व्यवसाय का विवरण ***परिशिष्ट –2.2.2*** में दिया गया है। कच्चा माल विभाग का व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹253.87 करोड़ था जो कि वर्ष 2012–13 में घटकर ₹ 192.74 हो गया । जिसका मुख्य कारण लोहा एवं इस्पात के विक्रय में कमी होना था, जिसका विवरण निम्न है :

तालिका 2.2.4

वर्ष	मुख्य उत्पादक द्वारा आवंटन मैट्रिक टन में	उठाई गई मात्रा मैट्रिक टन में	कम उठाई गयी मात्रा मैट्रिक टन में	कम उठाई गयी मात्रा का प्रतिशत
2008-09	25694	16158.420	9535.58	37.11
2009-10	25695	15223.645	10471.355	40.76
2010-11	25695	11040.906	14654.094	57.04
2011-12	25695	14496.512	11198.488	43.58
2012-13	25695	12329.384	13365.616	52.02
कुल	**128474**	**69248.867**	**59225.133**	

स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारियाँ

हमने पाया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान लोहा तथा इस्पात के कम उठाव का प्रतिशत 37.11 से 57.04 प्रतिशत के बीच रहा । हमने आगे यह पाया कि लघु उद्योग ईकाईया जो कि कम्पनी से लोहा प्राप्त कर रही थी कि संख्या वर्ष 2008–09 में 146 से घटकर वर्ष 2012–13 मे 102 ही रह गयी । कम्पनी के पास लोहा एवं इस्पात का उपयोग उत्पादन क्रियाओं में प्रयोग करने वाली ईकाईयों की जानकारी नहीं थी जिससे, डिपो के

[38] 149 उत्पादो में से 51 उत्पाद।

[39] सीमेन्ट आदि ।

निष्पादन में वृद्धि की जा सके तथा राज्य की लघु उद्योग ईकाईयों की सहायता में वृद्धि हो सके ।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में तथ्यों को स्वीकारा और कहा कि भारत शासन ने वर्ष 1992 में लौह एवं इस्पात को नियंत्रण मुक्त कर दिया एवं व्यवसाय में गिरावट निजी विक्रेताओं से प्रतियोगिता के कारण हुई। नियंत्रण मुक्त होने के बाद लौह एवं इस्पात व्यवसाय कम्पनी के विकास में योगदान नहीं दे रहा था, इस तथ्य के बाद भी कम्पनी ने अपने कच्चा माल भण्डार को जारी रखने की आवश्यकता पर पुर्नविचार नहीं किया ।

केवल भोपाल भण्डार, लघु उद्योग ईकाईयों को कच्चा माल विक्रय कर लाभ अर्जित कर रहा था । हमने पाया कि यद्यपि, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर स्थित कच्चा माल भण्डार लाभ दर्शा रहे थे, किन्तु यह लाभ लघु उद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन पर अर्जित कमीशन समायोजित करने के कारण था। इस प्रकार कच्चा माल भण्डार अपनी मूल गतिविधि लघु उद्योग ईकाईयों को कच्चे माल की बिक्री से हानि वहन कर रहे है।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में बताया कि कच्चा माल भण्डार के क्रियाशील परिणाम बेहतर हो रहे है । यद्यपि, उत्तर, भण्डारों द्वारा अपनी प्रमुख गतिविधि में हानि वहन करने के तथ्य पर मूक है । उत्तर, प्रथक विपणन विभाग के अस्तित्व में होने के उपरान्त भी कच्चा माल भण्डारों द्वारा गतिविधियों के निष्पादन के विषय पर भी मूक है ।

लघु उद्योग इकाईयों को दिये गए क्रयादेशों का निरस्तीकरणः–

2.2.12.1 कम्पनी, स्टेनलेस स्टील बर्तन जो कि भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत एक आरक्षित सामग्री है, के क्रय हेतु, लघु उद्योग इकाईयों के साथ वार्षिक दर अनुबंध निष्पादित करती है । बरतनों के क्रय हेतु मांग पत्र, मुख्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन द्वारा प्राप्त होते है । हमने पाया की कम्पनी ने स्टेनलेस स्टील बरतनों के क्रय हेतु मूल्य ₹ 47.10 करोड़ के प्रदायादेश जारी किये, जिसमें से मूल्य ₹ 19.87 करोड़ के प्रदायादेश, निम्न गुणवत्ता के बरतन प्रदाय करने के कारण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निरस्त कर दिए गए । कम्पनी ने निरस्तीकरण का मुद्दा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही नहीं उठाया, जबकि लघु उद्योग इकाई से त्रुटिपूर्ण सामग्री बदलवायी भी जा सकती थी ।

आगे भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत यह एक आरक्षित सामग्री है एवं विभाग उक्त सामग्री कम्पनी से ही क्रय करने के लिये बाध्य है। यद्यपि, कम्पनी ने निरस्त आदेशों की पूर्ति विभाग द्वारा बाजार से किये जाने के तथ्य पर ध्यान नहीं दिया । चूँकि, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रदाय आदेशों के अनुसार लघु उद्योग इकाईयों द्वारा सामग्री प्रदाय करने हेतु संसाधन जुटा लिये गये होगें और बिना क्षतिपूर्ति के आदेशों का निरस्तीकरण, लघु उद्योग इकाईयों के विकास पर नकारत्मक प्रभाव डालेगा ।

यद्यपि, हमने पाया कि, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कम्पनी के मध्य हुए अनुबंध में आदेश के निरस्तिकरण पर अर्थ दण्ड अधिरोपण का प्रावधान नहीं है।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में बताया कि, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वविवेक से ओदश निरस्त किये और कम्पनी के पास, सिवाय लघु उद्योग इकाईयों को दिये गये प्रदायादेश निरस्त करने के कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह गया था। आगे यह भी कहा गया कि लघु उद्योग इकाईयों को क्षतिपूर्ति का विषय संबंधित विभाग के साथ उठाया जाएगा ।

बिजनेस डेवलपमेन्ट सेल का निष्पादनः–

2.2.13 कोयला प्रदाय नीति के तहत, म.प्र. शासन द्वारा कम्पनी को लघु एंव मध्यम इकाईयों को कोयला आपूर्ति हेतु नामित किया गया है । कम्पनी का बिज़नेस डेवलपमेन्ट सेल, लघु इकाईयों को कोयला क्रय करने में सहायता करता है । राज्य की लघु उद्योग इकाईयों को आवंटित करने हेतु कोयला क्रय करने के लिये कम्पनी साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड/वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ कोयले की मूल कीमत पर पाँच प्रतिशत कमीशन अर्जित करती है । कोयला कम्पनियों द्वारा आवंटित एवं लघु इकाईयों को वितरित कोयले को स्थिति तालिका 2.2.5 में दर्शाया गया है ।

तलिका 2.2.5

वर्ष	कायेला कम्पनियों द्वारा आवंटित कोटा (में.ट.में)	उपयोग/उठाई गई मात्रा (में.ट.में)	कमी (में.ट.में)	उपयोग का अनुपात आवंटन के विरूद्ध
2008-09	349999	268199	81800	76.63
2009-10	565000	459342	105658	81.30
2010-11	616000	531382	84618	86.26
2011-12	667000	483240	183760	72.45
2012-13	667000	538530	128470	80.74

स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऑकड़े

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में आवंटन के विरूद्ध कोयले का उठाव 72.45 से 86.26 प्रतिशत के बीच रहा ।

उपर्युक्त तालिका में विदित है कि आवंटन के विरूद्ध कोयले का उपयोग/उठाव 72.45 से 86.26 प्रतिशत रहा। कम्पनी ने राज्य में स्थित 19471 इकाईया[40] में से मात्र 455 कोयला चलित इकाईयों कि सहायता की जो कि कोयला चलित इकाईयों का मात्र 2.33 प्रतिशत है। अल्प उठाव मुख्यतः निम्न श्रेणी कोयले की उपलब्धता के कारण रहा ।

आगे, हमने यह पाया, कोयला आंवटन प्रक्रिया के अनुसार, इकाईयों को प्रत्येक त्रैमास में आवंटित कोयले के उपयोग का सत्यापन महाप्रबधंक, जिला व्यपार एवं उद्योग केन्द्र एवं कम्पनी द्वारा आगामी त्रैमास के कोयला आवंटन पूर्व किया जाना है । यद्यपि, कम्पनी के पास सत्यापन की व्यवस्था नहीं है, वरन् कम्पनी इकाई द्वारा दिए गए प्रमाण प्रत्र जो कि महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, पर निर्भर है ।

शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में तथ्य को स्वीकारा एवं मुख्य महाप्रबंधक, बिजनेस डेवलपमेन्ट सेल ने बताया कि निम्न श्रेणी कोयले के कारण उठाव कम रहा एवं आश्वस्त किया कि कोयला कम्पनियों के साथ यह मुद्दा उठाया जाएगा ।

कम्पनी को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे लघु उद्योग इकाईयों को कोयले की उपलब्धता सम्भव हो सके जिससे सम्पूर्ण आवंटित कोयला उपयोग किया जा सके, साथ ही यह लघु उद्योग इकाईयों के विकास में सहायक होगा ।

तकनीकी विभाग का निष्पादन

2.2.14 तकनीकी विभाग के दायित्वों में प्रदाय की जाने वाले सामग्री की विशिष्टताएँ निर्धारित करना, एवं प्रदाय पूर्व निरीक्षण करना, निर्माण कार्यो की निविदाओं में प्राप्त दरों की उपयुक्तता के लिय प्राक्कलन तैयार करना, एवं लघु/मध्यम उद्योग इकाईयों की

[40] लघु उद्योग इकाई गणना 2006–07, भारत सरकार के अनुसार

सम्भाविक्ता प्रतिवेदन तैयार निर्धारण करना, जिसके लिए निर्धारित दरों पर फीस वसूली जाती है, आदि सम्मिलित है ।

शासकीय शासन एवं अशासकीय संस्थाओं के नमूनों की जॉच के लिए तकनीकी विभाग के अंतर्गत दो प्रयोगशाला, इन्दौर तथा जबलपुर में स्थित है । शासकीय एवं निजी इकाईयों से प्राप्त नमूनों की जानकारी तालिका 2.2.6 में दर्शायी गई है ।

तालिका 2.2.6

वर्ष		प्राप्त एवं जांचे गए नमूनों की संख्या				
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
प्रयोगशाला इन्दौर	शासकीय इकाईयो से	1274	2323	1676	1397	2148
	निजी इकाईयों से	1228	1104	1653	1274	1580
	योग	2502	3427	3329	2671	3728
प्रयोगशाला जबलपुर	शासकीय इकाईयों से	2287	1855	1638	1814	1800
	निजी इकाईयों से	292	549	791	705	461
	योग	2579	2404	2429	2519	2261

स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऑकड़े

हमने पाया किः–

- लघु/मध्यम इकाईयों के नमूनों को जॉचने के उद्देश्य से स्थापित सुविधा का उपयोग मूलतः शासकीय विभागों से प्राप्त नमूनों की जॉच करने के लिये किया जा रहा है।

- स्थापना व्यय में निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद जॉच शुल्क दरें वर्ष 2008–09 से 2012–13 के मध्य मात्र एक बार वर्ष 2010–11 में पुनंरीक्षित की गई ।

- प्रयोगशाला में ऐसे नमूनों का लेखा संधारित नहीं किया जाता जिनकी जॉच सुविधाओं की कमी के चलते नहीं की जा सकी ।

शासन ने (अक्टूबर 2013) तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया कि जॉच दरें 2010–11 में पुनंरीक्षित की गई थी तथा विभिन्न मदों के खर्चों में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में पुनरीक्षित की जायेगी । आगे, ऐसे नमूनों जिनकी जॉच सुविधाओं के अभाव में नहीं की जा सकी, का लेखा संधारित करने पर सहमति प्रदान की गई ।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.2.15 अंकेक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2011–12 के लिये कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट 2.2.5*** एवं ***2.2.6*** मे दर्शायी गई है ।

हमने पाया किः–

- कम्पनी का टर्नओवर वर्ष 2008–09 में ₹ 151.92 करोड़ था जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर ₹ 223.05 करोड़ (46.82 प्रतिशत) हो गया, जबकि कम्पनी का शुद्ध लाभ वर्ष 2008–09 के ₹ 13.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 13.76 करोड़ रहा

(4.4 प्रतिशत) प्रशासनिक पर्यवेक्षण शुल्क पर वर्ष 2010–11 से सेवा कर लगाये जाने के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि का प्रतिशत कम रहा ।

- लाभ में कम्पनी के पास उपलब्ध जमा, जो कि वर्ष 2008–09 के ₹ 8.24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 15.59 करोड़ रही, पर अर्जित आय भी सम्मिलित है अतः यदि उक्त आय को लाभ से प्रथक कर के देखा जावे तो वर्ष 2008–09 में ₹ 12.13 करोड़ लाभ शेष रहेगा जो कि वर्ष 2011–12 में घटकर ₹ 8.37 करोड़ मात्र रह जावेगा ।
- कुल पूंजी पर प्रतिफल की दर वर्ष 2008–09 की 28.56 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 18.01 प्रतिशत रही, जो कि कम्पनी की घटती कार्यक्षमता को दर्शाता है।

देनदारों से वसूली की निगरानी में असफलता

कम्पनी के पास देनदारों का वर्षवार एवं देनदार वार ब्यौरा, एवं उनका सामायिक समाशोधन करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

2.2.16 कम्पनी के पास देनदारों का वर्षवार एवं देनदार वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । कम्पनी के देनदारों की स्थिति वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरन ₹ 5.72 करोड़, ₹ 7.28 करोड़, ₹ 7.31 करोड़, एवं ₹ 9.44 करोड़, क्रमशः रही । मार्च 2012 में नई दिल्ली एम्पोरियम के देनदार ₹ 3.06 करोड़ थे, जो कि समस्त एम्पोरियम देनदारों, ₹ 6.25 करोड़ का 48.96 प्रतिशत है ।

कम्पनी के पास देनदारों से उनकी देनदारी की पुष्टि करवाने की व्यवस्था, जिससे यथोचित समायोजन किया जा सके, नहीं है जिसके फलस्वरूप, ऐसे देनदार जिनसे कम्पनी को ₹ 11.42 करोड़ वसूलने हैं एवं ऐसे लेनदार जिन्हे ₹ 12.94 करोड़ चुकाने हैं के नाम कम्पनी को ज्ञात नहीं है। शासन ने (अक्टूबर 2013) में तथ्यों को स्वीकारा तथा मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखें) ने बताया की समाशोधन का कार्य प्रगति पर है।

कोष प्रबंधन

कम्पनी ने आधिक्य कोष के निवेश हेतु किसी भी दीर्घावधि निवेश नीति की संरचना नहीं की, न ही, निर्माणाधीन कार्यों हेतु कोष की आवश्यकता का ऑकलन किया, जिससे अधिकतम लाभ देने वाले विवेकशील निवेश नीति की संरचना की जा सके ।

2.2.17 कम्पनी, आन्तरिक रूप से जनित राशि तथा विभिन्न शासकीय विभागों से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त राशियों की अव्यतीत राशि का निवेश सावधि जमाओं में करती रही है । सावधि जमाओं में कम्पनी का निवेश मार्च 2009 में ₹ 116.27 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 209.18 करोड़ रहा एवं वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में कम्पनी ने ₹ 46.35 करोड़ का ब्याज अर्जित किया । कम्पनी ने आधिक्य कोष के निवेश हेतु किसी भी दीर्घावधि निवेश नीति की संरचना नहीं की, ना ही निर्माणाधीन कार्यों हेतु कोष की आवश्यकता का ऑकलन किया, जिसके द्वारा अधिकतम लाभ देने वाले विवेकशील निवेश नीति की संरचना की जा सके ।

शासन ने (अक्टूबर 2013) अपने उत्तर में आधिक्य कोष के निवेश हेतु दीर्घावधि निवेश नीति की संरचना का आश्वासन दिया ।

लघु उद्योग इकाईयों से वसूले गए अर्थ दण्ड का अंतरण न किया जाना

2.2.18 कम्पनी एवं लघु उद्योग इकाईयों के मध्य हुए अनुबंध के वाक्यांश क्रमांक 23(1) के अनुसार यदि सामग्री का प्रदाय विलम्ब से या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं पाया गया तो लघु उद्योग इकाईयों में दो प्रतिशत अर्थदण्ड प्रतिमाह,(जो दस प्रतिशत से ज्यादा न हो) अधिरोपित एवं वसूला जाएगा । कम्पनी के दस्तावेज़ों से हमने पाया की शासकीय विभागों को प्रदत्त सामग्रियों के विरूद्ध, ₹ 1.68 करोड़ का अर्थदण्ड (31 मार्च 2012 की स्थिति में) वसूला गया, जिसमें वर्ष 2008–09 विषयक ₹ 1.45 करोड़ सम्मिलित है ।

हमने, आगे यह पाया कि बिना राज्य शासन की अनुमति अथवा स्वीकृति के उक्त राशि कम्पनी ने रोक कर रखी तथा उसे राजकोष के प्रति दायित्व के रूप में दर्शाया (मार्च 2012 में) इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अनाधिकृत रूप से रोकी गई एवं क्रियाशील पूंजी के रूप में प्रयोग की गई ।

एक्जिट कॉन्फ्रेन्स में (नवम्बर 2013) अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कम्पनी को संबंधित विभाग के साथ विषय स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया ।

अधिक कमीशन की वसूली

कम्पनी के एम्पोरिम विभाग ने मृगनयनी विपणन सेवा के अंतर्गत अनारक्षित सामग्रियों पर पाँच प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क/कमिशन वसूला। परिणामस्वरूप, शासकीय विभागों से ₹ 3.45 करोड़ का अधिक कमिशन वसूला गया ।

2.2.19 कम्पनी ने शासकीय विभागों को, अपने ऐम्पोरियमों के माध्यम से विभिन्न सामग्रियाँ[41] प्रदाय करने के लिये मार्च 2001 में मृगनयनी विपणन सेवा शुरू की तथा इसे लागू करने के लिये दिशा निर्देश भी जारी[42] किये । योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय विभागों कि लघु आवश्यकताओं की पूर्ति क्षेत्रीय स्तर पर करना था । शुरू में, योजना के तहत विपणन एवं प्रदाय करने हेतु 17 (सतरह) सामग्रियाँ चयनित की गई । वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के दौरान भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा स्थित पाँच ऐम्पोरियमों ने ₹ 122.37 करोड़ का व्यवसाय किया एवं ₹ 5.90 करोड़ सर्विस कमीशन अर्जित किया ।

भण्डार क्रय नियम के नियम 16 के अनुसार, कम्पनी द्वारा वसूले जाने वाला सर्विस कमीशन दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । मृगनयनी विपणन सेवा के अतंर्गत कम्पनी के एम्पोरियम विभाग ने आरक्षित[43] सामग्रियों पर दो प्रतिशत तथा अनाराक्षित सामग्रियों पर पाँच प्रतिशत की दर से सर्विस कमीशन वसूला । परिणाम स्वरूप शासकीय विभागों से ₹ 3.45 करोड़ का अधिक कमीशन वसूला गया। इस प्रकार, तीन प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन की वसूली नियम 16 का उंलघन है।

शासन ने (अक्टूबर 2013) अपने उत्तर में बताया कि पाँच प्रतिशत कमीशन लेने का निर्णय संचालक मण्डल द्वारा लिया गया था, एवं मृगनयनी विपणन सेवा के अंतर्गत निविदाएँ ई-टेन्डरिंग तंत्र के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है । यद्यपि, प्रबंध निदेशक ने (नवम्बर 2013) कमीशन की दरों का पुनरीक्षण करने एवं सुधारात्मक कदम उठाने की सहमति दी ।

यह सत्य है कि पाँच प्रतिशत सर्विस कमीशन संचालक मण्डल द्वारा पारित किया गया था। किन्तु, भण्डार क्रय नियम के नियम–16 के प्रासंगिक प्रावधान का उल्लेख एजेन्डा आयटम में नहीं किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.20 मानव शक्ति प्रबंधन, कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति में एक मुख्य घटक है। सन् 1986 में कम्पनी की कर्मचारी संख्या 535 स्वीकृत की गयी थी जो कि मार्च 2013 तक भी पुनःआंकलित नहीं की गई । क्रियाशील मानव शक्ति की स्थिति तालिका 2.2.7 में दर्शायी गई है ।

[41] सभी टेक्सटाइल सामग्री, यूनिफार्म वाद्य यंत्र, स्टेशनरी, डोर मॅट्स आदि ।

[42] मार्च 2001 एवं अप्रैल 2007 तथा दिसम्बर 2009 में पुनरीक्षित ।

[43] भण्डार क्रय नियम के नियम 14 में उल्लेखित सामग्रीयाँ, (समय–समय पर संशोधित), मात्र आरक्षित सामग्री है । अन्य प्रदायित सामग्रियाँ अनारक्षित मानी जाती है ।

तलिका 2.2.7

क्र.	संवर्ग	*स्वीकृत संख्या*	नियमित कर्मचारी संख्या	प्रतिनियुक्ति	सेवानिवृति पश्चात् अनुबंध पर	कुल
1	मु.म.प्र.,उप मु.म. प्र. महा प्रबंधक	**45**	36	01	01	38
2	प्रबंधक	**85**	36	01	..	37
3	सहा.प्रबंधक लेखाकार, आदि	**296**	194	03	05	202
4	अन्य	**109**	80	.	.	80
	कुल	**535**	346	5	6	**357**

स्त्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

चूँकि कम्पनी का व्यवसाय घट रहा है, जैसा कंडिका क्र. 2.2.7 में चर्चा की गई है, कम्पनी को अपनी मानव शक्ति आवश्यकताओं एवं सन् 1986 उपरांत औद्योगिक वातावरण में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए राज्य की लघु उद्योग इकाईयों के विकास के लिए गतिविधियों का प्राथमिकता के आधार पर पुनरीक्षण करना चाहिए था ।

शासन ने (अक्टूबर 2013) अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकारा और बताया कि कम्पनी अपनी मानव शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति बाह्य स्त्रोतों से करनें के लिए प्रयासरत है। यद्यपि, उत्तर घटते व्यवसाय को देखते हुए मानवशक्ति आवश्यकताओं के पुनरीक्षण पर मूक है ।

निगरानी, आतंरिक नियंत्रण एवं आंतरिक अंकेक्षण

प्रबंधन द्वारा निगरानी में कमी

2.2.21 इकाईयाँ सामयिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर कम्पनी मुख्यालय को भेजती है । यद्यपि, हमने देखा कि कम्पनी की निगरानी व्यवस्था में निम्न कमियाँ विद्यमान है, जिनका कम्पनी के लघु इकाईयों के विकास एवं उत्थान में सहायता के उद्देश्य पर असर पड़ता है:–

- शासकीय विभागों द्वारा सीधे बाज़ार से क्रय की गई ऐसी सामग्रियाँ जो भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के माध्यम से क्रय करने हेतु आरक्षित है, की मात्रा आंकलित करने की कोई व्यवस्था नहीं है । परिणामस्वरूप, कम्पनी, शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा कम्पनी हेतु आरक्षित व्यवसाय को अन्य स्त्रोतों को सौंपने से रोकने का मुद्दा शासन के साथ नहीं उठा सकी ।
- कई आरक्षित सामग्रियों के अप्रचिलित हो जाने के बाद भी गत् 20 वर्षों से कम्पनी द्वारा भण्डार क्रय नियमों को पुनरीक्षित नहीं करवाया गया । कम्पनी द्वारा प्रदत्त कुछ नवीन सामग्रियाँ अनारक्षित है, यदि यह सामग्रियाँ भण्डार क्रय नियम में पुनरीक्षण कर आरक्षित करवा ली जाती है तो यह लघु उद्योग इकाईयों के लिए लाभकारी होगा ।

सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करना

2.2.22 व्यापार के विभिन्न संकायों में वर्ष 2011–12 में ₹ 223.05 करोड़ के टर्नओवर के बाद भी कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करने के लिए स्वतंत्र सूचना प्रौद्योगिकी शाखा नहीं है । साथ ही, कम्पनी की राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित 25

इकाईयाँ एक केन्द्रीय सर्वर से नहीं जोडी गई है एवं कम्पनी को जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न विभागों में स्थापित विभिन्न सॉफ्टवेयर पर आश्रित रहना पड़ता है । कम्पनी का विपणन विभाग ई–पोर्टल के माध्यम से निविदाएँ प्रकाशित एवं प्रदायगी[44] की निगरानी करता है। यद्यपि, तंत्र में प्रत्येक इकाई को प्रदत्त प्रदायादेशों का मूल्य ई–पोर्टल पर प्रदर्शित नही किया जाता, जो कि पारदर्शिता हेतु आवश्यक है, जैसा कि मध्यप्रदेश शासन की औद्योगिक नीति की आवश्यकता है । अतः कम्पनी की कार्यशैली के अनुसार तंत्र के उन्नतिकरण की आवश्यकता है जो कि समस्त कार्यों के अनुरूप होकर समय एवं लागत बचाएं तथा सभी अधिकारियों/संबंधितों को सुलभ रहे ।

आंतरिक नियंत्रण

2.2.23 आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है । एक कुशल एवं कारगर तंत्र, प्रबंधन को निर्धारित लक्ष्यों, प्रक्रियाओं तथा वैयक्तिक वित्तीय अनुशासन प्राप्त करने में सहायक होता है ।

हमने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में निम्न कमियाँ पायीः–

- अति प्राचीन देनदारों से वसूली एवं समायोजन पर कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं था। ***(कंडिका क्रमांक 2.2.16)***
- कम्पनी के एम्पोरियमों में जमा अचलित, क्षतिग्रस्त एवं आधिक्य माल के निपटान/निश्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी । ***(कंडिका क्रमांक 2.2.11.2)***
- कम्पनी के पास समय–समय पर लघु उद्योग इकाईयों की स्थिति का सत्यापन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के परिपेक्ष्य में अंकेक्षित बैलेन्स शीट द्वारा करने की व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप, कम्पनी यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि लघु इकाईयों के लिय निर्धारित लाभ मध्यम इकाईयों में परिवर्तित इकाईयों द्वारा न उठाये जाएँ। ***(कंडिका क्रमांक 2.2.9.2)***
- कोयला आवंटन प्रक्रिया के अनुसार, इकाईयों को आगामी त्रैमासिक के कोयला आवंटन के पूर्व वर्तमान त्रैमासिक के आंवटित कोयले के उपयोग का सत्यापन महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एंव कम्पनी द्वारा किया जाना होता है । यद्यपि, कम्पनी के पास सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है, एवं वह इकाईयों द्वारा प्रदत्त एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर आश्रित है । कम्पनी यह भी नहीं जॉचती कि प्रतिहस्ताक्षर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सत्यापन पश्चात् किये गए है । ***(कंडिका क्रमांक 2.2.13)***
- विपणन, ऐम्पोरियम, कच्चा माल भण्डार एवं संपदा तथा निर्माण विभाग द्वारा निविदाएँ आमत्रण पूर्व निगम स्तर से पूर्व अंकेक्षित नहीं की गई, न ही वित्त विभाग, मुख्यालय द्वारा उक्त निविदाओं को स्वीकृति पूर्व संज्ञान लिया गया। राजस्व हानि, लागत में बढ़ोतरी एवं वैधानिक प्रावधानों के उलंघन रोकने हेतु तंत्र की स्थापना वांछित है ।
- इकाईवार वास्तविक खर्चों एवं बजट में असमानता के विश्लेषण हेतु ढ़ाँचागत व्यवस्था के अभाव में कम्पनी अपर्याप्ता, वित्त प्रबंधन हेतु कारगर कदम उठाने में असमर्थ है ।
- ऐम्पोरियम व्यवसाय एवं लेखा/लेखापरीक्षा के संदर्भ में कोई मैनूअल उपलब्ध नहीं है।

[44] निविदावार, प्रदायकर्तावार, मूल्यवार, सामग्रीवार

आतंरिक अंकेक्षण

2.2.24 विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों की देखरेख हेतु एक ऐसा आंतरिक अंकेक्षण तंत्र जो कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप हो, अति महत्वपूर्ण है । यह देखा गया कि कम्पनी में पृथक आंतरिक अंकेक्षण विभाग है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण) एवं प्रबंधक है, यह विभाग भण्डार का भौतिक सत्यापन करता है । कम्पनी रोकड़ बही, बैंक बुक, बैंक सामशोधन विवरण, कर्मचारियों को अग्रिम आदि के अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाएँ भी लेती है । इस प्रकार, कम्पनी में आंतरिक अंकेक्षण, भण्डार के भौतिक सत्यापन एवं लेखों की प्रारम्भिक जाँच तक ही सीमित है एवं यह अनुबंधों, निविदाओं, आदि प्रमुख क्षेत्रों का अंकेक्षण नहीं करता ।

कम्पनी ने किसी भी लेखा/अंकेक्षण मैनूअल की संरचना नहीं की तथा आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन को निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः आंतरिक अंकेक्षण तंत्र अपर्याप्त है एवं कारगर नहीं है।

शासन ने (अक्टूबर 2013) अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी के चलते आंतरिक अंकेक्षण विभाग को क्रियान्वित नहीं रखा जा सका एवं यह कार्य चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मो को सौंप दिया गया । वर्ष 2011–12 के अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में वैधानिक अंकेक्षण ने भी आंतरिक अंकेक्षण को सशक्त किए जाने हेतु लेख किया था ।

उत्तर स्वीकार नही है, चूँकी आंतरिक अंकेक्षण को सौंपा गया कार्य लेन–देन की प्रारंभिक जॉच तक ही सीमित है अनुबंधों/निविदाओं को अनअंकेक्षित छोड़ देता है ।

निष्कर्ष

कम्पनी ने राज्य की लघु उद्योग इकाईयों के विकास के लिए कोई भी प्रोत्साहन एवं वित्तीय योजना नहीं बनाई और न ही मेलों एवं रिवर्स क्रेता विक्रेता सम्मेलन के प्रभाव का आंकलन किया । कम्पनी वर्ष 2012–13 तक हुए समझौता ज्ञापनों में लक्ष्यित व्यवसाय को प्राप्त नहीं कर सकी । विपणन सहायता लेने वाली लघु उद्योग इकाईयों का प्रतिशत नगण्य था ।

विपणन विभाग का व्यवसाय, आरक्षित सामग्रियों के घटते व्यवसाय, एवं मॉग पत्र प्रबंधन पर मध्यप्रदेश शासन के आदेशों की अनदेखी के कारण हुआ । कम्पनी ने मूल्य प्राथमिकता देने हेतु लघु उद्योग इकाईयों की पात्रता सत्यापित करने हेतु उचित व्यवस्था निर्धारित नहीं की।

जमा निर्माण कार्यों को निविदाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशन से बचने के लिए उन्हें खंण्डित किया गया एवं कम्पनी निविदा प्रक्रिया तथा कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने हेतु ई–टेन्डर व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकी। सम्पदा एवं निर्माण विभाग द्वारा रॉयल्टी की कटौती एवं शासन को जमा करने तथा अनुबंध में ब्याज का प्रावधान सम्मिलित करने में भेदात्मक पद्धत्ति अपनायी गई । ऐम्पोरियमों की लाभदायकता प्रमुखतः खुदरा विक्रय के फलस्वरूप नहीं थी । अचलित भण्डार एवं अनुमोदनार्थ भेजे गए माल के निपटान हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है । कम्पनी ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एम्पोरियम के नवीनीकरण में विलम्ब होने पर भी अर्थ दण्ड अधिरोपित नहीं किया ।

कम्पनी, लौह उत्पादकों द्वारा आवंटित लौह एवं इस्पात की सम्पूर्ण मात्रा नहीं उठा सकी । इसी प्रकार, कम्पनी, आवंटित कोयले की भी सम्पूर्ण मात्रा नहीं उठा सकी और लघु उद्योग

इकाईयों को वांछित सहयोग नहीं प्रदान कर सकी । प्रयोगशालाओं के संदर्भ में जॉच शुल्क वर्ष 2011–12 से पुनरीक्षित नहीं किए गए ।

कम्पनी का लाभ मूलतः सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज आय के कारण है, जबकि इसका क्रियात्मक लाभ घटते क्रम में है । प्राप्तियों का प्रबंधन निम्न स्तर का है एवं इसमें सामयिक समाशोधन का अभाव है । कम्पनी ने अपनी मानव शक्ति आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया ।

कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करने के लिए एक स्वतंत्र सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग नहीं है एवं आंतरिक अंकेक्षण विभाग की कार्यशैली अकुशल एवं अप्रभावी थी ।

अनुशंसाएँ

कम्पनी को निम्न प्रयास करने चाहिएः–

- वित्तीय सहायता के द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के विकास की योजना बनाना एवं लागू करना ।
- विपणन गतिविधियों के अंतर्गत लघु उद्योग इकाईयों की संख्या बढ़ाना ।
- विभागों द्वारा सीधी खरीदी पता करने हेतु व्यवस्था विकसित करना एवं शासन के साथ भण्डार क्रय नियमों के पुनरीक्षण का मुद्दा उठाना ।
- उपलब्ध राशि का पूर्ण उपयोग करते हुए जमा कार्यों का मितव्ययीता एवं पारदर्शी रूप से निष्पादन, निर्माण कार्यों के खण्डन रोकना एवं अधिकारियों के अधिकारों का उचित भारआर्पण करते हुए जमाकर्ता विभाग/सस्था के हितों के रक्षार्थ अनुबंध के नियम एवं शर्तों का निर्माण।
- हानियों का विश्लेषण करते हुए ऐम्पोरियमों के व्यवसाय में बढ़ोतरी करना, भण्डार/माल जमा करने एवं देनदारियों की वसूली/समायोजन करने हेतु मानक निर्धारित करना ।
- लघु उद्योग इकाईयों के सहायतार्थ आवंटित लौह एवं इस्पात तथा कोयले की समुच्च मात्रा को उठाना एवं वितरित करना । तथा
- स्वस्थ आंतरिक नियंत्रण, प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण एवं सूचना प्रोद्यौगिकी तंत्र की स्थापनार्थ एक स्वंतत्र सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग की स्थापना ।

2.3 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड राज्य में स्थित तीन ताप संयंत्र (कुल क्षमता 3687 एम.डब्ल्यू.) एवं सात पनबिजली संयंत्र, इसके 21 स्टोरो के माध्यम से कच्चा माल/निविष्टियां जैसे कोयला, तेल एवं महत्वपूर्ण सामग्री/पुर्जे उपलब्ध करा रहा है। अतः स्टोरों की समय पर जरूरत पूरी करने एवं सबसे कुशल किफायती एवं शीघ्रतिशीघ्र इस प्रकार की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर, पूँजी की न्यूनतम अवरूद्धता के साथ सामग्री का कुशल प्रबंधन आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चत करना है।

कम्पनी में सामग्री प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करने हेतु, वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लेन–देन को शामिल करते हुए तीन ताप संयंत्रो से संबद्ध सभी स्टोरों के सम्बन्ध में अप्रैल से जुलाई 2013 तक इस विषय पर एक समीक्षा आयोजित की गई। समीक्षा की प्रमुख खोजों, निष्कर्षो एवं सिफारिशों को नीचे सारांश रूप में दिया गया है।

योजना और सामग्री की खरीद के लिए समय निर्धारण

किसी भी मापदंड के अभाव में, दिनों के संदर्भ में प्रकाशन एवं निविदाएं प्रदान करने हेतु मांगपत्र की प्राप्ति की तारीख से कम्पनी ने उपयोगकर्ता विभाग से 38 दिनों से लेकर 246 दिनों तक का समय सूचना प्रकाशित करने एवं निविदा आमंत्रित करने में लिया एवं 238 दिनों से 510 दिन का समय खरीदी आदेश देने में लिया गया इस प्रकार वार्षिक योजना आवश्यकता प्रभावित हुई।

सामग्रीयों की प्राप्ति

43 मामलों में जहाँ क्रय आदेश के मूल्य ₹ पाँच लाख पार कर गए, वहाँ समाचार पत्रों में आवश्यकता प्रकाशित नहीं की गई, जो कि स्थापित प्रक्रियाओं के अंतर्गत जरूरी है। इसके अतिरिक्त कम्पनी के पास प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने का अवसर पहले ही नहीं था, फिर भी सफल निविदा के आधार पर 66 क्रय आदेश जारी करने के कारण संभावित आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए एक द्वितीयक स्त्रोत विकसित करने में भी वह विफल रही।

वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना ₹ 9.75 करोड़ की कीमत की सामग्री/पुर्जे खरीदे गए जिसके परिणामस्वरूप वे विभिन्न स्टोरों पर अतिरिक्त एवं बेकार पड़े पाए गए जिससे कंपनी की धन राशि अवरूद्ध हुई।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमत सीमा से अधिक कोयला घाटे को अपलिखित किया गया राशि जो वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः ₹50.14 करोड़, ₹35.19 करोड़ एवं ₹40.50 करोड़ रही।

द्वितीय तेल की 60 दिन से भी अधिक रखाव के कारण, इसके अतिरिक्त रख–रखाव पर 2010–2013 में ₹1.40 करोड़ से ₹2.76 करोड़ की लागत आई।

₹ 102.84 करोड़ के मूल्य के 164 क्रय आदेशों में कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 6.64 करोड की 10 प्रतिशत सुरक्षानिधि इकट्ठा करने के लिए निविदा शर्त माफ कर दी। 52 खरीदी आदेशों के सम्बन्ध में दो से तीन साल व्यतीत होने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई।

निरीक्षण, प्राप्ति और सामग्री के जारी करने में अनियमितताएँ

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान प्रक्रिया हेतु स्टोरो पर सामग्री प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (एम.आर.सी.) जारी करने के कंपनी के स्पष्ट निर्देशों के विरूद्व खरीदी आदेशों से 325 आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रबंधन ने एम.आर.सी. जारी करने से क्रमशः 209 दिन (सारणी), 918 दिन (बिरसिंहपुर) और 101 दिन (चचाई) की देरी की।

परिचय

2.3.1 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड मध्यप्रदेश सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है और विद्युत उत्पादन में संलग्न है। यह पूर्व मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एमपीएसईबी) की उत्तराधिकारी इकाई है। यह कंपनी 1 जून 2005 (से प्रभावी) को अस्तित्व में आई। कंपनी का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित है।

इस कंपनी के दैनिक परिचालन प्रबंध निदेशक जो कि कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है के द्वारा संचालित किए जाते है। उसे कार्यकारी निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण इंजीनियर एवं कार्यकारी इंजीनियर सहयोग करते है।

राज्य में स्थित इसके तीन ताप संयंत्रो और सात पनबिजली संयंत्रो (कुल क्षमता 3687 एम डब्ल्यू) को चलाने एवं इनके रख–रखाव हेतु कंपनी 21 स्टोर (तापीय–11) एवं (पनबिजली–10) चला रही है जो कोयला, तेल एवं अन्य महत्वपूर्ण सामान/पुर्जे उपलब्ध कराते है। इसके अलावा कोयला एव तेल के भंडारण के लिए खुली भूमि, स्टॉकयार्ड एवं टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जहाँ एक ओर कच्चे माल जैसे कोयला और तेल की उपलब्धता अबाधित संचालन के लिए स्टोर एवं पुर्जे एवं बिजली उत्पादन स्टेशनों के रख–रखाव को सुनिश्चित करना आवश्यक है वही दूसरी ओर अतिरिक्त स्टॉक को रखने से ब्याज, भंडारण, रखने–ले जाने का खर्चा, बीमा, रिकार्ड रखना, निरीक्षण एवं गुणवत्ता में गिरावट के जोखिम आदि से अतिरिक्त लागत आती है जो संगठन की लाभ प्रदता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसलिए, स्टॉक प्रबंधन आवश्यक वस्तुओं का सबसे कुशल, किफायती और पूंजी के न्यूनतम अवरूद्वता के साथ इन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य थे कि इस बात की जाँच करना कि क्या :

- योजना और सामग्री की खरीद के लिए समय निर्धारण की प्रणाली अस्तित्व में और पर्याप्त थी एवं खरीद के लिए आवश्यक धन प्रदान किया गया।
- निरीक्षण, प्राप्ति एवं सामग्री का जारी करना निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार था।

- अप्रचलित, धीमे एवं अचलित सामग्री की पहचान एवं उनका समय पर निपटान की व्यवस्था पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा के मापदंड

2.3.3 लेखापरीक्षा मापदंड, लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित स्त्रोत से लिए गए

- मध्यप्रदेश शासन व विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के आदेशों एवं दिशा निर्देशो, एमपीएसईबी का क्रय एवं स्टोर पुस्तिका/कम्पनी की प्रक्रियाओं, निविदा/आपूर्ति के नियम एवं शर्ते इत्यादि ।
- कच्चे माल एवं पुर्जो का स्टॉक रखने एवं धीमी गति, अचलित एवं अप्रचलित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंड।
- मीटिंग के एजेंडा एवं कार्यवृत्त।
- खरीद के लिए विभिन्न स्तर पर वित्तीय शाखा का प्रत्यायोजन।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं पद्धति

2.3.4 हमने तीन ताप संयंत्रो के 11 भण्डारो[1] के तीन वर्षो 2010–11 से 2012–13 में खरीद कोयला, तेल का भंडारण एवं स्टोरो/पुर्जो से सम्बन्धित रिकार्ड और प्रणालियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
अप्रैल 2013 में आयोजित हुए एक प्रदेश सम्मेलन में प्रबंधन को लेखापरीक्षा की व्यापकता एवं कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया। लेखापरीक्षा अप्रैल–जुलाई 2013 में आयोजित की गई। 21 अक्टूबर 2013 को लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार और प्रबंधन के साथ आयोजित एक निकास सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/प्रबंधन के विचारो और उत्तरो को उचित ढंग से समीक्षा में शामिल किया गया है।

अभिस्वीकृति

2.3.5 हम समीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, रिकार्ड एवं स्पष्टीकरण प्रदान करने में सरकार और कम्पनी द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकारते है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

अंतिम सामग्री/पुर्जो का विश्लेषण

2.3.6 एम.पी.ई.आर.सी. के मानक नियमों के संदर्भ में मानक संचालन एवं स्टॉक में रखे गए पुर्जो और स्टोरो के रख रखाव के खर्च के 20 प्रतिशत की सीमा तक टैरिफ निर्धारण के पात्र होगें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टोरो और पुर्जो के रख–रखाव पर खर्च होने पर कंपनी को वहन करनी होगी। तालिका नं. 2.3.1 वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक की उपलब्ध अंतिम सामग्री/पुर्जे दर्शाती है।

[1] सम्मिलित विलय वाले निर्माण भण्डार संभाग

तालिका 2.3.1 (₹करोड में)

क्र.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13
1	कोयला	74.25	199.39	267.83
2	तेल	34.06	55.77	75.53
3	स्टोर/पुर्जे	231.17	216.62	269.04
		339.48	**471.78**	**612.40**
4	अचलित स्टोर/कल पुर्जे	44.11	53.28	37.99
5	अचलित एवं कल पुर्जो का प्रतिशत	19	24	14
6	एम.पी.ई.आर.सी द्वारा अनुमोदित टैरिफ निर्धारण के लिए उपयुक्त पुर्जे	138.78	145.55	164.66
7	पुर्जो (क्रमांक 3–6) का अतिरिक्त स्टॉक	92.39	71.07	104.38
8	अतिरिक्त ढुलाई/रख–रखाव दर @ 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष क्रमाक 7 पर	8.31	6.40	9.40

स्त्रोतः 1) आँकड़े वित्त व स्टोर शाखा से और एमपीईआरसी को टैरिफ निर्धारण के लिए कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़ों से प्राप्त किये गये है ।

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि हालांकि विगत तीन वर्षो में अचलित सामग्री/पुर्जो की रखाव में 19 से 14 प्रतिशत की कमी आई है, कम्पनी एमपीईआरसी द्वारा मानक संचालन और रख–रखाव के खर्चे का 20 फीसदी की दर से स्वीकार्य सीमा से परे सामग्री/पुर्जे रख रही है। सीमा से अधिक स्टोरो/पुर्जो के रख–रखाव की लागत वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः ₹ 8.31 करोड़, ₹ 6.40 करोड़ एवं ₹ 9.40 करोड़ आई।

स्टोर/पुर्जो की कुल रख रखाव लेखापरीक्षा में कवर अवधि के दौरान 1.5 एवं 1.7 महीनों के बीच, हमने देखा कि कुछ उच्च मूल्य की वस्तुओं की सामग्री होल्डिंग 24 महीने एवं उससे भी अधिक पार कर गई। कुछ इस प्रकार के मामलों की सूची रिपोर्ट के ***परिशिष्ट 2.3.3*** में सूचीबद्ध है।

सामग्री की प्राप्ति के लिए योजना और समय निर्धारण

2.3.7 सामग्री की प्राप्ति की योजना बनाने के लिए समय सीमा

2.3.7.1 2012–13 तक, कम्पनी ने अग्रिम खरीद योजना के लिए कोई भी नीति विकसित नहीं की। हालांकि केन्द्रीकृत खरीद[2] के लिए एवं अन्य पुर्जे एवं स्टोर जिनकी एक वर्ष में आवश्यकता होती है के लिए उपयोगकर्ता विभाग प्रत्याशित वार्षिक आवश्यकता (ए.ए.आर.) के आधार पर निगम कार्यालय के सामग्री प्रबंधन विभाग जो कंपनी के माल की केन्द्रीयकृत

[2] जैसे पलविरासर, मिल ग्राइंडिग ऐलिमेंटस/कम्पोनेन्टस, मिल बियरिंग, एयर हिटर ट्यूब, कन्वेयर बेल्टस, आँयल व लुब्रीकेन्टस, कन्ट्रोल पावर केबलस् इत्यादि।

खरीद के लिए जिम्मेदार है को इंडेंट (आदेश) भेजता है। निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन से पहले, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता संकलित एवं समेकित की जाती है। इसके बाद निविदा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ, सफल आपूर्तिकताओं/बोलीदाताओं पर आदेश दिए जाते है।

एम.एम. विभाग ने मांग पत्र की प्राप्ति की तारीख से 38 दिनों से लेकर 246 दिनों तक का समय एन.आई.टी. प्रकाशित करने में तथा 238 दिनों से लेकर 510 दिनों का समय क्रय आदेश जारी करने में लिया

केन्द्रीकृत वस्तुओं जिन्हें मुख्य अभियंता/सामग्री प्रबंधन (सी.ई./एम.एम.) जबलपुर द्वारा समेकित कर अंतिम रूप दिया गया था के ए.ए.आर. नमूना की जाँच के दौरान हमने देखा कि एमएम डिर्पाटमेंट द्वारा वार्षिक आवश्यकताओं को भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। मांगपत्र को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा के अभाव में, एक वर्ष में आवश्यक पुर्जो के मांगपत्र वर्ष के शुरू होने के बाद जिस वर्ष के लिए मांगपत्र बनाए गये है उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्राप्त किए जाते है, जिससे वार्षिक मांगपत्र की तैयारी के उद्देश्य समाप्त हो जाते है। आगे हमने देखा कि केन्द्रीयकृत खरीद की परीक्षण जाँच के 141 मामलों में से 15 मामलों में एम. एम. विभाग ने एन.आई.टी. प्रकाशित करने के लिए, इंडेट की प्राप्ति की तारीख से 38 दिन से 246 दिन तक एवं खरीद आदेश (पी.ओ.) जारी करने में 238 दिन से 510 दिनों का समय लिया ***(परिशिष्ट–2.3.1 और 2.3.2)***। इसी प्रकार भण्डार और पुर्जे केन्द्रीयकृत सामान के अतिरिक्त जैसे, ग्राइन्टिगं बाल, मिल में प्रयुक्त पुर्जे के अतिरिक्त आदि, एम. एम. विभाग में एन. आई. टी. को प्रकाशित कराने में 30 से 160 दिनों तक और पी.ओ. जारी करने में 210 से 441 दिनों तक का समय लिया ***(परिशिष्ट–2.3.1 और 2.3.2)।***

हमने आगे देखा कि एमएम डिपार्टमेंट द्वारा 47 में से 8 परीक्षण जाँच एवं दिए गए खरीदी आदेशों का वितरण कार्यक्रम अगले वर्ष गिर गया। आदेश जारी करने एवं अगले वर्ष के लिए वितरण कार्यक्रम के विस्तार में असामान्य समय लिया गया जो प्रत्याशित वार्षिक संयंत्र की आवश्यकता पर आधारित उत्पादन स्टेशनों की संयंत्र की आवश्यकता को प्रभावित करेगा, परिणामस्वरूप टूट–फूट होगी।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई/अक्टूबर 2013) कि, मांगपत्र के मूल्यांकन और पुनरीक्षण एवं उपयोगकर्ता विभाग से आवश्यकताओं की फिर से पुष्टि एवं साइट पर वास्तविक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के बाद निविदा आमंत्रित करने में आम तौर पर छः से आठ महीने की जरूरत होती है। यह भी कहा गया कि आवश्यकताओं का संकलन और समेकन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और बोलीकर्ताओं से स्पष्टीकरण की प्राप्ति में आगे देरी हो सकती है। तथ्य यह है कि खरीदी प्रक्रियाओं पर ज्ञापन का पैरा 2.5 स्पष्ट करता है कि आपूर्ति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों के लिए आवश्यक समय केन्द्रीकृत किया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तदनुसार उसी हिसाब से इंडेंट (आदेश) उठाये जाने चाहिए।

विभिन्न स्टॉक के स्तर के मानक निर्धारित करना

2.3.7.2 एम.पी.एस.ई.बी. के स्टोर प्रयोग निर्देश पुस्तिका के अनुसार, न्यनूतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर और स्टोरों में सामग्री की औसत खपत का स्तर बनाए रखना, तय किया जाना चाहिए। सभी स्टोरों में निर्देश पुस्तिका के अनुसार स्तर तय नहीं किए गए, कंपनी के अतिरिक्त सचिव ने (अगस्त 2009) स्टोरों के सभी संबंधित अधिकारियों को जो स्टोर के चार्ज में है निर्देश पुस्तिका के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। हमने देखा कि तीनों उत्पादन संयंत्रो के प्रबंधन में से कोई भी इन आदेशों का पालन करते हुए नहीं पाया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उद्यम संसाधन प्रणाली व्यवस्था के तहत, स्टॉक के स्तर तय किए जाएंगे जो शीघ्र ही शुरू किया जाना है।

सामग्री की प्राप्ति

2.3.8 एकल निविदा के आधार पर खरीदी आदेश जारी करना

2.3.8.1 स्थापित क्रय प्रक्रिया के अनुसार, कम्पनी को कम से कम तीन अनुमोदित विक्रेताओं/पार्टियों को निविदाओं/कोटेशन से लिए बुलाना होता है एवं, सामग्री के आदेश की राशि पांच लाख से अधिक होने पर, कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में निविदाएं प्रकाशित की जानी होती हैं।

हमने देखा कि 66 मामलों में निविदा एकल आधार पर बुलाई गई और 43 मामलों में जहां आपूर्ति की अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी कम्पनी समाचार पत्रों में एन.आई.टी. प्रकाशित कराने में असफल रही।

हमने अवलोकन किया कि हालांकि एम.एम.विभाग, केन्द्रीकृत खरीद के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) प्रकाशित करता है, लेकिन उत्पादन संयंत्रो से ₹ 5 लाख से अधिक 'निविदाओं' के प्रकाशन की कोई प्रथा नहीं थी। हमने यह भी अवलोकन किया कि उत्पादन संयंत्रों से कोटेशन एक ही सप्लायर से आमंत्रित किए जा रहे थे। तीन ताप संयंत्रों से सम्बन्धित 235 खरीद के आदेश[3] के नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि एक ही पार्टी से 66 निविदाएं बुलाई गई, जिनमें से 43 मामलों[4] में आपूर्ति की अनुमानित राशि ₹ 5 लाख से अधिक थी, फिर भी निविदाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की गई । जबकि सामान्य रूप से उपयोग किये जाने वाले पुर्जे/साम्रगियो के आपूर्तिकर्ताओं को भी ओ.ई.एम. की तरह ही बरता व एकल निविदा दिया जा रहा था।

प्रबंधन द्वारा यह जवाब (अक्टूबर 2013) दिया गया कि विशेष/मालिकाना प्रकृति के महत्वपूर्ण आइटम जहां रिर्वस इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती वहां एकल कोटेशन के आधार पर ओ.ई.एम. से प्राप्त किए जा रहे है। आगे, कम्पनी निविदा प्रकाशित कर अपने विक्रेता आधार को बढ़ाने के लिए खुले बाजार से आपूर्तिकताओं के वैकल्पिक स्त्रोतों की खोज करने में विफल रही और वह एक स्त्रोत्र पर निर्भर रही। इसके परिणाम स्वरुप न केवल स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लघंन हुआ, बल्कि संभावित आकस्मिकताओं को दूर करने के लिए आपूर्ति का एक दूसरा स्त्रोत विकसित करने में भी असफलता मिली।

सामग्रीयों/पुर्जो की अनुचित खरीदी के परिणामस्वरूप अचलित स्टॉक एवं धन राशि की अवरूद्धता

सामग्री की अनुचित खरीद के कारण धनराशि की अवरूद्धता राशि ₹ 9.75 करोड़ (धीमी गति सामग्री ₹ 6.74 करोड़ एवं अचलित सामग्री ₹ 3.01 करोड़)

2.3.8.2 लेखापरीक्षा में सम्मिलित की गयी अवधि के दौरान तीन उत्पादन संयंत्र (तापीय) द्वारा दिये गये क्रय आदेश की एक समीक्षा में और प्राप्त सामग्री के रखे स्टॉक यह दर्शित करते है कि जो आईटम केन्द्रीकृत खरीद के माध्यम से प्राप्त किए जाने थे वे सीधे तत्काल आवश्यकता/संचालन के लिए जरूरी याचिका पर खरीदे गए। इसके बावजूद भी, हमने अवलोकन किया कि संबंधित संयंत्रो द्वारा एक से बारह वर्ष की समयावधि में, इनमें से कई आइटम का उपयोग नहीं किया गया और कम्पनी की धनराशि अवरूद्व हुई। कुछ क्रय के आदेश के संबंध में विवरण, जिसके परिणामस्वरूप क्रय एक अचलित स्टॉक का संचय बन कर रह गई, जो ***परिशिष्ट 2.3.3*** में दी गई है।

[3] मूल्य सीमा ₹ 1.70 लाख और ₹ 83.55 लाख के बीच
[4] मूल्य सीमा ₹ 5.67 लाख और ₹ 83.55 लाख के बीच

उक्त मामलों में ₹ 9.75 करोड की कीमत की सामग्री (धीमी गति ₹ 6.74 करोड़ एवं अचलित सामग्री ₹ 3.01 करोड़) है। इनकी खरीदी एवं इनका उपयोग न होना यह दर्शाता है कि कंपनी खाते में पिछले खपत पैटर्न और अतिरिक्त मात्रा (विशेषतः ऐलो स्टील ट्यूब व इलेक्ट्रिक रेजीसटेन्स वेल्ड पाईप्स) में खरीदने के फैसले को लेकर, खरीदी आदेश देने से पहले सही आंकलन करने में विफल रही इस प्रकार यह अविवेक पूर्ण है ।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2013) की उनमे से अधिकतर इन्श्योरेन्स पुर्जे[5] थे जो या तो योजनाबद्व मरम्मत के लिए थे या नियमित रख–रखाव के लिए थे। लेखापरीक्षा को यह जवाब स्वीकार्य नहीं है कि इन्श्योरेंस पुर्जो को संपत्ति के रूप में भुनाया जाता है और आडिट अवलोकन का संबंध इन्श्योरेंस पुर्जो से नहीं है, बल्कि उन पुर्जो से है जो इन्वेन्ट्री में पड़े है और जिन्हें मरम्मत/रखरखाव के लिए खरीदा है। चूंकि, मरम्मत के कार्यक्रम के अनुसार खरीदी की जानी होती है, लेकिन बहुत पहले से/देरी से की गई खरीदारी से बेकार/अचलित सामग्री जमा हो गई है।

एम.पी.ई.आर.सी. के मानदण्ड से ढुलाई स्टेकिंग एंव हैंडलिंग के अधिक होने से कोयला नुकसान

2.3.8.3 कोयला बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल एवं प्रमुख निवेशों में से एक है एवं कंपनी की कार्यशील पूंजी का एक बड़ा भाग इस पर खर्च होता है। समय पर आपूर्ति के लिए उत्पादन संयंत्रो के अबाध संचालन को सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त योजना एवं उचित व्यवस्था जरूरी है।

कंपनी कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीन थर्मल स्टेशनों से 70 से 450 कि. मी. की दूरी पर स्थित, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड से कोयला खरीदती है। कोयले के परिवहन एवं संयंत्र पर उठाने–रखने के दौरान इसकी कुछ मात्रा हवा, नमी, स्वतः जलने एवं कार्पेट कोयला[6] के रूप में नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, तौल प्रक्रिया में गलतियों के कारण भी नुकसान होता है। इन सभी कारको को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने गर्त मुहाना (पिट हेड) के लिए 0.2 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत गैर गर्त मुहाना (नानपिट हेड) उत्पादन स्टेशनों के लिए मानक स्वीकार्य हानि तय कर दी है। मानक सीमा से अधिक नुकसान कंपनी द्वारा वहन करना होगा। प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह घाटे को खत्म करने/कम करने हेतु ठोस कदम उठाए।

31 मार्च 2013 में समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षो में कुल प्राप्त कोयला और उस ढुलाई, स्टेकिंग व हैन्डलिंग लागत को तालिका 2.3.2 दिखाया गया है।

[5] इन्श्योरेंस पुर्जे वे अनिवार्य पुर्जे है जो या तो संयंत्रो के निर्माण/रचना या मरम्मत के दौरान या बदलने के दौरान प्रदाय किए जाते है और संपत्ति के रूप में रखे जाते है। वहीं ओ एवं एम पुर्जो की खपत को लाभ और हानि खाते में चार्ज किए जाते है।

[6] कार्पेट कोयला साफ्ट कारपेट, जिसमें कोयला और धूल शामिल हो परिणामस्वरूप कोयले का नुकसान होता है।

तालिका 2.3.2

स. क्र.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	कुल प्राप्त मात्रा (एम.टी.)	13622422	13251387	14349795
2	वास्तविक हानि खाते में			
	(i) पारगमन (एमटी)	43326	50363	51665
	(ii) उठाने'–रखने (एस. व एच.) के कारण (एमटी)	336200	187133	183009
	कुल हानि (एमटी)	379526	237496	234674
3	एमपीईआरसी द्वारा नुकसान के लिए अनुज्ञेय सीमा (एमटी) (0.2 से 0.8)	127110	100472	107113
4	एम.पी.ई.आर.सी. (क्रमांक 2–3) के द्वारा तय किए गए मानदंडो से अधिक नुकसान (एमटी)	252416	137024	127561
5	अनुज्ञेय सीमा से अधिक नुकसान पी.एण्ड.एल. खाते में चार्ज किया गया (₹ करोड़ में)	50.14	35.19	40.50

स्त्रोत :– आंकडे कंपनी के अकाउंट एवं फाइनेंस विंग द्वारा उपलब्ध कराए गए

अनुमत सीमा से अधिक कोयला घाटे को अपलिखित किया गया राशि ₹ 50.14 करोड़ (2010–11), ₹ 35.19 करोड़ (2011–12) और ₹ 40.50 करोड़ (2012–13)

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2011–12 मे ढुलाई एवं उठाने–रखने के दौरान हुआ नुकसान 2010–11 की तुलना में थोड़ा घटा, 2012–13 में थोड़ा बढ गया। 2010–11 को कोयला नुकसान 50.14 करोड़ रहा जो 2009–10 के कोयला नुकसान (₹36.23 करोड़) से 38.39 प्रतिशत बढ़ गया। उसके बाद 2011–12 में यह 29.81 प्रतिशत (₹35.19 करोड़) घट गया और क्रमशः 2012–13 में 15.09 प्रतिशत (₹40.50 करोड़) बढ़ गया। तीनो ताप संयंत्रो की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और हमने देखा कि एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर में ढुलाई एवं उठाने–रखने के नुकसान अधिक थे और यह नुकसान, 2012–13 तक पिछले तीन वर्षो में तय सीमा से अधिक क्रमशः ₹28.05 करोड़ (कुल कोयला नुकसान का 56 प्रतिशत), ₹23.82 करोड़ (68 प्रतिशत) एवं ₹23.78 करोड़ (68 प्रतिशत) हुआ।

कोयला हानि को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा न पर्याप्त कार्यवाही की गयी और न ही लागू की गयी ।

इस प्रकार के नुकसानों के अध्ययन हेतु कंपनी ने अभियंताओं की एक समिति गठित (मार्च /अप्रैल 2008) की जिन्होनें कोलयार्ड का फर्श कंक्रीट का बनाने, बाउंड्री बनाने और स्टेकिंग एवं हैडलिंग कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराके पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की सलाह दी।

निदेशक (सतर्कता), द्वारा कोयला नुकसान के नियंत्रण के लिए समान कदम उठाने की सिफारिश (नवम्बर 2010) की गयी थी ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी एक परिसर की दीवार के निर्माण के लिए किये गये काम के अलावा, कम्पनी के द्वारा किसी भी अन्य सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

हमने यह देखा कि, हालांकि एमपीईआरसी ने कारपेट कोयला नुकसान के लिए कोई पृथक मानदंड तय नहीं किए क्योंकि यह स्टेकिंग एवं हैंडलिंग का अभिन्न अंग है, जिसके लिए मानदंड पहले ही तय थे। फिर भी, कंपनी ने वर्ष 2009–10 के लिए इसके तीन ताप संयंत्रों में 14 कोलयार्डस पर 47 सालों से जमा कार्पेट कोयला नुकसान के लिए अवधारणा बनाई और 2009–10 के लिए खाते में संचित किए और खाता मूल्य ₹ 17.82 करोड़ 114217 एमटी बंद (मार्च/जुलाई 2012) कर दिया गया। यद्यपि कारपेट कोयला हानियाँ एम.पी.ई. आर.सी. नियमन द्वारा अलग से स्वीकृत नहीं है किन्तु कम्पनी ने इस अतिरिक्त हानि को कारपेट कोयला खाते से अपनी अर्जित पर लिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि एमपीईआरसी ने कोयला हानियों के लिए मापदण्ड को लगातार कम किया है। यह भी कहा गया कि हानियों को क्रय करने के लिए घेरा दीवार बनायी जा रही है तथा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी गई है। तथ्य यह है कि कम्पनी के द्वारा एमपीइआरसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसरण न करने के कारण हानियों में वृद्वि हुई और कम्पनी ने सलाहकारों/सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कोयला हानियों को न्यूनतम करने के लिए अब तक (अक्टूबर 2013) कदम नहीं उठाये गये है।

द्वितीयक तेल सामग्री में आधिक्य

2.3.8.4 कोयले के बाद, भौतिक और वित्तीय दृष्टि से दोनों बिजली संयंत्रो में दूसरा सबसे उपभोज्य सामग्री द्वितीयक तेल है जिसमें फर्नेस ऑयल (एफ ओ) हाई स्पीड डीजल (एच. एस.डी.) और लाइट डीजल आयल (एल.डी.ओ.) सम्मिलित है। जिसका प्रयोग बायलर में आवश्यक तापमान/गर्मी बनाए रखने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने में वैकल्पिक तौर पर किया जाता है। द्वितीयक तेल दर अनुबंध के आधार पर केन्द्र के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त की जा रही है। द्वितीयक तेल की सालाना खपत क्रमशः वर्ष 2010–11, 2011–12 और 2012–13 के दौरान लगभग 59,933 कि.ली., 57204 कि.ली. और 49,924 कि.ली. थी।

एम.पी.ई.आर.सी. कार्यशील पूंजी की लागत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए तेल की खपत का 60 दिनों की सामग्री रखने की अनुमति देता है। इस प्रकार कम्पनी क्रय व उत्पादन संयंत्रो के लिए तेल के वितरण में कुशल प्रबंधन द्वारा अपने मुनाफे में सुधार ला सकती है।

एक मासिक समीक्षा में द्वितीयक तेल के उपभोग की तुलना सामग्री के अंतिम शेष स्टॉक दिनों की संख्या के आधार पर करने पर बताता है कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए द्वितीयक तेल का स्टॉक एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक है। संग्रहित सामग्री और उसका उत्पादन स्टेशनों में रखाव की लागत ***परिशिष्ट 2.3.4*** में दिया गया है।

60 दिनों की सीमा से अधिक का द्वितीयक तेल रखने के कारण 2010–13 के दौरान अतिरिक्त ढुलाई लागत मूल्य ₹ 1.40 करोड़ से ₹ 2.76 करोड़ आयी ।

परिशिष्ट 2.3.4 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि सभी तीन तापीय संयंत्र के पास द्वितीयक तेल (संयंत्र उपलब्धता फैक्टर का 85% गणनीत)[7] का 60 दिनों की आवश्यकता के अनुसार औसत से आधिक्य स्टॉक 434 किलो लीटर से 2351 किलो लीटर (एफ. ओ.) सीमा तक और 555 कि.ली. से 1016 कि.ली. (एल.डी.ओ.) सीमा तक था। स्टॉक का आधिक्य 16 से 336 दिनों के जरूरत (60 दिनों तक की सामग्री होने के बावजूद) के अनुसार था। 60 दिनों के औसत स्टॉक से आधिक्य स्टॉक का उनके मूल्य के अनुसार अतिरिक्त रख–रखाव लागत क्रमशः वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान ₹ 1.40 करोड़, ₹ 1.75 करोड़ तथा ₹ 2.76 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने जवाब (अक्टूबर 2013) दिया कि सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेगें।

[7] टेरिफ फिक्सशेसन के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुसार, पावर स्टेशनों की क्षमता पर निर्भर रहते हुए पीएएफ 85 प्रतिशत से 88 प्रतिशत माना जाता है ।

वार्षिक रखरखाव होने के बाद सामग्री/पुर्जो की प्राप्ति

2.3.8.5 मुख्य अभियंता (उत्पादन), बिरसिंगपुर ने सितम्बर 2010 में अपने इकाई–5 (1 x 500 मेगावाट) के वार्षिक पूंजीगत रखरखाव हेतु न्यूनतम द्रवचालित संयोजन पुर्जा बनाये रखने के लिए बाथ टर्बो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (बी.टी.पी.एल.) से एक निविदा आमंत्रित की गई। तदनुसार, एक क्रय आदेश मूल्य ₹ 23.57 लाख का बी.टी.पी.एल. को दिया (अप्रैल 2011) गया। आदेश की आपूर्ति 30 अगस्त 2012 को प्राप्त हो गई।

वार्षिक रखरखाव होने के बाद सामग्री/पुर्जो की प्राप्ति पर ₹ 23.57 लाख का विनियोग निर्थक है।

इसके सम्बन्ध में, हमने अवलोकन किया कि सामग्री जो वार्षिक रखरखाव[8] के लिए 30 अगस्त 2012 और 15 सितम्बर 2012 के बीच आवश्यक बतायी गई वह सामग्री 22 सितम्बर 2012 को निरीक्षण की गई और सामग्री वार्षिक रखरखाव के बाद स्टोर में निष्क्रिय रखी हुई है। इसके उपयोग की संभावना केवल तीन से पाँच वर्षो के बाद ही होती है जब अगली वार्षिक रखरखाव नियत करना होता है। इस प्रकार, संयंत्र रखरखाव के दौरान सामग्री की पूरी प्रतिस्थापना के बिना ही परिचालन किया गया था जो सामग्री क्रय के उद्देश्य को समाप्त करता है। इस प्रकार, सामग्री जो निवारक रखरखाव और आपात स्थिति के लिए चाहिए थी वार्षिक रखरखाव के बाद प्राप्त की गई जिससे प्राप्ति व्यर्थ होने के साथ कम्पनी की निधि भी ₹ 23.57 लाख तक अनावश्यक रूप से अवरूद्व हुई।

प्रबंधन ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2013) के दौरान उत्तर दिया कि वित्तीय कठिनाईयों के कारण देरी हुई है। उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार्य योग्य नहीं है। क्योंकि जब कम्पनी ने वार्षिक रखरखाव योजना बनाई उसी समय धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी ताकि अत्यावश्यक सामग्रियों की प्राप्ति की प्रक्रिया न तो रूके और न ही विलंब हो जिससे संचालन पर खतरा न उत्पन्न हो। चूंकि सामग्रिया संयंत्र विशेष है अतः इनका अगले तीन से पांच वर्ष बाद के रखरखाव को छोड़कर वैकल्पिक उपयोग संभव नहीं है। इसलिए, सामग्री की प्राप्ति और इनके उपयोग के लिए वित्तीय नियोजन को सुनिश्चिता/प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दिशा निर्देशों/अनुदेशों का पालन न होना।

2.3.8.6 म. प्र. शासन ने कम्पनी में अक्टूबर 2010 से ई–निविदा प्रणाली लागू करने के लिए निर्देश (अगस्त/सितम्बर 2010) जारी किए है। कम्पनी ने ई–निविदा के आदेशों को जून 2013 तक लागू नहीं किया है जिससे न सिर्फ अनुदेशों का पालन न हुआ बल्कि कम्पनी को प्रतियोगी बोली और विक्रेता आधार को मजबूत बनाने के लाभ से भी वंचित होना पडा।

हमने अवलोकन किया कि शासन कि स्वीकृति के साथ कम्पनी ने जुलाई 2013 से म.प्र. शासन की वेबसाईट पर निविदा अपलोड कर ई–निविदा प्रक्रिया को प्रांरभ कर दिया है।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ई–निविदा प्रणाली 1 जुलाई 2013 से प्रारंभ कर दी गई है। तथ्य यह है कि कम्पनी ने म. प्र. शासन से सितम्बर 2010 में अनुदेश जारी होने के 30 महीने से भी अधिक विलंब से ई–निविदा प्रणाली प्रारंभ की जबकि सरकारी विभागों ने अक्टूबर 2010 से ही ई–निविदा प्रणाली को प्रारंभ कर दिया था।

[8] वार्षिक रख रखाव के दौरान आवश्यक सामग्री/पुर्जो का उपयोग तीन से पाँच वर्ष बाद के अगली रख–रखाव तक उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

सुरक्षा निधि जमा व बयाना राशि की छूट/त्याग में अनियमितता

2.3.8.7 मानक निविदा दस्तावेज के खण्ड 15 और समय–समय पर जारी परिपत्र निर्देश के अनुसार कम्पनी को आपूर्तिकर्ताओं से क्रय आदेश मूल्य का 10% सुरक्षा निधि जमा के रूप में निष्पादन वारंटी के लिए किया जाना पड़ता है। कम्पनी के पास आपूर्तिकर्ताओं से एक बार में एक साथ स्थायी राशि ₹ 3 लाख से ₹ 15 लाख की सीमा तक स्थायी सुरक्षा जमा निधि के रूप में प्राप्त करने की प्रणाली भी है और इसके बाद उन्हें प्रत्येक आदेश के लिए सुरक्षा निधि जमा करने से छूट मिल जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड इत्यादि को सुरक्षा निधि जमा करने से छूट प्रदान की गई है। क्रय के लिए जारी निविदा सूचना में क्रय आदेश के मूल्य की 10% सुरक्षा निधि के रूप में भुगतान करने की शर्त रहती है।

क्रय नीति में विचलन के कारण कम्पनी ने 164 क्रय आदेशों में 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा ₹ 6.64 करोड़ छोड दिया।

नमूना जांच के दौरान हमने यह अवलोकन किया कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के बीच में निजी आपूर्तिकर्ताओं को 164 क्रय आदेश (केन्द्रीय 1 व स्थानीय 163) मूल्य ₹ 102.84 करोड़ के आदेश दिये गये। कम्पनी ने 10% सुरक्षा निधि राशि ₹ 6.64 करोड़ (5% अन्तर के सुरक्षा निधि ₹ 3.64 करोड़ व एक अन्य प्रकरण में ₹ 72.80 करोड़) जैसा कि निविदा प्रपत्र में लिखा है इकट्ठा नहीं किया। क्रय आदेशों के 52 प्रकरणों में जिनका मूल्य ₹ 0.14 लाख से ₹98.69 लाख हैं। 2 से 3 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी सामग्री आपूर्ति नहीं किये गये है।

आगे, हमने यह भी अवलोकन किया कि कम्पनी ने क्रय आदेश देने के समय निर्धारित किया कि आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा जमा निधि भुगतान से छूट प्रदान की जाये।

आपूर्ति में विहित विशिष्टिकरण से न सिर्फ कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा का उद्देश्य समाप्त होता है बल्कि उस सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ मिलता है।

2.3.8.8 निविदा और निवेदित दर को खोलने की पहली मापदण्ड/शर्त है कि निविदा देने वालों के द्वारा बयाना जमा निधि दिया जाये जब तक कि वे निधि देने से छूट न प्राप्त करते हो। लघु उद्योग इकाईयां और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में पंजीकृत फर्मो को ई.एम.डी. के जमा से छूट दी गई है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकन किया कि कम्पनी ने चार निविदाओं में (मूल्य ₹ 3.75 लाख से ₹ 20.95 लाख के बीच में) निविदा देने वालों को बयाना जमा निधि में छूट प्रदान कि जबकि वे छूट लेने वालो की श्रेणी में नहीं आते है।

हमने आगे अवलोकन किया कि निविदा दस्तावेज की नियम व शर्ते ई.एम.डी./एस.डी./पी. बी.जी. एकत्रित करने का प्रावधान करती है। जबकि कम्पनी की शक्तियों को सौपनें सम्बन्धित पत्रक अधिकारियों को भुगतान से छूट स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करती है। हमारी राय है कि शर्त में परिवर्तन करने की इन शक्तियों का प्रयोग निविदा आमंत्रण करने के पूर्व किया जाना चाहिए, निविदा प्राप्त होने के बाद छूट प्रदान करना आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने के बराबर है। शर्तो का समावेश गारंटी अवधि में त्रुटि से रक्षा के लिए है। अतः आमंत्रण और अंतिमता के समय पर हुए छूट देना एक अनुचित लाभ देना ही है इस प्रकार छूट न्याय संगत नहीं है। हमने यह भी अवलोकन किया कि छूट की स्वीकृति मूल उपकरण निर्माता (ओ.इ.एम.) (अधिकृत प्रदायक को शामिल करते हुए) के आधार पर किया गया है जबकि हमने यह देखा कि उपभोज्य सामग्री जैसे नटस, बोल्टस, इलेक्ट्रोडस, कास्टिक सोडा लेय इत्यादि के आपूर्तिकर्ताओं को भी मूल उपकरण निर्माता

मानते हुए सुरक्षा निधि से छूट प्रदान की गई है। निविदा आमंत्रण के बाद शर्त में छूट की स्वीकृति कुछ निविदाकर्ताओं के द्वारा मुकदमें बाजी को आमंत्रित करती है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन की ओर से कहा (अक्टूबर 2013) गया कि सुरक्षा निधि में छूट की स्थापित प्रणाली की समीक्षा की जायेगी। आगे, यह भी देखा गया कि सुरक्षा निधि जमा करने में निर्देशों का अनुपालन करना भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

सामग्री के जाँच, प्राप्ति और निर्गमन में अनियमिततायें

2.3.9. सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र (एम आर सी) जारी करने में असामान्य विलंब

2.3.9.1 म. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड ने दिसम्बर 1996 में स्थल के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किया कि सामग्री की जाँच व निर्धारित सामग्री प्राप्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया सामग्री प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर में पूर्ण कर ली जाए। ये सभी निर्देश भी कम्पनी ने अपने निर्गमन की तिथि से ही अपना लिये है।

सभी तापीय संयंत्र स्टोरों के द्वारा रखी गई सामग्री प्राप्ति प्रमाण–पत्र रजिस्टर के नमूना जाँच में देखा गया कि वर्ष 2010–13 के दौरान जारी किये गये एम आर सी के 4997 समानों में से 325 समानों (एसटीपीएस, सारणी–120, एसजीपीटीएस बिरसिंगपुर–124 व एटीपीएस, चचई–81) के जांच व सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करने में देर की गई, जिसका विवरण निम्नवत तालिका नम्बर 2.3.3 में दर्शित है :–

तालिका नं. 2.3.3

क्र. स.	क्षेत्र स्टोर्स	2010–11		2011–12		2012–13	
		देरी की सीमा (दिनों में)	क्रय आदेश की सीमा (₹ लाख में)	देरी की सीमा (दिनों में)	क्रय आदेश की सीमा (₹ लाख में)	देरी की सीमा (दिनों में)	क्रय आदेश की सीमा (₹ लाख में)
1	**एसटीपीएस, सारणी**						
	ईई (ओ एण्ड एम) स्टोर–I	8-195	0.10-15.90	8-103	0.05-35.42	10-150	0.09-11.00
	ईई (ओ एण्ड एम) स्टोर–II	12-209	0.33-20.94	12--57	0.02-62.72	8-209	0.02-112.38
2	**एसजीपीटीएस, बिरसिंगपुर**						
	ईई (ओ एण्ड एम) स्टोर–I	12-604	0.13-12.03	15-139	0.14-68.00	16-222	0.10-17.67
	ईई (ओ एण्ड एम) स्टोर–II	30-649	0.12-27.66	17-918	0.07-83.43	20-107	0.06-3.94
3	**एटीपीएस, चचई**	10—45	0.14-5.71	16-70	0.03-19.11	15-101	0.03-44.40

स्त्रोतः आँकड़े कम्पनी के संबंधित स्टोर्स द्वारा जारी किये गये दैनिक प्राप्ति रजिस्टर, जाँच टिप्पणियों और सामग्री प्राप्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर बनाये गये है ।

सात दिनों के अन्दर में सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय कम्पनी ने अधिकतम 101 से 918 दिनों का समय लिया है। सामग्री की जांच करने में विलंब भी 10 से 918 दिनों की सीमा की बीच में है।

उक्त तालिका से यह अवलोकन किया जा सकता है कि सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र बनाने में एसटीपीएस, सारणी, एसजीपीटीएस, बिरसिंगपुर और एसटीपीएस, चचई द्वारा क्रमशः 209 दिन, 918 दिन तथा 101 दिनों की विलंब किया गया है। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी अवलोकन किया कि सामग्रियों के जाँच करने में असामान्य विलंब है, जिसकी सीमा क्रमशः 9 से 207 दिन (सारणी में), 10 से 918 दिन (बिरसिंगपुर में) तथा 8 से 90 दिन (चचई) में

है। जो मांगपत्र भेजने वाले प्रभाग के द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सामग्रियों का क्रय आवश्यकता के आधार पर नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि नियमित (सप्ताहिक) प्रतिवेदन की प्रथा मई 2013 से प्रारंभ कर दी गई है और प्रस्तावित ई. आर.पी. प्रणाली से भी विलंब में कमी आयेगी।

स्थल पर सामग्री

2.3.9.2 पूर्व म. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड के स्टोर के अनुदेश पुस्तक और कम्पनी द्वारा अंगीकृत के अनुसार जब कार्य के लिए सामग्री की जरूरत हो तो यह या तो स्टॉक से जारी किया जायेगा या क्रय के द्वारा और यह जब तक पूंजीकृत/उपभोग न हो जाये तब तक स्थल पर सामग्री खाते में रखा जायेगा। इसके अलावा स्थल पर सभी अधिशेष सामग्री जिस पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है या समाप्त कर दिया गया है या जिस पर परिव्यय किसी भी समय के लिए प्रतिबंधित है किसी अन्य स्टॉक खाते में या कार्य प्रगति पर में अंतरण किया जाना चाहिए। ऐसी सामग्री/पुर्जा जो नियमित मरम्मत/जाँच के दौरान समाप्त या हटाया दिया गया है उसे या तो पुनः उपयोग सामग्री या अवशेष के रूप में स्टोर में वापस लाया जाना चाहिए। नियमित रखरखाव/जाँच के दौरान हटाये गये सामग्री की एक व्याख्यात्मक सूची ***परिशिष्ट–2.3.5*** में दी गई है। स्थल में सामग्री की रख–रखाव की लेखापरीक्षा में सूचित कमियॉ निम्नवत है :–

हमने अवलोकन किया कि विभिन्न प्रभागों द्वारा सामग्री स्टोर से बदलने व मरम्मत के लिए बाहर निकाली गई जो या तो बिना बदले हुए जो या प्रतिस्थापित सामग्री स्टोर में वापस किये बिना रखी हुई है। सुधार कि हुइ सामग्री जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है कहा गया है पुर्जा के रूप में लेखा नहीं है।

- हमने अवलोकन किया कि सामग्री जो बॉलर मरम्मत प्रभाग (बी एम डी), टरबाइन मरम्मत प्रभाग (टी.एम.डी.), इलेक्ट्रीकल मरम्मत प्रभाग (ई.एम.डी.), कोयला चालन प्रभाग इत्यादि से प्रतिस्थापना के लिए निकाले गये स्टोर को वापस अवशेष के रूप में समर्पित नहीं किये गये थे । हमने यह भी अवलोकन किया कि प्रतिस्थापित सामग्री/पुर्जा को स्थल में रखने के पीछे का कारण सामग्री की मरम्मत व अच्छी हालत में लाने के बाद पुनः उपयोग कर सकना है।

- सभी तीन तापीय संयंत्र द्वारा पोषित स्थल पर सामग्री की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि एस.जी.टी.पी.एस., बिरसिंगपुर के अंतिम स्टॉक सामग्री/पुर्जा में '0' रिंग इनसर्ट (8 नग), स्टीम ग्लोब वी/वी 2500 क्लास पुर्जा (02 नग), ग्लोब वाल्ब 1 (7 नग), टंगस्टन कार्बाईड टी.सी. (रिंग) डुरा (2 नग), पंप साफ्ट (2 नग), विन्टन 'ओ' रिंग (1 नग), स्लीवस पैकिंग (12 नग), के भौतिक प्रमाण में उक्त कमी/भिन्नता पायी गई। कार्य पूर्ण हो जाने पर स्टोर को सामग्री वापस करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा न होने पर और कमी/भिन्नता के लिए कोई समाधान प्रक्रिया न होने के कारण कम्पनी यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि स्थल पर सामग्री की नियमित लेखा व भविष्य में उपयोग हो।

- उच्च मूल्य सामग्री/पुर्जा (मूल्य ₹ 1.43 करोड़) के कई उदाहरण है जो नियमित रखरखाव व तुरन्त बदलने के लिए निकाले गये परन्तु उन्हें मुख्य स्टोर से निकालने से लेकर एक से चार वर्ष और पांच वर्ष से भी अधिक समय तक स्थल पर बिना उपयोग के रखे हुए है। हमने आगे यह भी पाया कि सामग्री जैसे एच.पी. एस.वी. लैम्प जिसको उपभोज्य अल्प सूचना में खरीदा जा सकता है लम्बे समय से स्थल पर सामग्री में रखा हुआ है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे है तथा इन्हें कम्पनी द्वारा ई.आर.पी. प्रणाली लागू करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

पूंजी/सम्पत्ति और सामग्री का बीमाकृत न होना

2.3.9.3 एक समीक्षा में कम्पनी के अभिलेख दिखाते है कि 31 मार्च 2013 के अन्त में कम्पनी के पास कुल स्कन्ध/स्टॉक मूल्य ₹ 1363.82 करोड़ (कोयला और तेल ₹343.36 करोड़ और पूंजी व संचालन एवं संधारण पुर्जा/सामग्री ₹ 1020.40 करोड़) है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया कि ज्वलनशील और खतरनाक सामग्रियों तथा उच्च मूल्य का स्टॉक होने के बावजूद कम्पनी में इन सामग्रियों को चोरी, सेंधमार, अग्नि दुर्घटनाओ और प्रकृति के अन्य खतरों के खिलाफ बीमा नीति/हर्जाना प्राप्त करने के लिए कम्पनी में कोई कार्य प्रणाली नहीं है। इसके बावजूद यह भी देखा गया कि कम्पनी की कुल मुर्त सम्पत्ति (शुद्ध राशि)/सम्पत्ति मूल्य ₹ 4437.91 करोड़ (पूंजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 7035.64 करोड को छोड़कर) भी बीमा युक्त नहीं है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सार्वजनिक देयता बीमा नीति (जोखिम पूर्ण सामग्री को मिलाकर) नियमित रूप से प्राप्त किया जा रहा है और चल रही परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर को भी बीमा के माध्यम से कवर किया जा रहा है। आगे, यह भी वर्णन किया गया कि अन्य पूंजी/सम्पत्ति और सामग्री को बीमाकृत करने में सक्रियता से विचार किया जा रहा है। लेखापरीक्षा आगे की प्रगति की प्रतीक्षा में है।

अवशेष का निपटान न होना

2.3.10 अवशेष/अप्रचलित सामग्रियों का निपटान न होना

2.3.10.1 संयंत्र का लगातार संचालन मशीनों/उपकरणों की टूट व फूट तथा अन्य सामग्रियों जो प्रतिस्थापन के कारण अवशेष हुए है सम्बन्धित स्टोर को वापसी सामग्री पत्रक के द्वारा लौटा दिया जाता है।

कम्पनी ने अवशेष सामग्री के निपटान के लिए एम.एस.टी.सी. लिमिटेड[9] के साथ एक अनुबंध किया। ई–नीलामी के उद्देश्य से एम.एस.टी.सी. द्वारा प्लांट बनाने की तैयारी के लिए दिशा–निर्देश (जनवरी 2007) में जारी किये गये थे। जो कि प्रमुख (कंपनी) से प्राप्त निपटान सामग्री की सूची के अनुसार है। एम.एस.टी.सी. बिक्री से प्राप्त राशि पर तीन प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क प्राप्त करने का हकदार था।

कम्पनी के मुख्यालय के अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि मार्च 2013 के अन्त में 255 प्लाँट में (तापीय–119 व पनतापीय–136) अवशेष/अप्रचलित सामग्री का मूल्य ₹ 4.66 करोड़ (तापीय ₹ 4.40 करोड +₹ 0.26 करोड पन तापीय) सभी बिजली घरों में नीलाम किये बिना हुए रखे थे।

प्रबंधन ने उत्तर (अक्टूबर 2013) दिया कि कम्पनी ने 28 प्रतिशत अवशेष को छोड़कर जो अस्वीकृत मूल्य के कारण क्रेताओं के द्वारा नहीं खरीदे गये/बेचे नहीं गये। शेष सभी अवशेष अक्टूबर 2013 तक बेचकर उठा लिये गये है। अवशेष का 28 प्रतिशत गैर–व्ययनीत अवशेष एसटीपीएस, सारणी के अवशेष मूल्य को सम्मिलित करते हुए (अप्रैल 2010 से गैर–व्ययनीत रखे हुए अवशेष का मूल्य ₹ 0.26 करोड़ है) मूल्य ₹ 1.22 करोड़ की है।

[9] भारत सरकार का उपक्रम

निष्कर्ष

हमने पाया कि निविदा आमंत्रण की सूचना प्रकाशन और उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त माँगपत्र के लिए क्रय आदेश देने की समय सीमा पर कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है और ऐसे आदेशों के कई उदाहरण है जिनमें क्रय आदेश आवश्यकता निर्धारण किये गये वर्ष के समाप्त होने के बाद किये गये थे। कंपनी (विशेष रूप से संयत्र प्रबंधन) अपनी क्रय प्रक्रिया/नीति से भटक कर लगातार एक निविदा के आधार पर आधारित क्रय आदेश कर रही है। कंपनी के पास अनावश्यक स्टॉक के संग्रहण को रोकने के लिए स्टॉक स्तर का कोई मापदण्ड नहीं है। सक्रिय और निष्क्रिय सामग्री के ऐसे कई उदाहरण है जिनमें कम्पनी के कोष अनियोजित/आवंछनीय क्रय के कारण अवरूद्व हो गये है। इसके आलावा एम.पी. ई.आर.सी. के मापदण्ड/सीमा से परे कोयले की हानियां, द्वितीयक तेल सामग्री की आधिक्य भी देखा गया है। वार्षिक मरम्मत की पूर्णता के बाद ऐसे सामग्रियों/पुर्जा प्राप्त व निरीक्षण किये गये जो ऐसे मरम्मत के लिए मंगाये गये थे। ऐसे सामग्रियों/पुर्जा जिन्हें वार्षिक मरम्मत के लिए मंगाया गया था मरम्मत की पूर्णता के बाद प्राप्त व निरीक्षण किये गये और तदुउपरांत लंबे समय तक ऐसी सामग्रिया बिना उपयोग के रखी रही थी। कम्पनी ने सुरक्षा निधि जमा/बयाना जमा धन की वसूली की शर्तो में आपूर्तिकर्ताओं को छूट/शिथिलता दी, जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति न करने पर और त्रुटिपूर्ण/घटिया माल की आपूर्ति पर वित्तीय क्षतिपूर्ति कराने की स्थिति में नहीं रह गई है।

सामग्री प्राप्त पत्रक जारी करने में असामान्य विलंब, सामग्रियों वापस न सौंपना, पुनः उपयोग योग्य सामग्री/पुर्जो का लेखा न रखना और स्थल पर सामग्री में कमियों के कई उदाहरण देखे गये।

अनुशंसाऐं

एक प्रभावशील सामग्री प्रबंधन की प्राप्ति के लिए कम्पनी को चाहिए कि :–

- क्रय आदेश प्रदान करने, निविदा आमंत्रण करने तथा जरूरतों का निर्धारण करने की समय सीमा तय की जाए ताकि क्रय में विलंब को रोककर नियोजित क्रय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
- स्टोर व सामग्री के विभिन्न वर्गो के लिए स्टॉक स्तर निर्धारित कर एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत सीमा से आधिक्य स्टॉक को कम से कम किया जाना चाहिए।
- बिजली संयंत्र केन्द्रो के लिए एक ऐसी कार्य प्रणाली बनायी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जब तक सामग्री एकल प्रकृति की न हो तब तक एकल निविदा आधारित क्रय नहीं किया जाना चाहिए।
- कोयले को संभालने व इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को बनाकर कोयले की हानियों को समाप्त/कम से कम किया जाना चाहिए।
- अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा निधि जमा का संकलन/छूट में अपनी नीति/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4 मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जुलाई 2004 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गयी है । मध्यप्रदेश के राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़को को मजबूत करने, उनका उन्नयन एवं विकास करना निगम का प्रमुख कार्य है । कुशल, पर्याप्त तथा समुचित तरीके से राज्य में अवसंरचना विकास हेतु कंपनी को अधिदेश प्राप्त है ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान 16 परियोजना राजमार्ग को बनाओ, चलाओ तथा हस्तातरण (बी.ओ.टी.) योजना के तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के विभिन्न मॉडल के द्वारा पूरा किया गया ।

सड़क परियोजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन

कंपनी द्वारा 16 में से 11 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया गया। शेष पाँच परियोजनाओं में 67 दिनो से लेकर 564 दिनो की देरी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्राप्त करने में हुयी । इसका मुख्य कारण वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में देरी, साइट हस्तांतरण में देरी तथा राईट ऑफ वे से जुड़ी समस्यायें थी ।

पर्यावरणीय शमन की लागत का गलत उपचार

कंपनी द्वारा पर्यावरणीय शमन की लागत पर 25 % वृद्धि एवं इसको निर्माण लागत के रूप में लिये जाने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 62.71 लाख का अधिक भुगतान व्ही.जी.एफ. के रूप में किया गया ।

उच्च विशिष्टता के कारण परियोजना लागत में वृद्धि

सड़क पर वर्तमान एवं अनुमानित ट्राफिक को ध्यान में रखते हुये, खिमलासा–मलथॉन खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने की आवश्यकता नही थी । इस खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने के परिणामस्वरूप अनुपातिक व्ही.जी.एफ. के रूप में ₹ 14.37 करोड़ का परिहार्य एवं अनुचित व्यय ।

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) मॉडल के तहत बोनस एवं एन्युटी का भुगतान

तीन परियोजना राजमार्गो को विकसित करने के लिये कंपनी द्वारा नया मॉडल बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी) तैयार किया गया । निर्माण अवधि को परामर्शदाता की सिफारिश के अनुसार तय अवधि में न करने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 16.82 करोड़ का अधिक भुगतान ।

पी.पी.पी. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव

बीना–खुरवई–सिरोज परियोजना राजमार्ग हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव पी.पी.पी. के सिद्धांत के विरूद्ध है ।

टोल का गलत निर्धारण

कंपनी द्वारा टोल निर्धारण की कोई मानक प्रक्रिया एवं कार्यविधि न बनाने के कारण, कन्शेसनायर को ₹ 37.43 लाख का अनायास लाभ ।

कन्शेसनायर द्वारा प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब

इंदौर–उज्जैन परियोजना राजमार्ग के कन्शेसनायर द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक ₹ 7.69 करोड़ की राशि को प्रीमियम के रूप में जमा नही किया गया ।

प्रस्तावना

2.4.1 मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (कंपनी) की स्थापना 14 जुलाई 2004 को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गयी जिसका प्रशासनिक नियंत्रण लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन है। जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संदर्भ मे सड़को का विकास सार्वजनिक एवं निजी या संयुक्त उद्यम आधार के रूप में परिकल्पित करना है ।

कंपनी को अक्टूबर 2005 में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के रूप में मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम 2004 के अंतगर्त अधिसूचित किया गया है तथा राजमार्गो के विकास एवं संचालन हेतु अधिदेश दिया गया है ।

कंपनी द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से 2008 के मध्य बी.ओ.टी. समझौते के लिये पी.पी.पी. के अंतर्गत दिशा निर्देश तथा ''माडल रियायत समझौते'' (एम. सी.ए.) का पालन करना आवश्यक है ।

कंपनी द्वारा बी.ओ.टी. (टोल)[1], बी.ओ.टी. (एन्युटी)[2] और बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी)[3] मॉडल का उपयोग राजमार्गो के विकास एवं निर्माण हेतु कन्शेसनायर[4] से अनुबंध किया जा रहा है ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹3803.81 करोड[5] की प्राक्कलित लागत से 16[6] परियोजना राजमार्गो का विकास किया गया है । विस्तृत ***परिशिष्ट 2.4.1*** में इसके अलावा 14 परियोजना राजमार्गो[7] का कार्य चल रहा था ।

[1] इस माडल के तहत टोल के संग्रहण एवं रखने का अधिकार निश्चित समय अवधि के लिये कन्शेसनायर को होता है । इसके साथ ही व्हीजीएफ इसे दिया जाता है तथा प्रीमीयम इसके द्वारा भुगतान किया जाता है ।

[2] वार्षिकी के रूप में एक निश्चित राशि, रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक छह महीने में कन्शेसनायर को भुगतान किया जाता है ।

[3] वार्षिकी के अलावा कन्शेसनायर को टोल रियायत अवधि के दौरान भी टोल समाहित करने की अनुमति होती है ।

[4] कन्शेसनायर निजी क्षेत्र का साझेदार है । जो कि निवेश करता है और निश्चित अवधि के लिए सुविधा का संचालन करता है और बाद में इसका स्वामित्व वापिस सार्वजनिक क्षेत्र को चला जाता है ।

[5] ₹ 3596.37 करोड़ (बीओटी टोल) और ₹ 207.44 करोड़ (बीओटी टोल प्लस वार्षिकी)

[6] बीओटी (टोल) पर 13 और बीओटी (टोल प्लस वार्षिकी) मॉडल पर 3 परियोजनाऐ ।

[7] दमोह जबलपुर, सतना–चित्रकूट, बीना–खुरवई–सीरोज, भोपाल बायपास, झाबुआ–कुश्की, दमोह–हीरापुर, संरगापुर–शुजालपुर, सिवनी–पहारावर सीमा, खंडवा–बुरहानपुर रोड़, लखनादौन–सिवनी सीमा, राऊ–मंडेण्लेश्वर, पाटन–रहेली रोड, भोपाल–सिरोज, इर्शागढ़–गुना

संगठनात्मक संरचना

2.4.2 कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल जिसमे अध्यक्ष सहित नौ निदेशक[8] है में निहित है । कंपनी का दैनिक परिचालन प्रबंध संचालक द्वारा जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है किया जाता है । इसकी सहायता के लिये एक तकनीकी सलाहकार, मुख्य अभियंता (बी.ओ. टी.), मुख्य अभियंता (खरीद), मुख्य अभियंता (संधारण/एम.डी.आर.), मुख्य जनरल मैनेजर (मानव संसाधन प्रबंधन), उप जनरल मैनेजर (राष्ट्रीय राजमार्ग), उप जनरल मैनेजर (बी.ओ. टी.), मुख्य लेखाधिकारी और कंपनी सचिव होते है । मार्च 2013 की स्थिति में कंपनी द्वारा 13 प्रभागो[9] का संचालन प्रबंधक या महाप्रबंधक के नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है । संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट 2.4.3*** में दिया गया है । कंपनी द्वारा टेन्डर किये जाने की प्रक्रिया तथा प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद एवं स्वतंत्र इंजीनियर या पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता सलाहकार की नियुक्ति प्रत्येक परियोजना राजमार्गो की पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुनिश्चित करने के लिये की जाती है ।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

2.4.3 वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान 16 परियोजना राजमार्गो का कार्य पूर्ण हुआ । इसमें से 13[10] परियोजना राजमार्गो, का चुनाव यादृच्छिक आधार पर लेखापरीक्षा हेतु किया गया इसके अतिरिक्त 14 चल रहे परियोजना राजमार्गो में तीन[11] का भी चुनाव विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु किया गया ।

कंपनी का निष्पादन लेखापरीक्षा ''बी.ओ.टी. कार्यक्रम के अंतर्गत सड़को एवं पुलो का निर्माण एवं रखरखाव मध्यप्रदेश राज्य में'' शीर्षक से अप्रैल 2004 से मार्च 2009 अवधि के लिये किया गया। जिसे नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सिविल) मध्यप्रदेश शासन के 31 मार्च 2009 समाप्ति वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल किया गया । तथा जिसके लेखापरीक्षा निष्कर्ष कंपनी तथा सरकार को अवगत कराया गया । निष्पादन प्रतिवेदन के निष्कर्ष को लोक लेखा समिति की बैठक में चर्चा की गयी और उनकी सिफारिशो (दिसम्बर 2013) की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हमने 8 नवम्बर 2012 को हुयी प्रवेश सम्मेलन के दौरान सरकार एवं कंपनी को लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा की कार्यविधि से अवगत कराया । लेखापरीक्षा के लिए अपनायी गई कार्यपद्धति में कम्पनी के शीर्ष प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराना दस्तावेजो की जांच मुख्य कार्यालय एवं संभागीय कार्यालयों तथा लेखापरीक्षित कर्मचारी के साथ बातचीत एवं डेटा का विश्लेषण लेखापरीक्षा आपत्ति के रूप में किया जायेगा ।

लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजना राजमार्गो से संबंधित लेनेदेन एवं दस्तावेजो की जांच प्रधान कार्यालय एवं 13 में से छः[12] संभागीय कार्यालयो में किया जायेगा ।

[8] सरकार द्वारा नामित

[9] भोपाल, इन्दौर (I और II), जबलपुर, रीवा (I और II), ग्वालियर, सागर, उज्जैन (I और II), चम्बल, नर्मदापुरम और छिन्दवाडा

[10] दस परियोजना बीओटी (टोल) जिनके नाम मंदसौर सीतामऊ, भोपाल–देवास, चाँदपुर–बडवानी, बीना मलधान, सागर–दमोह, मऊ–धाराविल्लौद, उज्जैन–अहेल–नागदा–धिलौदा और तीन परियोजना राजमार्ग बीओटी (टोल प्लस वार्षिकी पर जिनके नाम बडवानी सेधवा, सरदारपुर–बडनावर, मंदसौर–प्रतातगढ़, विस्तृत ***परिशिष्ट 2.41 तथा परिशिष्ट 2.42*** में दिया गया है।

[11] सतना–चित्रकूट, बीना–खुरवई–सिंरोज और दमोह जबलपुर

[12] भोपाल, इन्दौर (I और II), उज्जैन (I और II), और सागर

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2013 को कंपनी एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया । कंपनी एवं राज्य सरकार के उत्तर क्रमशः जुलाई 2013 एवं दिसम्बर 2013 को प्राप्त हुए । लेखा परीक्षा निष्कर्ष 5 सितम्बर 2013 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) मध्यप्रदेश शासन एवं कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ चर्चा की तथा सरकार और कंपनी के विचार निष्पादन प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्धारण उद्देश्य थे कि :

- परियोजनाओं का निष्पादन कन्शेसनायर के साध्य में प्रवेश रियायत समझौतो की शर्तो के अनुसार किया गया ;
- परियोजनाओं के प्राक्कलन योजना आयोग द्वारा जुलाई 2009 में प्रख्यापित (आर.एफ.पी.) मॉडल अनुरोध के लिये प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) में निहित दिशा निदेर्शो के अनुसार है ;
- रियायत समझौता योजना आयोग के अप्रैल, 2009 के आदर्श रियायत समझौते (एम.सी.ए.) के अनुसार था ;
- मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार टोल का निर्धारण ;
- कन्शेसनायर द्वारा प्रीमियम को रियायत अनुबंध की शर्तो के अनुरूप जमा कराना;
- कन्शेसनायर द्वारा संचालन एवं रखरखाव आवश्यकताओं की पुष्टि ;

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.4.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न से लिये गये थे :

- माडल आर.एफ.पी. में निहित दिशा निर्देश ;
- माडल रियायत समझौते के प्रावधान ;
- बी.ओ.टी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये निर्देश ;
- इंडियन रोड कांग्रेस[13] द्वारा जारी प्रकाशन एवं सिफारिश और ;
- रियायत समझौतो के अनुसार सड़को का निष्पादन एवं रखरखाव ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को पैराग्राफो के माध्यम से बताया जा रहा है ।

सड़क परियोजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन

2.4.6 रियायत समझौते के अनुसार कन्शेसनायर द्वारा दो वर्षो के अंदर परियोजना राजमार्गो को पूर्ण किया जाना है । वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान कंपनी ने 13 परियोजना राजमार्ग बी.ओ.टी. (सेल) मॉडल पर एवं तीन परियोजना राजमार्ग ***बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी)*** मॉडल पर पी.पी.पी. के अंतर्गत पूर्ण किये जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 2.4.4*** में है ।

कंपनी द्वारा 16 में से 11 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया गया। शेष पाँच[14] परियोजनाओं में 67 दिनो से लेकर 564 दिनो की देरी वाणिज्यिक प्रचालन की

[13] समिति के रूप में राजमार्ग इंजीनियर की तकनीकी संख्या जो कि भारत में बेहतर सड़को एवं पुलो के निर्माण और व्यवहारिक ज्ञान को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है ।

तारीख प्राप्त करने में हुयी । इसका मुख्य कारण वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में देरी, साइट हस्तांतरण में देरी तथा राईट ऑफ वे से जुड़ी समस्यायें थी ।

परियोजना लागत का आकलन

पर्यावरणीय शमन की लागत का गलत उपचार

पर्यावरणीय शमन की लागत को व्यवहार से कन्शेसनायर को दी जाने वाली पीजीएफ की राशि में ₹ 62.72 लाख की वृद्धि ।

2.4.6.1 कंपनी प्रत्येक परियोजना राजमार्गो के लिये तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति निविदा के आधार पर तथा अनुबंधो से लिये दिशा निर्देशो के आधार पर ही परियोजना लागत अनुमानो की गणना हेतु समझौते में प्रवेश करती है। तकनीकी सलाहकार के चयन के लिये मॉडल अनुरोध प्रस्ताव के खण्ड 3.14 के अनुसार तकनीकी सलाहकार लागत का अनुमान संकेतात्मक विधेयक की मात्रा (बीओक्यू) के विभिन्न घटको के आधार पर तैयार करेगा । सलाहकार निर्माण लागत का 25 प्रतिशत एक मुश्त राशि प्रावधान के रूप में भौतिक एवं कीमत आकस्मिकताओं, निर्माण के समय ब्याज, अन्य वित्तपोषण लागत तथा निर्माण पूर्व व्यय आदि, जोड सकते है ।

हमने 16 परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं जो कि टेबिल नं. 2.4.1 में दर्शित है, में पाया कि पर्यावरणीय शमन की लागत[15] को निर्माण लागत में जोड़ा गया है और उस पर 25% प्रावधान के रूप में जोडा गया है । जबकि अन्य परियोजनाओं[16] में कंपनी ने 25% प्रावधान के लिये पर्यावरणीय शमन की लागत को नही लिया गया अतः कंपनी द्वारा पर्यावरणीय शमन की लागत को एक समान व्यवहार नहीं किया गया ।

इस उपचार से पर्यावरणीय शमन की लागत द्वारा चार परियोजना राजमार्गो की कुल लागत में वृद्धि हुयी जिसके फलस्वरूप कन्शेसनायर को ₹62.71 लाख VGF के रूप में अधिक वित्तपोषक (भुगतान) हुआ जिसे विस्तृत टेबिल 2.4.1 में दिखाया गया है ।

तालिका क्र. **2.4.1** *(₹ लाख में)*

स. क्र.	परियोजना राजमार्ग (सनी बीओटी (टोल) पर)	पर्यावरणीय शमन की लागत	लागत का अतिरिक्त प्रावधान	सहायता मांगी गयी	*प्रभाव*
1	2	3	4	*5*	*6 (4X5)*
1	सागर – दमोह	207.70	51.925	38	19.73
2	दमोह – जबलपुर	207.70	51.925	39	20.25
3	बीना – मल्दहान	108.41	27.103	38.01	10.30
4	भिण्ड – गोपालपुर	130.01	32.503	38.25	12.43
	कुल				**62.71**

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि पर्यावरण शमन की लागत कन्शेसनायर द्वारा वहन किया गया है तथा इसे सिविल लागत का एक घटक माना जाता है तथा परियोजना की लागत अधिक नही थी । निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने बताया कि पर्यावरणीय शमन की लागत को निर्माण लागत माना जाता है। क्योकि इस पर व्यय परियोजना राजमार्ग के निर्माण की अवधि के दौरान ही किये जाते है।

[14] चाँदपुर–बडवानी, मटकुली.–छिन्दवाड़ा, लेबड–जवरा, जवरा–नयागाँव और उज्जैन–अहेल–नागदा–धिलौथा परियोजना राजमार्ग

[15] पर्यापरणीय शमन की लागत में शोर/धूल प्रदूषण में कमी पेड एवं पौधो को रोपण की लागत आदि शामिल है ।

[16] लेबड–मानपुर और इन्दौर–उज्जैन परियोजना राजमार्ग

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि पर्यावरणीय शमन की लागत को निर्माण लागत में जोड़ने पर कान्शेसनायर को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि होती है तथा कंपनी स्वय ही बाकी परियोजनाओं में निर्माण लागत के रूप में इसे नही ले रही है ।

उच्च विशिष्टता अपनाने के कारण परियोजना लागत में वृद्धि

2.4.6.2 कंपनी ने (जून 2008) में बीना–खिमलासा–मलथॉन 37.63 किलोमीटर परियोजना राजमार्ग को दो लेन मानक पर बी.ओ.टी. के अंतर्गत चौड़ा करने, मजबूत करने, संचालन एवं संधारण करने का निर्णय लिया। परियोजना में दो खण्ड थे जिसमें से एक मुख्य जिला सड़क बीना से खिमलासा[17] तथा दूसरा राज्यमार्ग नं 42 खिमलासा से मलथॉन[18] शामिल था । जिसकी प्राक्कलित लागत ₹ 69.11 करोड़ थी ।

कंपनी ने 7 अगस्त 2009 को कन्शेसनायर ईसेल बीनी खिमलासा मलथॉन टोल रोड लिमिटेड के साथ रियायत समझौता 25 वर्षो कि रियायत अवधि के लिये किया । कन्शेसनायर द्वारा 25 मई 2010 को परियोजना हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता[19] प्राप्त की । स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा सड़क के लिये दिसम्बर 2011 में अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र[20] जारी किया तथा उसी दिन से कन्शेसनायर द्वारा टोल का संग्रहण शुरू कर दिया गया ।

वर्ष 2008 के ट्रेफिक अनुमान के अनुसार बीना खिमलासा खण्ड में 3722 पेसेन्जर कार यूनिट[21] (पी.सी.यू.) तथा खिमलासा पलधान खण्ड में 892 पी.सी.यू. था ।

बीना खिमलासा खण्ड में वर्ष 2034 तक यातायात के 18722 पी.सी.यू. होने का अनुमान था । इसी अनुपात में खिमलासा मलधान खण्ड में यातायात 4487 पी.सी.यू. तक वृद्धि का अनुमान था । आई.आर.सी.64:1990[22] के अनुसार 18000 पी.सी.यू. के यातायात पर सड़क को दो लेन प्लस पेक्ष थोल्डर के साथ निर्माण विशिष्टीकरण होना चाहिये, तथा 4487 पी. सी.ए यातायात के लिये, मानक 'सिंगल लेन' होगा । अतः वर्ष 2034 तक के लिये बीना–खिमलासा खण्ड के लिये ''दो लेन प्रशस्त सोलडर'' आवश्यक है । जबकि विमलाता मलधान खण्ड के लिये ''सिंगल लेन'' मानक पर्याप्त होगा ।

परियोजना में अतिउच्च विशिष्टता को अपनाने के कारण जनता पर अतिरिक्त भार ₹ 14.37 करोड़ ।

सड़क के दोनो खण्डो पर यातायात में विशाल अंतर के बावजूद बीना खिमलासा खण्ड पर यातायात को ध्यान में रखते हुये परियोजना के दोनो खण्डो को ''दो लेन प्लस कंधे प्रशस्त'' मानक पर विकसित किया गया । अतः खिमलासा–मक्लधान खण्ड जिसे की रियायत अवधि के समाप्त होने तक भी ''सिंगल लेन'' मानक पर्याप्त था उसे भी ''दो लेन'' मानक पर विकसित करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.37 करोड़ का संबंधित व्यय तथा आनुपातिक वी.जी.एफ. अनुचित तथा परिहार्य था ।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) वर्तमान ट्रेफिक को देखते हुये सड़क के मानक एवं विशिष्टताओं के साथ समझौता नही किया गया है तथा इस परियोजना के विकास से झांसी

[17] बीके खण्ड–लम्बाई 17.04 किलोमीटर

[18] केएम खण्ड–लम्बाई 20.59 किलोमीटर

[19] वित्त की प्राप्ति की तारीख वह तारीख है जिस पर कन्शेसनायर द्वारा परियोजना राजमार्ग के लिये वित्तीय व्यवस्था की जाती है

[20] स्वतंत्र इंजीनियर यद्यपि परियोजना या उसके किसी भाग के अथवा सभी भागो जो कि पूर्ण न हो के लिये कानूनी रूप से, सुरक्षित रूप से और मजबूती से वाणिज्यिक संचालन के लिये एक अंतरिम प्रमाण पत्र जारी कर सकते है ।

[21] परियोजना से गुजरने वाले वाहनों के सभी तरह से तुलना में आसानी के लिये एक मानकीकृत ईकाई में परिवर्तन है। ऐसी ईकाई यात्री गाडी प्रति दिन के आधार पर ईकाई है

[22] आई आर सी द्वारा जारी आई आर सी 64:1990 विशिष्ट मानक (टू लेन प्लस प्रशस्त शोलडर) यातायात के घनत्व के अनुसार सड़क के मानक का निर्धारक होता है।

और भोपाल के बीच में 26 कि.मी. की दूरी कम हो जायेगी जिसके कारण अतिरिक्त यातायात इस कम दूरी के कारण प्रत्याशित है । निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने कहा है कि परियोजना राजमार्ग एक राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि यातायात के कम घनत्व तथा आई.आर.सी. मानको के अनुसार खिमलासा मलधान खण्ड का विकास उच्च मानको पर नही करना चाहिये था। यदि यातायात में उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना थी तो इस के परिपेक्ष्य में अनुमानित टोल संग्रहक को ध्यान में रखते हुये अनुपातिक वी.जी.एफ. को कम करना चाहिये था । अतः उचित कारणो के अभाव में आई.आर.सी. मानदण्डो में भी उच्च मानक पर परियोजना के विकास के फलस्वरूप सरकारी खजाने पर ₹14.37 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा ।

2.4.6.3 सड़क परियोजनाओं के निष्पादन

रियायत समझौतो के अनुसार कन्शेसनायर को परियोजना को 24 माह में पूर्ण किया जाना आवश्यक था तथा इससे प्रत्येक दिन की देरी के लिये ''प्रर्दशन सुरक्षा निधि''[23] के 0.1 प्रतिशत की दर से हर्जाना के रूप में दिया जाना तय था तथा यदि कंपनी द्वारा कन्शेसनायर को साईट हस्तातरण में देरी की जाती है तो उस पर भी हर्जाना तय था और अनुबंध में विभिन्न क्रियाकलापो/गतिविधियो का परियोजना के पूरा करने के लिये समय सीमा निर्धारित था एवं कन्शेसनायर द्वारा पूर्ण करने के लिये समय सीमा निर्धारित थी एवं कन्शेसनायर द्वारा निर्धारित समयसीमा के पालन करने में देरी करने पर क्षतियों के लिये उत्तरदायी होगा ।

16 परियोजना राजमार्गो (13 पूर्ण किये गये और 3 चल रही परियोजनाओं) की जांच में पांच परियोजनाओं में हमने देरी देखी तथा इन पांच परियोजनाओं में क्षतियो को अनुबंध के अनुसार लिया गया । निम्न दो मामलो में अनुबंध के अनुसार क्षतियों की मांग जब क्षति उदित हुयी नही की गयी :–

- बीना–खुरवई–सिंरोज परियोजना राजमार्ग (टोल) पुनर्निर्माण का कार्य बीओटी के अंतर्गत नवम्बर 2010 में टेलीकम्न्यूकेशन कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (टी. सी.आई.एल.) को दिया गया । परियोजना के प्रारंभ से ही कार्य देरी से शुरू हुआ स्वतंत्र इंजीनियर ने (जून 2012) कंपनी को बताया है कि कन्शेसनायर ने माईलस्टोन[24] I एवं II हासिल नही किया था तथा कंपनी अनुबंध की शर्तो के अनुरूप क्षति हेतु दावा कर सकती है। दिसम्बर 2012 तक केवल 17 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था परन्तु कंपनी ने ₹ 73.90 लाख (अप्रैल 2013 तक) को हर्जाने के रूप में दावा नही किया हमारे द्वारा (फरवरी 2013) बताये जाने पर कंपनी ने (अप्रैल 2013) में कन्शेसनायर से हर्जाना वसूली के लिये कहा । वसूली की प्रगति (जनवरी 2014) की प्रतीक्षा है ।
- बीना–खियलास–मलधाँन परियोजना राजमार्ग के रियायत अनुबंध के लेख 14.4.1 के अनुसार कन्शेसनायर द्वारा अनंतिम प्रमाण पत्र जारी होने के 90 दिनो के अंदर पंच सूची[25] में सूचीबद्ध सभी आईटम्स को पूर्ण करना होगा तथा उक्त आईटम्स पूर्ण करने में असफल होने पर कंपनी को हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी होगा । आंतरिक प्रमाण पत्र दिसम्बर 2011 के जारी किया गया तथा पंच सूची के सभी सूचीबद्ध आईटम्स मार्च 2012 को पूर्ण किये गये थे । हमने पाया (सितम्बर 2013) 15 महिनो

[23] निष्पादन सुरक्षा निधि परियोजना लागत की 5 प्रतिशत है ।

[24] कन्शेसनायर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत परियोजना की नियत तिथि से 180 दिन तथा 365 दिनों में क्रमशः माडलस्टोन I तथा II हासिल करेगा ।

[25] आंतरिक पूर्णता प्रमाण–पत्र की तारीख पर पंच सूची में अपूर्ण कार्यो का वितरण होता है।

की समाप्ती के पश्चात भी अंतिम प्रमाण पत्र कन्शेसनायर को जारी नही किया गया जो कि पंच सूची के सूचीबद्ध आईटम्स के पूर्ण न होने की पुष्टि भी करते है । बहरहाल क्षति के रूप में सूचीबद्ध आईटम्स[26] पूर्ण न करने के लिये कंपनी द्वारा ₹2 करोड़[27] का दावा अभी तक नही किया गया है ।

कंपनी तथा सरकार ने इस आपत्ति का उत्तर नही दिया ।

बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्यूटी) मॉडल के अंतर्गत बोनस एवं एन्युटी का भुगतान

बोनस के भुगतान तथा निर्माण अवधि 730 दिन निश्चित करने से कन्शेसनायर को ₹ 29.27 करोड़ का अनुचित लाभ बोनस के रूप में

2.4.6.4 मन्दसौर–प्रतापगढ़, सरदारपुर–बडनायर और बड़वानी–पुल सोद–सेधवा परियोजना राजमार्ग को बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी) मॉडल पर पी.पी.पी. के अंतर्गत विकसित किया (जून–जुलाई 2012) गया । यातायात के कम घनत्व तथा कम राजस्व की संभावना को ध्यान में रखते हुये कंपनी ने (जनवरी 2011–मार्च 2011) इन तीन परियोजनाओं को बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी) मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी पर आधारित राज्य स्तर की प्राधिकार समिति (SLEC) ने (दिसम्बर 2010 और जनवरी 2011) को निर्णय लिया कि ये सभी परियोजनायें फिक्सड वार्षिकी के रूप में निविदा के माध्यम से विकसित किये जायेगे।

बोनस का भुगतान

परियोजना राजमार्गो का विस्तृत विवरण, सी.ए. के अनुसार निर्धारित समापन अवधि, सलाहकार द्वारा अनुशंसित विनिर्माण अवधि, विनिर्माण की वास्तविक अवधि एंव अवधि पूर्व समापन पर देय बोनस[28] को तालिका 2.4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. **2.4.2**

परियोजना राजमार्ग का नाम	लम्बाई	रियायत समझौते के अनुसार अनुसूचित अवधि (माह मे)	सलाहकार द्वारा अनुशंसित निर्माण अवधि (माह में)	अनुसूचित एवं वास्तिविक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सी.ओ.डी.)	परियोजना राजमार्ग की पूरा होने की वास्तविक अवधि (माह मे)	शीघ्र पूरा करने के लिये दिया गया बोनस (करोड़ में)	बोनस की राशि यदि निर्माण अवधि तय की जाती सलहाकार के अनुसार (करोड़ में)	अतिरिक्त बोनस कंपनी द्वारा दिया गया (करोड़ में)
मंदसौर–प्रतापगढ़	11.526	24	12	10 सितम्बर 2013 और 18 जून 2012	9	2.86	0.53	2.33
सरदारपुर–बडनावर	42.990	24	18	14 दिसम्बर 2013 और 09 जून 2012	6	14.16	9.47	4.69
बड़वानी – पलसोद–सेधवा	56.880	24	12	2 अक्टूबर 2013 और 3 जुलाई 2012	9	12.25	2.44	9.81
योग						**29.27**	**12.45**	**16.82**

[26] शोलर का अपूर्ण निर्माण, ढलान, जक्शन, बस वे का अधूरा निर्माण, आरसीसी नाली, लेन स्ट्रौचस, सिग्नल बोर्ड, ट्रक ले बे, वृक्षारोपण, टोल प्लाजा, मेटल करैस, बेरियर, मध्यिका तथा पैदलयात्री रोलिंग का अपूर्ण निर्माण ।

[27] हर्जाना, निष्पादन सुरक्षा निधि का 0.1 प्रतिशत या इंजीनियर द्वारा प्राकक्लित इस कार्य की लागत का 0.2 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगा । स्वंतत्र इंजीनियर द्वारा इस लागत का निर्धारण नहीं किया गया इसलिये लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादन सुरक्षा निधि का 0.1 प्रतिशत लिया गया ।

[28] कम्पनी द्वारा बोनस की गणनाः प्रतिदिन वार्षिकी की राशि शिय्डूल पूर्णता से पहले बचाये गये दिनो की संख्या ।

तलिका क्र. 2.4.2 से यह देखा जा सकता है:

- इन परियोजनाओं के लिये रियायत अनुबंध में 24 माह निर्धारित पूर्णता अवधि (Schedule completion period) के रूप में दिया गया जबकि परामर्शदाता ने 12 से 18 महिने की अवधि निर्माण अवधि के रूप में सुझाया। परामर्शदाता के सुझाव से अधिक निर्माण अवधि के रूप में दिये जाने के कारणो का दस्तावेज उपलब्ध नही था खासतौर पर शीघ्र परियोजना पूरा करने से संबंधित बोनस का भुगतान, संबंधित खण्ड, समझौते में रखा जाना।
- कन्शेसनायर द्वारा परियोजना राजमार्गो के छः महिने से लेकर 9 महिनो में पूरा किया गया जबकि इनके लिये 24 महिने अनुसूचित अवधि के लिये प्रदान किये गये ।
- योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऐसे मॉडल समझौते जिसमें वार्षिकी का भुगतान होता है। उसमें टोल कन्शेसनायर द्वारा संग्रहित नही किया जाता है । बल्कि परियोजना को जल्दी पूरा करने पर कन्सेसनायर को बोनस दिये जाने का प्रावधान है । परन्तु इन परियोजनाओं में टोल भी कन्शेसनायर द्वारा एकत्रित/संग्रहित किया जा रहा है । क्योकि कन्सेसनायर द्वारा अनुसूचित तारीख से पहले परियोजना पूर्ण करने के कारण अतिरिक्त टोल एकत्रित किया गया जो कि वृद्धिशील राजस्व होता है । जो कि निर्धारित तिथी से पहले प्रारंभ हो जाता है। जो कि प्रोत्साहन के रूप में काफी होगा। इस प्रकार सी.ओ.डी. के जल्दी प्राप्ति पर बोनस के भुगतान एवं सलाहकार द्वारा सिफारिश किये गये निर्माण अवधि के प्रावधानो को समावेश नही करने के फलस्वरूप कन्शेसनायर को ₹ 16.82 करोड़ का अनायास लाभ।

 सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि (i) मॉडल रियायत समझौता (एम.सी.ए.) निर्माण अवधि दो वर्ष प्रदान करता है । और (ii) बोनस का भुगतान एम.सी.ए. के अनुसार है जो कि परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिये कन्शेसनायर को प्रोत्साहन है ।

 उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि इस तरह के पी.पी.पी. मॉडल के लिये मॉडल रियायत समझौता नही है । तथा कंपनी सलाहकार की सिफारिश के आधार पर निर्माण अवधि तय कर सकती थी सलाहकार की सिफारिश से भी लंबी अवधि निर्माण हेतु तय करने से कंपनी को 6 माह से लेकर 12 माह तक परियोजना जल्दी पूरा करने के फलस्वरूप बोनस के भुगतान के लिये प्रतिबद्ध होना पड़ा ।

एन्यूटी (वार्षिकी) का भुगतान

बी.ओ.टी. (टोल) के तहत लिये गये परियोजना राजमार्ग व्यपदार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) के लिये पात्र है । जो कि आमतौर पर परियोजना की लागत का 40 फीसदी तक ही प्रतिबंधित है । कंपनी द्वारा निदेशक, संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश शासन के लिखे (अक्टूबर 2010) टीप (नोट) के अनुसार परियोजनाओं को बी.ओ.टी. (टोल प्लस छाया फीस)[29] मॉडल 40 फीसदी व्यवदर्पता अंतर वित्त पोषण पर, जिसमें छायाफीस को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तथ्य सीमित किया जायेगा जिससे कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) व्यपदार्यता छायाफीस की कुल राशि परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।

तीन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, एन्युटी भुगतान, भविष्य वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, एवं टोल और वर्तमान मूल्य का प्रतिशत अनुमानित लागत के संदर्भ में तालिका क्रमांक 2.4.3 में दर्शायी गई है ।

[29] छायाफीस वाणिज्यिक वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से टोल न लेने के बदले में कन्शेसनायर को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान है। जो कि एक प्रकार की वार्षिकी है ।

तालिका 2.4.3

परियोजना राजमार्ग का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ में)	छः माह में एन्युटी भुगतान की राशि (करोड़ में)	26 किस्तो का वर्तमान मूल्य (करोड़ में)	अनुमानित टोल का वर्तमान मूल्य (करोड़ में)	बोनस भुगतान की राशि (करोड़ मे)	बोनस एवं टोल की कुल वर्तमान मूल्य	अनुमानित लागत पर बोनस एवं टोल का वर्तमान मूल्य का प्रतिशत
मंदसौर–प्रतापगढ़	21.90	1.17	15.21	10.24	2.86	28.31	129.27
सरदारपुर–बडनावर	83.66	4.71	61.25	105.55	14.16	180.96	216.17
बड़वानी – पलसोद–सेधवा	107.11	4.97	64.63	72.95	12.25	149.83	139.89

** वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन के लिये 12 प्रतिशत डिस्कउन्ट पर लिया गया है ।*

तालिका क्र. 2.4.3 से बी.ओ.टी. (टोल प्लस वार्षिकी) के तहत तीन परियोजनाओं के संबंध में देखा जा सकता है कि व्यावहरता अंतर वित्त पोषण, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत से लेकर 73 प्रतिशत तक है । दो परियोजनाओं के संदर्भ में टोल, वार्षिकी एवं बोनस का कुल वर्तमान मूल्य परियोजना की लागत की तुलना में 140 प्रतिशत से लेकर 216 प्रतिशत तथा एक परियोजना में 129 प्रतिशत था। जो कि यह इंगित करता है। परियोजना का वित्तीय निहितार्ध का मूल्यांकन व पर्याप्त न होने के कारण कन्शेसनायर को उच्च प्रतिफल सरदारपुर–बड़नायर परियोजना राजमार्ग में प्राप्त हुआ मुख्यतः और जिसके परिणामस्वरूप अधिक पी.जी.एफ. का जिसके परिणामस्वरूप अधिक पी.जी.एफ. का भुगतान व सरकार पर अनावश्यक अतिरिक्त भार पड़ा ।

निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने कहा कि अनुभवो से यह साबित होता है कि वार्षिकी की विधि के माध्यम से खजाने पर कम बोझ पड़ता है। तथा अधिक परियोजना राजमार्गो को विकसित किया जा सकता है।

निर्गम सम्मेलन में दिये गये उत्तर द्वारा परियोजना लागत से 50 फीसदी से अधिक का भुगतान वार्षिकी के रूप में करने का औचित्य नही बताया गया जो कि कंपनी का ही सरकार को दिये गये प्रतिबद्ध में विचलन है।

पी.पी.पी. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव :–

2.4.6.5 भारत सरकार के सचिव स्तर की समिति के अनुसार पी.पी.पी. का मतलब ''सरकार या संविधिक निकाय तथा निजी क्षेत्र की संस्था के मध्य एक व्यवस्था सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण के लिये प्रावधान'' है । सार्वजनिक निजी साझेदारी दोनो क्षेत्रो की ताकतो को एक साथ लाने के लिये एक उपकरण की तरह है । कार्यकुशलता में वृद्धि एवं निजी उद्योगो के नवचारों के अलावा, सरकारी कार्यक्रमो और परियोजना को अधिक वित्त पोषण के लिये पूंजी की उपलब्धता जिससे सार्वजनिक पूंजी सरकार के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमो के लिये उपलब्ध हो सके ।

टी सी आई एल को सहकारी कम्पनी के रूप में पीपीपी परियोजनाओं के लिये लिया जाना इसके उद्देश्यों से भिन्न है ।

कंपनी ने टेलीकम्यूनिकेशन कसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (TCIL) के साथ नवम्बर 2010 में रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किये । बीना–खुरवई–सिंरोज परियोजना (56.180 कि.मी.) राजमार्ग को दो लेन मानक पर मजबूत करने एवं पुर्ननिर्माण के लिये टी. सी.आई.एल. (TCIL) ने उत्तम बोली लगायी जिसकी अनुमानित लागत ₹ 95.10 करोड़

थी। टी.सी.आई.एल. के सरकारी कंपनी होने के कारण पी.पी.पी. माध्यम से अनुबंध के लिये चयन, निजी उद्योगो के मध्यम से धन के उद्देश्यो के विपरीत था ।

निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने कहा कि इस बारे में उन्हे कुछ भी पता नही था और भविष्य के ठेको पर इस बात का ध्यान रखा जावेगा ।

टोल का गलत निर्धारण और प्रीमियम की वसूली

टोल का गलत निर्धारण

2.4.6.6 राज्य सरकार ने बी.ओ.टी. योजना के तहत विकसित किये जा रहे परियोजना राजमार्ग से गुजरने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनो पर स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा जारी कार्य पूर्णता तारीख से टोल के निर्धारण को मंजूरी प्रदान करता है । टोल की दरो का निर्धारण सड़क या उसके किसी भाग की लंबाई के आधार पर ''प्रति ट्रिप प्रति वाहन'' आधार पर लगाया जाता है ।

कन्शेसनायर द्वारा टोल एकत्रित किया जाता है। तथा टोल का निर्धारण एवं संशोधन प्रति वर्ष तथा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित कर पांच के निकट तक मूल्य में किया जाता है। संशोधित टोल की दरे 31 मार्च के थोक मूल्य सूचंकाक के आधार पर प्रतिवर्ष[30] 1 सितम्बर से लागू/प्रभावी किया जाता है ।

हमने पाया कि थोक मूल्य सूचकांक के स्त्रोत के संदर्भ में कोई निर्देश एवं दिशा निर्देश नही था । निर्देशो के अभाव के फलस्वरूप उच्च दरो पर टोल का निर्धारण नीचे दिया गया है –

- चार[31] परियोजनाओं के मामले में वर्ष 2011–12[32] के लिये टोल के अभिकलन में कोई एकरूपता नही थी ।

- लेबड–मानपुर, बीना–खिमलासा–मलधान तथा सागर दमोह परियोजना राजमार्गो के मामलो में अर्थिक सलाहकार, वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रकाशित मार्च 2007 तथा मार्च 2011 थोक मूल्य सूचकांक के ''मासिक'' मान द्वारा टोल की दरो का निर्धारण किया गया जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित थोक मूल्य सूचकांक के ''वार्षिक'' मान से निम्न है ।

- भिन्ड–पिहोना–गोपालपुर परियोजना राजमार्ग के मामले में थोक मूल्य सूचकांक का मान वार्षिक ही अपनाया गया है । परन्तु आधार वर्ष नवीनतम 2004–05 के बजाय 1993–94 लिया गया है ।

उच्च टोल के निर्धारण के कारण ₹ 37.43 लाख का उपभोक्ताओं से कन्शेसनायर द्वारा अधिक टोल संग्रहण ।

इन सबके फलस्वरूप उच्च टोल दर के निर्धारण के परिणामस्वरूप कन्शेसनायर द्वारा टोल के उच्च संग्रह उपयोगकर्ताओं से किया गया । सितम्बर 2011 से अगस्त 2012 तक उच्चतर टोल दर के कारण कन्शेसनायर द्वारा ₹37.43 लाख का उच्च टोल संग्रह विस्तृत ***परिशिष्ट 2.4.5*** में सरकार ने (दिसम्बर 2013) कहा कि डब्ल्यू.पी.आई. (अ) तथा डब्ल्यू.पी. आई. (ब) का मान कुछ समय के लिये अपनाया गया था । डब्ल्यू.पी.आई. (ब) का मान

[30] बुनियादी टोल दरे 1 सितम्बर 2007 के प्रभाव से सूचित किया गया है। संशोधित टोल दर–बुनियादी टोल दर पिछले वर्ष के 31 मार्च को डब्लू पी आई /WPI 'B' /1.09.2007 का डब्लू पी आई /WPI 'A'

[31] लेपड–मानपुर, सागर–दमोह, बीना–खिमलाता–मलधान और भिण्ड–मिहोना–गोपालपुर परियोजना राजमार्ग ।

[32] सितम्बर 2011 से अगस्त 2012 तक के लिये लागू ।

अप्रैल से मार्च के बीच के औसत के रूप में प्रतिवर्ष माना जा सकता है । आगे यह भी कहा गया कि सितम्बर 2012 से डब्ल्यू.पी.आई. का मान वणिज्य एवं उघोग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट में किया जा रहा है ।

निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने सूचित किया कि कंपनी ने जब से प्रक्रियाओं का मानकीकरण हुआ है और इसे संचालक मंडल से अनुमोदित करा कर प्रलेखित किया जायेगा ।

कन्शेसनायर द्वारा प्रीमियम का विलंब से विप्रेषण

2.4.6.7 कंपनी ने बी.ओ.टी. (टोल) के तहत दो लेन इन्दौर उज्जैन परियोजना राजमार्ग को चार लेन मानक पर चौड़ीकरण, उन्नयन और सुदृढ़िकरण कर विकसित करने का निर्णय लिया ।

कंपनी ने महाकालेश्वर टोलवे प्राईवेट लिमिटेड (कन्शेसनायर) के साथ 17 सितम्बर 2008 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किये तथा कन्शेसनायर द्वारा 26 मई 2009 को वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली गई । रियायत समझौते के खण्ड 26.2.1 के अनुसार राजस्व का 26. 38 प्रतिशत जिस पर कि प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी का भुगतान प्रीमीयम के रूप में कंपनी को किया जायेगा । स्वतंत्र इंजीनीयर ने 15 नवम्बर 2010 को अंनतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया एवं उसी तारीख से कन्शेसनायर द्वारा टोल का संग्रह शुरू किया गया ।

कन्शेसनायर ने टोल संग्रहित कर ₹ 7.69 करोड़ प्रीमियम के रूप में कम्पनी को जमा नहीं किया ।

हमने देखा (फरवरी 2013) कि कन्शेसनायर द्वारा मार्च 2012 तक कंपनी को प्रीमीयम का भुगतान किया गया था । कन्शेसनायर द्वारा वर्ष 2012–13 से 2013–14[33] के दौरान ₹26. 76 करोड़ टोल के रूप में एकत्रित किया गया परन्तु टोल के अपर्याप्त संग्रह एवं कुछ निश्चित उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान न करने एवं प्रशासन मे सहायता न मिलने की वजह से ₹ 7.69 करोड़[34] प्रीमीयम के रूप में जमा नही किया गया (सितम्बर 2013)।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2013) कि कन्शेसनायर द्वारा टोल का संग्रह उनके वित्तीय दायित्व से भी कम था । आगे यह कहा गया कि गैर भुगतान पर कानूनी राय मांगी जा रही है । निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने बताया कि सभी टोल राजस्व एस्क्रो खाते में कन्शेसनायर द्वारा सीधे जमा करा दिया जाता है । इस खाते में झरने के समान व्यवस्था है । जिसमें सबसे पहले परियोजना के संचालन एवं रखरखाव में फिर एस.पी.पी. के अन्य व्यय में पैसा विनियोजित होता है और इस सब के बाद प्रीमीयम का भुगतान तथा अंत में कन्शेसनायर को पैसा दिया जाता है।

उत्तर में कंपनी ने अपने प्रीमीयम की राशि को सुनिश्चित कैसे करेगे नही बताया है । जिसे कि रियायत समझौते के अनुसार समय पर सुनिश्चित करना है ।

संचालन एवं संधारण

निर्मित सड़को के वार्षिक रखरखाव कार्यक्रमो का अभाव

2.4.6.8 कन्शेसनायर के साथ किये गये रियायत समझौते के अनुसार कन्शेसनायर परियोजना राजमार्ग के संचालन अवधि में रखरखाव एवं संचालन का कार्य करेगा ।

[33] सितम्बर 2013 तक

[34] वर्ष 2012–13 के लिये ₹17.26 करोड का 28.38 प्रतिशत और वर्ष 2012–13 के लिये ₹9.50 करोड़ का 29.38 प्रतिशत टोल।

कन्शेसनायर परियोजना राजमार्ग हेतु किये गये रियायत समझौते में उल्लेखित रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप समय–समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये । रियायत समझौतो के प्रावधानो के अनुसार कन्शेसनायर सी.ओ.डी. तारीख या उससे पहले लेकिन 45 दिन वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद नही वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम जिसमे निवारक, तत्काल तथा अन्य अनुसूचित रखरखाव (संधारण कार्यक्रम) रखरखाव आवश्यकताओं के लिये पूर्ण करेगा ।

नीचे दी गई तालिका सं. 2.4.4 चार परियोजनाओं राजमार्गो के संबंध मे वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को दर्शाया गया है ।

तालिका क्रमांक 2.4.4

सं.क्र.	परियोजना राजमार्ग का नाम	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	मऊ घटाबिललौद (टोल)	30 दिसम्बर 2012
2	बड़वानी – सेंधवा (टोल प्लस एन्युटी)	3 जुलाई 2012
3	सरदारपुर – बडनावर (टोल प्लस एन्युटी)	9 जून 2012
4	मंदसौर – सीतामऊ (टोल)	5 फरवरी 2009
5	मंदसौर – प्रतापगढ़ (टोल प्लस एन्युटी)	18 जून 2012
6	कोपाल – देवास (टोल)	30 अप्रैल 2010

तालिका सं. 2.4.4 मे से देखा जा सकता है कि परियोजना राजमार्गो के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ होने के बाद भी रियायत समझौतो में नियत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम कन्शेसनायर द्वारा कंपनी को उपलब्ध नही कराया गया । वार्षिक रखरखाव को करने के कोई भी दस्तावेज कंपनी द्वारा उपलब्ध नही कराये गये । परियोजना राजमार्गो के वार्षिक रखरखाव के अभाव में, सड़को की गुणवत्ता खराब हो सकती है ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने के पश्चात कंपनी ने (मई 2013) चार[35] परियोजना राजमार्गो के वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त किये तथा दो राजमार्गो के संबंध में इसकी प्रतीक्षा (दिसम्बर 2013) थी ।

रफनेश टेस्ट नही किया गया

2.4.6.9 बी.ओ.टी. (टोल) के लिये रियायत समझौतो के अनुसार कन्शेसनायर निर्धारित किये गये समय पर संचालन और रखरखाव आवश्यकताओं का पालन करेगा । प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार रफनेश[36] टेस्ट रोड मापन द्वारा अधिग्रहण प्रणाली (ROMDAS) के टक्कर करने वाला अंशाकंन वाहन के द्वारा मानसून के पहले तथा बाद में अधिमानतः अप्रैल तथा अक्टूबर महिने में हर साल मापा जायेगा और कन्शेसनायर रफनेश टेस्ट के सूचकांक 3000 मि.मी. प्रति किमी तथा प्रत्यके 200 मीटर की लंबाई की सड़क पर 1000 मिमी से ज्यादा न होने पाये सुनिश्चित करेगा ।

इन्दौर (1 और 2) तथा उज्जैन (1 और 2) के क्षेत्राधिकार के संचालित परियोजना राजमार्गो एवं उनके व्यावसायिक संचालन के प्रारंभ की तारीख का विवरण तालिका सं. 2.4.5 में देखा जा सकता है । .

तालिका 2.4.5

सं.क्र.	परियोजना राजमार्ग का नाम	वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
1	लेबड–मानपुर (टोल)	30 नवम्बर 2011
2	मऊ–घटाबिल्लौद (टोल)	30 दिसम्बर 2012
3	मंदसौर–सीतामऊ (टोल)	5 फरवरी 2009

[35] तालिका क्र. 2.4.4 में सरल क्रमांक 1,3,4 और 5

[36] सतह रफनेश सड़क सतह की बनावट का मापन है जिसकी गणना अपने आदर्श रूप से सड़क की सतह के उर्ध्वाधर विचलन से है ।

4	इन्दौर – उज्जैन (टोल)	19 नवम्बर 2010
5	मंदसौर–प्रतापगढ़ (टोल प्लस एन्युटी)	18 जून 2012
6	बड़वानी–सेघवा (टोल प्लस एन्युटी)	3 जुलाई 2012
7	सरदारपुर – बड़नावर (टोल प्लस एन्युटी)	9 जून 2012

हमने पाया :-

- तालिका के सड़क क्र. 1 को छोड़कर कन्शेसनायर ने समय पर नियत तारीख पर ऐसे परीक्षण नही किये ।
- लेबड–मानपुर परियोजना राजमार्ग का वाणिज्यिक प्रचालन हालाकि नवम्बर 2011 में प्रारंभ हुआ तथा रफनेस टेस्ट को अप्रैल 2012 व अक्टूबर 2012 में कराया जाना था लेकिन अप्रैल 2013 में कराया गया तथा रफनेश मूल्यो का मापन प्रति 200 मीटर की बजाय प्रति किलोमीटर मापा एवं दर्शाया गया ।
- बड़वानी–सेघवा, मंदसौर–प्रतापगढ़ और सरदारपुर बडनावर परियोजना राजमार्ग बी.ओ. टी. (टोल प्लस वार्षिकी) मॉडल विकसित किये गये और रियायत अनुबंध के शेड्यूल में के अनुसार 3000 मि.मी. प्रति किलोमीटर से अधिक रफनेस मूल्य आने पर सड़क की मरम्मत/सुधार 180 दिनो के अंदर हो जाना चाहिये । जबकि परीक्षण की अवधि रियायत समझौते में निर्दिष्ट नही किया गया था । इन तीनो परियोजना में पहली बार रफनेस परीक्षण 6 महीने से लेकर 11 महीनो[37] के बीच में कराया गया है । जबकि टोल परियोजनओं में यही अवधि 6 महिने निर्धारित है ।

लेखापरीक्षा के बताने के बाद सरकार (मई 2013) ने केवल चार[38] परियोजना राजमार्गो के रफनेस परीक्षण के परिणाम प्राप्त किये । निर्गम सम्मेलन में प्रबंध संचालक ने कहा क्योकि लेपड मानपुर परियोजना हाल मे ही प्रारंभ हुआ था इसलिये अप्रैल 2012 एवं अक्टूबर 2012 में रफनेस परीक्षण नही कराया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि रफनेश परीक्षण रियायत समझौते के अनुसार किया जाना बाध्यकारी था तथा इस तरह के परीक्षण की लागत भी कुल लागत में कन्शेसनायर द्वारा परियोजनाओं के विकास के समय जोड़ी जाती है ।

संरचनात्मक मूल्यांकन अध्ययन नही करना

2.4.6.10 रियायत अनुबंध के शिय्डल K के परिशिष्ट–1 के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन टेस्ट विशेषता विक्षेपन परीक्षण आई.आर.सी. 81 : 1997 के अनुरूप प्रत्येक वर्ष मानसून मौसम के बाद कराया जाना है । विक्षेपन का उच्च मूल्य सड़क की जर्जर स्थिति जबकि कम मूल्य सड़क के संरचनात्मक रूप से उपयुक्त स्थिति को प्रदर्शित करता है । हमने समीक्षा में पाया कि सभी 16 परियोजना राजमार्गो में से किसी भी परियोजना में यह परीक्षण नही कराया गया है ।

सरकार (मई 2013) ने कहा कि यह परीक्षण केवल उसी स्थिति में किया जाता है। जब सड़क में गंभीर कमी तथा सतह अपनी निर्माण स्थिति में न हो । आगे यह कहा गया कि अधिकारियों/स्वतंत्र इंजीनीयर द्वारा निरीक्षण के दौरान भी इस तरह का कोई गंभीर संकेत नही पा पाया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नही क्योकि रियायत अनुबंध में प्रतिवर्ष मानसून के बाद विशेषता विक्षेपन परीक्षण आई.आर.सी. 81:1997 के अनुसार कराया जाना है ।

[37] परीक्षण अक्टूबर 2012 मे किया जाना था और मई 2013 में किया गया

[38] तालिका क्र. 2.4.5 में सरल क्रमांक 4,5,6 और 7

सुरक्षा लेखापरीक्षा नही की गयी

2.4.6.11 मानक रियायत अनुबंध के अनुसार शिड्यूल (संचालन अवधि में सुरक्षा जरूरत) में वर्णित सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को कन्शेसनायर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार, सुरक्षा कन्सेनट्रेट के द्वारा कराना होगा तथा सुरक्षा लेखापरीक्षा में सड़क, चिन्हो, तथा परियोजना से संबंधित सुविधाओं में सुझाव पर अनुशंसा प्रदान करनी होगी ।

हमने पाया कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सभी परियोजना राजमार्गो में सुरक्षा लेखापरीक्षा नही करायी गयी ।

सरकार ने (मई 2013) कहा कि (i) सुरक्षा आवश्यकताओं को स्वतंत्र इंजीनियर के कर्मचारी के रूप में सुरक्षा कन्सेनट्रेट की नियुक्ति द्वारा पूरा कराया जाता है । जो कि निर्माण अवधि एवं ओ. एण्ड एम अवधि में सुरक्षा के लिये उत्तरादयी है। (ii) संभागीय प्रबंधक ओ. एण्ड एम. अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर की तरह कार्य करता है। (iii) लेबड़–जावरा परियोजना राजमार्ग के डिजाइन की समीक्षा करने के लिये स्वंतत्र सुरक्षा कन्सल्टेन्ट कि नियुक्ति सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये किया गया है। (iv) सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के बड़े पैमाने में ध्यान रखते हुये त्वरित दुर्घटना राहत तंत्र जो कि एक ऐजेन्सी है कि नियुक्त किया गया है।

कोई सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हमे नही दिया गया यह तथ्य अभी भी शेष है ।

निष्कर्ष :

- परियोजना राजमार्गो में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देरी, कार्यस्थल को सौपे जाने में देरी तथा राईट ऑफ वे की समस्याओं के कारण पूर्ण करने में देरी हुई
- आकास्मिकताओं के लिये किये गये प्रावधानो में पर्यावरण शमन की लागत को एकरूप तरीके से नही दिखाया गया है। बीना–खिमलासा मलधान परियोजना राजमार्ग को कम ट्रेफिक घनत्व के बावजूद दो लेन सड़क मानक पर विकसित किया गया ।
- परियोजना को नये बी.ओ.टी. मॉडल टोल प्लस वार्षिकी पर विकसित करने एवं शीघ्र पूरा करने पर बोनस के भुगतान को हटाने एवं परामर्शदाता द्वारा दी गये सिफारिश के अनुसार निर्माण अवधि को कम नही किया गया जिसके कारण कन्शेसनायर को बोनस के रूप में अधिक भुगतान।
- परियोजनाओं राजमार्गो पर टोल निर्धारण के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी न करने के कारण उच्च टोल दर का निर्धारण एवं कन्शेसनायर द्वारा टोल का उच्च संग्रहण।
- रफनेश परीक्षण देय तिथियों पर छः परियोजनाओं के संबंध में नही कराये गये। समीक्षा अवधि में कैरेक्टर डिफ्लेक्शन परीक्षण किसी भी परियोजना में नही कराये गये जबकि इसे प्रत्येक छः महीने में कराया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान किसी भी परियोजना राजमार्गो में सुरक्षा लेखापरीक्षा नही की गयी।

अनुशंसाएँ

कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिये :-

- समस्त परियोजनाओं में एक समान लागत के तथ्यो का समान रूप से अभिकलन अपनाया जाये ;
- परियोजना राजमार्गो को इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं सड़क के यातायात घनत्व के अनुरूप ही विकसित किये जाये ;
- परियोजना राजमार्गो के परामर्शदाता के अनुरूप ही निर्माण अवधि तय हो ;
- टोल निर्धारण के लिये मूल्य सूचंकाक एक ही अपनाया जाये ; और
- गुणवत्ता एवं सुरक्षा लेखापरीक्षा निर्धारित आवधिक परीक्षण के अनुसार सुनिश्चित हो।

अध्याय–3

अध्याय–3

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

3. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा

कार्यपालन सारांश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम (निगम) का गठन 31 मार्च 2003 को हुआ था। निगम का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों, उवर्रक, नमक, बोरो की गाठें इत्यादि के भण्डारण हेतु अधोसंरचना का निर्माण करना, गोदाम से माल की निकासी तथा किसानों एवं निजी पार्टियों को कीटनाशक सेवाएं उपलब्ध कराना है । मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डी.सी.पी.) के तहत उपार्जित किये गये खाद्यान्नों के भण्डारण करने हेतु निगम भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नोडल एजेन्सी है ।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम राज्य में उपलब्ध 97.50 लाख मैट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के विरूद्ध पूरे राज्य में फैले 275 केन्द्रों पर कुल 54.73 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के 2887 गोदाम थे निगम के कार्यकलापो की समीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ दर्शित हुई है।

नियोजन

आगामी वर्षो के कार्यकलापों को अच्छी तरह से करने के लिये निगम ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिये राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये, जिससे सहमति ज्ञापन किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

भूमि की आवश्यकता को राज्य सरकार के साथ हुए सहमति ज्ञापन में पर्याप्त आग्रिम रूप से सम्मलित नहीं करने से निगम, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, छिन्दवाड़ा खंडवा, सीहोर और सिवनी में गोदामों का निर्माण नहीं कर सका ।

निगम ने भण्डारण क्षमता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कोई भी दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की । निगम ने अपनी भण्डारण क्षमता वर्ष 2008–09 में 11.41 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2012–13 में 14.81 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई लेकिन उसका हिस्सा सीमन्तिक रूप से वर्ष 2008–09 में 15.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 15.18 प्रतिशत रह गयी।

गोदामों का निर्माण

धन की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 31,70,790 लाख मीट्रिक टन के भण्डारण क्षमता के लक्ष्य के विरूद्ध निगम ने केवल 6,53,350 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया ।

निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप बाद में कार्य सौपने पर ₹ 1.28 करोड़ के अधिक मूल्य पर निविदायें प्रदान की गई ।

परिवर्तनीय कैंप और प्री इंजीनियरिंग गोदामों के निर्माण पूर्ण होने में विलम्ब के कारण निगम गोदाम हेतु लागू भण्डारण शुल्क ₹ 49 प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर केप हेतु लागू ₹ 24 प्रति मीट्रिक टन की दर से दावा कर सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.86 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

गोदामों की उपयोगिता

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान समग्र लक्ष्य के विरूद्ध स्वयं के गोदामों एवं संयुक्त उद्यमों के गोदामों की उपयोगिता कम रही । निगम द्वारा चार शाखाओं में स्वयं एवं किराये के गोदामों में शेष भण्डारण क्षमता की उपलब्धता के बावजूद संयुक्त उद्यमों वाले गोदाम में खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया, जिससे निगम को ₹ 25.69 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

खाद्यान्न का भण्डारण

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम द्वारा निर्दिष्ट भण्डारण लाभ न प्राप्त करने तथा स्कन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 91.50 करोड़ मूल्य की हानि की गणना की गई लेकिन निगम ने उसके कारणों का ना तो विश्लेषण किया और ना हीं उपचारात्मक कार्यवाही की ।

निगम द्वारा बिना किसी क्षेत्र परिक्षण के वृहद पैमाने पर नये किस्म के मल्टी लेयर्ड क्रॉस फिल्म केप कव्हर के उपयोग का निर्णय लिया गया । निगम को उच्च कीमत के नये कैप कव्हर खरीदने के कारण ₹ 2.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पडा ।

निगम को केन्द्रीय भण्डार निगम/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक वजन के पौलिथिन कैप कव्हर खरीदने के कारण ₹ 44.00 लाख का परिहार्य व्यय वहन करना पडा ।

वित्तीय/बजटीय प्रबंधन

11 निर्माण कार्यो के संबंध में वास्तविक निष्पादित मात्रा अनुमोदित मात्रा को पार कर गई तथा ₹ 4.57 करोड़ के अधिक मात्रा का भुगतान ठेकेदार को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया । 10 निर्माण कार्यो के संबंध में ₹ 3.79 करोड़ अतिरिक्त मदों में व्यय किये गये कार्य का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया ।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के सभी समुहों में स्वीकृत पदो के विरूद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी थी ।

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

निगम के कार्यो की समीक्षा के लिये गठित कार्यकारी समिति की बैठक निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई ।

निगम ने ₹ 5.34 करोड़ के कम्प्युटर सिस्टम को उसकी स्थापना (मार्च 2008) के बाद के सितम्बर 2013 तक उसके साफ्टवेयर में समस्याओं का समाधान ना करने के कारण उपयोग नहीं किया ।

भूमि के पट्टा विलेखों का समय पर नवीकरण सुनिश्चित करने के लिये निगम द्वारा कोई निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई ।

प्रस्तावना

3.1 मध्यप्रदेश राज्य सरकार के आदेश[1] दिनांक 26 मार्च 2003 के अंतर्गत मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग लौजिस्टिकस कॉरपोरेशन का गठन 31 मार्च 2003 को किया गया ।

निगम के मुख्य कार्यो में अन्य बातों के साथ–साथ निर्माण के माध्यम से अधोसरंचना का निर्माण, कृषि उत्पादों, दालों, तिलहन मसाले, खाद, नमक, बोरो की गाठो के भण्डारण हेतु

[1] पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य भण्डार निगम जिसकी स्थापना, कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम 1956 जो कि भण्डार निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित के अंतर्गत की गई थी, ने अपने कार्य 31 मार्च 2003 से बंद कर दिये ।

निजी गोदाम मालिकों के साथ किराये पर गोदाम लेने तथा संयुक्त उद्यमों से अनुबंध करना, गोदाम लेने, माल की निकासी तथा किसानों एवं निजी पार्टियों को कीटनाशक सेवाएँ उपलब्ध कराना है । निगम, केन्दीय भण्डार निगम एवं राज्य सरकार के लिये ज्ञापित उद्देश्य[2] के लिये एजेन्ट के रूप में भी कार्य करता है । निगम, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के तहत उर्पाजित किये गये खद्यान्नों के भण्डारण करने हेतु भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नोडल एजेन्सी है ।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम राज्य में उपलब्ध 97.50[3] लाख मीट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के विरूद्ध पूरे राज्य में फैले 275 केन्दों पर कुल 54.74[4] लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के 2887[5] गोदाम थे ।

संगठनात्मक संरचना

3.2 निगम का प्रबंधन 11 संचालकों (एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध संचालक सहित) से युक्त संचालक मंडल में निहित है ।

संचालकों में से पाँच का नामांकन केन्द्रीय भण्डार निगम द्वारा किया जाता है जिन में से एक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से तथा कम से कम एक गैर सरकारी समूह से नियुक्त किया जाता है तथा पाँच संचालकों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है । प्रबंध संचालक की नियुक्ति केंन्द्रीय भण्डार निगम को सूचित करते हुए सभी संचालकों की सहमति से मध्य प्रदेश सरकार करती है । मण्डल का प्रमुख अध्यक्ष होता है और दैनिक कार्यकलाप प्रबंध संचालक द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसमें, सचिव, महाप्रबंधक (कार्मिक), महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), मुख्य अभियंता, वैज्ञानिक भण्डारण अधिकारी तथा महाप्रबंधक (वसूली) सहायता करते है । निगम की राज्य में आठ[6] क्षेत्रीय कार्यालय है जिसके प्रमुख क्षेत्रीय प्रबंधक होते है तथा 275 केन्द्र है जिसके प्रमुख शाखा प्रबंधक होते है। संगठनात्मक चार्ट ***परिशिष्ट 3.1*** के अनुसार है ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.3 समीक्षा इस धारणा के साथ आयोजित की गई है कि यह सुनिश्चित हो सके किः

- जमीन के अधिग्रहण का नियोजन एवं गोदाम का निर्माण राज्य सरकार के साथ हुए सहमति ज्ञापन एवं राज्य के भण्डारण आवश्यकता के अनुसार हुआ था ।
- गोदामों का निर्माण मितव्ययी एवं कुशलता से किया गया था ।
- भण्डारण क्षमता का सर्वोतम उपयोग किया गया था ।
- वित्तीय प्रबंधन/बजटीय प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था, और
- निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी ।

[2] कृषि उत्पाद, बीज, खाद, उरर्वक, कृषि उपकरणों एवं ज्ञापित वस्तुओं के क्रय– विक्रय भण्डारण एवं वितरण के लिये निगम केन्द्रीय भण्डार निगम एवं राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करती है ।

[3] इसमें निगमः 14.81 लाख मीट्रिक टन, मार्कफ्रेडः 7.07 लाख मीट्रिक टन, केन्द्रीय भण्डार निगमः 4.76 लाख मीट्रिक टन, भारतीय निगमः 3.64 लाख मीट्रिक टन, अन्य संस्थागत गोदामः 14.09 लाख मीट्रिक टन, एवं निजी समुदायः 53.13 लाख मीट्रिक टन सम्मलित है ।

[4] स्वंमः 14.81 लाख मीट्रिक टन, किरायाः 6.24 लाख मीट्रिक टन एवं संयुक्त उद्यम के तहतः 33.68 लाख मीट्रिक टन ।

[5] स्वंमः 1028, किरायाः 432 एवं संयुक्त उद्यम के तहतः 1427

[6] भोपाल, नर्मदापुरम (अगस्त 2012 से), इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं ग्वालियर

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत थेः

- निगम द्वारा राज्य सरकार से हर साल हस्ताक्षर किये गये सहमति ज्ञापन;
- भूमि के क्रय एवं गोदामों के निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार/भारतीय खाद्य निगम/संचालक मण्डल एवं मण्डल की उपसमिति द्वारा दिये दिशानिर्देश एवं निर्देश;
- नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत गोदाम के निर्माण एवं उपयोग के लिये जारी किये गये दिशानिर्देश;
- भण्डार निगम अधिनियम, 1962 के प्रावधान;
- वेयरहाउसिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 के प्रावधान तथा वेयरहाउसिंग डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेरटी अथौरिटी के नियम विनियमों एवं दिशानिर्देश;
- वाह्यनियम एंड अंर्तनियम, शक्तियों का प्रत्यायोजन, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली, भर्ती और जनशक्ति नीति/मानदण्ड, लेखे मैनुअल, तकनीकी मैनुअल और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल (निगम द्वारा अपनाई) ।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

3.5 मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लौजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के कार्यकलापों पर अंतिम बार समीक्षा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) मध्यप्रदेश सरकार में शामिल को गई थी । सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) ने नवम्बर 2010 में समीक्षा पर चर्चा की थी जिसपर उनकी सिफारिशे प्रतिरक्षित है (नवम्बर 2013)।

वतर्मान समीक्षा मई से अगस्त 2013 तक के दौरान की गई । आठ क्षेत्रीय कार्यालय में से छः[7] क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय तथा 275 शाखाओं में 14[8] शाखाओं जिनका चयन तात्कालिक बानगी अपनाते हुए किया गया की विस्तृत जॉच की गई ।

1 मई 2013 को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रबंध संचालक के साथ प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति से अवगत कराया गया ।

लेखापरीक्षा पद्धति के संदर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपनाई गई लेखापरीक्षा मापदण्ड के तहत संचालक मण्डल के बैठकों के मिनटस्, उपसमिति के प्रतिवेदन, गोदाम निर्माण से संबंधित अभिलेख, किराये, संयुक्त उद्यम एवं अन्य योजनाओं के समझौतो की जॉच की गई ।

निगम एवं विभाग ने क्रमशः दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 में प्रारूप समीक्षा पर अपने जवाब दिये । लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर चर्चा हेतु वहिर्गमन सम्मेलन 3 जनवरी 2014 को आयोजित की गई । सरकार एवं निगम द्वारा व्यक्त किये गये विचार उपयुक्त रूप से समीक्षा में सम्मिलित किये गये है ।

[7] भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर एवं इन्दौर
[8] विदिशा, नसरूल्लागंज, आष्टा, सेवड़ा, गोहद, श्योपुर, इन्दौर, बड़वाह, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, बाबई, पिपरिया, बॉदा एवं बीना

राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किए गए

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

नियोजन

मध्यप्रदेश सरकार के साथ सहमति ज्ञापन

3.6 राज्य के हर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा सहित सहमति ज्ञापन मध्यप्रदेश सरकार के साथ निष्पादित करना होता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रसांगिक वर्ष के प्रारंभ में ही सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने की आवश्यकता है । जो सहमति ज्ञापन निगम ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ निष्पादित की है उसमें निर्माण का अनुमान वर्ष के दौरान भण्डारण क्षमता हेतु अनुबंध, नगद/निधि प्रवाह, भण्डारण क्षमता के उपयोग के लिये रोड मैप एवं कारोबार आदि शामिल है । लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान सहमति ज्ञापन क्रमशः 25 फरवरी 2009, 15 फरवरी 2010, 25 फरवरी 2011, 24 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2013 को जो कि प्रत्येक संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये गये जबकि उसे प्रत्येक वर्ष के शुरू में किये जाने की आवश्यकता थी । सहमति ज्ञापन को सम्पादित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ ।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि निगम प्रारूप सहमति ज्ञापन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही तैयार किया जाता है जिसे राज्य सरकार के साथ परस्पर सहमति से पुनरिक्षित किया जाता है । उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि सहमति ज्ञापन वर्ष के शुरू में अंतिम रूप नहीं दिया गया था ।

निर्माण कार्यों के लिये भूमि की उपलब्धता

3.7 राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित करते समय निगम वर्ष के दौरान पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित गोदामों की संख्या एवमं उसकी क्षमता को निर्दिष्ट करता है । इस प्रकार सहमति ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिये सरकार से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की योजना अग्रिम रूप से बनाई जानी चाहिए ।

हमने देखा कि वर्ष 2009–10 में निगम छिन्दवाडा, खण्डवा एवं सिहोर में प्रस्तावित गोदामों के कार्य को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण शुरू नहीं कर सका (अगस्त 2013) । इस प्रकार सहमति ज्ञापन में लक्ष्य निर्धारित करने एवं उसे वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित करने के कारण अवास्तविक रहा एवं सरकार के उपार्जित योजना हेतु भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका ।

भण्डारण क्षमता का विस्तार

3.8 राज्य सरकार वर्ष के दौरान विकेन्द्रीकृत उपार्जन के तहत उपार्जित होने वाले खाद्यान्न की संभावित मात्रा का निर्धारण कर भण्डारण हेतु भण्डारण क्षमता की व्यवस्था के लिये निगम को सूचित करती है। भण्डारण क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निगम तथा भण्डारण क्षमता के विस्तार के लिये निजी पार्टियों को किराये पर गोदाम लेने एवं

संयुक्त उद्यम समझौते स्वंम के गोदाम बनाकर तथा कैप[9] का निर्माण हेतु राज्य सरकार से सहमति ज्ञापन हस्ताक्षरित करती है ।

निगम ने अपनी भण्डारण क्षमता को बढाने हेतु कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई ।

निगम के पास राज्य की भण्डारण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। भण्डारण वृद्धि योजना सहमति ज्ञापन तक ही सीमित थी । वर्ष 2008–09 में निगम की स्वयं की भण्डारण क्षमता 11.41 लाख मीट्रिक टन थी जो कि 2012–13 में बढ़ कर 14.81 लाख मीट्रिक टन हो गई लेकिन राज्य की कुल भण्डारण क्षमता में उसकी हिस्सेदारी 2008–09 में 15.83 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 15.18 प्रतिशत हो गई । राज्य की कुल भण्डारण क्षमता में 2008–09 से 2012–13 के दौरान हुए 25.42 लाख मीट्रिक टन (97.50 लाख मीट्रिक टन – 72.08 लाख मीट्रिक टन) निजी पार्टी द्वारा की गई थी (कुल वृद्धि का 80 प्रतिशत) तथा निगम द्वारा सिर्फ 3.40 लाख मीट्रिक की वृद्धि की गई थी । इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 2008–09 में 2.29 मिलियन टन से बढ़ कर 2012–13 में 3.92 मिलियन टन हो गया ।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014), की विकेंद्रीकृत उपार्जन के तहत उपार्जित खाद्यान्नों के आवश्यक भण्डारण क्षमता हेतु निगम संस्थागत तथा निजी पार्टियों के संयुक्त उद्यम समझौता करता है । तथ्य यथावत है कि निगम का क्षमता वृद्धि निजी पार्टियों की तुलना में धीमी थी ।

गोदाम का निर्माण

निगम के पास दो तरह के गोदाम है अर्थात पारम्परिक गोदाम[10] तथा प्री–इंजीनियरिंग गोदाम[11] इन गोदामों के अतिरिक्त निगम मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉपोरेशन द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन के तरह उपार्जित खद्यान्नों के भण्डारण हेतु भण्डारण स्थल की कमी की स्थिति में केप[12] का उपयोग करता है ।

गोदाम के निर्माण के माध्यम से भण्डारण क्षमता का विस्तार

3.9 निधि की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम ने भण्डारणक्षमता के 259 निर्माण कार्य (31,70,790 मीट्रिक टन) के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 19 पारम्परिक गोदाम (67850 मीट्रिक टन), नौ[13] प्री–इंजीनियरिंग गोदाम (36,900 मीट्रिक टन) सात[14] परिवर्तनीय कैप[15] (1,43,200 मीट्रिक टन) तथा 22 अस्थाई सीमेन्ट निर्मित कैप (4,05,400 मीट्रिक टन) का निर्माण किया । निगम ने धीमी प्रगति के कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

[9] कैप रेत के बोरो (कच्चा कैप) अथवा सीमेन्ट का बना (पक्का कैप) 30 सेमी. से 45 सेमी. की ऊचाई का प्लेटफार्म होता है जिसे कि खाद्यान्न भण्डारण हेतु एक सीजन के लिए उपयोग किया जाता है ।

[10] एवमं के आधार पर बने हुए गोदाम जिसमें ट्रस के स्तर तक दीवाल एवम् उसके ऊपर शीट से कवर किया जाता है ।

[11] खंभों के आधार पर बनाए गए गोदाम जिन्हे दो फेज़ में पूरा किया जाता है प्रथम फेज में 10 फुट तक ईटों की दीवाल बनाई जाती है एवम् दूसरे फेस में फेक्ट्री में तैयार किए गए ढाचें को खंभों पर स्थापित कर बचे हुए कार्य को पूरा किया जाता है ।

[12] नौ गोदाम जो कि केवल 10 फीट की उचाई तक निर्मित थे (बिना छत के) को कैप के रूप में प्रयोग किया गया इस लिए इस आंकडे को कार्य प्रगति के रूप में माना गया है ।

[13] सारे नौ गोदाम का निर्माण दस फीट की लम्बाई तक ही (बिना छत के) किया गया और उनका केप में इस्तेमाल किया गया अतः उपरोक्त आंकड़ों को वर्क इन प्रोग्रेस माना गया ।

[14] सीहोर (2000 मे.ट.) सुलतानपुर (1600 मे.ट.) सुलतानपुर (34000 मे.ट.) पावरखेड़ा (10000 मे.ट.) सिवनी (25000 मे.ट.) और पावर खेड़ा ब (20000 मे.ट.)

[15] चबूतरे जिसमें खंभे होते है जिससे कि इस बाद में गोदाम में परिवर्तित किया जा सके इस चबूतरे जा सके इस चबूतरे का उपयोग भण्डारण हेतु किया जाता है ।

2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम द्वारा निर्माण कार्य के लक्ष्य की गैर उपलब्धि के कारणः

- 116 स्थानों पर 13.57 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के लिए रेत की बोरी से निर्मित अस्थाई कैप (कच्चा कैप) का निर्माण किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पडा तथा जिसे सरकार द्वारा वहन किया गया ।

- सरकार की भण्डारण आश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये निजी पार्टियों से संयुक्त उद्यम की व्यवस्था के तहत क्षमता किराये[16] पर ली ।

- कनवर्टेबल केप एवं प्री–इंजीनियरिंग गोदामों को पूर्ण गोदाम में परिवर्तन को पूर्ण न करने के कारण निगम को संभावित राजस्व से वंचित होना पडा जिसकी चर्चा कंडिका 3.12 में की गई है ।

विभिन्न गोदाम के निर्माण में पाई गई कमियो की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है ।

वैधता अवधि के भीतर गोदाम के निर्माण हेतु किये गये टेन्डर को अंतिम रूप नहीं देना

3.10 मानक निविदा दस्तावेज़ की धारा 4.7 के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने के बाद निगम को बोली खोलने के बाद 120 दिनों के अन्दर ठेकेदार के साथ अनुबंध निष्पादित कर लेना चाहिए । अगर ऐसा न किया जाये तो बोली लगाने वाला कार्य को स्वीकार्य करने से मना कर सकता है ।

वेधता अवधि में निष्पादित ना करने के कारण ₹1.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान हमने पाया कि निगम ने नवम्बर 2010 से जनवरी 2011 के दौरान पाँच गोदामों[17] के निर्माण हेतु टेन्डर बुलाया परन्तु निम्न बोली लगाने वालो के साथ वैधता अवधि में अनुबंध निष्पादित कर निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया लेखा परीक्षा की टेन्डर की वैधता अवधि में निष्पादित नहीं करने का कारण दस्तावेजो में नहीं मिला। निगम द्वारा सितम्बर 2012 में उन्ही कार्यो को पुनः निविदा करने पर प्राप्त दर ₹ 1.28 करोड़ से अधिक थी तथा निगम ने ऊची दरों पर ही निविदा निष्पादित की । निगम की वैधता अवधि में समझौता निष्पादित न करने के कारण ₹1.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) की तकनीकी स्टाफ अन्यकार्य में संलग्न होने और कैप के निर्माण में निधि का उपयोग होने के कारण गोदाम का निर्माण बाद में किये जाने का निर्णय लिया गया ।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निगम इस बात को जानता था कि उसके तकनीकी स्टाफ दिसम्बर/जनवरी से मई तक विकेन्द्रीकृत उपार्जन से संबंधित निर्माण/भण्डारण कार्य गतिविधि में लगे रहेगे इसलिए टेन्डर का आंमत्रण ऐसे समय में सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे उसे वैधता अवधि में निष्पादित किया जा सके । आगे निगम के पास निधि की कोई कमी नहीं थी उसके पास पर्याप्त धन थे जो सावधि जमा में निवेशित थे ।

[16] निगम द्वारा किराए पर ली गई भण्डारण क्षमता वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 के बीच 2.45 लाख मीट्रिक टन से 6.24 लाख मीट्रिक टन के बीच रही ।

[17] राजगढ़ (1000 मे.ट.), गोहद(4800 मे.ट.), मुरैना (3600 मे.ट.), रतलाम (3600 मे.ट.), एवं मंदसौर (3600 मे.ट.)

परिवर्तनीय कैप के निर्माण में विलम्ब

3.11 निगम ने 2008–09 से 2012–13 के दौरान दो चरणों में परिवर्तनीय कैप के निर्माण की अवधारणा को अपनाया । प्रथम चरण में पिलर सहित पिलंथ एंड नीव निर्माण जिसे आगामी मौसम में कैप के रूप में भण्डारण हेतु उपयोग किया जा सके । द्वितीय चरण में प्रथम चरण में निर्मित कैप पर दिवाल का निर्माण एवं छत डालकर उसे पारम्परिक गोदाम के रूप में पूर्ण करना था । निगम ने 2008–09 से 20012–13 के दौरान 31,70,790 मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता के वृद्धि की योजना बनाई परन्तु परिवर्तनीय कैप का परम्परागत गोदाम में बदलने हेतु कोई विशेष लक्ष्य तय नहीं किए ।

हमने देखा कि मई 2010 से जनवरी 2012 के दौरान सात परिवर्तनीय कैप के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी किये जिसका निर्माण तीन माह के अंदर किया जाना था। कार्य जून 2011 से दिसम्बर 12 के दौरान निश्चित पूर्णताः अवधि से सात से 29 माह के विलम्ब से पूर्ण हुआ । इनमें से छः कैप को पारम्परिक गोदाम में परिवर्तन हेतु टेन्डरों को अक्टूबर 2012 से मई 2013 के बीच अंतिम रूप दिये गये। द्वितीय चरण के कार्य पूर्णता हेतु अनुसूचित समय कार्य आदेश देने से छः माह के भीतर था । सभी कार्य प्रगति पर थे (दिसम्बर 2013) इस प्रकार परिवर्तनीय कैप के द्वितीय चरण के भी निर्माण कार्य एक माह से आठ माह तक की देरी से थे । परिणामस्वरूप निगम को अतिरिक्त भण्डारण शुल्क लगाना पड़ा जैसा आगे के कंडिका में चर्चा की गई है ।

एक कैप यथा सीहोर जिसकी 20000 मीट्रिक टन क्षमता सम्मिलित थी उसके द्वितीय चरण के टेन्डर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है (दिसम्बर 2013)

प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण में विलम्ब

3.12 प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण का कार्य कम समय में निर्माण कार्य पूर्ण होना एवं कम रख रखाव लागत के दृष्टि से लिया गया था (मई 2009) । प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण के दो चरण थे । पिलन्थ, नीव एवं 10 फीट उँचाई तथा दीवार के निर्माण हेतु (चरण I) एवं फैक्ट्री में निर्मित स्टील एंड फैब्रीकेटेड संरचना के 10 फीट के उँचाई के ऊपर छत का निर्माण (चरण II) हेतु अलग–अलग कार्य आदेश निगम द्वारा दिये गये । 2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम ने 14 प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण की योजना बनाई (मई 2009)।

हमने देखा कि अक्टूबर 2009 से जून 2010 के दौरान निगम 14 प्री इंजीनियरिंग गोदाम के प्रथम चरण हेतु कार्य आदेश जारी किये, जिसमें से नौ[18] प्री इंजीनियरिंग गोदाम अगस्त 2010 से अप्रैल 2012 के दौरान पूर्ण हुए । इन नौ गोदाम के निर्माण के अनुसूचित समय तीन माह के बाद तीन माह से 25 माह का विलम्ब हुआ जबकि एक गोदाम जिसे अक्टूबर 2010 में पूर्ण होना था का कार्य जारी है । शेष चार गोदामों का कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2013)।

तीन गोदामों के द्वितीय चरण के कार्य जिसे जून 2013 में पूर्ण होता था का कार्य अभी भी जारी है तथा तीन गोदाम के टेन्डर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । शेष चार गोदामों के द्वितीय चरण के टेन्डर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है (दिसम्बर 2013) इस प्रकार निगम लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत आगे पाँच सालो में एक भी प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण पूर्ण करने में असर्मथ रहा और प्री इंजीनियरिंग गोदाम के निर्माण से 65200 मीट्रिक टन की क्षमता के प्रत्याशित निर्माण का लक्ष्य पा न सका ।

[18] सनावाद (3600 मे.ट.), सिहोरा रोड (1800 मे.ट.), कटनी (5400 मे.ट.), बालाघाट (5400 मे.ट.), सिंगरोली (5400 मे.ट.), सिवनी (5400 मे.ट.), बरेछा (3600 मे.ट.) मक्सी, करोंद (4000 मे.ट.)

गोदामों के निर्माण कार्य पूर्ण होने में देरी के कारण निगम को ₹ 8.86 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

वर्ष 2011–12 एंड 2012–13 के दौरान कैप और गोदाम का भण्डारण शुल्क क्रमशः ₹ 24 एवं 49 प्रति मीट्रिक टन प्रतिमाह था । हमने देखा कि परिवर्तनीय कैप एंड प्रीइजीनियरिंग गोदामों के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण निगम गोदाम के लिये लागू भण्डारण शुल्क के बदले कैप के लिये लागू भण्डारण शुल्क का ही दावा कर सका । जिसके परिणाामस्वरूप निगम वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान ₹ 8.86 करोड़ रूपये के संभावित राजस्व से वंचित रहा ***(परिशिष्ट 3.2)***

सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि अर्पूण परिवर्तनीय गोदाम एंड प्री इजीनियरिंग गोदाम को कैप के रूप में भण्डारण हेतु उपयोग कर रही है । उन्होने आगे कहा कि परिवर्तनीय कैप के गोदाम में परिवर्तन हेतु कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । परन्तु जवाब निर्माण कार्य के विलम्ब के संबंध में चुप है ।

निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब पर कम दण्ड राशि का अधिरोपण/कोई अधिरोपण ना होना।

3.13 निगम द्वारा गोदामों तथा केप के निर्माण कार्य ठेकेदारों को टेण्डर प्रक्रिया द्वारा प्रदान किये गये । अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध में वर्णित काम खत्म करने की समय सीमा का सख्ती से पालन करना था । अनुबंध की नियम और शर्तो के अनुसार कार्य को समय पर खत्म न करने या विलम्ब से करने पर दण्ड राशि का प्रावधान था जोकि 25 लाख से ऊपर के कार्य हेतु अनुबंध राशि का 1/16 प्रतिशत प्रत्येक हफ्ते की देरी के हिसाब से था और अधिकतम अनुबंध राशि का छः प्रतिशत तक था ।

निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब पर ₹ 1.23 करोड़ की कम दण्ड राशि अधिरोपित की गई ।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान गोदाम व केप के 57 निर्माण कार्ये में से 41 निर्माण कार्यो की नस्तीयों नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ की 24 निर्माण कार्यो में एक माह से लेकर 21 माह तक का विलंब कार्य पूर्ण होने में हुआ । निगम द्वारा ₹ 25 लाख के ऊपर के निर्माण कार्यो पर दण्ड राशि की कम दर पर अधिरोपित किया गया । जिससे निगम द्वारा ₹ 1.23 करोड़ की कम राशि दण्ड अधिरोपित किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है ।

ठेकेदार द्वारा कार्य विलम्ब के निम्न कारण बताये गए जैसे कि अत्याधिक वर्षा होना, पानी की कमी, कार्यस्थल पर भारी परिवहन की आवाजाही होना एवं उच्च पारेषण लाइन का कार्यस्थल से जाना । निगम द्वारा ठेकेदारों के इन कारणों को स्वीकार कर कम दर से दण्डराशि को अधिरोपित किया गया । निगम द्वारा उपरोक्त कारणों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ठेकेदार का टेन्डर प्रक्रिया में सम्मलित होना ही उपरोक्त कारणों से पूर्ण अवगत होना दर्शाता है व कार्य खत्म करने की निर्धारित तारीख स्वीकार करते समय ही इन कारणों को संज्ञान में लेना था । जिसके परिणमस्वरूप गोदामों और कैप का विलम्ब से निर्माण होने के कारण निगम को गोदामों को किराये पर लेना पड़ा जिसके कारण निगम को ₹ 21.15 करोड़ की संभावित आय की हानि हुई ।

राज्य सरकार द्वारा कथन दिया गया की निर्माण अवधि की समय सीमा में विस्तार उन कारणों से दिया गया जो की ठेकेदारों के नियंत्रण में नहीं थे । वह ₹ 29.76 लाख की दण्डराशि भी अधिरोपित की गयी जिसमें विलम्ब ठेकेदार के कारण था ।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में यह पहले से ही साफ कर दिया गया था की कार्य के निष्पादन में कोई भी विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा व विलम्ब अवधि के लिये दण्ड राशि भी अधिरोपित की जाएगी ।

3.14 कैप से संबंधित निर्माण कार्य

2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान निगम द्वारा 15 लाख मे.ट. क्षमता के सात कनवर्टेबल कैप व 116 अस्थाई कैप का निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया गया। अस्थाई कैप के निर्माण के मद में निगम द्वारा खर्च की गयी राशि को राज्य शासन द्वारा व्ययपूर्ति की गयी । कनवर्टेबल कैप और अस्थाई कैप का निर्माण गतिविधियों से संबंधित 19 प्रकरणों[19] की नस्तियों की नमूना जॉच निम्न अनियमितता नजर में आई ।

- भवन निर्माण की SOR के सामान्य नोट 17.1 एवं 6.7 के अनुसार प्लेन सीमेन्ट कंक्रिट[20] (PCCM-10) और रेनफोर्समेन्ट सीमेंट कंक्रिट[21] (RCCM-10) का भुगतान संतोषजनक गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए । वह 25 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य ठेके में ठेकेदार को निर्माण स्थल पर एक परीक्षण केन्द्र की स्थापना करनी होती है। निर्माण कार्यो से संबंधित गुणवत्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गये जैसे कि होने चाहिए थे । अतः आठ निर्माण कार्यो (***परिशिष्ट 3.4***) की सीमेन्ट कंक्रिट/रवफोर्सद सीमेन्ट कंक्रिट की गुणवत्ता के संबंध आश्वस्त करना मुश्किल है। साथ नियमानुसार इन कार्य स्थलों पर नियम द्वारा परिक्षण केन्द्र भी स्थापित नहीं किया गया ।

- स्वीकृत मानचित्र एवं डिजाइन, स्वीकृत प्राक्कलन साइट आर्डर बुक (सीमेन्ट खपत कंक्रिट इत्यादि) सीमेन्ट, रेत व ईट की खपत से संबंधित जॉच प्रतिवेदन और आठ निर्माण कार्यो में निगम द्वारा सीमेन्ट खपत रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया गया । इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्माण कार्य की गुणवत्ता एंव विशिष्टताओ के संबंध में आश्वस्त कर पाना मुमकिन नहीं है ।

शासन ने अपने उत्तर में कथन किया (जनवरी 2014) की निर्माण कार्य में इस्तेमाल किये जाने वाली सामग्री का सरकारी संस्थाओं में परीक्षण किया गया और कुछ प्रकरणों में ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर परीक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गये । साथ ही साम्रगी खपत रजिस्टर, साइट आर्डर बुक, और सीमेन्ट रजिस्टर भी कार्य स्थल पर मौजूद रहते है । प्रबधंन का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त संबंध में कोई भी सबूत पेश नहीं किये गये जिससे यह साबित हो परीक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी और सामग्री खपत रजिस्टर स्थल पर मौजूद था उन निर्माण कार्यो के संबंध में जिनकी नमूना जॉच की गयी ।

सी.पी.डब्ल्यू.डी.की विशिष्टाताओ के पैरा 2.11.6 के अनुसार साइट इंजीनियर को समतलीय कार्य मापने के लिए फिल्ड लेवल बुक को मेन्टेन करना था । जबकि निगम द्वारा कार्यस्थल पर कनवर्टेबल कैप एवं अस्थाइ केप के समतल कार्य एवं खुदाई कार्य से संबंधि फिल्ड लेवल बुक संबंधी मेन्टेन नहीं की गयी फिल्ड लेवल बुक की गैर मौजूदगी में नियम द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग की गयी सामग्री की मात्रा का सही आकलन करना नामुमकीन है ।

अस्थाई[22] कैप के निर्माण कार्य में बुनियाद की भराई कार्य में निगम द्वारा मुरम/कोपरा[23] का इस्तेमाल किया गया । जबकि पाँच कनवर्टेबल कैप और अस्थाई कैप[24] के बुनियाद

[19] 1,2 अस्थाई पक्के केप एवं 7 परिवर्तनीय कैप

[20] M–10 में, सीमेन्ट, रेत और गिट्टी के बीच 1:3:6 की अनुपात होता है ।

[21] M–10 में, कंक्रीट, सीमेन्ट, रेत और गिट्टी को 1:1:5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है ।

[22] सुलतानपुर में 34000 (मे.ट.) और 20000 (मे.ट.) के अस्थाई के निर्माण में ।

[23] मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग का मद क्र. 2.26 जो कि पिलंथ की क्रशर स्टोन से भराई जो कि 20 से.मी. की गइराई से अधिक न हो व पुरी तरह ड्रेसिंग भी ।

[24] 20,000 (मे.ट.) और 10,000 (मे.ट.) कनविर्टिबल कैप पावरखेड़ा में 20,000 (मे.ट.) का अस्थाई सिमेंटित कैप उर्मथा में । 25,000 (मे.ट.) का अस्थाई सिमेटित केप मछेरकला में और 10,000 (मे.ट.) का अस्थाई सिमेंटित केप केसला में।

भराई कार्य में निगम द्वारा मुरम/कोपरा के स्थान पर क्रशर स्टोन डस्ट का इस्तेमाल किया गया। जबकि क्रशर स्टोन डस्ट[25] (530 प्रति क्युबिक मीटर) मुरम (337 प्रति क्युबिक मीटर) से महंगी थी । क्रशर स्टोन डस्ट का बुनियाद के भराई कार्य में इस्तेमाल से निगम राशि ₹1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

सस्ते सामानों के स्थान पर मँहगे सामानो का उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 1. 78 करोड़ अधिक खर्च हुए।

आगे 17 कनर्वटिबल और अस्थाई केप[26] के निर्माण कार्य में निगम द्वारा सतहीकरण में (M-7-5)[27] जो कि आई.एस.कोड. 607, 1971 के अनुसार भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग निगम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है । सस्ती सामग्री के स्थान पर महंगी सामग्री के इस्तेमाल से निगम को राशि ₹ 74.15 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

राज्य शासन ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में स्पष्ट किया की आई.एस. 456:2000 के अनुसार काकींट का न्यूनतम माने स्तर (M-10)[28] है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (M-7.5) काकींट का इस्तेमाल भारतीय खाद्य, निगम एवं केन्दीय वेयरहाऊसिंग निगम द्वारा किया जाता है । आगे आई.एस. 456 एक सामान्य विशिष्टाएं है जबकि आई.एस. 607 विशिष्टाएं केवल वेयरहाऊसिंग के निर्माण से संबंधित है ।

3.15 कुल अतिरिक्त भण्डारण क्षमता 4,70,800 मैट्रिक टन, जिसमें नौ पारंपरिक गोदाम[29], 11 कनवर्टेबल कैपों का निर्माण तथा तीन कनवर्टेबल कैपों को गोदामों में रूपान्तरण शामिल था और जिसका ₹ 99.90 करोड़ की लागत से निर्माण मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था, बढ़ाने के लिये राज्य सरकार[30] के जरिए निगम ने नाबार्ड से ऋण के लिए आवेदन (फरवरी 2012) किया । नाबार्ड द्वारा 20 मार्च 2012 को ₹ 94.90 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया एवं बकाया राशि ₹ 5.00 करोड़ का योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाना था । नाबार्ड ने राज्य सरकार को ऋण की राशि मंजूर की जिसे कि विभागीय बजट के माध्यम से निगम को दिया गया । व्यय उपरांत ही ऋण की किस्त नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति स्वरूप जारी की जानी थी ।

धीमी गति के कारण, कुल 23 निर्माण कार्यों में से केवल 8 ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण हुए ।

संबंधित दस्तावेजों की जॉच के दौरान हमने पाया कि कुल 23 निर्माण कार्यो में से सिर्फ आठ निर्माण कार्य ही पूर्ण हुए । जून 2013 में शेष 15 कार्य अपूर्ण थे। नाबार्ड द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने के 15 महीने उपरान्त भी, इन अपूर्ण कार्यो मे से सात निर्माण कार्य 50 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण थे और आठ निर्माण कार्य, 50 प्रतिशत से भी कम पूर्ण थे । अतः निर्माण कार्यो के पूर्ण होने में देरी के कारण नाबार्ड सहायता की शर्तो के अनुसार 3,37,300 मेट्रिक टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं हो पाया ।

[25] मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग का मद क्र. 2.26 जो कि पिलंथ की क्रशर स्टोन से भराई जो कि 20 से.मी. की गइराई से अधिक न हो व पुरी तरह ड्रेसिंग भी ।

[26] आठ कनवर्टेबल केप उर्मधा (15000 मे.ट.), देववटिया (20,000 मे.ट.), पावरखेड़ा (10000 मे.ट.), सिहोर (20,000 मे.ट.), और बम्होरी (20,000 मे.ट.), सुलतानपुर (10,000 मे.ट.), नबम्बर 2013 तक अपूर्ण, पावरखेड़ा (अ) ही नौ अस्थाई कैप केसला–अ (10,000 मे.ट.), केसला–ब(10,000 मे.ट.), मछेरकला (15,000 मे.ट.), खेड़ा (20,000 मे.ट.), इछावर–ब (10,000 मे.ट.), इछावर–अ (10,000 मे.ट.), मछेरकला (15,000 मे.ट.), औरी बरखेड़ा (27000 मे.ट.) में ।

[27] एम–7.5 (1 हिस्सा सीमेंट, 5 हिस्सा रेत, 10 हिस्सा गिट्टी)

[28] एम–10 (1 हिस्सा सीमेंट, 3 हिस्सा रेत, 6 हिस्सा गिट्टी)

[29] इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारण्टी प्राप्त निजी उद्यम गोदाम योजना के अधीन बन रहे छह गोदाम शामिल है ।

[30] इस प्रकार में राज्य सरकार के द्वारा गारण्टी दी गई है ।

गोदामों की उपयोगिता

विभिन्न श्रेणियों के गोदामों की भण्डारण क्षमता की उपयोगिता

3.16 राज्य सरकार द्वारा सूचित विकेन्द्रीकृत उपार्जन के ऑकड़ों के आधार पर निगम सहमति ज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के गोदामों के लिए उपयोगिता स्तर के लक्ष्य निर्धारित करती है।

सहमति ज्ञापन के अनुसार निगम के स्वनिर्मित, किराये के एवं संयुक्त उद्यम के गोदामों के लिये लक्षित औसतन भण्डारण क्षमता एवं वास्तविक औसतन भण्डारण क्षमता तालिका 3.1 में दी गई है ।

तालिका 3.1

(भण्डारण क्षमताः मेट्रिक टन में)

क्रमांक	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
	निगम की शाखाऐं	237	256	258	271	275
क	**स्वनिर्मित गोदामों की संख्या**	**985**	**993**	**1015**	**1018**	**1028**
1	उपलब्ध औसतन भण्डारण क्षमता	11.41	11.67	11.87	13.11	14.81
2	उपयोग की गई औसतन भण्डारण क्षमता	7.88	8.35	9.00	10.20	11.64
3	स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता का उपयोगिता प्रतिशत	69	72	76	78	79
ख	**किराऐ की गोदामों की संख्या**	**320**	**338**	**424**	**526**	**432**
1	वर्ष के दौरान किराए पर ली गई औसतन भण्डारण क्षमता	2.56	2.45	5.03	6.12	6.24
2	वर्ष के दौरान उपयोग की गई किराए की औसतन भण्डारण क्षमता	2.26	1.99	4.24	5.31	5.41
3	किराए की भण्डारण क्षमता का उपयोगिता प्रतिशत	88	81	84	87	87
ग	**संयुक्त उद्यम गोदामों की संख्या**	**-**	**334**	**638**	**1013**	**1427**
1	संयुक्त उद्यम श्रेणी में उपलब्ध औसतन भण्डारण क्षमता	-	6.39	12.60	17.30	33.68
2	उपयोग की गई औसतन भण्डारण क्षमता	-	4.71	10.45	13.31	28.66
3	संयुक्त उद्यम भण्डारण क्षमता का उपयोगिता प्रतिशत	-	74	83	77	85
	सभी तीन प्रकार की भण्डारण क्षमता के लिए (स्वनिर्मित/किराए की/संयुक्त उद्यम)					
	औसतन भण्डारण क्षमता	13.97	20.51	29.50	36.53	54.73
	औसतन उपयोगिता[31]	11.81	16.88	25.35	29.66	46.31
	उपयोग में ली गई भण्डारण क्षमता का प्रतिशत	85	82	86	81	85
	सहमति पत्र के अनुसार लक्षित उपयोगिता भण्डारण क्षमता (प्रतिशत में)	85	87	85	87	87

स्त्रोतः प्रबंधन द्वारा प्रदत्त आंकड़े (संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति) (कैप की भण्डारण क्षमता को शामिल नहीं किया गया अतः आंकडे निगम की मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदनों से मेल नहीं खाते) एवं आवधिक भण्डारण उपयोगिता विवरण–पत्र ।

[31] इसमें आरक्षित भण्डारण क्षमता भी शामिल है
(2008–09 में 1.67 लाख मीट्रिक टन)
(2009–10 में 1.83 लाख मीट्रिक टन)
(2010–11 में 1.66 लाख मीट्रिक टन)
(2011–12 में 0.84 लाख मीट्रिक टन)
(2012–13 में 0.60 लाख मीट्रिक टन)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि किराए की क्षमता के बेहतर उपयोगिता के कारण निगम द्वारा वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2010–11 के दौरान लक्षित कुल भण्डारण उपयोगिता हासिल की गई एवं वर्ष 2009–10, 2011–12, एवं 2012–13 के दौरान भी मामूली कमी पाई गई । हालाकि, स्वनिर्मित गोदाम एवं संयुक्त उद्यम गोदामों की श्रेणी में उपयोगिता प्रत्येक वर्ष सहमति पत्र में दर्शाई गई कुल लक्षित भण्डारण उपयोगिता से कम थी ।

निगम की वर्ष 2008–09 में 237 शाखाओं एवं वर्ष 2012–13 में 275 शाखाओं के स्वनिर्मित गोदामों के भण्डारण क्षमता उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों की जॉच के दौरान निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आई ।

स्वयं के एवं संयुक्त उद्यम गोदामेां के संदर्भ में उपयोगिता लक्ष्य को निगम कभी भी हासिल ना कर सका ।

- वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 17 से 25 शाखाओं की भण्डारण क्षमता की उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम रही और 71 से 100 शाखाओं की भण्डारण क्षमता की उपयेगिता 70 प्रतिशत से कम रही ।
- परित्याग के कारण दो शाखाओं[32] के स्वनिर्मित गोदामों को कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया और इनकी भण्डारण क्षमता को निगम की कुल उपलब्ध भण्डारण क्षमता से भी नहीं हटाया गया ।
- हमने यह भी पाया कि संयुक्त उद्यम के गोदामों की तुलना में स्वनिर्मित स्वंय किराए के गोदामों की भण्डारण क्षमता के कम उपयोग के कारण निगम को राजस्व की हानि हुई जैसा कि अनुगामी पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है ।

राज्य सरकार का कथन (जनवरी 2014) है कि विकेन्द्रीकृत उपार्जन में उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण के लिए निगम ने एक नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य किया । अतः निगम को गोदामों में खाद्यान्न भण्डारण के लिए स्थान रिक्त रखना पडता था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी पाँच वर्षो में स्वंय के गोदामों की वास्तविक भण्डारण उपयोगिता लक्षित उपयोगिता से कम थी अतः स्वनिर्मित गोदामों के बेहतर उपयोगिता की गुजाइश थी और इस प्रकार निगम किराए के गोदामों पर हुए व्यय को कम कर सकता था ।

स्वनिर्मित गोदामों के बजाए किराए के/संयुक्त उद्यम के गोदामों में भण्डारण करने से हानि

3.17 निगम की नीति के अनुसार भण्डारण के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता स्वनिर्मित गोदामों को, फिर किराए के गोदामों को और अंत में संयुक्त उद्यम गोदामों को देना चाहिए । और भण्डारित खाद्यान्न की डिलेवरी के समय प्राथमिकता इसके उल्टे क्रम में होनी चाहिए ।

किराए के गोदामों के संबंध में एक निश्चित मासिक प्रभार गोदाम मालिक को दिया जाना होता है और जिसका भण्डारण की उपयोगिता स्तर से कोई लेना देना नहीं होता । जबकि संयुक्त उद्यम के गोदामों के संबंध में गोदाम के भण्डारण उपयोग से प्राप्त राशि को एक पूर्व निर्धारित अनुपात में संयुक्त उद्यम भागीदारों के साथ साझा किया जाता है । अतः निगम को खाद्यान्न भण्डारण में स्वनिर्मित स्वयं के गोदाम एवं किराये के गोदामों को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

हमने लेखों की जांच में पाया कि चार[33] शाखाओं पर स्वनिर्मित स्वंय के गोदामों एवं किराए के गोदामों में 77 मेट्रिक टन से 7101 मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रिक्त होने के बावजूद भी निगम द्वारा खाद्यान्न को संयुक्त उद्यम गोदाम में रखा गया । यदि संयुक्त उद्यम गोदाम के

[32] निगम के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अधीन घाटा विल्लोद एवं काठीवाड़ा शाखा

[33] पाण्डुर्ना, छिदंवाड़ा, सेवढ़ा एवं गाडरवारा

स्थान पर स्वनिर्मित और किराए के गोदामों की भण्डारण क्षमता का उपयोग किया गया होता तो निगम ₹ 25.69 लाख की राजस्व हानि से बच सकता था ।

राज्य सरकार का कथन (जनवरी 2014) है कि आगामी उपार्जन मौसम में खाली भण्डारण क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निगम ने स्वनिर्मित गोदामों से भण्डारित खाद्यान्न की डिलेवरी पहले दी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने स्वयं के भण्डारण निकासी की निर्धारित नीति का अनुसरण नहीं किया और स्वनिर्मित गोदाम में स्थान रिक्त होने के बावजूद संयुक्त उद्यम गोदामों के भण्डारण करने से राजस्व की क्षति हुई ।

खाद्यान्न का भण्डारण

खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने के कारण भण्डारण लाभ एंव भण्डारण हानि:

निर्धारित भण्डारण लाभ ना प्राप्त कर पाने के कारण एवम् खाधान्न क्षतिग्रस्त होने से हानिके कारण नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा ₹ 10.92 करोड़ रोके गए ।

3.18 विकेन्द्रीकृत उपार्जन के अंतर्गत विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा उपार्जित खाद्यान्न को निगम के गोदामों में भण्डारित किया जाता है । भारत सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा जारी (अक्टूबर 2003) आदेशों अनुसार यदि भण्डारित गेहूँ वर्ष के 30 जून उपरांत उपार्जन ऐजेन्सी को सुपुर्द किया जाता है तो नमी के अवशोषण के कारण केपों/खुले गोदामों में भण्डारित गेहूँ पर 0.7 प्रतिशत एंव बंद गोदामों में भण्डारित गेहूँ पर एक प्रतिशत भण्डारण लाभ दिया जाना होता है । मध्यप्रदेश कृषि वेयरहाऊस अधिनियम 1947 के चेप्टर तीन के उपखण्ड–9 के तहत निगम को भण्डारित अनाज का रख–रखाव इस प्रकार करना होता है जैसा कि साधारण विवेक वाला एक आदमी अपने गोदाम जमा में अनाज का ध्यान रखता है ।

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 के दौरान सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि बंद गोदामों में वांछित एक प्रतिशत भण्डारण लाभ में 0.01 प्रतिशत से एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की कमी थी उसी प्रकार, कैपों/खुले गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न के संबंध में 0.70 प्रतिशत के वांछित भण्डारण लाभ में 0.01 प्रतिशत से 0.70 प्रतिशत की कमी थी ***(परिशिष्ट 3.5)***। इस प्रकार समीक्षा अवधि में निर्दिष्ट भण्डारण लाभ प्राप्त ना होने के कारण ₹ 57.58 करोड़[34] की हानि हुई । निगम के द्वारा वांछित भण्डारण लाभ न प्राप्त होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया ।

उसी प्रकार, यह भी पाया गया कि समीक्षा अवधि में जल संग्रहण के कारण, अपर्याप्त भण्डारण सुविधा एवं समय पर धूमीकरण ना किया जाने के कारण ₹ 33.92 करोड़ कीमत का खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ ।

अपर्याप्त वांछित भण्डारण लाभ (नमी के अवशोषण के कारण) एवं खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने भण्डारण देयकों में से ₹ 10.92 करोड़ रोक लिए ।

इस पर राज्य सरकार का कथन (जनवरी 2014) है कि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ की गई एक साझा राज्य बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नागरिक आपूर्ति निगम वांछित भण्डारण लाभ प्राप्त न होने एंव खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने की राशि को भण्डारण देयकों से नहीं रोकी जावेगी ।

कथन में वांछित भण्डारण लाभ प्राप्त ना होने एवं खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने के कारण उल्लेख नहीं किए । दोनों निगम एक ही प्रशासनिक विभाग (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

[34] हानि =निर्दिष्ट भण्डारण लाभ में कमी की मात्राxखाद्यान्न लिए लागू कीमत

उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन) के अंतर्गत होने एवं वांछित भण्डारण लाभ में कमी तथा खाद्यान्न क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जाँच उपरांत भुगतान के मामले को हल किया जाना चाहिए था ।

खाद्यान्न के भण्डारण हेतु स्टेक संरचना के नए पैटर्न को अपनाना

3.19 बढ़ते उत्पादन के कारण खाद्यान्न भण्डारण की बढ़ती समस्या के ध्यानगत भारतीय खाद्य निगम ने एक स्टैक में 150 एम टी के स्थान पर 181 एम टी खाद्यान्न भण्डारित करने की पद्धति का प्रयोग स्वरूप अपनाया । संतुष्टि प्रदायक परिणाम आने पर भारतीय खाद्य निगम ने (21 अप्रैल 2010) एक स्टैक में 181 एम टी खाद्यान्न भण्डारित करने की इस पद्धति को अपनाने हेतु अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया ।

नए प्रकार के कैप कवर्स को अपनाने के अदूरदर्शी निर्णय के कारण ₹ 4.22 करोड़ की हानि ।

इस संबंध में हमने पाया कि हालांकि भारतीय खाद्य निगम ने अप्रैल 2010 में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्टैक में 181 एम टी खाद्यान्न भण्डारण हेतु निर्देशित किया था परन्तु निगम ने भण्डारण हेतु उपलब्ध स्थान के बेहतर उपयोग हेतु इस अवधारणा को नहीं अपनाया ।

इस संबंध में विभाग (जनवरी 2014) का कथन है कि निगम को इस नई अवधारणा के बारे में फरवरी 2012 में ही पता चला । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फरवरी 2012 में इस अवधारण की जानकारी होने के बावजूद भी एक स्टैक में 181 एम टी के स्थान पर 150 एम टी खाद्यान्न भण्डारण की पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं किया परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष अस्थाई कैपों के निर्माण पर गैर–जरूरी व्यय करना पडा ।

नए प्रकार के कैप कवर को अपनाना

3.20 वर्ष 2011–12 तक निगम कम घनत्व वाली पोलीथीन–ब्लेक पोलीथीन[35] को कैप कवर के रूप में उपयोग कर रहा था । मध्यप्रदेश राज्य सहकारिता विपणन संघ(मार्कफेड) से प्रतिक्रिया के आधार पर निगम ने कुल आवश्यक 13000 कैप कवर्स के विरूद्ध 9000 मल्टी लेयर्ड क्रोस–लेमीनेटेड फिल्म कैप कवर्स[36] के उपयोग हेतु योजना बनाई । निगम ने एक निजी फर्म मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को प्रति कैप कवर ₹ 9791 के हिसाब से 5000 मल्टी लेयर्ड क्रोस लेमीनेटेड फिल्म कैप कवर्स एवं मार्कफेड को उसी प्रकार के 4000 कैप कवर्स ₹ 10,151.71 प्रति कैप कवर के हिसाब से क्रय हेतु ओदश जारी किया ।

इस संबंध में हमने पाया किः

1. मार्कफेड को क्रयादेश जारी किए जाने (अप्रैल 2012) से पूर्व ही निगम को निजी फर्म से दरें प्राप्त चुकी थी । अतः मार्कफेड को उच्चतर दर पर आदेश देने का कोई औचित्य नहीं था जबकि मार्कफेड भी उसी फर्म से कैप कव्हर खरीद रहा था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.43 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

2. वर्ष 2012–13 में ₹ 4.45 करोड़ मूल्य के 4550 कैप कवर्स आधी एवं वर्षा के कारण खराब हो गए । इस संबंध में निजी फर्म से एवं मार्कफेड से क्रय किए कैप कवर्स को अलग–अलग रिकार्ड संधारण ना करने के कारण किस पार्टी के कितने कैप कवर्स क्षतिग्रस्त हुए पहचाना ना जा सका । निगम ने मार्कफेड को पूरा भुगतान

[35] आकार – 32'x21'x17'

[36] आकार – 32'x21'x18'

कर सुप्रीम इण्डस्ट्रीज के ₹ 2.95 करोड़ रोक लिए । कैप कवर्स के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 3.88 करोड़ का खाद्यान्न भी क्षतिग्रस्त हुआ ।

3. क्रय अनुबंध के अनुसार, कैप कवर्स की एक वर्ष की गारण्टी थी। निगम ने क्षतिग्रस्त कैप कवर्स को बदलवाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया बजाय इसके क्षतिग्रस्त कैप कवर्स को निजी फर्म से सुधरवा लिया ।

4. इन कैप कवर्स का आकार, मानक आकार से बड़ा होने के कारण निगम को ₹ 36.20 लाख[37] का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

5. पूर्व में उपयोग की जा रही कम घनत्व वाली पालीथीन के लागत से नई मल्टी लेयर्ड क्रोस लेमीनेटेड कवर्स खरीदने को तुलना की जाये तो ₹ 2.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

अतः प्रथम वर्ष में बिना क्षेत्र परीक्षण के वृद्ध स्तर पर मल्टी लेयर्ड कैप कव्हर के उपयोग का निर्णय लेने के कारण कैप क्वहर के खरीद पर ₹2.72 करोड़ का अधिक व्यय होने के अलवा निगम को खाद्यान्नों के खराब होने के कारण ₹3.88 करोड़ की हानि हुई ।

विभाग का कथन है (जनवरी 2014) कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में ही निगम ने ये मल्टी लेयर्ड क्रोस लेमीनेटेड कवर्स उपयोग किए थे एवं प्रबंधन में आगे बताया की कवर्स पूर्व में उपयोग किए जा रहे कम घनत्व वाले पोलीथीन से ज्यादा टिकाऊ थे । एवं कम वजन (32Kg) होने के कारण, कैप कवर्स को कैप के निचले हिस्से में दबाने के लिये बडे आकार के कवर्स खरीदे गए । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने इन नए मल्टी लेयर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कैप कवर्स को उच्च मूल्य पर खरीदने के अलावा उसके उपयोग की उपयुक्तता की जांच स्थानों पर उपयोग करने के बजाए ज्यादातर स्थानों पर प्रयोग के तौर पर उपयोग किया ।

केप्स के लिए कम घनत्व वाली पोलीथीन काली पोलीथीन की खरीद

3.21 भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, प्रत्येक कम घनत्व वाली पोलीथीन – काली पोलीथीन का वजन 52किलोग्राम होना चाहिए । निगम द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 के दौरान ये कैप कवर्स 48किलोग्राम वजन के मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदे गए । हालाकि वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के दौरान निगम ने ये केप कवर्स मानक आकार[38] से अधिक वजन के खरीदे । वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में खरीदे गए कम घनत्व वाले पोलीथीन कवर्स–काले पोलीथीन कवर्स का ब्यौरा तालिका 3.2 में दर्शाया गया है ।

[37] मल्टी लेयर्ड कैप का आकार =2x18(32+21)+(32x21)=2580 घन फीट
एल.डी.पी.ई.कवर का आकार =2x17(32+21)+(32x21)=2474 घन फीट
आकार का अन्तर =2580-2474=106 घन फीट
अधिक भुगतान =106x(9791/2580)x9000 केप कवर्स = ₹36.20 लाख

[38] आकार 32′x 21′ x17′

तलिका 3.2

क्र.	वर्ष	खरीदे गए कैप कवर्स की संख्या	औसत दर (प्रति इकाई)	अतिरिक्त व्यय (राशि[39] ₹ में)
1	2011-12	5500	7627	2288100
2	2012-13	5510	7027	2111933
	कुल	**11010**		**4400033**

इन पोलीथीन कवर्स की कीमत का निर्धारण इनके वजन के समानुपातिक होता है । अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानक वजन से ज्यादा वजन के कैप कवर्स खरीदने के कारण निगम को 44 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा जैसा कि अपर तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शाया गया है ।

राज्य सरकार का कथन (जनवरी 2014) है कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के दर अनुबंध पर आपूर्तिकर्ता द्वारा ज्यादा वजन के कवर्स प्रदाय किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि, निगम ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को क्रय आदेश जारी करते समय कैप कवर्स का मानक वजन उल्लेखित नहीं किया था परिणामस्वरूप ज्यादा वजन के कैप कवर्स खरीदे गए एवं अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ ।

वित्तीय/बजटीय प्रबंधन

3.22 निगम के पिछले वर्षो की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणामों को क्रमशः ***परिशिष्ट 3.6 एवं परिशिष्ट 3.7*** में दर्शाया गया है । निगम की कुल आय वर्ष 2008–09 में ₹ 48.97 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 220.82 करोड़ हो गई । ह्रास एवं भू–प्रब्याजी पश्चात् कर पूर्व लाभ 31 मार्च 2009 को ₹ 8.37 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 72.39 करोड़ हो गया । वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणामों की समीक्षा से निम्नाकित निष्कर्ष प्रकाश में आए :–

- निगम की निवेशित पूंजी 31 मार्च 2009 से ₹ 109.03 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 295.37 करोड़ हो गई । वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान आय प्रति पूंजी निवेश ₹ 0.45 से ₹ 0.89 के बीच रही ।
- निगम के व्यय का निगम की आय से अनुपात वर्ष 2008–09 में 73 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 63 प्रतिशत हो गई ।
- भण्डारण से प्राप्त प्रति मेट्रिक टन आय 2008–09 में ₹ 350.54 से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 403.39 हो गई ।

वित्तीय नियंत्रण से संबंधित मुद्दे पर अगले पेराग्राफों में चर्चा की गई है ।

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग के मेन्युअल के पेराग्राफ 2.130 एवं 2.131 के अनुसार, जब किसी निर्माण कार्य के संबंध में किया गया व्यय, उसके अनुमोदित अनुमानित व्यय से 10 प्रतिशत अधिक होने को होता है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी को पुनरीक्षित अनुमान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना होता है । इसमें आगे उल्लेखित है कि किसी निर्माणधीन कार्य के संबंध में यदि विस्तारीकरण आवश्यक है तो अनुमोदन अधिकारी को पूरक अनुमान प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

[39] (औसत दर/55) x3 किग्रा.x कुल खरीदी गई मात्रा

हमने पाया कि 11 निर्माण कार्यों[40] में उपयोग की गई मात्रा अनुमोदित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक थी एवं इन प्रकरणों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ₹4.57 करोड़ का भुगतान हुआ । ***(परिशिष्ट –3.4)*** हमने आगे पाया कि 10 निर्माण कार्यों[41] के संबंध में अतिरिक्त मदों के निर्माण कार्यों में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ₹ 3.79 करोड़ का भुगतान किया गया । ***(परिशिष्ट–3.4)***

राज्य सरकार का कथन है (जनवरी 2014) अतिरिक्त मदों में निर्माण कार्य साइट पर आवश्यकतानुसार किए गए एवं अनुमानित मात्रा के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं थे । उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अतिरिक्त मात्रा निष्पादित नहीं की जा सकती ।

मानव संसाधन प्रबंधन

3.23 01 अप्रैल 2008 एवं 31 मार्च 2013 की स्थिति में स्वीकृत जनशक्ति एवं वास्तविक जनशक्ति को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.3

क्रमांक	वर्ग	01.04.2008 की स्थिति			31.03.2013 की स्थिति		
		स्वीकृत जनशक्ति	वास्तविक जनशक्ति	अधिक्य(+) / कमी (-)	स्वीकृत जनशक्ति	वास्तविक जनशक्ति	अधिक्य(+) / कमी (-)
1.	श्रेणी-I[42]	13	2	(-)11	13	3	(-)10
2.	श्रेणी-II[43]	35	13	(-)22	35	22	(-)13
3.	श्रेणी-III[44]	698	581	(-)117	693	566	(-)127
कुल		746	596	(-)150	741	591	(-)150

स्त्रोतः निगम प्रबंधन द्वारा प्रदाय जानकारी

बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अतिरिक्त मदो एवं अतिरिक्त सामग्री के विरूद्ध ठेकेदार को भुगतान ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम में सभी श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारियों में स्वीकृत जनशक्ति के विरूद्ध कमी रही थी । यह भी देखा जा सकता है कि निगम के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई पर स्वीकृत जनशक्ति में कोई अर्थपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । 31 मार्च 2013 की स्थिति में श्रेणी–I एवं श्रेणी–II कैडर में क्रमशः 10(77 प्रतिशत) एवं 13 (37प्रतिशत) व्यक्तियों की कमी थी जो प्रदर्शित करता है कि प्रमुख प्रबंधन नियंत्रण कमजोर है एवं

हमने यह भी पाया कि :

- निगम द्वारा स्टाफिंग स्वरूप के लिय अपनाये (जुलाई 1986) दिशा निर्देश के अनुसार, प्रत्येक शाखा/वेयरहाउसिंग केन्द्र, जिसकी भण्डारण क्षमता 10000 मीट्रिक टन से ज्यादा है, का प्रमुख वरि. सहायक प्रबंधक/अधीक्षक/प्रबंधक होना चाहिए । वर्ष 2012–13 में निगम

[40] सात कनवर्टीबल कैप एवं चार अस्थाई पक्के कैप

[41] तीन कनवर्टीबल कैप एवं सात अस्थाई पक्के कैप

[42] सचिव, मुख्य अभियन्ता, महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (वाणिज्यक), महाप्रबंधक (कार्मिक), महाप्रबंधक (लेखापरीक्षा), महाप्रबंधक (तकनीकी), कार्यपालन यंत्री, उपमहाप्रबंधक (लेखा), उपमहाप्रबंधक (तकनीकी), उपमहाप्रबंधक (सामान्य)

[43] जोनल अभियन्ता, सहायक महाप्रबंधक (लेखा), सहायक महाप्रबंधक (तकनिकी), सहायक महाप्रबंधक (सामान्य), प्रबंधक (तकनिकी), प्रबंधक (विधि), प्रबंधक (लेखा), प्रबंधक (सामान्य), प्रबंधक (सूचना प्रणाली)

[44] संयुक्त प्रबंधक (तकनीकी), संयुक्त प्रबंधक (सामान्य), संयुक्त प्रबंधक (विधि), संयुक्त प्रबंधक (लेखा), कनिष्ट यंत्री, स्टेनोग्राफर, स्टेना–टंकण, ट्रेसर, आतरिक लेखापरीक्षक, वरिष्ठ गुण नियंत्रक सहायक, कनिष्ट गुण नियंत्रक सहायक, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ सहायक, सहायक, कनिष्ठ सहायक (लेखा), कनिष्ट सहायक सामान्य, चालक

स्टाफ की कमी के कारण भण्डारित गेंहूँ का धूम्रीकरण ना हो पाने के कारण ₹16.72 करोड़ कीमत का खाद्यान्न नष्ट

की 131 शाखाओं की भण्डारण क्षमता 10000 मीट्रिक टन से अधिक थी (75 शाखाओं की 25000 मीट्रिक टन से अधिक) लेकिन सिर्फ 3 शाखाओं के प्रमुख वरि. सहायक प्रबंधक/अधीक्षक/प्रबंधक थे । शेष 128 शाखाओं के प्रमुख कनिष्ठ अधीक्षक/संयुक्त प्रबंधक थे।

- तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण भण्डारित खाद्यान्न का धूम्रीकरण ना हो सकने से वर्ष 2010–11[45] में पिपरिया शाखा में मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारित 101100 मीट्रिक टन गेहूँ में से 51452.092 मीट्रिक टन गेहू, जिसकी कीमत ₹16.72 करोड़ थी, खराब हो गया ।

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र

3.24 निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है जिसमें की सिर्फ चार कर्मचारी/अधिकारी है और यह निगम के आकार, क्रियाकलापों की प्रकृति एवं शाखाओं की संख्या के अनुरूप नहीं है। हमने यह भी पाया कि आतंरिक लेखापरीक्षा शाखा के कर्मचारी/अधिकारियों को वार्षिक लेखा तैयार करने में भी लगाया गया । निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा कराई जाती है । आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/भौतिक सत्यापनों की संक्षेपिका निगम के निर्देशक मण्डल को परीक्षण एवं निर्णय–निर्माण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

कार्यकारी समिति की बैठक

3.25 मध्यप्रदेश राज्य भण्डारण निगम विनियम के नियमन 3(1) एवं वेयरहाउसिंग कॉपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 42 के अधीन निगम के क्रियाकलापों की समीक्षा के लिय प्रत्येक माह में एक बार कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी । वर्ष 1958 मे निगम की स्थापना से लेकर वर्ष 2007 तक ये बैठके नहीं बुलाई गई । यह मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यक) 1999–2000 मध्यप्रदेश सरकार में प्रकाश में लाया गया था । प्रबंधन ने कार्यकारी सीमित की बैठके नियमानुसार किए जाने के लिए कोपू को आश्वस्त किया (सितम्बर 2004) था ।

हमने पाया कि कोपू को आश्वस्त किऐ जाने के बावजूद भी वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में सिर्फ छह बैठके सम्पन्न की गई जबकि 2012–13 में कोई भी बैठक सम्पन्न नहीं हुई । अतः निगम में निगरानी प्रणाली कमजोर है।

निगरानी तंत्र में कमी

कम्प्यूटर साफ्टवेयर में आई परेशानी के निराकरण न किए जाने के कारण ₹ 5.34 करोड़ के कम्प्यूटर्स निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा ना कर सके ।

3.26 भारतीय खाद्य निगम ने प्रत्येक वेयरहाउसिंग केन्द्र पर प्रत्येक दिन के अंत में उपलब्ध भण्डारित खाद्यान्न की मात्रा जानने के उद्देश्य से खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली के अंतर्गत फरवरी एवं मार्च 2008 में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जरिए 179 शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों पर ₹ 5.34 करोड़ कीमत के कम्प्यूटर्स (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) स्थापित किए गए। भारतीय खाद्य निगम एवं निगम के बीच समझौते (अक्टूबर 2007) के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर/हार्डवेयर में आई किसी भी परेशानी को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से निराकरण किए जाने की जिम्मेदारी निगम की थी।

हमने पाया कि साफ्टवेयर में आई डाटा इन्ट्री से संबंधित किसी तकनीकी परेशानी के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर्स कभी भी निर्दिष्टि उद्देश्य हेतु उपयोग ना किए जा सके । निगम ने साफ्टवेयर में आई तकनीकी परेशानी के निराकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र अथवा किसी निजी, संस्था से कोई समाधान नहीं किया । अतः प्रबंध

[45] खुले में भण्डारित : 11400 मी.ट. एवं बंद गोदामों में भण्डारित : 93000 मी.ट.

की निष्क्रियता के कारण, मार्च 2008 में प्रदाय ₹ 5.34 करोड़ कीमत के कम्प्यूटर्स निदिष्ट उद्देश्य हेतु कमी भी उपयोग नहीं किए जा सके । इस प्रकार प्रतिदिन भण्डारित खाद्यान्न की मात्रा की निगरानी का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका ।

राज्य सरकार का कथन (जनवरी 2014) है कि कार्यालयीन कामकाज के लिए इन कम्प्यूटर्स का उपयोग किया गया एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स को आवश्यक प्रशिक्षण उपरान्त 179 स्थानों में से 138 स्थानों पर सितम्बर 2013 से डाटाइन्ट्री कार्य शुरू किया जा चुका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कम्प्यूटर्स का उपयोग खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली में किया जाना था जो कि मार्च 2008 से प्राप्त कम्प्यूटर्स में साफ्टवेयर संबंधी परेशानी के निराकरण ना किए जाने के कारण सितम्बर 2013 तक प्रारंभ नहीं किया जा सका ।

निर्दिष्ट आद्रता लाभ (moisture gain) की प्राप्ति की निगरानी ना किया जाना

3.27 भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, द्वारा जारी (अक्टूबर 2003) निर्देशानुसार भण्डारित खाद्यान्न, जो कि 30 जून के बाद उपार्जन ऐजेन्सी द्वारा उठाया जाता है, तो आद्रता लाभ, बंद गोदाम एवं कैप/खुले गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न पर एक प्रतिशत एवं 0.70 प्रतिशत क्रमशः भण्डारण लाभ उपार्जन ऐजेन्सी को दिया जाना है । हालाकि वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में प्राप्त भण्डारण लाभ बहुत ही कम रहा, निगम द्वारा आद्रता लाभ के कारण प्राप्त निर्दिष्ट भण्डारण लाभ प्राप्त न किए जाने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया ।

लीज पर प्राप्त भूमि के नवीनीकरण की निगरानी

3.28 निगम राज्य सरकार से भू–अधिग्रहण करता है । अधिग्रहित भूमि के संबंध में निगम को पट्टा (lease deed) कराना होता है और पट्टे की अवधि समापन पर पट्टे का नवीनीकरण कराना होता है। समय पर भूमि–पट्टे के नवीनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा कोई भी निगरानी प्रणाली नहीं विकासित की गई । इस संबंध में, हमने निम्नलिखित कमियाँ पाईः–

- मार्च 2008 को 19 भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी थी जिन्हे नवीनीकरण किया जाना था । 2008–09 से 2012–13 की अवधि में 48 अन्य भूमि पट्टों की अवधि नवीनीकरण हेतु बकाया हो चुकी थी । परन्तु निगम द्वारा इन भूमियों के पट्टो के नवीनीकरण हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया गया ।

- आठ में से चार क्षेत्रीय कार्यालयों की 102 स्थानों पर भूमि के संबंध में पट्टा अभिलेख निष्पादित नहीं किया गया । दो प्रकरणों में, भूमि 50 से भी ज्यादा वर्षो से निगम के पास है । शेष चार क्षेत्रीय कार्यालयों से इस संबंध में जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई ।

निगम का पंजीकरण

3.29 वेयरहाऊसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा–3 के अनुसार कोई भी तब तक वेयरहाऊसिंग व्यापार प्रारंभ या सम्पन्न नहीं करेगा जब तक कि वह संबंधित वेयरहाऊस या वेयरहाऊसों के संबंध में वेयरहाऊसिंग विकास एवं विनियमन प्राधिकरण से पंजीकरण नहीं कराता । इस अधिनियम के लागू (अक्टूबर 2007) होने से पहले जो व्यक्ति

वेयरहाऊसिंग व्यवसाय संचालित कर रहे है उन्हे भी अधिनियम के लागू होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि मे पंजीकरण के लिए आवेदन करना था ।

हमने पाया कि निगम ने अब तक वेयरहाऊसिंग गतिविधियों के संचालन हेतु अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है ।

गोदाम का किराए पर लिया जाना

3.30 संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना ही शाखा प्रबंधक तेन्दुखेडा ने एक निजी गोदाम जो कि पहले से ही चना दाल से भरा हुआ था, को किराए पर लिया (फरवरी 2010) ।

क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी में कमी के कारण गोदाम को अनियमित तरीके से किराए पर लिया गया ।

हमने पाया कि मार्च 2010 एवं जून 2010 में किए गए गोदाम के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से भी क्षेत्रीय प्रबंधक को इस गोदाम का किराए पर लिए जाने का तथ्य संज्ञान में नहीं आया । यह क्षेत्रीय प्रबंधक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कमी को दर्शाता है । बाद में इस गोदाम में रखे माल जो कि किराए पर लेते समय से ही रखा हुआ था, के एवज में शाखा प्रबंधक द्वारा अनियमित तरीके से जमा पर्ची का जारी किए जाने के अलावा, भण्डारित चनादाल की मात्रा में कमी एवं क्षतिग्रस्त होने का मामला प्रकाश में आया ।

सरकार का कथन है (जनवरी 2014) कि निगम में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त एवं प्रभावशाली प्रणाली है परन्तु कभी कभार कर्मचारियों की लापरवाही से इस प्रकार की घटनाए हो जाती है एवं जिसके लिए संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय प्रबंधक अपनी पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते हुए गोदाम को किराए पर लेने की जानकारी संज्ञान में लाने में असफल रहा ।

निष्कर्ष

निगम ने स्वयं की भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई भी दीर्घकालीन योजना तैयार नहीं की । निगम द्वारा राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन, जिसमें कि भूमि की आवश्यकता भी शामिल थी, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पर्याप्त पहले नहीं किए गए जिस कारण गोदामों के निर्माण में बाधा आई । निगम की स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता तो बढ़ी पर राज्य की कुल भण्डारण क्षमता में इसकी हिस्सेदारी सीमान्तिक रूप से घट गई ।

पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद, लक्षित अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण के विरूद्ध गोदामों के वास्तविक निर्माण कार्य बहुत ही कम रहे । वैधता अवधि में टेण्डर को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निगम को गोदामों के निर्माण कार्य ऊँची दरों पर कराना पड़ा । कंवर्टेबल कैप और प्री–इंजीनियरिंग गोदामों का निर्माण कार्य समय पर पूरा ना होने के कारण संभावित राजस्व की क्षति हुई ।

स्वनिर्मित एवं संयुक्त उद्यम गोदामों के भण्डारण क्षमता का उपयोग कुल लक्षित उपयोगिता से कम रहा । स्वनिर्मित एवं किराए की भण्डारण क्षमता में स्थान उपलब्धता के बावजूद भी संयुक्त उद्यम गोदामों में भण्डारण के कारण निगम को राजस्व का नुकसान हुआ । भण्डारित खाद्यान्नों पर भण्डारण लाभ प्राप्त न करने तथा उसके की क्षति के कारणों का विश्लेषण निगम द्वारा नहीं किया गया और ना ही इसके लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही की गई । बजाय कुछ स्थानों पर प्रयोग के तौर पर नए प्रकार के कैप कवर उपयोग करने

के निगम ने बहुतायत में केप कवरों को उच्च कीमतों पर खरीदा एवं तुलनात्मक रूप से भारी पौलिथिन केप कवर खरीदे जाने के कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना अतिरिक्त मद का निर्माण कार्य किया गया एवं अनुमोदित मात्रा से ज्यादा मात्रा का उपयोग के लिए ठेकेदार को भुगतान किया गया । निगम में प्रत्येक वर्ग में अनुमोदित कार्यशक्ति के विरूद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों संख्या की कमी पाई गई ।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का आकार निगम की गतिविधियों की प्रकृति, शाखाओं की संख्या एवं निगम के आकार के अनुरूप नहीं था । निगम के क्रियाकलापों की समीक्षा हेतु कार्यपालन समिति की बैठक निर्धारित समयावधि उपरांत सम्पन्न नहीं हुई । साफ्टवेयर में परेशानी का निराकरण ना किए जाने के कारण कम्प्यूटरों का निगरानी हेतु उपयोग नहीं किया जा सका । भूमि लीज दस्तावेजों के समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली निगम द्वारा नहीं अपनाई गई ।

अनुशंसाएं

निगम को चाहिए किः–

- गोदामों के निर्माण के लिए प्रभावी ढ़ंग से योजना बनाने एवं लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष से पहले ही हस्ताक्षर करें ।
- भण्डारण क्षमता को समय–बद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए गोदामों के निर्माण में आ रही परेशानियों को चिन्हित करे एवं निपटाए,
- राजस्व के नुकसान को बचाने के लिए निगम के स्वनिर्मित गोदाम एवं किराये के गोदामों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावे,
- निर्दिष्ट भण्डारण लाभ ना प्राप्त होने एवं खाद्यान्न की क्षति होने के कारणों का विश्लेषण किया जावे एवं उसके लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जावे एवं,
- समय पर कार्यपालन समिति की सभा की जावे आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करके निगरानी प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जावे ।

अध्याय–4

अध्याय–4

4. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा किये गये लेन–देन की नमूना जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है ।

सरकारी कम्पनियाँ

विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एस.ई.जेड) इंदौर

4.1 अधिभार का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा उर्जा बिलो के समय पर भुगतान में असफलता के परिणामस्वरूप राशि ₹ 31.74 लाख का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) लिमिटेड, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) के साथ एस.ई.जेड. में स्थापित औद्योगिक ईकाईयो के लिये आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति हेतु एक समझौता किया (अक्टूबर 2010) । म.प्र.प.क्षे.वि.वि. क.लि. ऊर्जा आपूर्ति के लिये प्रत्येक माह बिल की दिनांक से चैक द्वारा भुगतान हेतु 13 दिन और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान हेतु 15 दिन का समय देते हुये मांग बिल जारी करती है। स्टेट बैक ऑफ इंडिया औद्योगिक एस्टेट (आई.ई.) मरीमाता शाखा द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/आहरित चैक्स द्वारा भुगतान ही नकद के रूप में मान्य है । अन्य बैक द्वारा अन्य कोई भी माध्यम देय तिथि से तीन दिवस पूर्व ही जमा हो जाना चाहिये, एवं इस तरह असफल रहने पर म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. एवं एस.ई.जेड. के मध्य हुये समझौते के उपवाक्य 02 की शर्तो के अधीन अधिभार आरोपित किया जायेगा । चूंकि कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.ए.के.व्ही.एन.) इंदौर की सहायक कम्पनी है अतः इसके सभी लेनदेन संरक्षक कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (इंदौर) के बैंक खाते के माध्यम से ही किये जाते है ।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.को भुगतान किये गये ऊर्जा बिलो की समीक्षा (अगस्त 2012) में हमने पाया कि कंपनी ने देय तिथि से 15 से 17 दिनो के बाद 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ऊर्जा बिलो का भुगतान किया यद्पि कम्पनी के पास अधिक्य कोष था । देरी से भुगतान के कारण म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ने ऊर्जा बिलो पर ₹ 31.74 लाख[1] का अधिभार आरोपित किया इसके अतिरिक्त, स्टेट बैक ऑफ इंडिया, आई.ई. मरीमाता शाखा के अतिरिक्त बैको के चैक्स के माध्यम से बिलो का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 03 अतिरिक्त दिवस के लिये अधिभार आरोपित किया गया ।

यद्यपि मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने दिसम्बर 2007 में उच्च दाब बिलो के भुगतान के लिये रियल टाईम ग्रास सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) सुविधा प्रारंभ की थी, कम्पनी द्वारा मई 2011 तक चैक्स के माध्यम से भुगतान किया जाता रहा था परिणामस्वरूप चैक्स क्लीयरेन्स दिनांक तक के लिये अधिभार भुगतान हुआ । जून 2011 से ही आर.टी.जी.एस. सुविधा का उपयोग हो सका । इस तहत, कम्पनी उर्जा बिलो के समय

[1] उर्जा बिलो में भुगतान में देरी पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से आरोपित दण्डित अधिभार ।

पर भुगतान में असफल रही जबकि पर्याप्त कोष उपलब्ध था परिणामस्वरूप राशि ₹ 31.74 लाख के अधिभार का परिहार्य भुगतान हुआ ।

प्रकरण सरकार को भेज दिया गया है (जून 2013) एवं उत्तर प्रतीक्षित है । (दिसम्बर 2013)

4.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

आयकर छूट का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप आयकर एवं ब्याज की राशि ₹13.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इंदौर) कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 20 फरवरी 2003 को एस.ई.जेड के अंतर्गत भूमि के आधार मूल संरचना के विकास जैसे सड़क निर्माण, विकास तंत्र, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति एवं मरम्मत कार्य सम्पादित करना आदि कार्य आते है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (1) के अनुसार जहाँ कर निर्धारित की सकल कुल आय ऐसे किसी लाभ एवं प्राप्ति को शामिल करती है जो कि एक उघोग के उपक्रम के किसी व्यवसाय जैसे – किसी अधोसंरचना सुविधा के विकास या संचालन या मरम्मत कार्य से हो, वहाँ इस धारा के प्रावधानो के अनुसार कर निर्धारिती के कुल आय की गणना में 10 निरन्तर कर–निर्धारण वर्षो के लिये इस तरह के व्यवसाय से प्राप्त आय/लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती स्वीकार्य होगी एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (2) के अनुसार उपरोक्त कटौती, कर निर्धारिती के विकल्प पर उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा किसी अधोसंरचना सुविधा के विकास एवं संचालन आरम्भ करने के 15 वर्षो में से किसी भी 10 निरन्तर वर्षो के लिये दावे योग्य होगी । एस.ई.जेड. इंदौर के अभिलेखो की समीक्षा में हमने पाया (अगस्त 2012) कि कम्पनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई.ए. (4) (iii) के अंतर्गत आयकर भुगतान के दायित्व से मुक्त थी। हमने यह भी पाया कि कम्पनी ने वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि में राशि ₹ 11.93 करोड़ आयकर के लिये एवं राशि ₹ 1.32 करोड़ अधिनियम की धारा 234 (ए.बी.सी.)[2] के प्रावधानो के पालन न करने के लिये ब्याज के रूप में भुगतान किया । बहरहाल, एस.ई.जेड. ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–आई.ए. के प्रावधानो का लाभ नही लिया जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.25 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2012) कि विकासकर्ता में परिवर्तन के लिये एस.ई.जेड अधिनियम, 2005 में कोई प्रावधान नही है एवं एस.ई.जेड अधिनियम, 2005 एवं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानो एवं अन्य निर्मित नियमो के अनुसार कर मुक्ति लाभ केवल अधिसूचित विकासकर्ता को ही उपलब्ध है जैसे मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड।

उत्तर स्वीकार्य नही है । क्योकि आयकर अधिनियम के उक्त प्रावधान यह उपलब्ध करता है कि यदि कोई औद्योगिक उपक्रम जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है 01 अप्रैल 2001 को या इसके पश्चात इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का संचालन एवं मरम्मत कार्य किसी अन्य विकासकर्ता ऐजेन्सी/ईकाई को हस्तान्तरित कर देता है उस स्थिति में हस्तान्तरित विकासकर्ता को आयकर की छूट प्राप्त करने की पात्रता है ।

प्रकरण सरकार को भेजा गया (जून 2013) एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (दिसम्बर 2013)

[2] किसी कर निर्धारण वर्ष में आयकर विवरण निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत करना या कर निर्धारित देय अग्रिम आयकर निर्धारित कुल कर के 10 प्रतिशत से कम हो या कर निर्धारित अग्रिम आयकर भुगतान में असफल रही है।

4.3 त्रुटिपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय

ऊर्जा के क्रय के लिये मांग निर्धारण में त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.23 करोड़ का परिहार्य व्यय।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इंदौर) की स्थापना निर्यात आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार की स्वीकृति से एक विशेष उद्देश्य साधन के रूप में की गयी । क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक ईकाईयो के लिये ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था के क्रम में, कंपनी ने 5000 के.वी.ए. की संविदा मांग के लिये नवम्बर 2009 में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) के साथ एक समझौता किया । दिसम्बर 2009 में कंपनी ने 3000 के.वी.ए. अतिरिक्त भार के लिये आवेदन किया एवं जनवरी 2010 में समझौता किया। मई 2010 में 3000 के.वी.ए. के एक और अतिरिक्त भार के लिये आवेदन किया गया । 8000 के.वी.ए. के संविदा मांग को बहरहाल बढ़ाकर 10,000 के.वी.ए. (जैसे 2000 के.वी.ए. वृद्धि) किया गया एवं जुलाई 2010 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए । यद्यपि माह जून 2010 में ही वास्तविक आहरित ऊर्जा भार 13000 के.वी.ए. से अधिक था । कंपनी ने अगस्त 2010 मे फिर से 4000 के. व्ही.ए. भार बढ़ाने के लिये आवेदन किया जिसे अगस्त 2010 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन से सितम्बर 2010 में स्वीकृति दी गई, शर्तो के अधीन[3] ।

हमने पाया (अगस्त 2012) कि अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के कम्पनी द्वारा वास्तविक मांग 11600 के.वै .ए. से 14000 के.वी.ए. के मध्य रही । जबकि उक्त अवधि के लिये संविदा मांग 8000 के.वी.ए. से 10,000 के.वी.ए. ही थी । यद्यपि, कम्पनी द्वारा वास्तविक आहरित मांग स्वीकृत मांग से अधिक रही एवं कम्पनी ने आवश्यकतानुसार मांग भार में वृद्धि के लिये तुरन्त कार्यवाही नही की जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने प्रथम 15 प्रतिशत आधिक्य के लिये सामान्य मांग अधिभार की तुलना में 1.5 गुना एंव शेष के लिये 2 गुना अधिक मांग अधिभार किया जिसकी कुल राशि 1.30 करोड़ थी। यदि कंपनी ने अप्रैल 2010 में ही 14000 के.वी.ए. भार के लिये आवेदन किया होता तो उस स्थिति में अधिक मांग अधिकार का भुगतान देय नही होता एवं अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के लिये स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की कुल राशि पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भार ही आरोपित किया जाता जिसकी राशि केवल ₹ 7.00 लाख ही होती । अतः कम्पनी उस मांग का अनुमान पूर्व में ही करके राशि ₹ 1.23 करोड़[4] के अतिरिक्त व्यय को त्यागा जा सकता था कम्पनी इस तरह किये गये आधिक्य मांग प्रभार की उद्यमियों से वसूली करने में भी असफल रही या उन्हे मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा वृद्धि भार स्वीकृति तक वास्तविक भार तक ही प्रतिबंधित रखा । इस तरह अधिक मांग प्रभार के भुगतान को आरोपित नही किया जा सका एवं कंपनी द्वारा कुल अधिक मांग प्रभार स्वयं के द्वारा ही वहन किया गया ।

प्रकरण कंपनी/सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2013) एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (फरवरी 2014)

[3] 4000 के.वी.ए. अतिरिक्त की आपूर्ति की अनुमति 31 मार्च 2011 तक है। आपूर्ति बहुआयामी फीडर का प्रयोग करते हुये 33 के. वी. लाईन पर की जायेगी उपभोक्ता को स्थाई प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार की कुल राशि पर 3% की दर से प्रभार देय होगा।

[4] ₹ 1.3 करोड़ – ₹ 0.07 करोड़

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड

4.4 भूमि आवंटन में आवश्यक अविराम परीक्षा कार्य करने में असफलता

समस्त भूमि आवंटन में आवश्यक अविराम परीक्षण कार्य की असफलता के परिणामस्वरूप रियायती दर के कारण राशि ₹ 30 लाख की हानि ।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड (कम्पनी) इंदौर क्षेत्र में औधोगिक अधोसंरचना के विकास के लिये उत्तरदायी है । कंपनी उद्यमियो को विकसित भूमि पट्टे पर देती है ।

मध्यप्रदेश सरकार के औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 (नवम्बर 2010) एवं कार्य आयोजना 2010 के अनुसार उन उद्योगो जिनकी प्रस्तावित पूंजी निवेश ₹ 25 करोड़ था उससे अधिक होगा उनकी बड़ी परियोजना हेतु निर्धारित अधिमूल्य (प्रीमियम) के 25 प्रतिशत पर भूमि उपलब्ध करायी जावेगी[5] यदि इस तरह का पूंजी निवेश तीन वर्ष की अवधि के अंदर किया जाता है । आगे यदि परियोजना की लागत ₹ 25 करोड़ से ₹ 50 करोड़ के मध्य रहती है तब अधिकतम 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर प्रदान की जा सकेगी एवं यदि परियोजना लागत ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच रहती तब अधिकतम 10 एकड़ भूमि ही रियायती दर पर प्रदान की जा सकेगी ।

कंपनी ने मैसर्स बाडवे इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड (बी.ई.पी.एल.) द्वारा स्वचालित वाहन अवयव निर्माण हेतु परियोजना पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिये सितम्बर 2010 में 36000 वर्ग मीटर भूखंड आवंटन के लिये आवेंदन प्राप्त किया । औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के लिये निर्धारित अधिमूल्य दर दिसम्बर 2010 में ₹ 400 प्रति वर्ग मीटर थी । कम्पनी ने इसे बड़ी औद्योगिक इकाई मान्य करते हुये फरवरी 2011 में 30,000 वर्ग मीटर (7.5 एकड़) भूमि आवंटित की ।

हमने पाया कि कंपनी ने ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर रियायती दर पर गणना करते हुये 30,000 वर्ग मीटर भूमि के लिये राशि ₹ 30 लाख प्रीमियम (अधिमूल्य) के रूप में प्राप्त किये । यह भी पाया कि भूमि की लागत एवं ₹ 6.20 करोड़ के स्थल विकास को सम्मिलित करते हुये परियोजना की कुल लागत ₹ 53.70 करोड़ थी । चूंकि कंपनी द्वारा विकसित भूमि पट्टे पर दी जाती है अतः औद्योगिक इकाई (बी.ई.पी.एल.) द्वारा ₹ 6.20 करोड़ स्थल विकास लागत के रूप में शामिल करना तर्कसंगत नही था एवं इसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुयी । यदि यह राशि विचार में नही ली गई होती उस स्थति में परियोजना लागत राशि ₹ 47.50 करोड़ ही होती एवं इस तरह की औधोगिक इकाई केवल पांच एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटन के लिये पास होती[6] जो कि 20,000 वर्ग मीटर भूखंड (लगभग) होता । अतः शेष 10,000 वर्ग मीटर भूखंड के लिये ₹ 400 प्रति वर्ग मीटर सामान्य प्रीमियम प्रभारित किया जाना चाहिये था ।

प्रबंधन ने कहा (जून 2013) कि भूमि आवंटन औद्योगिक नीति 2010 के प्रावधानो के अनुसार ही किया गया एव बी.ई.पी.एल. (औद्योगिक इकाई) द्वारा दर्शायी गयी परियोजना लागत ₹ 53.70 करोड़ थी जिसमे ₹ 6.20 करोड़ जो कि भूमि एवं विकास लागत के नाम से दर्शाये गये शामिल थी ।

[5] कमर्शियल पूंजी छोडकर
[6] एक एकड़ = 4046 वर्गमीटर

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है। क्योकि कंपनी केवल विकसित भूखंड ही पट्टे पर देती है । इसके अतिरिक्त ₹ 6.20 करोड़ को भूमि एवं भूखंड विकास लागत के रूप में शामिल करना तर्कसंगत नही है। क्योकि किसी अन्य भूमि आवंटन प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा भूखंड विकास लागत को कुल परियोजना लागत में शामिल किया जाना नही पाया गया। परियोजना लागत में भूखंड विकास लागत को सम्मिलित किये जाने से बी.ई.पी.एल. 10,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि रियायती दर पर आवंटन के लिये पात्र हुआ । इस तरह, बगैर आवश्यक अविराम परीक्षण के औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना लागत विवरण को स्वीकार करने के प्रबन्धन के निर्णय के परिणामस्वरूप समस्त भूमि रियायती दर पर आवंटित करने से राशि ₹ 30 लाख[7] की हानि हुयी ।

प्रकरण मई 2013 में सरकार को सूचित किया गया एवं जनवरी 2014 तक उत्तर प्रतीक्षित है ।

4.5 कमजोर निधि प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि

उचित निधि प्रबंधन–तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप बहुत अधिक नकदी शेष बचत खातों में जमा रखने के कारण राशि ₹ 79.17 लाख के ब्याज आय की हानि।

मध्यप्रदेश राज्य औद्यौगिक विकास निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर लिमिटेड (कम्पनी) इंदौर क्षेत्र में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिये उत्तरदायी है कंपनी उद्यमियों को विकसित भूमि पट्टे पर देती है।

कंपनी के अप्रैल 2011 से मार्च 2013 तक की अवधि के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कंपनी कोटक महिन्द्रा बैंक (इंदौर) के साथ तीन बचत खाते संचालित करती है एवं खातों का संचालन केवल दिन–प्रतिदिन के लिये किया जाता है । अप्रैल 2011 के अंत में उक्त तीनों खातों में ₹ 3.23 करोड़ का क्रेडिट शेष था जो कि मार्च 2013 के अंत तक संग्रहित होकर ₹ 22.89 करोड़ हो गया । इसके अतिरिक्त कंपनी के पास अन्य बैको में 11 अन्य चालू खाते दिन–प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार थे ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कंपनी के पास सावधि जमा निवेश हेतु आधिक्य निधि उपलब्धता जानने के लिये कोई आवधिक तंत्र नही था । यदि कंपनी आधिक्य निधि के निवेश के लिये निधि प्रबन्धन तंत्र का पालन करती एवं आधिक्य निधि को सावधि जमा के रूप में निर्देशित किया जाता तब अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि में ₹ 79.17 लाख अतिरिक्त ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकते थे । कंपनी ने वित्तीय हितो की सुरक्षा के क्रम मे कंपनी को अपने निधियों पर आय को अधिकतम करने के लिये एक सुनियोजित निधि प्रबंधन तंत्र का पालन करना चाहिये ।

प्रबंधन के कहा (सितम्बर 2013) कि अप्रैल 2011 से जून 2012 तक कंपनी ने ब्याज के रूप में ₹ 43.97 लाख की आय प्राप्त की एवं यह कि लेखापरीक्षा द्वारा कण्डिका में दर्शित अनुमानित ब्याज दरे प्रचलित वास्तविक ब्याज दरो के साथ सहसम्बद्ध/आश्वस्त नही थी ।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कंपनी ने आपने आधिक्य निधि को कोटक महिन्द्रा बैक (इंदौर) में उच्च दर पर संबंधित जमा के बजाय उसी बैक में बचत खाते में जमा रखा।[8]

[7] ₹ 400 – ₹ 100 = ₹ 300 x 10,000 वर्ग मीटर
[8] 9 प्रतिशत वार्षिक

इस तरह आधिक्य निधि के सुनिश्चित निवेश तंत्र के अभाव मे निधि को बचत खाते में रखने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ब्याज आय हानि राशि ₹ 79.17 लाख हुई ।

प्रकरण अगस्त 2013 में सरकार को सूचित किया गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014) ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

4.6 राजस्व की हानि

आपूर्ति उपलब्धता सूचना एवं परिष्कृत मांग जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख के राजस्व की हानि ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी (जून 2004) मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के उपवाक्य/धारा 4.74 के अनुसार आपूर्ति आरम्भ करने के लिये ऊर्जा उपलब्धता सूचना देने की निर्धारित समय–सीमा उपभोक्ता के साथ आपूर्ति समझौते के दिनांक से यदि प्रसार कार्य सम्मलित है तब 90 दिवस एवं यदि प्रसार कार्य सम्मलित नही है[9] तब 30 दिवस होगी । संहिता के उपवाक्य 2.1 (एन) के अनुसार आपूर्ति आरंभ करने की दिनांक से तात्पर्य लक्षित उपभोक्ता को ऊर्जा उपलब्धता की सूचना या उपभोक्ता द्वारा वास्तविक आपूर्ति उपलब्धता के दिनांक से निम्न दाब (एल.टी.) की स्थिति में एक माह की समाप्ति एवं उच्च दाब (एच.टी.) की स्थिति में तीन माह की समाप्ति के अगले दिवस से होगा । तद्नुसार, उर्जा उपलब्धता की सूचना या वास्तविक ऊर्जा आपूर्ति उपलब्धता के दिनांक, जो भी पहले हो से उर्जा प्रभार के लिये बिलिंग की जाती है ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का गठन विद्युत वितरण के उद्देश्य से किया गया है । वर्तमान अस्तित्व में उपभोक्ता मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल्स (एस.पी.एम.) होशंगाबाद ने जून 2009 में अपने संविदा भार 5000 के.वी.ए. से 10,000 के.वी.ए. वृद्धि किये जाने हेतु आवेदन किया । बहरहाल, कंपनी ने अक्टूबर 2009 में एक 3000 के.वी.ए. अतिरिक्त भार को स्वीकृति दी एवं जनवरी 2010 में 8000 के.वी.ए. के भार वृद्धि के लिये एक पूरक समझौता किया । महाप्रबंधक (संचारण एवं संधारण) ने फरवरी 2010 में उप महाप्रबंधक (संचारण एवं संधारण) को उपभोक्ता को आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी करने हेतु निर्देशित किया ताकि वृद्धि किये गये 8000 के.वी.ए. भार के लिये बिलिंग आरंभ की जा सके । बहरहाल, उपभोक्ता को उक्त सूचना जून 2010 में जारी कि गई। उपभोक्ता द्वारा जून 2010 में इसके नवीन पल्प मिल के संस्थापन कार्य में देरी के कारण सितम्बर 2010 से बिलिंग आरम्भ करने का निवेदन किया गया एवं पुनः सितम्बर 2010 में बिजली संबंधी कार्य पूर्ण न होने के कारण बिलिंग 1 नवम्बर 2010 से आरंभ करने का निवेदन किया । तद्नुसार, कंपनी ने वृद्धि भार के लिये 1 नवम्बर 2010 से बिलिंग आरंभ की ।

हमने पाया (जनवरी 2012) कि संहिता के उपवाक्य 4.74 की शर्तो के अनुसार कंपनी को स्वयं फरवरी 2010 में वृद्धि भार के लिये आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी करनी चाहिये थी जैसे कि उपलब्धानुसार जनवरी 2010 मे किये समझौते की दिनांक से 30 दिवस की समाप्ति पर एवं मई 2010 से बिलिंग आरंभ की जानी चाहिये थी । जैसे कि संहिता में नियत प्रक्रिया के अनुसार सूचना जारी करना कंपनी की जबाबदेही थी। चार माह की देरी से सूचना जारी करना एवं तद्नुसार देरी से बिलिंग की अनुभूति नियम विरूद्ध थी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख की राजस्व हानि हुयी ।

[9] नवीन लाईन का विस्तार एवं फीडर की स्थापना

सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि उसे 8000 के.वी.ए. के वृद्धि भार से आपूर्ति के लिये लाईन का संवर्धन करना था एवं जुलाई 2010 में कार्य पूर्ण होने पर आपूर्ति उपलब्धता सूचना जारी किया गया एवं नवम्बर 2010 से उपभोक्ता को वृद्धि भार के लिये बिलिंग की गयी । बहरहाल लेखापरीक्षा जांच में स्पष्ट हुआ कि कंपनी द्वारा उक्त अवधि में किया गया कार्य कंपनी के वृद्धिभार से मुक्त करने के लिये संवर्धन कार्य से संबंधित नही था एवं परिचालक संवर्धन, निक्षेप कार्य के रूप में एस.पी.एम. परिक्षेत्र में 33 के.व्ही. लाईनो के क्षतिग्रस्त सहायक के बदलाव से संबंधित था जो कि संहिता के उपवाक्य 4.68 के अनुसार[10] उपभोक्ता का उत्तरदायित्व था । अतः कंपनी के उपभोक्ता के निवेदन पर वृद्धि भार के लिये बिलिंग आरंभ करने में देरी नही करनी चाहिये थी ।

इस तरह कंपनी द्वारा आपूर्ति उपलब्धता सूचना समय पर जारी करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 84.84 लाख राजस्व का परित्याग करना पड़ा ।

4.7 विद्युत भार में वृद्धि द्वारा उपभोक्ता को अनुचित लाभ

विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के अनुसार स्वीकृति पक्ष की शर्तो को पूरा करने के पूर्व अतिरिक्त भार विस्तार के माध्यम से उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं एम.पी. ई.आर.सी टैरिफ के अनुसार अधिक भार पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित न करने के कारण राशि ₹ 3.89 करोड़ के राजस्व की हानि ।

मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के उपवाक्य 4.3 के अनुसार ''नवीन उपभोक्ता के मांग को पूरा करने के लिये वितरण मेन्स के विस्तार एवं विस्तार या आपूर्ति बिन्दु को अद्यतन करने की लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी ।

संहिता के उपवाक्य 4.12 के अनुसार उपभोक्ता संहिता में उपबन्धित समय सीमा में ही कार्य प्राप्त करेगा, असफल होने की दशा में लाईसेंसधारी 15 दिवस की सूचना देकर आपूर्ति के लिये या आपूर्ति विस्तार के लिये मांग को निरस्त मान सकता है । संहिता में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा यदि विस्तार कार्य शामिल हो तब 90 दिवस एवं यदि विस्तार कार्य आवश्यक न हो उस दशा में 30 दिवस होगी ।

मेसर्स काकड़ा सेलिंग मिल गोविन्दपुरा 2350 के.वी.ए. के संविदा मांगभार के साथ वर्तमान में एक उच्च दाब उपभोक्ता ने दिसम्बर 2009 में विद्युत भार 1250 के.वी.ए. बढ़ाने हेतु आवेदन किया । कंपनी ने उपभोक्ता द्वारा स्विचिंग सब स्टेशन से 1.67 कि.मी. रवर लेन्थ की 33 के.व्ही. लाईन के लिये नवीन 33 के.व्ही. फीडर सफलतापूर्वक बिछाने की शर्त के अधीन 33 के.व्ही. लाईन पर वर्तमान 2350 के.वी.ए. संविदा मांग से अधिक 1250 के.वी.ए. अतिरिक्त ऊर्जा के लिये जनवरी 2010 में स्वीकृति प्रदान की ।

उपभोक्ता ने जनवरी 2010 को बढ़े हुये भार को तुरन्त विमुक्त करने के लिये निवेदन किया एवं विस्तार कार्य को पूर्ण करने के लिये 12 माह का समय मांगा । भार में वृद्धि के माध्यम से संभव अतिरिक्त राजस्व को विचार में लेते हुये, कंपनी ने गोविन्दपुरा के लिये स्टेण्डवाई फीडर के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करा के विस्तार कार्य

[10] उपवाक्य 4.68 बताता है कि उपभोक्ता स्व–निर्णय से कार्य में समय वृद्धि ले सकता है एवं अनुज्ञप्तिधारी को जांच प्रतिवेदन तथा स्थापना में तीव्रता लाने हेतु विद्युत निरीक्षक से प्राप्त अनुमति प्रस्तुत करेगा।

पूर्ण होने से पूर्व ही अतिरिक्त भार वियुक्त करने का निर्णय लिया । यद्पि संहिता के उपलक्ष्यो के अनुसार विस्तार कार्य को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस है कम्पनी ने नवीन 33 के.व्ही. फीडर के कार्य करने के लिये 6 माह की अवधि अनुमत की एवं अप्रैल 2010 से प्रभावी 3600 के.वी.ए. के भार वृद्धि के लिये अप्रैल 2010 में एक समझौता किया । इस तरह समझौता प्रारंभ से ही संहिता के उपबन्धो के विरूद्ध था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा विस्तार कार्य को पूर्ण करने तक वर्तमान भार के अनुसार बिलिंग करने के लिये एवं 6 माह की अवधि में विस्तार कार्य पूर्ण करने में उपभोक्ता की असफलता पर समझौता समाप्त करने संबंधी कोई भी अनुमत प्रावधान नही किया गया ।

हमने पाया (मार्च 2012) कि समझौते में अनुमत 6 माह की अवधि के अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा समय समय पर विस्तार कार्य के लिये समय मे विस्तार मांगा गया। बहरहाल, साश्यतः समझौते में आवश्यक प्रावधान के अभाव में प्रबंधन ने उपभोक्ता के निर्धारित समयावधि में विस्तार कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर वृद्धि भार पर आपूर्ति को बंद करने के लिये कोई कार्यवाही आरंभ नही की और न ही वर्तमान भार को आधार मानते हुये बिलिंग कार्य वास्तव में सितम्बर 2013 में समाप्त हुआ ।

वर्तमान भार के बजाय नियमित भार वृद्धि के आधार पर बिलिंग के परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि में आधिक्य आहरण के लिये राशि ₹ 3.89 करोड़ की दण्ड राशि भुगतान किये बगैर संहिता के उपबन्धो के अनुसार संभव विद्युत आहरण से अधिक विद्युत आहरित थी ।

इस तरह, स्वीकृति (जनवरी 2010) के शर्तो को पूर्ण करने से पूर्व अतिरिक्त भार प्रदाय करने का समझौता एवं उसमें कंपनी के वित्तीय हितो को सुरक्षित रखने के लिये उचित प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ । इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा स्वंय की लागत पर स्थापित स्टैण्डबाई फीडर लक्षित उद्देश्य के लिये अनुपलब्ध था एवं उस पर किया निवेश असफल रहा ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि कंपनी के उत्तम हितो को विचार में लेते हुये उपभोक्ता की अतिरिक्त फीडर के कार्य को पूर्ण करने के लिये समय दिया गया था जैसे कि वह नियमित राजस्व प्रदान करने वाला उपभोक्ता था । आगे यह भी कहा कि चूंकि उपभोक्ता नियमित रूप से बकाया का भुगतान कर रहा था अतः वृद्धि आपूर्ति को बन्द नही किया जा सकता था ।

उत्तर स्वीकार्य नही हैं। क्योकि समझौता संहिता के उपबन्धो के विरूद्ध था एवं कंपनी ने वर्तमान भार के आधार पर उपभोक्ता की बिलिंग करने के लिये आवश्यक उचित प्रावधान समझौते में शामिल नही किया अतः कंपनी अपने वित्तीय हितो की सुरक्षा नही कर सकी एवं इस तरह अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई ।

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

4.8 ब्याज की हानि

टैरिफ के माध्यम से राजस्व ₹ 23.13 करोड़ का परित्याग एवं उस पर राशि ₹ 1. 27 करोड़ के ब्याज की हानि ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) जबलपुर मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत पारेषण की गतिविधियों में संलग्न है । वर्ष 2008–09 तक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) के अनुसार कंपनी की सावधिक जमा से आय को गैर–टैरिफ आय माना जाता था ।

लेखा मानक (ए.एस.)–16 के अनुपालन के क्रम में कंपनी की लेखा नीति में परिवर्तन के कारण कंपनी ने पूँजीगत परिसम्पतियों के लिये ऋणो पर देय ब्याज से विनिर्माण के दौरान प्राप्त ब्याज को कटौती के रूप में अपने वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखाओं में लेखाबद्ध किया ।

कंपनी ने एम.पी.ई.आर.सी. को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये अक्टूबर 2010 में ट्रांसमिशन टैरिफ के ट्रू–अप[11] के लिये एक याचिका दायर की जिसमें कार्यशील पूंजी से कटौती के रूप में जमाओं पर प्राप्त ब्याज राशि ₹8.61 करोड़ के लिये दावा किया ।

एम.पी.ई.आर.सी. ने कंपनी की गैर–टैरिफ आमदनी में ₹ 8.61 करोड़ प्राप्त ब्याज को सम्मिलित किया एवं तद्नुसार ₹53.99 करोड़ का शुद्ध ट्रू अप निश्चित किया ।

कंपनी ने इस आधार पर कि ब्याज को दो बार कटौती के लिये लिया गया जैसे पूंजीगत कार्य प्रगति में से कटौती एवं आय के रूप में गणना ट्रू अप राशि को ₹ 53.99 करोड़ से ₹62.60 करोड़ किये जाने के लिये आयोग को पुनरीक्षण के लिये निवेदन करते हुये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को एक समीक्षा याचिका अगस्त 2012 में दायर की हालाकि कंपनी का दावा सितम्बर 2012 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपनी रथाई अवधारण जो कि ब्याज को राजस्व आय मानती है का पालन करते हुए निरस्त कर दिया। प्रगति में पूंजीगत कार्य की कमी होने पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी को निर्देशित किया कि वह अपनी आगामी टैरिफ याचिका में पुर्नसम्मिलित करने के लिये सम्पत्तिकर ब्याज आय उपलब्ध करावे । इसी प्रकार की विधि फरवरी 2012 में वर्ष 2010–11 के लिये दायर ट्रू–अप याचिका में भी अपनायी गयी थी । यद्पि वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैफिक के ट्रू–अप के संबंध में जन सुनवाई एवं स्पष्टीकरण जनवरी 2013 तक सम्पत्ति अनुसार निरन्तर चलती रही जो कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये ट्रू–अप पर समीक्षा याचिका के निराकरण के चार माह पश्चात था । कंपनी ने ब्याज आय से सम्बद्ध सम्पत्ति के मुख्य में समुचित वृद्धि के द्वारा 2010–11 के लिये ट्रू–अप दावे का पुनरीक्षण नही किया । परिणामस्वरूप 2010–11 के ट्रू–अप आदेश में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने फरवरी 2013 में प्रगति में पूंजीगत कार्य पर प्रभाव को विचार में लिये बगैर ₹14.52 करोड़ की पूंजी ब्याज से आय को अन्य गैर टैरिफ आय में शामिल किया।

इस तरह कंपनी ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान जमाओं पर प्राप्त ब्याज आय राशि ₹23.13[12] करोड़ की प्राप्ति का अवसर खो दिया साथ ही कंपनी ने अप्रैल 2013 तक ₹1.27[13] करोड़ के ब्याज की हानि उठाई ।

सरकार से उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि जैसा कि सितम्बर 2012 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित किया गया कि कंपनी आगामी टैरिफ याचिका में सम्पत्ति मूल्य में राशि को पुर्नसम्मलित करेगी अतः कंपनी को किसी प्रकार की हानि नही हुई है ।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कंपनी ने फरवरी 2013 में वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिये बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दायर की जिसमें सम्पत्ति मूल्य को पुर्नसम्मिलित किया जाना प्रस्तावित नही किया गया । कंपनी (दिसम्बर 2013) अब तक सम्पत्ति में वृद्धि सीमा सुनिश्चित करने के लिये सम्मपत्ति अनुसार ब्याज आय निर्धारित

[11] ट्रू अप याचिका कम्पनी द्वारा वास्तविक खर्च की जानकारी होने के बाद मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बहुवार्षिकी/वार्षिकी टेरिफ के विरूद्व दायर टैरिफ याचिका है।

[12] ₹ 8.61 करोड़ +₹ 14.52 करोड़

[13] ₹ 1.27 करोड़ (₹ 0.82 करोड +₹ 0.45 करोड) @ 13% प्रतिवर्ष

करने में समर्थ नही हो सकी है । चूंकि कंपनी ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश ने विरूद्ध कोई याचिका दायर नही की एवं गैर–टैरिफ आय से कटौती का दावा करने में समर्थ नही रही । साथ ही पुर्न पूंजीकरण करने के लिये सम्मत्तिवार ब्याज आय विवरण के अभाव में सम्पत्ति मूल्य के पुर्नसम्मेलन में समर्थ नही हो सकी । अतः ₹ 23.13 करोड़ की राशि के समस्त प्राप्त ब्याज का परित्याग करना पड़ा ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

4.9 समझौते की शर्तो को लागू करने में असफल रहने के कारण राजस्व की हानि

कंपनी द्वारा ए ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिये समझौते की शर्तो को लागू करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.71 करोड़ की राजस्व की हानि एवं कंपनी अनिष्पादित मात्रा के लिये ₹ 73.55 लाख के दण्ड राशि आरोपित करने में भी असफल रही ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) मांग को संचालित एवं बढ़ाना, बिक्री एवं खनिजो का निराकरण जैसे – रॉक फास्फेट, बॉक्साईट, डोलोमाईट, पाईरोफाईलाईट, फ्लेग स्टोन एवं रेत (सेंड) का कार्य करती है। कंपनी अपनी मेघनगर एवं हीरापुर बड़ी खदानो से रॉक फास्फेट निकालती है एवं इन्हे अपने सागर एवं मेघनगर के उप कार्यालय से विक्रय करती है । कंपनी ने अपने सागर एवं छतरपुर खदानो से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के लिये मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन (ठेकेदार) के साथ एक समझौता किया (जनवरी 2010)। समझौते की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को जून 2010 से 10 वर्ष की अवधि में अनुमत ग्रेड जैसे – 29 प्रतिशत ए ग्रेड फास्फेट एवं 18–20 प्रतिशत निम्न ग्रेड फास्फेट का 7,80,000 घन मीटर (मी ^{3}) रॉक फास्फेट खनन एवं क्रस करना था। समझौते में अर्न्तनिहित उपबन्ध यह था कि ठेकेदार कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक समय सूची के अनुसार खदानो मे खनन का कार्य करेगा एवं मासिक समय कार्यक्रम को उपलब्ध करने के असफल होने पर अ–निष्पादित मात्रा के मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से दण्ड राशि देय होगी । रॉक फास्फेट की अनुमत मात्रा प्राप्त करने के लिये विस्फोट के द्वारा खदानो से प्राप्त रॉक फास्फेट की माईनिंग या हैण्ड पिकिंग कार्य के परिक्षेत्र में शामिल होगा ।

मासिक कार्यक्रम के अनुसार ठेकेदार को ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये क्रमशः 30,000 मीट्रिक टन 36000 मीट्रिक टन एवं 36000 मीट्रिक टन आवश्यक था। बहरहाल, ठेकेदार द्वारा वर्ष 2010–11 एंव 2011–12 के दौरान क्रमशः केवल 3028.51 मेट्रिक टन एवं 559.14 मेट्रिक टन ''ए'' ग्रेड का रॉक फास्फेट खनन किया गया । वर्ष 2012–13 में ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट का कोई भी उत्पादन नही किया गया । समझौते के अनुसार वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये क्रमशः 26971.49 मेट्रिक टन, 35,440.86 मेट्रिक टन एवं 36000 मेट्रिक टन ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन में कमी के लिये ठेकेदार अ–निष्पादित मात्रा ने मूल्य के पॉच प्रतिशत की दर से ₹ 73.55 लाख की दण्ड राशि के लिये उत्तरदायी होगा । कंपनी को यद्पि ठेकेदार से उक्त दण्डराशि वसूल करनी शेष है । (अगस्त 2013)

हमने यह भी पाया कि ठेकेदार के द्वारा उत्पादन मे कमी के कारण कंपनी योजना अनुसार रॉक फास्फेट की बिक्री नही कर सकी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11, 2011–12, एवं 2012–13 के दौरान ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व को त्यागा गया । कंपनी समझौते के किसी उपवाक्य के पालन में त्रुटि होने की दशा में 15 दिन की सूचना देकर संविदा को निरस्त एवं सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकता था । हालाकि कंपनी ने नवम्बर 2011 में अर्थात उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष 6 माह उपरांत उत्पादन मे कमी के लिये ठेकेदार को

केवल एक अधिसूचना जारी की । दिसम्बर 2013 तक ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2013) कि ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट का उत्पादन/खनन इसलिए नही किया गया क्योंकि रॉक फास्फेट की कोई मांग उपलब्ध नही थी एवं ऐसा करने से निगम की पूँजी अवरूद्ध ही होती।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि उत्पादन के लिये समझौते करने से पूर्व कंपनी द्वारा ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट की बाजार में मांग का अनुमान किया जाना चाहिये था इसके अतिरिक्त ''ए'' ग्रेड रॉक फास्फेट को उत्पादन में कमी कंपनी के निवेदन का परिणाम नही था एवं कंपनी ने उत्पादन में कंपनी के लिये अधिसूचना जारी की । आगे, वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान हीरापुर खदान में फास्फेट के खनन पर अन्य लेखापरीक्षा के प्रतिउत्तर में कंपनी ने आश्वस्त किया कि वह रॉक फास्फेट खदानो से उत्पादन को अधिकतम करेगी ।

इस तरह कंपनी विविध ग्रेड रॉक फास्फेट के उत्पादन अधिसूची/कार्यक्रम को लागू करने में असफल रहने के कारण ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व को त्यागना पड़ा एवं अ–निष्पादित/अ–खनन के मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 73.55 लाख के दण्ड राशि आरोपित करने में असफल रही ।

प्रकरण जून 2013 में सरकार को भेजा गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014)

4.10 संविदा सुपुर्दगी में परिहार्य व्यय

रॉक फास्फेट के खनन के लिये संविदा सुपुर्दगी में ठेकेदार को अनुचित लाभ के विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय ।

मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने ठेकेदार को शामिल करते हुये अपनी मेघनगर में कचालधारा खदान से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के कार्य का निर्णय लिया एवं इस वर्ष की अवधि के लिये एक लाख घन मीटर (मी ^{3}) रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रसिंग के लिये जुलाई 2009 में निविदा आमंत्रित की। निविदा में अर्न्तनिहित शर्तो के अनुसार पूर्वगामी तीन वर्ष के दौरान बहु खनिज में 75,000 घनमीटर (मी ^{3}) के खनन में वार्षिक अनुभव होना चाहिये था। कंपनी ने पांच निविदाऐं प्राप्त की । मैसर्स कटनी बाक्साईट प्राईवेट लिमिटेड, सतना जो कि कंपनी का संयुक्त उपक्रम है की निम्नतम निविदा थी जिसने ₹ 272 प्रति घनमीटर (मी^{3}) (माईनिंग के लिये ₹ 216 एवं क्रसिंग के लिये ₹ 56) की दर प्रस्तावित की। द्वितीय निम्नतम निविदा दर ₹ 344 प्रति घनमीटर (मी ^{3}) थी जो कि मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन की ओर से थी। कंपनी द्वारा निम्नतम निविदा दर पर विचार करते हुये यह शर्त रखी गयी कि संयुक्त उपक्रम में कंपनी की 11 प्रतिशत स्टेक होल्डिंग होने के कारण कचलधारा खदान के संचालन से होने वाली हानि को संयुक्त उपक्रम के लाभ के विरूद्ध समायोजित नही किया जावेगा। उक्त शर्त से प्रताडित मैसर्स कटनी बाक्साइट ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। न्यायालय ने कंपनी को निर्देशित किया (मई 2010) कि वह मैसर्स कटनी बाक्साईट को पुर्न निविदा प्रक्रिया में शामिल करते हुये नवीन निविदा आमंत्रित करें।

उपरोक्तानुसार कंपनी ने (अक्टूबर 2010) में पुर्न निविदा आमंत्रित की जिसमें उसने नवीन शर्त शामिल की जिसके अनुसार निविदाकर्त्ता को पिछले तीन वर्ष में एक लाख मी ^{3} रॉक फास्फेट के खनन का पूर्व अनुभव होना चाहिये । नवीन शर्त को शामिल करने का कारण

लेखापरीक्षा को अभिलेखों में प्राप्त नही हुआ । इसके प्रतिउत्तर में मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रेक्शन को शामिल करते हुये तीन निविदाकर्त्ताओं के निविदा प्रक्रिया में भाग लिया एवं कटनी बाक्साईट के द्वारा ₹272 प्रति घनमीटर की दर निम्नतम थी । हॉलाकि कंपनी ने दिसम्बर 2010 में इस आधार पर कि तृतीय निविदा में मेसर्स कटनी बाक्साईट की मुख्य बिड ओपन करना सही नही था क्योकि फर्म का रॉक फास्फेट के खनन के अनुभव संबंधी तकनीकी योग्यता नही थी, पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। निविदाओं के प्रतिउत्तर में कंपनी ने दो बिड प्राप्त की जिसमें मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन की दर ₹ 573 प्रति घनमीटर (मी ^{3}) न्यूनतम थी । कंपनी ने मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन के प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं तद्नुसार मार्च 2011 में कचराधारा एवं ग्वाली समूह की खदानो, मेघनगर से रॉक फास्फेट के खनन एवं क्रांसिग कार्य के लिये एक समझौता किया ।

इस संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ/निष्कर्ष निम्न है :–

- प्रथम निविदा में कंपनी मैसर्स कटनी बाक्साईट द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर इस आधार पर स्वीकार करने की इच्छुक नही थी कि संविदा में होने वाली हानि संयुक्त उपक्रम के लाभदायकता को प्रभावित करेगी जिसका परिणामी प्रभाव यह होगा कि कंपनी के 11 प्रतिशत अंशधारणा के संबंध में लांभाश प्रभावित होगा । कंपनी द्वारा शामिल शर्त लांभाश घोषणा पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्व थी इसके अतिरिक्त इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार न करना न्यायसगंत/तर्कसंगत नही था क्योकि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान कंपनी ने केवल ₹ 80850 का नाममात्र लांभाश प्राप्त किया ।

- द्वितीय निविदा में कंपनी कटनी बाक्साईट की उत्पादन संबंधी गतिविधियों से सु–परिचित थी एवं रॉक फास्फेट खनन में अनुभव आधारित शर्त को शामिल करने के कारण कार्य अयोग्य सिद्ध हुई जो कि उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें पुर्न–निविदा में कटनी बाक्साईट को भाग लेने के लिये अनुमति देने के निर्देश दिये गये थे के विरूद्ध था ।

- मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन ने ₹ 344 प्रति घन मीटर एवं ₹ 573 प्रति घनमीटर की दर क्रमशः प्रथम एवं तृतीय निविदा में प्रस्तावित की। हॉलाकि कंपनी ने कोई मुख्य समझौता नही किया यदपि प्रथम एवं तृतीय निविदा के बीच दरों में ₹ 229 का अन्तर था । कंपनी ने इस तथ्य की भी अपेक्षा की कि ठेकेदार को समान ग्रेड के उत्पाद के लिये हीरापुर खदान से खनन एवं क्रसिंग कार्य के लिये ₹ 403 प्रति घन मीटर की दर से जनवरी 2010 में संविदा सुपुर्द किया गया था ।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः 1,06,326 मीट्रिक टन[14] एवं 1,33,875 मीट्रिक टन रॉक फास्फेट की मात्रा का खनन किया गया । प्रथम निविदा में एल–1 दर को स्वीकार न करने के कारण कंपनी ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान संविदा के शेष अवधि के लिये व्यतित ₹ 24.08[15] करोड़ के अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करते हुये ₹ 4.82 करोड़ का पर्याप्त अतिरिक्त व्यय किया ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2013) कि मेसर्स कटनी बाक्साईट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित दरें व्यवहारिक नही थी एवं हीरापुर खदान की दरों की तुलना नही की जा सकती क्योकि दोनो खदानो की खनिजो की स्थिति एवं प्रकृति भिन्न थी ।

[14] (106326 एम.टी.+ 133875 एम.टी.) x ₹ 200.6

[15] 150000 एम.टी. x 200.67 x 8

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कटनी बाक्साईट खनन कार्य में संलग्न थी एवं स्वयं के संयुक्त उपक्रम कंपनी की दरो को भी निरस्त कर देना जिसको बहु–खनिज के खनन में अनुभव था सद्परिणाम नही रहा और न ही कंपनी के वित्तीय हितो के अनुकूल था। उत्तर मैसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन द्वारा 18 माह की अवधि में प्रथम एवं तृतीय निविदाओं के मध्य प्रस्तावित दरो में ₹ 229 प्रति मेट्रिक टन के अन्तर के संबंध में भी स्पष्टीकरण नही देता है । यद्पि यह 67 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है । मेसर्स पप्पू कन्स्ट्रक्शन द्वारा इस खनन के लिये प्रथम निविदा में प्राप्त दरों एवं अन्य खनन के लिये दरों को विचार में लेने में कंपनी की असफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

प्रकरण सरकार को जून 2013 में भेजा गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित है । (जनवरी 2014)

4.11 म. प्र. राज्य में कोल ब्लॉक्स का विकास एवं खनन

4.11.1 प्रस्तावना

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय कि मुख्य जिम्मेदारी है कि वह कोयला भण्डरो की खोज व विकास के लिये जरूरी नीति व रणनीति का निर्माण करें । कोयले की बढ़ती मांग व पूर्ति के अन्तर को ध्यान में रखते हुये और आयातो पर निर्भरता को कम करने के लिये, भारत सरकार ने 1993 में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को कोल ब्लाक्स आवंटन के लिये दिशा निर्देश बनायें । भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिनमे समय–समय पर संशोधन होता रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोल ब्लॉक्स का आवंटन या तो केन्द्रीय इस्तेमाल के लिये या वाणिज्यिक खनन के उद्देश्य से राज्य सरकार से प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश राज्य में, राज्य सरकार द्वारा 2002 से 2006 के बीच प्राप्त आवेदनो के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड को कोल मंत्रालय द्वारा 10 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया। वर्ष 2006–07 के दौरान आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार, विस्तृत/संभावित खोज व कोल खनन या तो म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा या म.प्र. राज्य के सहभाग से बनी पृथक कंपनी द्वारा किया जायेगा बशर्त है कि पृथक कंपनी एक सरकारी कंपनी हो और वह कोल खदान (राष्ट्रीकृत) अधिनियम 1973 के अनुदेशो के अनुरूप कोल खनन के लिये आहर्ता रखती हो। म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (जून 2005 से जून 2009) आवंटित कोल ब्लॉक्स के विकास के लिये संयुक्त जोखिम साझेदारों को चयन किया जिसमे नाम है सैनिक मानिंग एण्ड एलाइड सर्विसेस लिमिटेड और जय प्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड, ए. सी.सी. लिमिटेड एवं मोनिट इस्पात लिमिटेड। 10 आवंटित कोल ब्लाक्स का स्थिति विवरण जिसमें कोल मंत्रालय द्वारा आवंटित तिथि, कोल ब्लाक का उपयोग, संयुक्त जोखिम साझेदारी (जे.वी.) के नाम, म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा आमंत्रित किये गये निविदा की तिथि, फेसिलिटेशन शुल्क, भौगोलिक व खनन योग्य भण्डार इत्यादि ***परिशिष्ट 4.1*** में प्रदर्शित की गई है।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा जे.वी. साझेदारो के चयन, जे.वी. कंपनियों द्वारा खानो के उपयोग एवं अन्य गतिविधियों मे आई कमियों के बारे में आगे की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

अमेलिया कोल ब्लॉक का एकल निविदा के आधार पर अयोग्य निविदाकर्ता को आवंटन जिसके परिणाम स्वरूप अधिक फेसिलिटेशन शुल्क प्राप्त करने के अवसर को खोना

4.11.2 आमेलिया कोल ब्लॉक के संयुक्त जोखिम साझेदार का चयन

मध्यप्रदेश शासन ने (दिसम्बर 2002) में कोल मंत्रालय को महान कोल ब्लॉक के आवंटन के लिये आवेदन किया। मार्च 2005 में कोल मंत्रालय ने यह सूचित किया कि महान कोल ब्लॉक का आवंटन संभव नही होगा और महान कोल ब्लॉक के बदले में अमेलिया/अमेलिया नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन पर विचार करने का प्रस्ताव किया म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने राज्य

सरकार की ओर से प्रस्ताव अनुसार (मई 2005) दोनो कोल ब्लॉक्स के आवंटन के लिये प्रार्थना की जिनका जनवरी 2006 में कोल मंत्रालय द्वारा आवंटन कर दिया गया ।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने महान कोल ब्लॉक के आवंटन के पूर्वानुमान में जुलाई 2003 में संयुक्त जोखिम साझेदार के चयन हेतु निविदा का आमंत्रण किया। केवल एक कंपनी सैनिक माईनिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस लिमिटेड ने निविदा देने की समय सीमा के अन्दर अपनी निविदा समर्पित (01 सितम्बर 2003) की। 23 सितम्बर 2003 को सैनिक माईनिंग एण्ड एलाईड सर्विसेस लि. को आशय पत्र दे दिया गया। म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (जून 2005) में सैनिक माइनिंग एवं अलाईड सर्विसेस लिमिटेड के साथ आमेलिया कोल ब्लाक पर खनन के लिये जोकि म.प्र.रा.ख.नि.लि. को महान कोल ब्लाक के बदले में आवंटित होनी थी की संभावना के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध निष्पादित किया ।

भारत सरकार ने आवंटन पत्र (जनवरी 2006) में फिर से दोहराया कि म.प्र.रा.ख.नि.लि. को कोल खनन, कोल खनन (राष्ट्रीयकृत) अधिनियम 1973 के अनुसार करेगा। अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की कम्पनी और केन्द्र सरकार के स्वामित्व, प्रबंधाधीन तथा नियंत्रित निगम को शामिल करते हुए एक सरकारी कम्पनी, बिना कैपटिव खनन के रोक के खनन के लिए योग्य होगी। लेखापरीक्षा ने आवंटन के जाँच में निम्न तथ्य दर्शित किये :

कोल ब्लॉक के लिये एकल प्रस्ताव की स्वीकृति

जुलाई 2003 मे महान कोल ब्लॉक के लिये निविदा आमंत्रण के समय 11 फर्मो ने निविदा प्रपत्र खरीदे जिनमे से 6 फर्मो[16] ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निविदा देने की तिथि कों बढाने के लिये प्रार्थना की परन्तु कंपनी द्वारा सभी फर्मो की प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया । निविदा खुलने की तिथि पर केवल एक निविदा सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशो के अनुसार एकल निविदा केवल आपातकालीन परिस्थितियों मे विस्तृत न्यायोचिता के साथ ही स्वीकृत की जा सकती है ।

निविदा को अंतिम रूप देते समय, कंपनी कोल ब्लाक के आवंटन की प्रतिक्षा में थी इस प्रकार एकल निविदा के आधार पर चयन के लिये कोई आपात स्थिति नही थी फिर भी म.प्र.रा.ख.नि.लि. महान ब्लॉक के लिये सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. की एकल निविदा स्वीकार की एवं उसी अर्हता को बिना किसी न्यायोचित्ता के अमेलिया कोल ब्लाक के खनन के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध करने में उपयोग किया ।

नयी निविदा आमंत्रण में असफलता

महान कोल ब्लॉक के लिये सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस को (सितम्बर 2003) में आशय पत्र दिया गया, आशय पत्र/निविदा प्रपत्र में महान कोल ब्लाक का आवंटन कोल मंत्रालय द्वारा न होने पर अन्य कोई कोल ब्लाक सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लि. को देने की कोई शर्त नही थी। संचालक मंडल ने अप्रैल 2005 में सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस की निविदा की जमा राशि को वापस लौटाने का फैसला किया था क्योंकि उनके प्रस्ताव की वैधता पहले की समाप्त हो चुकी थी (31 मार्च 2005) साथ ही आमेलिया कोल ब्लाक के लिये संयुक्त जोखिम साझेदार के चयन हेतु निविदा आमंत्रण का भी फैसला किया गया। कंपनी के कानूनी सलाहाकार ने भी यही राय दी थी। चूंकि महान कोल ब्लाक

[16] एच.डी.ईन्टरप्राइसेस, टाटा स्टील, गुरूमटार कन्स्ट्रक्शन, अण्टलाण्टा ईफ्रास्ट्रक्चर, थीसस कोस्मेट माईन्स एवं आदेशित बी कुस्ट जी एण्ड सन लिमिटेड

का आवंटन नही किया गया व उसके बदले, कोल मंत्रालय द्वारा अमेलिया कोल को आवंटन किया गया था फिर भी संचालक मंडल ने जून 2005 में अमेलिया कोल ब्लॉक सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस को देने का फैसला किया। म.प्र.रा.ख.नि.लि. को मुख्यतः अमेलिया कोल ब्लॉक के उच्च कोल भण्डार व उच्चकोटी के कोल ग्रेड को ध्यान में रखकर,[17] नयी निविदा का आमंत्रण करना चाहिये था, महान कोल ब्लाक के बारे में अमेलिया कोल ब्लॉक का बिना किसी निविदा प्रक्रिया के देने से आर्थिक परिणामो पर चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है ।

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने (अगस्त 2005) अमेलिया (नॉर्थ) व डोंगरी ताल–2 (दिसम्बर 2006) कोल ब्लाक के लिये पृथक निविदाओं को आमंत्रित किया जिसमें महान कोल ब्लॉक की तुलना में अत्याधिक दर के फेसिलिटेशन शुल्क[18] के प्रस्ताव प्राप्त हुई थे। यदि म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने अमेलिया कोल ब्लाक के लिये फेसिलिटेशन शुल्क के उसी दर के प्रस्ताव जो कि महान कोल ब्लाक के लिये प्राप्त हुये थे, के आधार पर संयुक्त जोखिम अनुबंध करने के बजाय नयी निविदाये आमंत्रित की होती तो उसके पास अत्यधिक दर के फेसिलिटेशन शुल्क के प्रस्ताव प्राप्त करने के अवसर होते। अमेलिया कोल ब्लाक के लिये नयी निविदायो को आमंत्रित करने में असफलता एवं मनमाने ढंग से सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. का चयन के परिणामस्वरूप अन्य अधिक दर से ₹ 7328.89 करोड़ फेसिलिटेशन शुल्क के प्रस्ताव को प्राप्त करने के अवसर को खो दिया । ***(परिशिष्ट 4.2)***

अयोग्य निविदाकर्ता को कोल ब्लॉक का आवंटन

महान कोल ब्लॉक के निविदा पत्र (भाग–I) में यह उल्लेख किया गया था कि निविदाकर्त्ता को कोल खनन एवं कोल बेनेफिकेशन[19] का पिछले पॉच वर्षो का अनुभव होना चाहिये। इस शर्त की प्रतिपूर्ति में, सैनिक माईनिंग एवं एलाईड सर्विसेस लि. ने सतही खनन[20] का चार वर्षो का अनुभव और कोल बेनेफिकेशन में सिर्फ दो वर्षो का अनुभव है।

हमने देखा कि कंपनी ने अगस्त 2005 में अमेलिया (नॉर्थ) कोल ब्लॉक के लिये जो कि खनन भण्डार की दृष्टि से महान कोल ब्लाक के ही समान है[21] के लिये रूचि की अभिव्यक्ति निविदा को आमंत्रित किया, अमेलिया (नॉर्थ) के निविदा प्रपत्र में पिछले तीन सालो में कम से कम 300 मिलियन टन कोल/मुख्य खनिज के उत्पादन के अनुभव की शर्त रखी गयी थी। सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस लि. ने भी अमेलिया (नॉर्थ) कोल ब्लॉक के लिये निविदा दी थी जो कि निविदा मूल्यांकन कमेटी ने (सितम्बर 2005) अस्वीकृत कर दी चूँकि सैनिक माईनिंग एवं एलाइड सर्विसेस को सतही खनन का ही अनुभव था जिसे कोल खनन या उत्पादन व मुख्य खनिज के खनन का अनुभव के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता था । चूंकि अमेलिया कोल ब्लॉक[22] का खनन योग्य भण्डार, महान कोल ब्लाक के खनन योग्य भण्डार से कम से कम ढ़ाई गुना अधिक था। संयुक्त जोखिम अनुबंध का निष्पादन (जून 2005) करना, ऐसी फर्म के साथ संविदा करने से है जिसे वांछित अनुभव नही था ।

[17] आमेलिया कोल ब्लॉक में A से G ग्रेड का कोल है एवं महान कोल ब्लाक में C से G श्रेणी का कोयला है।

[18] संयुक्त अद्यम द्वारा चुकाई गई फीस (ईसमें लेवी, टैक्स पेन्टरी, सवारी शुल्क जो खदान के चलते पर लगता है, सम्मिलित नहीं है।

[19] खनन में कोल बैनिफिकेशन का तात्पर्य कच्चे अयस्क को खदान से बाहर निकालने से है, तथा उसे खनिज तथा अवशिष्ट के रूप में बांटने से है।

[20] सतह खनन, खनन का वह व्यापक वर्ग है। जिसमें मिट्टी व पत्थर जो की खनिज के ऊपर पड़े है, को हटाया जाता है।

[21] अमेलिया नार्थ कोल ब्लाक का खनन योग्य भण्डार 83.94 एम टी तथा महान कोल ब्लाक का खनन योग्य भण्डार 86.52 एम टी था।

[22] अमेलिया खनन योग्य भण्डार 287.96 एम.टी. थी।

4.11.3 खनन आरंभ होने में देरी

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने 2005–06 से 2009–10 के बीच कोल मंत्रालय द्वारा आवंटित हुये 10 कोल ब्लॉको में से 9 कोल[23] ब्लॉको के लिये 9 संयुक्त जोखिम अनुबंधो का निष्पादन किया। कोल मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुसार संयुक्त जोखिम कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉको में उत्पादन आवंटन की तिथि से 36 महीनों (42 महीने यदि वन भूमि सम्मिलित है) में और खुली खदानों की दशा में व भूमिगत खदानो की दशा में 48 महीनों (54 महीनों जब खनन में वन भूमि हो) में उत्पादन आरंभ करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त, दो सालो में अतिरिक्त समय अन–अण्वेषित व क्षेत्रिय अण्वेषित केन्द्रिय कोल ब्लॉको में उत्पादन आरंभ करने के लिये दिया गया था। आवंटन पत्रो की शर्तो व भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अनुसार इन कोल ब्लॉको में उत्पादन जून 2009 से अप्रैल 2014 तक हो जाना चाहिये था (जो कि ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है) फिर भी उत्पादन किसी भी कोल ब्लॉक में पूरा नही हुआ है (दिसम्बर 2013) हमने पाया है कि पांच कोल ब्लॉको में दिसम्बर 2013 तक उत्पादन में देरी 13 से 56 माह थी, बचे हुये चार ब्लॉको की प्रगति भी सुस्त रही जिसमें उत्पादन अप्रैल 2004 में आरंभ होना था जिसके लिये कोल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कारण बताओं नोटिस भी जारी किये जा चुके थे (जनवरी 2014) ।

जैसा कि संयुक्त जोखिम अनुबंध में उल्लेखित है स्व–भूगर्भित प्रतिवेदन[24] को खरीदना, वन मंजूरी, पर्यावरण प्रबंध योजना मंजूरी, खनन मंजूरी और उत्पादन करने के लिये संयुक्त जोखिम कंपनियाँ जिम्मेदार थी। म.प्र.रा.ख.नि.लि. की भूमिका पर्यावरण एवं वन मंजूरी, खनन योजना एवं उसकी मंजूरी तथा खान को संचालित व व्यवस्थित करने के लिये जरूरी अन्य वैधानिक मंजूरियों को प्राप्त करने में संयुक्त क्षेत्र कंपनी की सहायता करना था। सभी आवंटित कोल ब्लॉको में जहाँ अनुमानित उत्पादन जुलाई 2009 और अप्रैल 2014[25] के बीच आरंभ होना था भूमि अर्जन में देरी, वन मंजूरी, खनन योजना का निर्माण एवं मजूंरी, ई.एम. पी. मंजूरी आदि के कारण समय का व्ययत हुआ जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है।

सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक का आवटंन रद्द होना

अंतर मंत्रिमण्डलीय समूह (आई.एम.जी.) ने (नवम्बर 2012) भारत सरकार के कोल ब्लॉक आवंटन–पत्र की शर्तो के अनुसार, भूगर्भिक प्रतिवेदन (जुलाई 2007) समय सीमा मे न खरीदने तथा कोल ब्लॉक के विकास से संबंधित लक्ष्यो की प्राप्ति में असफलता के कारण सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की। सिफारिशों को स्वीकार करते हुये, भारत सरकार ने (जनवरी 2013) में सिमरिया/पिपरिया कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया तथा म.प्र.रा.ख.नि.लि. को यह भी सूचित किया गया कि रद्द किये गये कोल ब्लाक के बदले में कोई अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन के लिये कंपनी पात्र नही होगी। कोल मंत्रालय ने 50 प्रतिशत बैंक गारंटी जो कि ₹ 1.14 करोड़ थी को भी जब्त करने का निर्णय लिया जो कि कोल ब्लॉक के विकास से सम्बन्धित थी। म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. ने (6 फरवरी 2013) बैंक गारंटी जब्तीकरण के खिलाफ और कोल ब्लॉक आवंटन को पुनः स्थापित करने के लिये एक समावेश याचिका, आदरणीय हाई कोर्ट, मध्यप्रदेश, जबलपुर में दायर की थी। बैंक गारंटी जब्तीकरण के खिलाफ, कंपनी को कोर्ट द्वारा 7 फरवरी 2013 को रोक की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। आवंटन रद्दीकरण के

[23] मोरगा कोल ब्लाक के लिये कोई संयुक्त जोखिम अनुबंध नहीं किया यह कोल ब्लाक विद्युत परियोजना के लिये आरक्षित था।

[24] भू–गर्भीय प्रतिवेदन किसी विशिष्ट कोल ब्लाक के भू–गर्भीय व खनन योग्य भण्डारों का विस्तृत प्रतिवेदन है।

[25] खनन प्रारंभ होने का दिनांक की गणना उस दिनांक से की जाती है। जब भूगर्भीय रिपोर्ट के साथ खदान आवाटंन पत्र तथा पर्यावरण प्रमाण पत्र होता है।

समय तक ₹ 5.74[26] करोड़ संयुक्त जोखिम कंपनी द्वारा खर्च किये जा चुके थे, कोल ब्लाक के विकास में जिसमें सुरक्षा निधि एवं बैक गारंटी यदि कोल आवंटन की पुनःस्थापना नही की गई तो उस पर दिये व्यय निष्फल हो जायेगे ।

हमने आगे पाया (जनवरी 2014) कि वाणिज्यिक उद्देश्यो हेतु आवंटित चार अन्य कोल[27] ब्लाक को सुस्त प्रगति के कारण कोल मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किये जा चुके है । समय सीमा में संयुक्त जोखिम कंपनियों द्वारा उत्पादन में देरी के कारण कोल ब्लॉकों का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है जिसमें म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. को और हानि हो सकती है ।

दक्षिण मण्डला कोयला ब्लॉक में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति में कमी

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने आवंटन की शर्तो के अनुसार, कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित 10 कोयला ब्लॉको के लिये विविध राशियों की बैक गारंटी कोयला मंत्रालय को प्रदान की । मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा कोयला मंत्रालय को दी गयी बैक गारंटी में से पचास प्रतिशत को उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित किया गया और यदि आवंटन पत्र की शर्तो के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति में चूक की दशा में आनुपातित कटौती करने का प्रावधान था । ऐसी कोई भी संबंधित शर्त मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा अपने आर्थिक हितो की सुरक्षा के लिये संयुक्त जोखिम अनुबंध में सम्मिलित नही की गई ।

25 जुलाई 2007 के आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार, दक्षिण मंडला कोयला ब्लॉक में उत्पादन जनवरी 2012 तक आरंभ होना था । अंतर–मंत्रालयीन समूह ने उपरोक्त कोयला ब्लॉक का परीक्षण किया (नवम्बर 2012) और पाया गया कि सारगर्भित वृद्धि हुई । अंतर–मंत्रालयीन समूह ने यद्यपि उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित की सिफारिश की । भारत सरकार ने अंतर मंत्रालयीन समूह की उपरोक्त सिफारिशो को स्वीकार किया (अप्रैल 2013) और बैक गारंटी से ₹ 0.36 करोड़ की कटौती की ।

हमने आगे पाया (जनवरी 2014) कि सात कोयला ब्लॉको[28] में धीमी प्रगति के कारण कोयला मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया । जे.वी. अनुबंध में प्रभावी प्रावधान न होने के कारण मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड इस स्थिति में नही था कि बैक गारंटी के जब्त होने के कारण हुई हानि को जे.वी. साझेदार पर डाल सकें ।

4.11.4 नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही न होना

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, अमेलिया एवं अमेलिया (उत्तर) ब्लॉक में उत्पादन प्रारंभ होने में विलम्ब के कारण नगदी क्षतिपूर्ति को अधिरोपित करने में असफल रहा और जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षतिपूर्ति सबंधी प्रावधान सम्मिलित करने में भी असफल रहा ।

अनुबंध की शर्तो के अनुसार, जे.वी. कंपनियाँ अमेलिया एवं अमेलिया (उत्तर) कोयला ब्लॉक में कोयले के उत्पादन में देरी की स्थिति में उध्दृत लागत के 0.20 प्रतिशत की दर से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को नगदी क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है ।

हमने अभिलेखों के परीक्षण के दौरान पाया कि अनुबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, कोयले का उत्पादन प्रारंभ नही हो सका (30 जून 2013 तक)। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ने इसके बावजूद अनुबंध की शर्तो के अनुसार ₹ 153.29 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.4)*** के नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही नही की।

[26] कुल निवेश ₹ 6.88 करोड़ – 50% (₹2.28 करोड का) (बैंक गारंटी राशि जो कोल मंत्रालय ने वापस की थी)
[27] मरकी बरका, बिचारपुर, मोरगा–III एवं मोरगा-IV कोल ब्लाक
[28] अमेलिया, अमेलिया (नार्थ), डोगरी ताल-II, मरकी बरका, बिचारपुर, मोरगा– III एवं IV कोयला ब्लॉक

हमने जे.वी. अनुबंध, के परीक्षण के दौरान पाया कि, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड छः कोयला ब्लॉको[29] के संदर्भ में जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षति की उगाही की शर्त को शामिल करने में असफल रहा, जिनमें से तीन कोयला ब्लॉको[30] में (जून 2013 तक) जे.वी. अनुबंध की शर्तो के अनुसार उत्पादन प्रारंभ हो जाना चाहिये था ।

आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार जे.वी. अनुबंध में नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही की शर्त डालने में असमर्थ रहने के कारण, कंपनी उत्पादन में देरी की स्थिति में नगदी क्षतिपूर्ति की उगाही नही कर सकी ।

4.11.5 भूगर्भिक प्रतिवेदन की खरीद में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

जे.वी. कंपनी द्वारा दक्षिण मंडला व मरकी बरका कोयला ब्लॉको के संदर्भ में भूगर्भित प्रतिवेदन क्रय करने में विलम्ब के कारण ₹ 3.19 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

कोयला मंत्रालय ने दक्षिण मंडला कोयला ब्लॉक का आवटन मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को (25 जुलाई 2007) किया आवंटन पत्र[31] में अनुबंध किया गया कि कंपनी पत्र के निर्गमन के (7 सितम्बर 2007) के छः सप्ताह के अंदर सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) भूगर्भित प्रतिवेदन खरीदेगी । मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने संयुक्त जोखिम साझेदार के रूप में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को चयनित किया एवं उसे 13 अक्टूबर 2008 को प्रस्ताव निर्गमित किया । सी. एम.पी.डी.आई.एल. ने मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को भूगर्भिक प्रतिवेदन की लागत ₹ 9.29 करोड़) जो कि मार्च 2010 तक के लिये वैध थी से सूचित किया (10 नवम्बर 2008)। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने खनन योजना तैयार करने के लिये भूगर्भिक प्रतिवेदन पाने हेतु राशि जमा करने की सूचना जे.ए.एल. को दी (30 जनवरी 2009)।

हमने पाया कि जे.ए.एल. ने भूगर्भिक प्रतिवेदन की लागत को मार्च 2009 तक जमा नही किया । सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने पुनः मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से आग्रह किया व भूगर्भिक प्रतिवेदन की पुनरीक्षित क्रय लागत जो कि मार्च 2010 तक वैध थी, से सूचित किया (1 अक्टूबर 2009) जे.ए.एल. ने अन्ततः भूगर्भिक प्रतिवेदन की राशि 7 नवम्बर 2009 को जमा की अतः भूगर्भिक प्रतिवेदन के क्रय में देरी के कारण, जे.वी. कंपनी को ₹ 2.63 करोड़[32] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

इसी तरह मरकी बरका कोयला ब्लॉक की स्थिति में, सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने (10 सितम्बर 2007) को भूगर्भिक ऑकडो की लागत ₹ 0.89 करोड़) की सूचना दी । जे.वी. कंपनी ने यघपि इसे अक्टूबर 2012 में 60 महिने की देरी से ₹ 1.45 करोड़ की अधिकतम लागत में खरीदा अतः कंपनी को ₹ 0.56 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा । लागत में वृद्धि जे.बी.कंपनियों के लाभ को प्रभावित करेगी साथ ही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को भी क्योकि इसके पास जेवीकंपनियों के 51 प्रतिशत अंश है।

4.11.6 दण्डनीय ब्याज का भुगतान के फलस्वरूप परिहार्य दायित्व

जे.वी. कंपनी को अमेलिया कोयला ब्लॉक के संदर्भ में किराया भूमि के अधिग्रहण संदर्भ में पंचाट राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 11.89 करोड़ के दण्डनीय ब्याज का दायित्व वहन करना पड़ा ।

जे.वी. कंपनी (एम.पी. सैनिक माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड) ने अमेलिया कोयला ब्लॉक के खनन एवं विकास हेतु कलेक्टर, सीधी से 380.93 हेक्टेयर किराया भूमि के अधिग्रहरण के लिये निवेदन किया (25 मई 2006) एवं भूमि की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत ₹ 3 करोड़ जमा किया । भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जे.वी.कंपनी के पक्ष में पंचाट जारी किया (13 नवम्बर 2009) एवं भूमि की लागत ₹ 31 करोड़ निर्धारित की। ₹ 28 करोड़ की शेष

[29] मरकी बरका, सिमरिया/पिपरिया, साऊथ मण्डला, बिचारपुर, मोरगा–III एवं IV
[30] डोगरी ताल II, सिमरिया/पिपरिया एवं साऊथ मण्डला
[31] आवंटन पत्र के अनुच्वेद 2 (VIII) के अनुसार
[32] ₹ 11.29 करोड़ – ₹ 9.29 करोड़

राशि जे.वी. कंपनी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी पंचाट की तिथि से तीन महिने के अंदर भुगतान करना होगा । कलेक्टर ने जे.वी. कंपनी के आग्रह पर भूमि की लागत का पंचाट जारी करने के 90 दिन के बाद भुगतान करने हेतु समय सीमा में वृद्धि के लिये सहमति दी । क्योकि जे.वी. कंपनी ने राशि जमा नही की अतः कलेक्टर ने (7 नवम्बर 2012) ₹ 11.89 करोड़ ब्याज[33] सहित ₹ 40.20 करोड़ की मांग की, जो कि जे. वी. कंपनी द्वारा भूमि की लागत की राशि 90 दिनो के अंदर जमा न कर पाने के कारण ₹ 11.89 करोड़ अतिरिक्त दायित्व का भुगतान ब्याज के रूप में करना पड़ा । जे.वी.कंपनी की पूंजी लागत मे वृद्धि मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड जो कि जे.वी. कंपनी में एक बड़ा हिस्सा रखती है कि लाभ क्षमता में कमी आयेगी ।

4.11.7 दण्डनीय ब्याज से संबंधित परिहार्य व्यय

जे. वी. कंपनी द्वारा ऋणदाता के पक्ष में प्रतिपूर्ति के निर्माण में विलम्ब के कारण अमेलिया कोयला ब्लॉक के संदर्भ में ₹ 0.81 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान ।

जे.वी.कंपनी एम.पी.जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड ने अमेलिया कोयला ब्लॉक में भूमि के विकास, भवन के निर्माण एवं रेल्वे साईडिंग के लिये आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ₹ 150 करोड़ के ऋण का आवेदन किया । बैक ने परियोजना के वित्तप्रबंधन के लिये ऋण की स्वीकृति (23 मार्च 2012) इस शर्त पर दी कि ऋणी प्रथम किश्त आहरण करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रतिभूतियाँ उत्पन्न करेगा एवं उनमें सुधार करेगा । ऐसा करने मे असफल रहने की स्थिति में ऋण सुविधा को अदत्त राशि पर अतिरिक्त ब्याज दर, एक प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित अन्य वैधानिक उगाही, यदि कोई हो इस प्रकार की प्रतिभूति के उत्पन्न होने तक भुगतान करना होगा । कंपनी ने ₹ 105 करोड़ का आहरण तीन किश्तो[34] में किया । जे वी अनुबंध की शर्त के अनुसार अचल सम्पत्ति को बन्धक रखने से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने प्रथम संवितरण की तिथि से नौ माह के विलम्ब से बंधक रखने की अनुमति अप्रैल 2013 में प्रदान की । जिसके परिणामस्वरूप जे.वी. कंपनी 90 दिनों की निर्धारित अवधि में प्रतिभूतियों को उत्पन्न एवं उनका सुधार नही कर सकी, जिसके फलस्वरूप ₹ 81.29 लाख[35] परिहार्य दण्डनीय ब्याज का भुगतान करना पड़ा और जेवी कंपनी की पूंजी लागत में वृद्धि हुई ।

4.11.8 अर्थदण्ड से संबंधित परिहार्य व्यय

जे.वी. कंपनी का ₹ 49.79 लाख के अर्थदण्ड का भुगतान कृषि भूमि का उपयोग भवन निर्माण, घेरा दीवारी का निर्माण एवं विस्फोटन हेतु आयुधागार का निर्माण, हेतु बिना पूर्व अनुमति के करने के कारण, करना था ।

अमेलिया कोयला ब्लॉक (उत्तर) के अन्वेषण हेतु कुल भूमि की आवश्यकता 905.65 हेक्टेयर थी जिसमें निजी भूमि (137.46 हेक्टेयर) शासकीय भूमि (39.44 हेक्टेयर) एवं वन भूमि (728. 75 हेक्टेयर) सम्मिलित थी । मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जे. वी. कंपनी को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये कृषि भूमि के उपयोग हेतु राजस्व विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था लेकिन कंपनी ने बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये कृषि भूमि (27.66 हेक्टेयर) का उपयोग करना आरंभ कर दिया । संहिता के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुये अनुविभागीय दण्डाधिकारी (देवसर तहसील, जिला सिंगरौली) ने ₹ 4.15 लाख का प्राब्याजि और ₹ 2.38 लाख प्रति वर्ष का मृत किराया भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिये अधिरोपित किया साथ ही जे.वी. कंपनी पर ₹ 49.79 लाख का अर्थदण्ड लगाया जिसे कंपनी द्वारा भुगतान किया गया (नवम्बर 2012) अतः राजस्व संहिता के प्रावधानो के अनुपालन में असफल रहने के कारण ₹ 49.79 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

[33] एक साल तक के विलम्ब के लिये 12 प्रतिशत की दर से तथा एक साल से अधिक विलम्ब के लिये 15 प्रतिशत के आधार पर गणित किया

[34] ₹ 50 करोड़ का पहला संवितरण – 13.06.2012

₹ 50.00 करोड़ का दूसरा संवितरण – 13.02.2013

₹ 05.00 करोड़ का तीसरा संवितरण – 22.03.2013

[35] मार्च 2013 तक

प्रकरण शासन को प्रेषित कर दिया गया (नवम्बर 2013) उनका जवाब प्रतीक्षित है (जनवरी 2014).

सामान्य

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

4.12.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के विभागों के विभिन्न कार्यालयों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ आरम्भ होकर संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यपालन अधिकारियों से उचित एवं समय पर उत्तर प्राप्त करें। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक विभागों को अनुदेश (नवम्बर 1994) जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधान सभा के सम्मुख उनके प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की कोई सूचना या बुलाने की प्रतीक्षा किये बिना प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2010–11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान–सभा में 12 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत कर दिया गया था । तीन विभागों, जिनके ऊपर टिप्पणियां की गई, 30 सितम्बर 2013 तक 03 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं किया था। वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में 11 जनवरी 2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था। विभाग–वार विश्लेषण ***परिशिष्ट – 4.5*** में दिया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की अनुशंसा जो कि उनके प्रतिवदेनों में सन्निहित है, के उत्तर, कार्यवाही टिप्पणियों के रूप में कोपू द्वारा विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत करने होते है । कोपू की अनुशंसाओं के आधार पर 2012–13 के दौरान पन्द्रह कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर

4.12.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्यस्थल पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों कें अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है । सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रमुखों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों से संबंधित मार्च 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 564 निरीक्षण प्रतिवदेनों से संबंधित 1514 कंडिकाएं सितम्बर 2013 के अंत तक बकाया थी जिनके उत्तर एक से आठ वर्षो तक नहीं दिये गये थे । 30 सितम्बर 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण ***परिशिष्ट – 4.6*** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं एवं समीक्षाएं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को छः

सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती है । पाँच समीक्षाएँ तथा ग्यारह प्रारूप कंडिकाएं विभिन्न विभागों को मई 2013 से अगस्त 2013 के मध्य अग्रेषित की गयी थी परन्तु अभी तक (जनवरी 2014) आठ प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर नहीं मिला जिसका वर्णन ***परिशिष्ट – 4.7*** में वर्णित है ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिए समयबद्ध अनुसूची के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति को सशक्त बनाया गया है।

(डी. के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1.1

सरकारी कम्पनियों[1] तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2013 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण एवं जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

(स्तम्भ 5 (क) से 6 (घ) में आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
क. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ													
कृषि तथा संबद्ध													
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्यानिकी	21 मार्च 1969	2.10	1.20	--	3.30	--	--	--	--	--	435
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	24 जुलाई 1975	37.93	1.39	--	39.32	--	--	--	--	--	982
क्षेत्रानुसार योग				**40.03**	**2.59**	**--**	**42.62**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1417**
वित्त													
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	16 अक्टूबर 1987	--	--	2.85	2.85	--	--	--	--	--	255
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	16 नवंबर 1981	--	--	1.65	1.65	--	--	--	--	--	239
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	16 नवंबर 1981	--	--	1.33	1.33	--	--	--	--	--	65
6.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	16 नवंबर 1981	--	--	0.80	0.80	1.09	--	--	1.09	1.36:1 (3.25:1)	87
7.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	02 सितम्बर 2008	--	--	10.00	10.00	--	--	--	--	--	37
8.	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	28 मई 1985	--	--	0.75	0.75	--	--	--	--	--	152
9.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	14 जून 2012			1.17	1.17	--	--	--	--	--	27

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
10.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण	29 सितंबर 1994	9.15	--	--	9.15	0.58	--	21.68	22.26	2.43:1 (6.07:1)	19
11.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति कल्याण	29 सितम्बर 1994	25.50	5.38	---	30.88	--	--	16.93	16.93	0.55:1 (0.56:1)	--
12.	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	वित्त	04 दिसम्बर 1926	0.49	--	0.01	0.50	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	13 सितम्बर 1965	81.09	--	--	81.09	94.38	--	313.89	408.27	5.03:1 (7.78:1)	81
क्षेत्रानुसार योग				**116.23**	**5.38**	**18.56**	**140.17**	**96.05**	**--**	**352.50**	**448.55**	**3.20:1 (5.15:1)**	**962**
आधार संरचना													
14.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (पुलिस)	31 मार्च 1981	4.58	--	---	4.58	--	---	--	--	--	142
15.	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	14 जुलाई 2004	20.00	--	--	20.00	--	--	--	--	--	182
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड	नर्मदा घाटी विकास विभाग	27 अक्टूबर 2011	5.00	--	--	5.00	--	--	--	--	--	--
क्षेत्रानुसार योग				**29.58**	**--**	**--**	**29.58**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**324**
निर्माण													
17.	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	27 दिसम्बर 2004	--	--	11.98	11.98	---	--	--	--	--	2
18.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	18 नवम्बर 1983	21.91	--	--	21.91	17.12	--	--	17.12	0.78:1 (0.78:1)	59
19.	क्रिस्टल आई. टी. पार्क (इन्दौर) लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	16 सितम्बर 2004	----	--	0.05	0.05	--	--	--	--	--	--

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
20.	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड	ग्रामोद्योग	28 नवंबर 1981	0.02	0.52	0.72	1.26	0.13	--	--	0.13	0.10:1 (1.28:1)	288
21.	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	खनिज संसाधन	19 जनवरी 1962	2.20	--	--	2.20	--	--	--	---	--	386
22.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन	19 नवंबर 2009	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	--
23.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन	19 नवंबर 2009	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	--
24.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन	19 नवंबर 2009	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	--
25.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन	19 नवंबर 2009	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	--
26.	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	खनिज संसाधन	14 मई 2009	--	--	10.00	10.00	--	--	--	--	--	--
27.	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन	16 नवम्बर 2009	--	--	2.00	2.00	--	--	--	--	--	--
28.	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	खनिज संसाधन	21 फरवरी 2006	--	--	61.22	61.22	--	--	105.00	105.00	1.72:1	--
29.	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	खनिज संसाधन	4 जनवरी 2010	--	--	10.00	10.00	--	--	--	--	--	--
30.	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	खनिज संसाधन	22 जुलाई 2005	--	--	30.78	30.78	--	--	--	--		13
क्षेत्रानुसार योग				**24.13**	**0.52**	**130.75**	**155.40**	**17.25**	**--**	**105.00**	**122.25**	**0.79:1 (1.37:1)**	**748**
विद्युत													
31	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	25 अगस्त 1982	0.69	--	--	0.69	--	--	--	--	--	209
32.	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	22 नवंबर 2001	2375.64	--	--	2375.64	2137.04	--	360.61	2497.65	1.05:1 (0.84:1)	5397
33.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	31 मई 2002	206.64	--	1391.44	1598.08	6895.73	--	946.09	7841.82	4.91:1 (4.04:1)	13131
34.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	31 मई 2002	195.05	--	1630.91	1825.96	636.08	--	--	636.08	0.35:1 (0.89:1)	11930

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
35.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	31 मई 2002	215.34	--	1554.99	1770.33	6180.00	--	1246.32	7426.32	4.19:1 (2.19:1)	12029
36.	म.प्र. पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	22 नवंबर 2001	4527.49	--	185.00	4712.49	336.20	--	8073.80	8410.00	1.78:1 (1.47:1)	6014
37.	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	05 फरवरी 2007	--	--	0.05	0.05	--	--	2.26	2.26	45.2:1 (45.2:1)	1
38.	म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड[4]	ऊर्जा विभाग	02 मई 2006	4100.97	--	--	4100.97	--	--	--	--	--	845
39.	दादाधुनी वाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	25 फरवरी 2010	--	--	45.00	45.00	--	--	--	--	--	7
40.	बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	09 जून 2011	--	--	0.05	0.05	15.00	--	1.29	16.29	325.8:1 (300:1)	16
41.	श्री सिंगाजी पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	12 अक्टूबर 2011	--	--	0.05	0.05	--	--	--	--	--	3
क्षेत्रानुसार योग				**11621.82**	**--**	**4807.49**	**16429.31**	**16200.05**	**--**	**10630.37**	**26830.42**	**1.63:1 (1.80:1)**	**49582**
सेवाएं													
42.	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	14 फरवरी 1977	0.80	--	--	0.80	--	--	--	--	--	25
43.	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	28 दिसम्बर 1961	2.68	0.15	--	2.83	--	--	--	--	--	336
44.	सेज इन्दौर लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	20 फरवरी 2003	--	--	26.97	26.97	--	--	--	--	--	3
45.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	03 अप्रैल 1974	8.47	--	--	8.47	--	--	--	--	--	830
46.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	पर्यटन	24 मई 1978	24.97	--	--	24.97	--	--	--	--	--	2127

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
47.	इन्दौर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	नगर विकास	01 दिसम्बर 2005	--	--	0.25	0.25	--	--	--	--	--	7
48.	जबलपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	नगर विकास	31 अगस्त 2006	--	--	0.25	0.25	--	--	--	--		4
49.	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड	नगर विकास	25 जुलाई 2006	--	--	0.30	0.30	--	--	--	--		4
50.	उज्जैन सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	नगर विकास	05 जून 2008	--	--	0.05	0.05	--	--	--	--	--	168
51.	कटनी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	नगर विकास	10 सितम्बर 2009	--	--	0.15	0.15	--	--	--	--	--	--
52.	म.प्र. विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उज्जैन) लिमिटेड	शिक्षा विभाग	18 मार्च 2010	--	--	1.00	1.00	--	--	--	--	--	1
क्षेत्रानुसार योग				**36.92**	**0.15**	**28.97**	**66.04**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3505**
योग (क) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ				**11868.71**	**8.64**	**4985.77**	**16863.12**	**16313.35**	**--**	**11087.87**	**27401.22**	**1.62:1 (1.81:1)**	**56538**
ख. कार्यशील सांविधिक निगम													
कृषि एवं संबद्ध													
1	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	19 फरवरी 1958	4.28	--	3.78	8.06	82.21	--	1.66	83.87	10.4:1 (0.21:1)	1426
क्षेत्रानुसार योग				**4.28**	**--**	**3.78**	**8.06**	**82.21**	**--**	**1.66**	**83.87**	**10.4:1 (0.21:1)**	**1426**
वित													
2.	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30 जून 1955	338.70	--	22.44	361.14	--	---	595.87	595.87	1.65:1 (1.41:1)	195
क्षेत्रानुसार योग				**338.70**	**--**	**22.44**	**361.14**	--	---	**595.87**	**595.87**	**1.65:1 (1.41:1)**	**195**
सेवाएं													

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
3.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21 मई 1962	109.96	31.85	--	141.81	573.35	--	143.49	716.84	5.05:1 (5.05:1)	300
क्षेत्रानुसार योग				**109.96**	**31.85**	**--**	**141.81**	**573.35**	**--**	**143.49**	**716.84**	**5.05:1 (5.05:1)**	**300**
योग (ख) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम				**452.94**	**31.85**	**26.22**	**511.01**	**655.56**	**--**	**741.02**	**1396.58**	**2.73:1 (2.08:1)**	**1921**
महायोग (क+ख)				**12321.65**	**40.49**	**5011.99**	**17374.13**	**16968.91**	**--**	**11828.89**	**28797.80**	**1.66:1 (3.90:1)**	**58459**
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियां[5]													
कृषि एवं संबंद्ध													
1.	म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन लिमिटेड	जल संसाधन	13 जुलाई 1976	5.92	--	--	5.92	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
2.	म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड	कृषि	22 मार्च 1975	--	--	--	--	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग				**5.92**	**--**	**--**	**5.92**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
वित													
3.	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	सांस्कृतिक विभाग	16 दिसम्बर 1981	1.04	--	--	1.04	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
4.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30 मार्च 1981	0.16	--	--	0.16	--	--	--	--	**--**	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग				**1.20**	**--**	**--**	**1.20**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
आधार संरचना													
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	11 अप्रैल 1961	15.12	--	--	15.12	--	--	--	--	--	बन्द

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह तथा वर्ष	प्रदत्त पूंजी[2]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[3]				2012–13 के लिए ऋण समता अनुपात (गत वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	7	8
6.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	04 अक्टूबर 1978	5.00	--	--	5.00	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग				**20.12**	**--**	**--**	**20.12**	**---**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
निर्माण													
7	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	23 दिसम्बर 1988	--	--	23.97	23.97	17.12	--	29.48	46.60	1.94:1 (1.94:1)	परिसमापन के अधीन
8.	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	27 नवंबर 1970	6.86	--	--	6.86	86.74	--	1.10	87.84	12.80:1 (12.80:1)	3
9.	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	वाणिज्य तथा उद्योग	3 दिसम्बर 1974	--	--	1.50	1.50	--	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन
क्षेत्रानुसार योग				**6.86**	--	**25.47**	**32.33**	**103.86**	--	**30.58**	**134.44**	**4.16:1 (5.28:1)**	**3**
योग (ग) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां				**34.1**	**--**	**25.47**	**59.57**	**103.86**	**--**	**30.58**	**134.44**	**2.26:1 (2.33:1)**	**3**
महायोग (क+ख+ग)				**12355.75**	**40.49**	**5037.46**	**17433.70**	**17072.77**	**--**	**11859.47**	**28932.24**	**1.66:1 (1.83:1)**	**58462**

1 उपरोक्त में क्रमांक ग–1 से क्रमांक ग–9 पर (अकार्यशील कंपनियां) सम्मिलित हैं।
2 प्रदत पूंजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।
3 2012–13 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदर्शित करते है।
4 दिनांक 10 अप्रैल 2012 के प्रभाव से एम. पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का नाम एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड कर दिया गया है।
5 कम्पनी से जानकारी प्राप्त न होने के कारण क्रमांक – ग – 2,3,4,7 एवं 9 के आकड़े पिछला वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12।

परिशिष्ट – 1.2

वर्ष के दौरान प्राप्त समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, देयताएं, ऋण छूट, अपलेखित ऋण तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2013 के अंत में बकाया गारंटी दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (क) से 6 (घ) में आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त समता पूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां		वर्ष के दौरान छोड़ी गई देयताएं			
		समता पूंजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचन के अनुसार	अपलेखित ऋण का पूर्वानुमान	समता में परिवर्तित ऋण	छोड़ा गया दण्डात्मक ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क.	**कार्यशील सरकारी कंपनियां**												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	--	--	10.23	0.20	--	10.43	--	--	--	--	--	--
2.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	--	--	--	26.05	--	26.05	--	--	--	--	--	--
3.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	--	--	2.50	--	--	2.50	--	--	--	--	--	--
4.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	--	--	--	2.57	--	2.57	--	--	--	--	--	--
5.	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	--	--	--	1.50	---	1.50	---	--	--	--	--	--
6.	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.10	9.00	--	0.50	--	0.50	---	21.69	--	--	--	--
7.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास नि. लिमिटेड	1.33	--	---	2.00	---	2.00	51.00	---	--	--	--	--
8.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	--	--	19.40	--	--	19.40	--	---	--	--	--	--
9.	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	1.00	--	--	700.81	--	700.81	--	--	--	--	--	--
10.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास नि. लिमिटेड	--	--	9.65	39.17	--	48.82	--	--	--	--	--	--
11.	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड	--	--	1.84	16.32	--	18.16	--	--	--	--	--	--

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त समता पूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियां		वर्ष के दौरान छोड़ी गई देयताएं			
		समता पूंजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचन के अनुसार	अपलेखित ऋण का पूर्वानुमान	समता में परिवर्तित ऋण	छोड़ा गया दण्डात्मक ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
12.	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	--	--	7.06	17.62	--	24.68	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	191.20	--	--	--	--	--	--	122.48	--	--	--	--
14.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	206.64	1847.45	--	735.26	--	735.26	1196.78	297.38	--	--	--	--
15.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	195.05	--	--	877.65	--	877.65	1057.20	393.41	--	--	--	---
16.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	215.34	1.83	19.92	793.44	---	813.36	1003.33	1584.74	--	--	--	--
17.	म.प्र. पॉवर जनरेटिग कम्पनी लिमिटेड	602.99	290.22	--	--	--	--	1876.8	1810.00	--	--	--	--
18.	सेज इन्दौर लिमिटेड	--	--	1.60	--	--	1.60	--	--	--	--	--	--
19.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	--	--	4633.44	531.35	--	5164.79	18.00	17.89	--	--	--	--
20.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	--	--	49.86	88.99	--	138.85	--	--	--	--	--	--
योग (क) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ		**1413.65**	**2148.50**	**4755.50**	**3833.43**	**--**	**8588.93**	**5203.11**	**4247.59**	**--**	**--**	**--**	**--**
ख.	कार्यशील सांविधिक निगम												
1.	म.प्र. वित्त निगम	5.00	--	--	--	--	--	100.00	568.29	--	--	--	--
योग (ख) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम		**5.00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**100.00**	**568.29**	**--**	**--**	**--**	**--**
महायोग (क+ख)		**1418.65**	**2148.50**	**4755.50**	**3833.43**	**--**	**8588.93**	**5303.11**	**4815.88**				

परिशिष्ट – 1.3

अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम

(कंडिका 1.15 में संदर्भित)

(स्तम्भ 5 (क) से 11 में आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियां														
कृषि तथा संबंद्ध														
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	26.47	0.19	0.36	25.92	944.18	--	3.30	6.73	13.34	26.11	195.73
2.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	37.72	0.27	0.27	37.18	77.39	--	39.32	91.29	130.69	37.45	28.66
क्षेत्रानुसार योग				**64.19**	**0.46**	**0.63**	**63.10**	**1021.57**	**--**	**42.62**	**98.02**	**144.03**	**63.56**	**44.13**
वित														
3.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2012-13	2013-14	4.15	--	0.21	3.94	18.09	--	2.85	8.63	14.21	3.94	27.73
4.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2011-12	2012-13	27.30	0.26	2.68	24.36	39.23	--	1.65	42.39	138.46	24.62	17.78
5.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.96	--	0.01	0.95	2.06	--	1.33	8.26	9.59	0.95	9.91
6.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.56	0.14	--	1.42	2.23	--	0.80	4.13	7.67	1.56	20.34
7.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2012-13	2013-14	1.35	--	0.34	1.01	4.02	--	10.00	3.67	14.36	1.01	7.03

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-)9.16	--	0.16	(-)9.32	8.94		0.75	(-)5.02	(-)3.28	(-)9.32	--
9.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए												
10.	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2012-13	2.05	2.14	0.01	(-) 0.10	2.41	--	7.05	0.03	47.53	2.04	4.29
11.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	3.37	1.33	0.10	1.94	4.38	(-)0. 36	18.36	2.51	20.07	3.27	16.29
12.	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2009-10	2011-12	5.66	--	0.04	5.62	4.67	--	0.50	20.03	22.55	5.62	24.92
13.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	9.11	--	0.18	8.93	12.95	--	81.09	(-) 593.50	5.11	8.93	174.76
क्षेत्रानुसार योग				**46.35**	**3.87**	**3.73**	**38.75**	**98.98**	**(-)0.36**	**124.38**	**(-)508.87**	**276.27**	**42.62**	**15.43**
	आधार संरचना													
14.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.17	--	0.23	0.94	8.43	--	4.58	30.60	46.55	0.94	2.02
15.	म.प्र. रोड विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	26.41	--	0.38	26.03	49.48	--	20.00	81.54	101.54	26.03	25.64
16.	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए												
क्षेत्रानुसार योग				**27.58**	**--**	**0.61**	**26.97**	**57.91**	**--**	**24.58**	**112.14**	**148.09**	**26.97**	**18.21**
	निर्माण													

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2012-13	2013-14	4.55	--	5.56	(-)1.01	6.29	--	11.98	(-)7.98	57.82	(-)1.01	--
18.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.78	--	0.35	1.43	10.61		21.91	(-)8.57	41.61	1.43	3.44
19.	क्रिस्टल आई. टी. पार्क (इन्दौर) लिमिटेड	2011-12	2012-13	--	--	--	--	--	--	0.05	(-)0.06	(-)0.01	--	--
20.	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	1.06	0.04	0.31	0.71	18.18	(-)3.36	1.26	2.48	18.63	0.75	4.03
21.	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	46.02	--	0.25	45.77	181.57	--	2.20	113.49	151.73	45.77	30.17
22.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.05	--	--	(-) 0.05	--	--	1.00	(-) 0.46	0.54	(-) 0.05	--
23.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	0.00	--	--	--	--	--	1.00	(-) 0.32	0.68	0.00	--
24.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.07	--	--	(-) 0.07	--	--	1.00	(-)0.44	0.56	(-) 0.07	--
25.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.02	--	--	(-) 0.02	--	--	1.00	(-)0.37	0.63	(-) 0.02	--
26.	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.01	--	--	(-)0.01	--	--	10.00	(-) 0.09	9.91	(-) 0.01	--
27.	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.01	--	---	(-) 0.01	--	--	2.00	(-) 0.35	1.65	(-)0.01	--
28.	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-)0.04	---	--	(-) 0.04	--	--	61.22	(-)1.27	164.95	(-)0.04	--

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29.	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.02	--	--	(-) 0.02	--	--	10.00	(-) 0.39	9.61	(-) 0.02	--
30	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.02	--	--	(-) 0.02	--	--	30.98	(-) 0.70	30.08	(-) 0.02	--
क्षेत्रानुसार योग				**53.17**	**0.04**	**6.47**	**46.66**	**216.65**	**(-)3.36**	**155.60**	**94.97**	**488.39**	**46.70**	**9.56**
ऊर्जा														
31.	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	0.07	--	0.07	--	0.04	--	0.69	0.00	3.76	--	--
32.	म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	362.36	138.69	222.00	1.67	2019.43	--	2375.64	(-)143.75	4084.59	140.36	3.44
33.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 1066.10	256.30	109.83	(-) 1432.23	5268.07	--	1598.08	(-)6937.29	3199.94	(-) 1175.93	--
34.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 1032.81	267.82	124.36	(-) 1424.99	6738.93	--	1825.96	(-)5922.60	(-) 1398.48	(-) 1157.17	--
35.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 959.30	298.00	157.63	(-) 1414.93	4569.74	(-)52.16	1770.33	(-) 6001.03	(-) 1273.58	(-)1116.93	--
36.	म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	682.11	340.58	351.86	(-) 10.33	5386.13	--	4712.49	(-)1418.71	11270.42	330.25	2.93
37.	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	--	--	--	--	--	--	0.05	0.01	2.70	--	--
38.	म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	59.80	58.20	1.60	--	15940.04	(-)2.78	4100.97	0.00	4100.97	58.20	1.42
39.	दादाधुनी वाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड	2012-13	2013-14	0.75	--	--	0.75	0.76	--	45.00	0.77	45.76	0.75	1.64
40.	बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी	2012-13	2013-14	1.46	2.17	--	(-)0.71	1.46	--	0.05	(-)0.55	17.20	1.46	8.49

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	लिमिटेड													
41.	श्री सिंगाजी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2012-13	2013-14	--	--	--	--	--	--	0.05	--	0.05	--	--
क्षेत्रानुसार योग				**(-) 1951.66**	**1361.76**	**967.35**	**(-) 4280.77**	**39924.60**	**(-)54.94**	**16429.31**	**(-) 20423.15**	**20053.33**	**(-)29 19.01**	**--**
सेवाएं														
42.	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	1.89	0.02	0.07	1.80	3.86		0.80	9.30	427.08	1.82	0.43
43.	म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड	2011-12	2013-14	25.42	0.11	1.35	23.96	240.55	(-)2.25	2.83	73.57	76.4	24.07	31.51
44.	सेज इन्दौर लिमिटेड	2010-11	2012-13	12.69	1.21	1.05	10.43	85.48	--	31.39	22.15	59.98	11.64	19.41
45.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	1287.86	1283.37	1.05	3.44	16105.18		8.47	145.80	1664.45	1286.81	77.31
46.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	2010-11	2012-13	3.90	0.08	3.12	0.70	69.07		24.97	(-)3.68	321.36	0.78	0.24
47.	इन्दौर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2005-06	2013-14	(-)0.08	--	--	(-)0.08	0.01	--	0.25	--	0.25	(-)0.08	--
48.	जबलपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2012-13	2013-14	0.15	---	0.01	0.14	0.17	--	0.25	0.57	0.82	0.14	17.07
49.	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए												
50.	उज्जैन सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए												
51.	कटनी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2010-11	2011-12	--	--	--	--	--	--	0.15	(-) 0.01	0.13	--	--
52.	म.प्र. विक्रमादित्य नॉलेज	2012-13	2013-14	0.08	--	--	0.08	0.11	--	1.00	0.09	1.09	0.08	7.34

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यह्रास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	सिटी (उज्जैन) लिमिटेड													
क्षेत्रानुसार योग				**1331.91**	**1284.79**	**6.65**	**40.47**	**16504.43**	**(-)2.25**	**70.11**	**247.79**	**2551.56**	**1325.26**	**51.95**
योग (क) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील कम्पनियाँ				**(-)428.46**	**2650.92**	**985.44**	**(-)4064.82**	**57824.14**	**(-)60.91**	**16846.60**	**(-)20379.10**	**23661.67**	**(-)1413.90**	**--**
ख. कार्यशील सांविधिक निगम														
कृषि एवं संबद्ध														
1.	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2011-12	2012-13	51.99	0.84	9.43	41.72	136.66	--	8.06	95.76	153.51	42.56	27.72
क्षेत्रानुसार योग				51.99	0.84	9.43	41.72	136.66	--	8.06	95.76	153.51	42.56	27.72
वित														
2.	म.प्र. वित्त निगम	2011-12	2012-13	53.24	48.15	--	5.09	66.42	--	356.14	(-) 233.66	891.46	53.24	5.97
क्षेत्रानुसार योग				**53.24**	**48.15**	**--**	**5.09**	**66.42**	**--**	**356.14**	**(-) 233.66**	**891.46**	**53.24**	**5.97**
सेवाएं														
3.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	1.08	10.10	4.60	(-) 13.62	210.05	--	141.81	(-) 1024.52	(-) 144.80	(-)3.52	--
क्षेत्रानुसार योग				**1.08**	**10.10**	**4.60**	**(-) 13.62**	**210.05**		**141.81**	**(-) 1024.52**	**(-) 144.80**	**(-) 3.52**	**--**
योग (ख) समस्त क्षेत्रानुसार कार्यशील सांविधिक निगम				**106.31**	**59.09**	**14.03**	**33.19**	**413.13**	**--**	**506.01**	**(-)1162.42**	**900.17**	**92.28**	**10.25**
महायोग (क+ख)				**(-)322.15**	**2710.01**	**999.47**	**(-)4031.63**	**58237.27**	**(-)60.91**	**17352.61**	**(-)21541.52**	**24561.84**	**(-) 1321.62**	**--**
ग. अकार्यशील सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सम्बद्ध														
1.	म.प्र. लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2003-10	2010-11	0.04	--	--	0.04	परिसमापन के अधीन	--	5.92	(-) 6.33	(-)0.36	0.04	--

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2002-03	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन	--	--	--	**--**	**--**	**--**
क्षेत्रानुसार योग				**0.04**	**--**	**--**	**0.04**	**---**	**--**	**5.92**	**(-) 6.33**	**(-) 0.36**	**0.04**	**--**
वित														
3.	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	--	--	--	--	परिसमापन के अधीन	--	1.04	--	1.02	--	--
4.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07	0.03	--	--	0.03	परिसमापन के अधीन	--	0.16	0.02	0.16	0.03	18.75
क्षेत्रानुसार योग				**0.03**	**--**	**--**	**0.03**	**---**	**--**	**1.20**	**0.02**	**1.18**	**0.03**	**18.75**
आधार संरचना														
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(-)0.19	**---**	---	(-)0.19	0.28	--	15.12	50.55	(-)35.38	(-)0.19	--
6.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	1993-94	(-) 1.13	--	--	(-) 1.13	परिसमापन के अधीन	--	5.00	(-) 2.15	2.87	(-) 1.13	--
क्षेत्रानुसार योग				**(-)1.32**	**--**	**--**	**(-)1.32**	**0.28**	**--**	**20.12**	**48.4**	**(-)32.51**	**(-)1.32**	**--**
निर्माण														
7.	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	2010-11	(-) 27.07	2.14	--	(-) 29.21	परिसमापन के अधीन	--	23.97	(-) 131.76	(-) 24.48	(-) 27.07	--
8.	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2007-08	2012-13	(-) 0.32	3.82	--	(-) 4.14	0.01	--	6.86	(-)112.13	(-)17.42	(-) 0.32	--
9.	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	--	--	--	--	--	--	परिसमापन	--	1.50	0.04	--	--	--

क्र. स.	कम्पनी का क्षेत्र तथा नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	निवल लाभ/हानि(–)				व्यवसाय	लेखे के टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि(–)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
				ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व निवल लाभ तथा हानि(–)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ तथा हानि(–)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								के अधीन						
क्षेत्रानुसार योग				**(-)27.39**	**5.96**	**--**	**(-)33.35**	**0.01**	**--**	**32.33**	**(-)243.85**	**(-)41.9**	**(-)27.39**	**--**
योग (ग) क्षेत्रानुसार अकार्यशील सरकारी कम्पनियां				**(-)28.64**	**5.96**	**--**	**(-)34.60**	**0.29**	**--**	**59.57**	**(-)201.76**	**(-)73.59**	**(-)28.64**	--
महायोग (क+ख+ग)				**(-)350.79**	**2715.97**	**999.47**	**(-)4066.23**	**58237.56**	**(-)60.91**	**17412.18**	**(-)21743.28**	**24488.25**	**(-)1350.26**	**--**

- कंपनियों से लेखा प्राप्त न होने के कारण क्रमांक – अ– 10, 11, 12, 44, 51 तथा ब–2, ब–3 के आकड़े पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से लिये गये है।

6 लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षक तथा नियन्त्राक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव सम्मिलित है और (+) लाभ में वृद्धि/हानि में कमी/हानियों में कमी (–) के द्योतक है।

7 नियोजित पूंजी = अंशधारी कोष + दीर्घकालीन ऋण { सांविधिक निगमों के अतिरिक्त, जहॉ नियोजित पूंजी = निवल स्थाई संपत्ति (पूंजीगत कार्य प्रगति सम्मिलित) + कार्यशील पूंजी }

8 नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ एवं हानि–लेखाओं पर लाभ एवं ब्याज जोड़कर आंकलित किया गया है।

परिशिष्ट– 1.4

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कण्डिका 1.15 में सन्दर्भित)

(करोड़ ₹ में)

कार्यशील सांविधिक निगम			
1. मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम[9]			
	2005-06	**2006-07**	**2007-08**
क. देयताएं			
पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा समता पूंजी सहित)	141.81	141.81	141.81
उधारियॉं (सरकारी)	17.50	574.12	573.35
(अन्य)	466.24	13.79	143.49
निधियॉं[10]	422.57	27.43	21.09
व्यवसायिक देयताएं तथा चालू देयताए (प्रावधानों सहित)	597.75	920.01	873.52
योग – क	**1645.87**	**1677.16**	**1753.26**
ख. परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	460.74	460.77	457.50
घटाएं – मूल्य ास	64.07	69.49	74.59
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां	396.67	391.28	382.91
प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य (चेसिस के मूल्य सहित)	1.74	1.92	1.16
निवेश	0.02	0.02	0.02
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	380.14	273.04	344.65
संचित हानि	867.30	1010.90	1024.52
योग – ख	**1645.87**	**1677.16**	**1753.26**
ग. नियोजित पूंजी[11]	**180.80**	**(-)253.77**	**(-)144.80**
2. मध्यप्रदेश वित्त निगम			
	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
क. देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	346.14	351.14	356.14
आरक्षित निधियॉं तथा अन्य आरक्षित एवं बचत	38.82	38.73	35.63
उधारियां (देय ब्याज रहित)			
(1) बन्ध पत्रा तथा ऋण पत्रा	63.33	108.17	112.67
(2) मियादी जमा			
(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	334.60	330.50	319.80
(4) अन्य (राज्य सरकार सहित)	50.00	84.87	69.72
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	38.38	42.61	52.69
योग – क	**871.27**	**956.02**	**946.65**
ख. परिसम्पत्तियां			
नगद तथा बैंक शेष	16.59	46.64	0.73
निवेश	187.05	187.05	187.05
ऋण तथा अग्रिम	405.75	461.99	502.16
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां	8.23	8.06	7.86
अन्य परिसम्पत्तियां	13.98	14.61	15.19
संचित हानि	239.67	237.66	233.66
योग – ख	**871.27**	**956.02**	**946.65**
ग. नियोजित पूंजी[12]	**800.93**	**839.92**	**891.46**

[9] निगम द्वारा लेखा न प्रस्तुत किए जाने के कारण आकड़े पिछले लेखापरिक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से लिए गए है।

[10] मूल्यहास निधियॉं निकालकर।

[11] नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्यो सहित) एवं कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती हैं।

3. मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक कारपोरेशन[13]			
	2009-10	**2010-11**	**2011-12**
क. देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	1.50	1.50	1.50
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम/बकाया अंश आवंटन	6.56	6.56	6.56
आरक्षित निधियॉ तथा आधिक्य	102.47	117.13	277.49
उधारियां (ब्याज सहित) सरकारी अन्य	 -- 4.75	 -- 5.05	 -- 1.77
व्यवसायिक देयताएं तथा चालू देयताएं (प्रावधान सहित)	69.39	97.28	108.49
योग – क	**184.67**	**227.52**	**395.81**
ख. परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लॉक	151.39	163.41	183.29
घटाएं, मूल्य ास	58.00	63.98	73.71
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां	93.39	99.43	109.98
प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य	8.79	17.03	32.56
चालू परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	82.49	111.06	253.27
योग – ख	**184.67**	**227.52**	**395.81**
ग. नियोजित पूंजी[14]	**110.52**	**186.35**	**153.51**

[12] नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पूंजी के स्थान पर ऋण, सीड मनी, ऋण पत्रा, आरक्षित निधियों (उन्हें छोड़कर जिनके लिए विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जो वाहय निवेश द्वारा समर्थित है।) बन्ध पत्राों, निक्षेप तथा उधारियों (पुनर्वित पोषण सहित) के प्रारंभिक तथा अंत शेषों के कुल योग का माध्य प्रदर्शित करती है।

[13] निगम द्वारा लेखा न प्रस्तुत किए जाने के कारण आकड़े पिछले लेखापरिक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से लिए गए है।

[14] नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्यो सहित) एवं कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती हैं।

परिशिष्ट– 1.5

सांविधिक कम्पनियों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कण्डिका 1.15 में सन्दर्भित)

(करोड़ ₹ में)

कार्यशील सांविधिक निगम				
1.	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम[15]**			
		2005-06	**2006-07**	**2007-08**
1	परिचालन			
	(क) राजस्व	218.34	204.97	205.41
	(ख) व्यय	294.38	340.86	202.16
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-)76.04	(-)135.89	3.25
2	गैर परिचालन			
	(क) राजस्व	5.42	2.15	4.64
	(ख) व्यय	15.44	9.86	21.51
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-)10.02	(-)7.71	(-)16.87
3	**योग**			
	(क) राजस्व	223.76	207.12	210.05
	(ख) व्यय	309.82	350.72	223.67
	(ग) शुद्ध लाभ (+)/घाटा(–)	(-)86.06	(-)143.60	(-)13.62
4	पूंजी तथा ऋणों पर ब्याज	11.00	9.05	10.10
5	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ[16]**	**(-)75.06**	**(-)134.55**	**(-)3.52**
2.	**मध्यप्रदेश वित्त निगम[15]**			
		2009-10	**2010-11**	**2011-12**
1	**आय**			
	(क) ऋणों पर ब्याज	50.29	54.16	64.43
	(ख) अन्य लाभ	1.30	1.00	1.99
	योग – 1	**51.59**	**55.16**	**66.42**
2	**व्यय**			
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	40.26	39.77	48.15
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	0.14	0.49	0.27
	(ग) अन्य व्यय	9.60	11.85	12.91
	(घ) मूल्य ास	0.21	0.23	--
	योग – 2	**50.21**	**52.34**	**61.33**
3	कर पूर्व लाभ/हानि (1–2)	(+)1.38	2.82	5.09
4	कर के लिए प्रावधान	(-)0.26	0.62	1.08

[15] निगम द्वारा लेखा न प्रस्तुत किए जाने के कारण आकड़े पिछले लेखापरिक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से लिए गए है।

[16] नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ शुद्ध आधिक्य/घाटा एवं लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज घटाएं) के जोड़ को प्रदर्शित करती है।

5	अन्य विनियोग	(+)0.02	0.19	0.01
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	1.10	2.01	4.01
7	घोषित लाभांश	--	---	--
8	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ[16]**	**41.64**	**41.78**	**53.24**
9	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत**	**5.21**	**4.97**	**5.97**
3.	**मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन**			
		2009-10	**2010-11**	**2011-12**
1	**आय**			
2	(क) गोदाम प्रभार	61.64	89.65	107.38
	(ख) अन्य आय	4.89	10.31	29.28
	योग	**66.53**	**99.96**	**136.66**
3	**व्यय**			
	(क) स्थापना प्रभार	33.01	37.29	44.99
	(ख) अन्य व्यय	15.41	21.76	49.95
	योग	**48.42**	**59.05**	**94.94**
4	कर पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	18.11	40.91	41.72
5	अन्य विनियोग	17.81	40.61	41.42
6	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	0.30	0.30	0.30
7	वर्ष हेतु लाभांश	0.30	0.30	0.30
8	**नियोजित पूंजी पर कुल लाभ**	**12.14**	**27.65**	**42.56**
9	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत**	**10.53**	**14.84**	**27.72**

परिशिष्ट – 1.6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 1.22 में संदर्भित)

(करोड़ ₹ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।	अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	बकाया वर्ष जिसमें निवेश प्राप्त हुआ	उन वर्षो के दौरान, जिनके लेखे बकाया है, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
					समता पूंजी	ऋण	आर्थिक सहायता	अनुदान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2010-11	3.30	2011-12 तक	--	--	0.21	--
				2012-13			0.20	
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2011-12	39.32	2012-13	--	--	--	26.05
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, जबलपुर	2011-12	1.33	2012-13	--	--	2.57	--
4	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2007-08	7.05	2011-12 तक	2.00	--	--	0.44
				2012-13	0.10	9.00	--	0.50
5	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2003-04	18.36	2011-12 तक	5.00	--	--	10.80
				2012-13	1.33	--	--	2.00
6	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2011-12	21.91	2012-13	--	--	39.17	--
7	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथ करघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2010-11	1.26	2011-12 तक	--	--	--	
				2012-13	--	--	--	16.32
8	म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2011-12	0.69	2012-13	--	--	17.62	--
9	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल	2010-11	24.97	2011-12 तक	--	--	43.66	20.64
				2012-13			57.27	31.72
10	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए	5.00	2012-13	5.00	--	--	--
11	म.प्र. वित्त निगम	2011-12	356.14	2012-13	5.00	--	--	--
योग					**18.43**	**9.00**	**160.70**	**108.47**
महायोग					**296.60**			

परिशिष्ट–2.1.1

कम्पनी/मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा समझौता ज्ञापन मार्ग के माध्यम से, पी.टी.सी. के साथ विद्युत विक्रय अनुबंध तथा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा मार्ग के माध्यम से वर्ष 2006–07 से 2012–13 के दौरान हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंधों का विवरण

(कंडिका 2.1.1 तथा 2..1.9 से संदर्भित)

वर्ष	समझौता ज्ञापन/विद्युत विक्रय अनुबंध/निविदा के माध्यम से हस्ताक्षरित कुल विद्युत क्रय अनुबंध		निविदा प्रक्रिया के माध्यम के हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंध		कुल हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबंधों के साथ निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की गयी अनुबंधित क्षमता का प्रतिशत
	संख्या	अनुबंधित क्षमता (मेगावाट)	संख्या	अनुबंधित क्षमता (मेगावाट)	
(I) मध्य प्रदेश सरकार/कम्पनी के द्वारा की पहल					
2006-07	3	600	0	0	0.00
2007-08	0	0	0	0	0.00
2008-09	0	0	0	0	0.00
2009-10	0	0	0	0	0.00
2010-11	7	1913.5	1	150	7.84
2011-12	8	517	0	0	0.00
2012-13	2	335	0	0	0.00
योग	**20**	**3365.5**	**1**	**150**	**4.46**
(I) भारत सरकार/पावर फाईनेंस कारपोरेशन की पहल					
2007-08	1	(यू.एम.पी.पी.) 1425	1	1425	100.00
2008-09	1	(यू.एम.पी.पी.) 200	1	200	100.00
योग		**4990.5**			**35.57**

परिशिष्ट–2.1.2

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए नियोजन की तुलना में वास्तविक विद्युत परिदृश्य का विवरण

(कंडिका 2.1.8.1 से संदर्भित)

(मेगावाट में)

नियोजित						वास्तविक				
वर्ष	अप्रतिबंधित अधिकतम मांग / विद्युत की आवश्यकता	दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध	अन्य श्रोत	योग	कमी / आधिक्य	अन्य श्रोत	दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध	अल्पावधि	योग	कमी
2008-09	8144	128	7495	7623	521	6025		220	6245	1899
2009-10	8938	319	7976	8295	643	5560		27	5587	3351
2010-11	9753	574	8680	9254	499	6559		132	6691	3062
2011-12	10491	924	9597	10521	-30	7909	55	582	8546	1945
2012-13	10949	1009	9653	10662	287	7986	207	1219	9412	1537
योग					**1920**					

परिशिष्ट–2.1.3

निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाने वाला विवरण पत्र (टोरेंट)

(कंडिका 2.1.8.3 से संदर्भित)

माह	माह में दिवस	अनुबंधित क्षमता (मेगावाट घंटा में)	वास्तविक आपूर्ति (मेगावाट घंटा में)	कम क्षमता की मांग के कारण कम आपूर्ति	भुगतान किया क्षमता प्रभार (₹)	निष्क्रिय क्षमता प्रभार (अनुबंधित क्षमता की कम आपूर्ति से अनुपात में) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(3-4)	(6)	(7)(5x6/3)
नवम्बर–11	30	72000	48240	23760	6,07,09,268.00	2,00,34,058.00
दिसम्बर–11	31	74400	39805.7	34594.3	7,49,42,893.00	3,48,46,733.00
जनवरी–12	31	74400	46907	27493	6,44,40,658.00	2,38,12,729.00
फरवरी–12	29	69600	41166.7	28433.3	6,46,78,414.00	2,64,22,712.00
मार्च–12	31	74400	45672	28728	6,56,16,614.00	2,53,36,480.00
अप्रैल–12	30	72000	46440	25560	6,19,76,920.00	2,20,01,807.00
मई–12	31	74400	46416	27984	6,78,19,712.00	2,55,08,963.00
जून–12	30	72000	39480	32520	7,42,47,477.00	3,35,35,110.00
जुलाई–12	31	74400	35778	38622	7,67,18,177.00	3,98,25,396.00
अगस्त–12	31	74400	30450	43950	7,72,31,383.00	4,56,22,571.00
सितम्बर–12	30	72000	29448	42552	7,47,31,385.00	4,41,66,249.00
अक्टूबर–12	31	74400	26280	48120	7,39,55,415.00	4,78,32,454.00
नवम्बर–12	30	72000	22560	49440	7,43,89,271.00	5,10,80,633.00
दिसम्बर–12	31	74400	22804.5	51595.5	7,59,48,010.00	5,26,69,026.00
जनवरी–13	31	74400	19408	54992	7,52,80,354.00	5,56,42,705.00
फरवरी–13	28	67200	13474	53726	6,93,23,299.00	5,54,23,565.00
मार्च–12	31	74400	12458.5	61941.5	7,67,55,045.00	6,39,02,186.00
योग		**1240800**	**566788.4**	**674011.6**	**1,20,87,64,295.00**	**66,76,63,377.00**

परिशिष्ट–2.1.4

सासन यू.एम.पी.पी. के संबंध में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथियों, पूर्वित वाणिज्यिक संचालन तिथियों तथा संशोधित वाणिज्यिक संचालन तिथियों का विवरण

(कंडिका 2.1.11.2 में संदर्भित)

इकाई	निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथियाँ	सासन के अनुरोध पर पूर्वित वाणिज्यिक संचालन तिथियाँ	मध्यप्रदेश सरकार/कम्पनी की चूक के कारण संशोधित वाणिज्यिक संचालन तिथियाँ	जनवरी 2014 की स्थिति
I	07.05.2013	31.12.2011	31.03.2013	अगस्त 2013
II	07.12.2013	31.03.2012	30.06.2013	कार्य प्रगति पर
III	07.07.2014	30.06.2012	30.09.2013	कार्य प्रगति पर
IV	07.02.2015	30.09.2012	31.12.2013	कार्य प्रगति पर
V	07.09.2015	31.12.2012	31.03.2014	कार्य प्रगति पर
VI	07.04.2016	31.03.2013	30.06.2014	कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट 2.1.5
वाणिज्यिक संचालन तिथियों के संशोधनो के कारण संभावित हानि दर्शाता विवरण पत्र

(कंडिका 2.1.11.2 में संदर्भित)

ईकाई क्रमांक	कुल क्षमता (मेगावाट में)	मध्यप्रदेश को आवंटित विद्युत का हिस्सा (कुल क्षमता का 37.5% मेगावाट में)	15.10.2008 के अनुपूरक अनुबंध के अनुसार पूर्वित वाणिज्यिक संचालन तिथियाँ	भूमि उपलबध कराने में देरी के कारण वाणिज्यिक देरी	कुल देरी (माह में)	देरी की समयावधि के दौरान आपूर्ति की जाने वाली अपेक्षित यूनिटों की संख्या	सासन पावर को देय संतुलित टैरिफ (₹/यूनिट)	वर्ष क्रय 2010–11 के दौरान कम्पनी के द्वारा की गयी पारम्परिक ऊर्जा की औसत दर (₹/यूनिट)	टैरिफ में अंतर (₹ / यूनिट)	वाणिज्यिक उत्पादन तिथियों में देरी के कारण कम्पनी के द्वारा उठायी गयी हानि (₹)
I	660	247.5	31/12/2011	31/03/2013	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
II	660	247.5	31/03/2012	30/06/2013	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
III	660	247.5	30/06/2012	30/09/2013	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
IV	660	247.5	30/09/2012	31/12/2013	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
V	660	247.5	31/12/2012	31/03/2014	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
VI	660	247.5	31/03/2012	30/06/2014	15	2165389875	1.196	2.16	0.964	2087435840
	3960	**1485**								**12524615037**
										₹ 1252.46 करोड़

सूत्रः देरी की अवधि के दौरान आपूर्ति की जाने वाली अपेक्षित यूनिटों की संख्या=(मध्यप्रदेश को विद्युत का आवंटित अंश) x**0.85** x**0.94** (पूरक उपभोग को घटकर)x24x365 x1000x वाणिज्यिक संचालक तिथि में देरी की अवधि ।
नोट–पूरक उपभोग 6% की दर से माना गया था ।

परिशिष्ट–2.1.6

विद्युत की अतिरिक्त लागत की गणना

(कंडिका 2.1.13.1 से संदर्भित)

1	टोरेन्ट पावर को, मार्च 2011 से मार्च 2013 के दौरान, भुगतान वास्तविक की गयी विद्युत की वास्तविक अतिरिक्त लागत	
क	टोरेन्ट पावर मार्च 2011 से मार्च 2013 के दौरान, आपूर्ति की गयी कुल विद्युत यूनिटे (टोरेन्ट पावर के द्वारा, प्रस्तुत किए गये विद्युत बिलो के आधार पर गणित)	980507048
ख	पी.टी.सी. एवं टोरेन्ट पावर के मध्य 02.08.2005 को हुए मूल विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार तय किये गये क्षमता प्रभार (₹/यूनिट)	0.83
ग	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इसके 11.01.2010 के आदेश में निश्चित किए गए क्षमता प्रभार तथा जिसके आधार पर कम्पनी ने स्थाई लागत की गणना की (₹/यूनिट)	1.08
घ	अतिरिक्त लागत (ग–घ) (₹/यूनिट)	0.25
ड	**विद्युत क्रय अनुबंध की दर की बजाय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दर को लागू करने की वजह से विद्युत की अतिरिक्त लागत (क x घ) (₹)**	**245126762**
2	अप्रैल 2013 से फरवरी 2016 की अवधि (2वर्ष 11 माह) के दौरान भुगतान की जाने वाली विद्युत की भावी अतिरिक्त लागत	
क	अप्रैल 2013 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान टोरेंट आपूर्ति की जाने वाली कुल युनिटें (100 मेगावाट x 85% x 3% पूरक उपभोगx 24x365 x2 x11/12x1000)	1324147000
ख	अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली विद्युत की अतिरिक्त लागत (₹/यूनिट)	0.25
ग	**प्रतिबद्ध अतिरिक्त लागत (2कx2ख) (₹)**	**331036750**
3	मार्च 2016 से फरवरी 2021 की अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली विद्युत की भावी अतिरिक्त लागत (5वर्ष)	
क	आपूर्ति की जाने वाली कुल यूनिटे (75 मेगावाटx85% संयंत्र भार फैक्टर x 3 % पूरक उपभोगx 24x 365x 1000x 5वर्ष)	2708482500
ख	**प्रतिबद्ध अतिरिक्त लागत (3कx2ख) (₹)**	**677120625**
4	मार्च 2021 से फरवरी 2026 की अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली विद्युत की भावी लागत (5वर्ष)	
क	आपूर्ति की जाने वाली कुल यूनिटे (50 मेगावाटx85% संयंत्र भार फैक्टर x 3 % पूरक उपभोगx 24x 365x 1000x 5वर्ष)	1805655000
ख	**प्रतिबद्ध अतिरिक्त लागत (4कx2ख) (₹)**	**451413750**
	कुल प्रतिबंध अतिरिक्त लागत (2गx2ख) (₹)	**1459571125**
		₹14595.71 लाख

नोटः पूरक उपभोक्ता को 3 % की दर से माना गया है ।

परिशिष्ट–2.1.7

पी.टी.सी. के साथ किये गये विद्युत विक्रय अनुबंध तथा ट्रेड मार्जिन की दर को दर्शाता विवरण

(कंडिका 2.1.14.1 से संदर्भित)

क्रम संख्या	विद्युत परियोजना का नाम	विद्युत क्रय अनुबंध के पक्षकार तथा विद्युत क्रय अनुबंध की तिथि	विद्युत विक्रय अनुबंध के पक्षकार तथा विद्युत विक्रय अनुबंध का तिथि	अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में)	पी.टी.सी. को ट्रेडिंग मार्जिन
1	1100 मेगावाट सुजैन विद्युत परियोजना (गैस आधारित)	पी.टी.सी. और टोरेन्ट दिनांक 02.08.2005	कम्पनी और पी.टी.सी दिनांक 16.01.2007	वर्ष 1 से 5–100 मेगावाट वर्ष 6 से 10–75 मेगावाट वर्ष 11 से 15–50 मेगावाट वर्ष 16 से 25–25 मेगावाट	वर्ष 1 से 12–₹ 0.05/किलोवाट घंटा वर्ष 13 से 25–₹ 0.10/किलोवाट घंटा
2	600 मेगावाट कोयला आधारित तापीय विद्युत केन्द्र	पी.टी.सी. और धीरू पावरजेन दिनांक 30.08.2006	कम्पनी और पी.टी.सी दिनांक 21.09.2006	वर्ष 1 से 25–300 मेगावाट	वर्ष 1 से 12–₹ 0.05/किलोवाट घंटा वर्ष 13 से 25–₹ 0.10/किलोवाट घंटा
3	1200 मेगावाट का लैको अमरकंटक का कोयला आधारित तापीय विद्युत केन्द्र	पी.टी.सी. और लैको दिनांक 11.05.2005	कम्पनी / मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंण्डल तथा पी.टी.सी. दिनांक 30.05.2005	वर्ष 1 से 25–300 मेगावाट	वर्ष 1 से 12–₹ 0.05/किलोवाट घंटा वर्ष 13 से 25–₹ 0.10/किलोवाट घंटा
4	382.5 मेगावाट का यूनौसुजैन विद्युत परियोजना (गैस आधारित)	पी.टी.सी. और टोरेन्ट दिनांक 04.04.2002	कम्पनी और पी.टी.सी. दिनांक 23.04.2012	वर्ष 1 से 25–35 मेगावाट	वर्ष 1 से 12–₹ 0.05/किलोवाट घंटा वर्ष 13 से 25–₹ 0.10/किलोवाट घंटा

परिशिष्ट–2.1.8

पी.टी.सी. के ट्रेडिंग मार्जिन के भुगतान के कारण परिहार्य व्यय दर्शाता विवरण पत्र

(कंडिका 2.1.14.1 से संदर्भित)

क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक हानि (₹)	संभावित हानि (₹)
1	**टोरेन्ट पावर जनरेशन लिमिटेड (सुजैन विद्युत परियोजना)** **अनुबंधित क्षमता** **(क) प्रथम 5 वर्ष – 100 मेगावाट** (i) मानक आपूर्ति =100 मेगावाट x0.97x0.85=82.45 मेगावाट (ii) विद्युत आपूर्ति मार्च 2011 से प्रारंभ हुई । (iii) मार्च 2011 में मार्च 2013 की अवधि के दौरान आपूर्ति की गयी कुल विद्युत = 980406900 किलोवाट घंटा (iv) मार्च 2011 से मार्च 2013 के दौरान भुगतान किया गया पी.टी.सी. ट्रेडिंग मार्जिन =980406.9 मेगावाट घंटाx1000x0.05 (v) 2 वर्ष 9 माह की शेष समयवधि =1000 दिन (vi) शेष समयावधि के लिए पी.टी.सी. ट्रडिंग मार्जिन (₹0. 05/किलोवाट घंटा की दर से) =82.45 मेगावाटx24x1000x1000 दिन x ₹0.05 **(ख)** अगले 6 से 10 वर्ष – 75 मेगावाट (i) मानक आपूति=75 मेगावाटx0.97x0.85=61.8375 मेगावाट (ii) 5 वर्ष की समयावृधि =1825 दिन (iii) शेष समयावधि हेतु पी.टी.सी. ट्रेडिंग मार्जिन (₹0. 05/किलोवाट घंटा की दर से) = 61.8375 मेगावाटx24x1825x₹0.05 **(ग)** अगले 11 से 15 वर्ष–50 मेगावाट (i) मानक आपूति=50 मेगावाट X 0.97 X 0.85 = 41.225 मेगावाट (ii) 2 वर्षो की समयावधि =730 दिन (iii) 2 वर्षो की समयावधि हेतु पी.टी.सी. का ट्रेडिंग मर्जिन (₹0.05/किलोवाट घंटा की दर से)=41.255 मेगावाट x24 x1000 x730 दिन x ₹0.05 (iv) 3 वर्षो की समयावधि =1095 दिन (v) 3 वर्षो के समयावधि हेतु पी.टी.सी का टेडिंग मार्जिन (₹0.10/किलोवाट घंटा की दर से) =41.225 मेगावाट x24 x1000 x 1095 दिन x ₹0.10 **(घ)** अगले 16 से 25 वर्ष–25 मेगावाट (i) मानक आपूर्ति=25 मेगावाट x0.97x0.85 =20.6125 मेगावाट (ii) 10 वर्षो के समयावधि =3650दिन (iii)10 वर्षो की समयावधि हेतु पी.टी.सी का टेडिंग मार्जिन (₹0.10/किलोवाट घंटा की दर से) =20.6125 मेगावाट x24 x1000x3650 दिन x₹0.10	49020345	98940000 135424125 36113100 108339300 180565500

	योग (1)	**49020345**	**559382025**
2	धीरू पावरजोन प्राईवेट लिमिटेड अनुबंधित क्षमता –300 मेगावाट मानक आपूर्ति–300 मेगावाट x0.915x0.85 =233.325 मेगावाट 25 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि हेतु पी.टी.सी. का भावी ट्रेडिंग मार्जिनः– (क) प्रथम 12 वर्ष (₹0.05 किलोवाट घंटा की दर से)= 233.325 मेगावाट x24x1000x4380 दिन x ₹0.05 किलोवाट घंटा (ख) बाकी 13 वर्ष (₹0.10 किलोवाट घंटा की दर से) =233.325 मेगावाट x24x1000x4745 दिन x ₹0.10 किलोवाट घंटा		1226356200 2657105100
	योग (2)		**3883461300**
3	टोरेन्ट पावर लिमिटेड (यूनोसुजैन विधुत परियोजना) अनुबंधित क्षमता –35 मेगावाट मानक आपूर्ति–35 मेगावाट x0.97x 0.85 =28.8575 मेगावाट 25 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि हेतु पी.टी.सी. का भावी ट्रेडिंग मार्जिनः– (क) प्रथम 12 वर्ष (₹0.05 किलोवाट घंटा की दर से) = 28.8575 मेगावाट x24x1000x4380 दिन x₹0.05 किलोवाट घंटा (ख) बाकी 13 वर्ष (₹0.10 किलोवाट घंटा की दर से) = 28.8575 मेगावाट x24x1000x4745 दिन x₹0.10 किलोवाट घंटा		151675020 328629210
	योग (3)		**480304230**
4	लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड अनुबंधित क्षमता –300 मेगावाट मानक आपूर्ति–300 मेगावाट x0.915x0.85 =233.325 मेगावाट (i) विद्युत आपूर्ति दिसम्बर 2012 से प्रारंभ हुई । (ii) दिसम्बर 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान आपूर्ति की गयी कुल विद्युत =1053019.5 मेगावाट घंटा (iii) पी.टी.सी. को भुगतान किया गया टेडिंग मार्जिन (दिसम्बर 2012 में मई 2013 के दौरान =1053019.5 मेगावाट घंटा x1000x₹0.05 किलोवाट घंटा (iv) शेष अवधि के लिए पी.टी.सी. का टेडिंग मार्जिनः– (क) प्रथम 12 वर्ष (₹0.05 किलोवाट घंटा की दर से) = 233. 325x24x24x1000x4195 दिन x₹0.05 किलोवाट घंटा (ख) बाकी 13 वर्ष की अवधि (₹0.10 किलोवाट घंटा की दर से) = 233.325 मेगावाटx24x1000x4745 दिन x ₹0.10	52650975	1174558050 2657105100
	योग (4)	**52650975**	**3831663150**
	सकल योग (3): (1 + 2 + 3 + 4)	**101671320**	**8754810705**
		₹ 10.17 करोड़	**₹ 875.48 करोड़**

परिशिष्ट–2.1.9

निष्क्रिय क्षमता प्रभार को दर्शाता विवरण पत्र (बीना)

(कंडिका 2.1.15.1 से संदर्भित)

माह	अनुबंधित क्षमता (किलोवाट घंटा में)	वास्तविक आपूर्ति (किलोवाट घंटा में)	कम क्षमता की मांग के कारण कम आपूर्ति (किलोवाट घंटा में)	भुगतान किया क्षमता प्रभार (₹)	निष्क्रिय क्षमता प्रभार (अनुबंधित क्षमता की कम आपूर्ति से अनुपात में) (₹)
1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**	**6 (4x5/2)**
फरवरी–13	84916800	55312410	29604390	193972546	67624297
मार्च–13	94031520	29348000	64683520	197258189	135692308
अप्रैल–13	90998400	31611250	59387150	207254380	135257839
मई–13	94031520	82859500	11172020	212638941	25263938
				योग	**363838382**

₹ 36.38 करोड.

परिशिष्ट–2.1.10

अप्रैल 2012 से जून 2013 के दौरान स्वतंत्र विघुत उत्पादको पर व्यय किए विलम्ब भुगतान अधिभार को दर्शाता विवरण पत्र

(कंडिका 2.1.16.4 से संदर्भित)

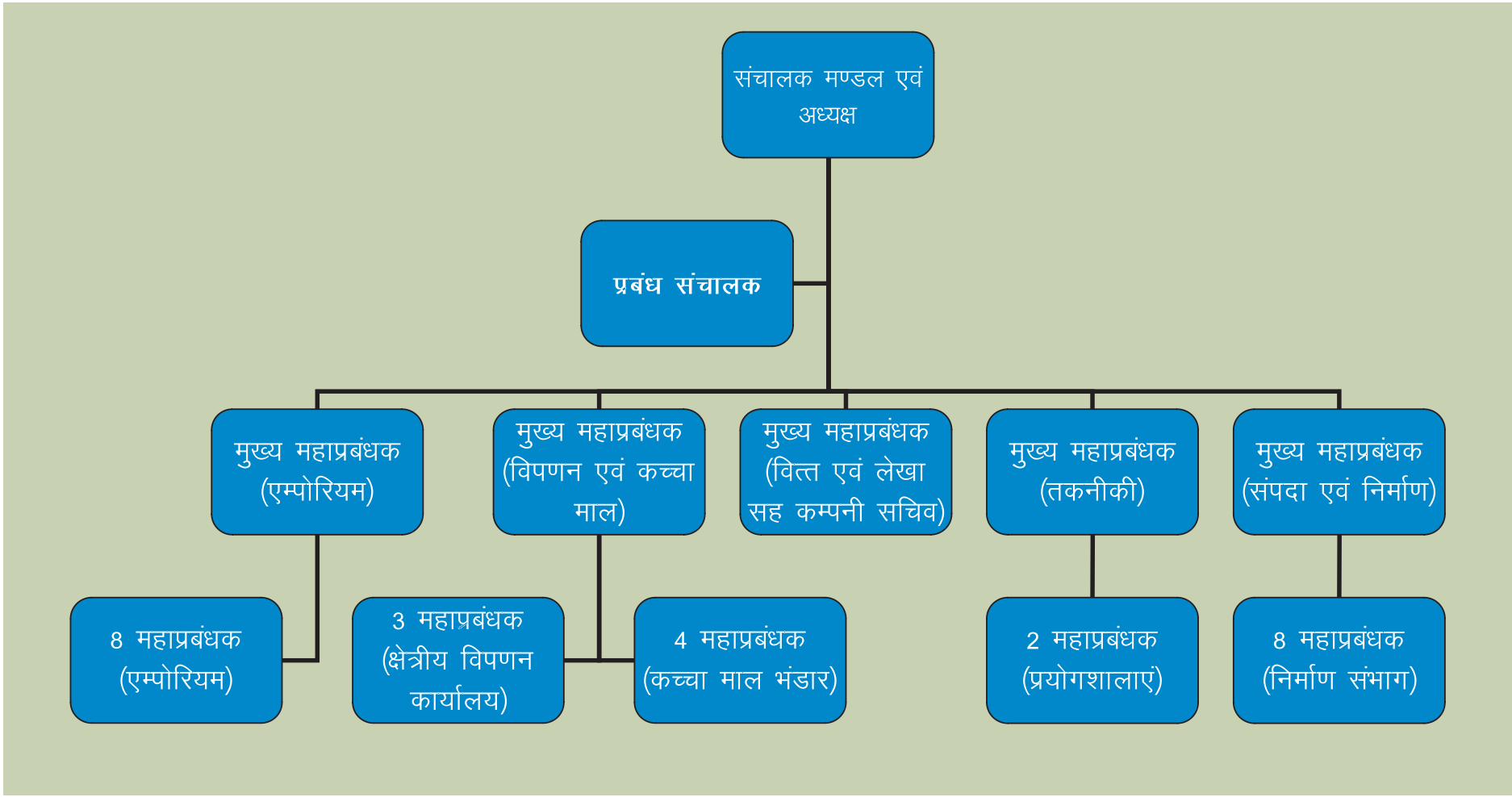
क्रम संख्या	पार्टी का नाम	भुगतान की गयी कुल राशि (₹)	व्यय किया गया कुल विलम्ब भुगतान अधिभार (₹)
1	आस्था इन्नोवेशन प्राईवेट लिमिटेड	1,39,69,241	7,86,123
2	सेपको इंडस्ट्रीज	16,42,12,220	76,26,721
3	गिरीराज इंटरप्राइज	14,47,96,714	76,78,947
4	आई.एल.एण्ड एफ.एस विंड पावर लिमिटेड, मुम्बई	25,20,78,354	95,17,758
5	के.एस.ऑयल, मुरैना	12,92,15,756	77,62,468
6	रूचि सोया	47,12,71,598	1,95,54,059
7	रूचि इन्फ्रा	2,84,52,831	11,64,764
8	नकोडा	3,79,62,162	15,24,784
9	सांवारिया	3,83,10,627	19,11,528
10	राजाराम	51,90,532	2,66,819
11	यशोदया	3,59,48,512	23,34,233
12	एम.पी. विंड फार्मस	18,79,737	91,127
	योग	**1,32,32,88,284**	**6,02,19,331**

टीप: 1. विलम्ब भुगतान अधिभार की गणना, देय तिथि से भुगतान तिथि/चेक तिथि की अवधि के लिए की गयी ।

2. विलम्ब भुगतान अधिभार की गणना एस.बी.आई. के बेंचमार्क प्रधान उधारी दर से 2 प्रतिशत/5 प्रतिशत अधिक बढ़ाई हुई दर से (विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तो के अनुसार) की गयी है ।

3. एम.बी.आई का बेंचमार्क प्रधान उधारी दर अप्रैल 2012 से 14.75% प्रभावी तथा अक्टूबर 2012 से 14.50% प्रभावी थी ।

परिशिष्ट – 2.2.1
कम्पनी का संगठात्मक चार्ट
(कंडिका 2.2.1 में संदर्भित)



परिशिष्ट – 2.2.2
समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(कंडिका क्र. 2.2.7, 2.2.11, 2.2.12 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	व्यापार				
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	**विपणन**					
	लक्ष्य	489.25	671.20	456.00	500.00	522.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	667.15	453.16	505.30	461.42	529.60
	उपलब्धियों का प्रतिशत	136.36	67.51	110.81	92.28	101.45
2	**संपदा एवं निर्माण संभाग**					
	लक्ष्य	46.25	98.00	110.00	118.00	118.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	37.32	108.49	117.63	118.38	105.89
	उपलब्धियों का प्रतिशत	80.69	110.70	106.94	100.32	89.74
3	**एम्पोरियम**					
	लक्ष्य	23.29	40.00	50.00	80.00	119.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	28.23	42.89	79.28	102.98	112.64
	उपलब्धियों का प्रतिशत	121.21	107.22	158.56	128.73	94.65
4	**कच्चा माल भंडार**					
	लक्ष्य	246.77	233.10	205.00	239.00	240.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	253.87	206.98	201.52	168.69	192.74
	उपलब्धियों का प्रतिशत	102.88	88.79	98.30	70.58	80.31
5	**व्यापार विकास सेल (कोयला)**					
	लक्ष्य	70.00	50.00	68.00	95.00	113.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	68.94	67.66	92.89	108.32	134.94
	उपलब्धियों का प्रतिशत	98.49	135.32	136.60	114.02	119.42
6	**प्रयोगशालाएं**					
	लक्ष्य	0.78	0.75	0.80	0.95	1.00
	वास्तविक उपलब्धियाँ	0.52	0.68	0.81	0.84	1.03
	उपलब्धियों का प्रतिशत	67.00	90.05	101.25	88.42	103.00

परिशिष्ट – 2.2.3

विभिन्न सिविल कार्यो के निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका क्र. 2.2.10.2 में संदर्भित)

विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावना	पाई गई अनियमितताएँ
कलेक्टर कार्यालय सीहोर	***कलेक्टर कार्यालय सीहोर के आंतरिक साज–सज्जा का कार्य***	कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अनुरूप के अधार पर नवीन कलेक्टर कार्यालय सीहोर के आंतरिक साज–सज्जा का प्रशासनिक अनुमोदन ₹ 100.24 लाख (जून 2011) में प्रदान किया गया था आंकलन मार्च 2011 के आधार पर एवं कार्य के निष्पादन हेतु ₹ 100.24 लाख भी जमा कराये गये थे। (जुलाई 2011)	हमने पाया कि कलेक्टर सीहोर द्वारा अनुमान के विरूद्व राशि संपूर्ण कार्यालय भवन की आंतरिक साज–सज्जा हेतु एकल रूप से जमा कराई गई थी लेकिन कंपनी द्वारा इन्हें अलग–अलग 10 टुकड़ो में बांट कर तथा प्रत्येक कार्य को अलग–अलग एक कार्य मानकर निविदाओं का अंतिमिकरण किया गया, ताकि उच्चाधिकारियों की स्वीकृति एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं ई–निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके। कार्य की अनुमानित लागत को कम आंकलित किया गया था तथा बाद में पी.ए.सी. चार प्रकरणों में 141 प्रतिशत से लेकर 308 प्रतिशत तक पुनरीक्षित की गई थी।
	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, जबलपुर का निर्माण कार्य	आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल, जबलपुर के निर्माण कार्य हेतु, म. प्र. शासन आयुष विभाग द्वारा कंपनी को निर्माण एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था (जुलाई 2011)। उपरोक्त नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा कार्य का प्रथम स्तर अनुमान ₹ 481.54 लाख	हमने पाया कि कंपनी द्वारा कार्य के छोटे–छोटे टुकडे कर कमेटी रूम (पी.ए.सी. ₹ 4.95 लाख) और स्टाफ रूम (पी.ए.सी. ₹ 4.95 लाख) के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। कंपनी द्वारा उसी ठेकेदार को दो कार्यादेश दिनांक 12.03.2012 को जारी किए गए जिनकी पी.ए.सी. रू. 4.95 लाख से अधिक थी। ठेकेदार के निवेदन पर दोनो कार्य हेतु जारी किए गये

विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावना	पाई गई अनियमितताएँ
		को कमीशनर इंडियन मेडिकल एवं होम्योपैथिक भोपाल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था (नवम्बर 2011)। प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं अस्पताल, जबलपुर द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन ₹ 80.00 लाख का दिया गया (नवम्बर 2011) तथा राशि ₹ 45.00 विमुक्त भी किए गए (नवम्बर 2011) ।	कार्यादेशों को दिनांक 16.03.2012 को रू. 15.45 लाख पर पुनरीक्षित किया गया (कुल पी.ए.सी. ₹. 30.90 लाख)। ऐसा करना अतिरिक्त कार्य को अनियमित रूप से देने के रूप में उजागर हुआ।
	जय प्रकाश अस्पताल, भोपाल में आंतरिक साज–सज्जा एवं नवीनीकरण का कार्य	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म. प्र. शासन द्वारा जय प्रकाश अस्पताल भवन भोपाल के आधुनिकरण एवं नवीनीकरण हेतु ₹ 3.5 9 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (नवम्बर 2010) में जारी किया गया था जो कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रथम स्तर के अनुमानित लागत (अगस्त 2010) पर था। इसके पश्चात् अस्पताल प्रशासन द्वारा एन.आर.एच.एम. योजना के अंतर्गत ₹ 73. 00 लाख (भुगतान (₹ 48.00 लाख एन आर एच एम के अंतर्गत)	कार्यपालन अभियंता, संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा सितम्बर 2010 में कंपनी को निर्देशित किया गया था कि सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन हेतु मास्टर प्लान, विस्तृत प्राक्कलन एवं कार्य योजना तैयार की जाये, लेकिन कम्पनी द्वारा इसे नहीं बनाया गया। हमने पाया कि कंपनी द्वारा कार्यो के 22 टुकडे कर दिये गये थे, जिसमें आपरेशन थियेटर का नवीनीकरण (₹110.00 लाख), प्राईवेट वार्ड का निर्माण (₹24.50 लाख) एवं 20 अन्य कार्य समाहित थे, जिनकी पी.ए.सी. ₹4.50 लाख से लेकर ₹ 4.99 लाख के बीच थी एवं कम्पनी द्वारा विभिन्न फर्मो/ठेकेदारों के पक्ष में निविदा आमंत्रण (फरवरी 2011) सूचना के अनुसार

विभाग का नाम	विषय	प्रस्तावना	पाई गई अनियमितताएँ
		स्वीकृत किए गए । तत्पश्चात् अलग से किचिन कार्य के जीर्णोद्वार हेतु ₹ 9.80 लाख का भुगतान भी किया गया (जनवरी 2011)। अतः इन कार्यो हेतु कम्पनी को कुल ₹ 4.16 करोड़ प्राप्त हुए। संपूर्ण कार्यो में वार्ड रूम, प्राईवेट रूम, माडुलर किचन, पार्किंग शेड, आपरेशन थियेटर का नवीनीकरण, लेबर रूम, छत की वाटर प्रूफिंग एवं अन्य मरम्मत एवं निर्माण कार्य निर्धारित किया गया था । कंपनी द्वारा कार्य फरवरी 2011 से सितम्बर 2012 के बीच लिए गये तथा संपूर्ण कार्य राशि रू. 3.59 करोड़ हेतु कार्यपूर्णता प्रतिवेदन पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 38.55 लाख को जोड़कर प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2012) ।	(एन.आई.टी.) कार्यादेश जारी किए गये। आपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य हेतु मे. एम.के.एम. ऐशोसिएट, भोपाल के पक्ष में कार्यादेश (₹ 1.10 करोड़) जारी किया गया (फरवरी 2011)। फर्म को सूचित किया गया (फरवरी 2012) कि अस्पताल प्रशासन के मौखिक अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त कार्यो का निष्पादन किया जाना था एवं पी. ए.सी. 1.10 करोड़ से बढ़कर 1.70 करोड़ कर दी जानी थी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य महाप्रबंधक (संपदा एवं निर्माण) ने पी. ए.सी. ₹ 1.70 करोड़ तक बढ़ा दी। आगे पाया कि उपरोक्त 20 कार्यो में से 8 कार्यो की नमूना जांच में पी.ए.सी. ₹ 39.25 लाख से ₹136.03 लाख तक बढ़ा दी गई थी जो कि 150 से 443 प्रतिशत के बीच थी। कंपनी द्वारा इन कार्यो के निष्पादन पर ₹ 447.99 लाख खर्च किए गये। अतः कम्पनी के द्वारा ₹ 73.59 लाख निक्षेप कार्यो पर अधिक व्यय कर दिये गये।

परिशिष्ट 2.2.4

एम्पोरियमों में रखे गये अधिक स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका क्र. 2.2.11 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

वर्ष	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
एम्पोरियम, इन्दौर	विक्रय	42.22	53.83	80.74	109.56	94.23
	अंतिम स्कंध	18.54	24.82	26.14	28.72	30.02
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	5.27	5.53	3.88	3.15	3.82
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	43.91	46.11	32.38	26.21	31.86
एम्पोरियम, जबलपुर	विक्रय	29.77	29.75	21.17	41.40	43.04
	अंतिम स्कंध	16.77	16.13	16.03	31.10	30.90
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	6.76	6.50	9.11	9.01	8.60
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	56.33	54.22	75.72	75.12	71.79
एम्पोरियम, ग्वालियर	विक्रय	29.32	37.10	38.97	45.41	34.58
	अंतिम स्कंध	16.98	24.10	32.46	21.33	33.01
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	6.96	7.80	9.99	5.64	11.46
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	57.91	64.96	83.29	46.97	95.46
एम्पोरियम, भोपाल	विक्रय	282.24	346.69	420.82	371.81	396.25
	अंतिम स्कंध	39.93	39.29	48.33	48.74	72.20
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	1.70	1.36	1.38	1.57	2.19
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	14.15	11.33	11.48	13.11	18.22
	विक्रय	16.79	21.61	21.54	25.75	28.93
	अंतिम स्कंध	14.45	16.78	18.22	31.77	42.72

एम्पोरियम, रीवा	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	10.32	9.32	10.12	14.78	17.72
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	86.06	77.65	84.59	123.38	147.67
एम्पोरियम, दिल्ली	विक्रय	136.73	145.13	247.03	318.11	300.56
	अंतिम स्कंध	175.01	162.71	198.30	242.67	299.86
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	15.36	13.46	9.63	9.15	11.97
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	128.00	112.11	80.27	76.28	99.77
मृगनयनी एम्पोरियम, कोलकाता	विक्रय	174.33	250.72	418.28	506.25	597.20
	अंतिम स्कंध	65.61	67.89	104.57	119.46	177.12
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	4.52	3.25	3.00	2.83	3.56
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	37.63	27.08	25.00	23.60	29.66
एम्पोरियम, अवन्ति कोलकाता	विक्रय	40.81	58.28	79.59	88.38	128.40
	अंतिम स्कंध	23.32	36.96	48.22	56.97	86.19
	मासिक विक्रय के परिप्रेक्ष्य में स्कंध	6.86	7.60	7.27	7.74	8.05
	अंतिम स्कंध का विक्रय से प्रतिशत	57.14	63.42	60.58	64.46	67.13

परिशिष्ट 2.2.5
कम्पनी की वित्तीय स्थिति वर्ष 2008–09 से 2012–13
(कंडिका क्र. 2.2.15 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (प्रावधिक)	2012–13
दायित्व					
(अ) अंशपूंजी					कम्पनी के पास प्रावधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
i. राज्य सरकार	2.68	2.68	2.68	2.68	
ii. केन्द्र सरकार	0.15	0.15	0.15	0.15	
कुल	2.83	2.83	2.83	2.83	
(ब) निधियां एवं आधिक्य					
i. स्वंत्रत संचय एवं आधिक्य	43.00	53.68	62.58	73.05	
iii. पूंजीगत संचय	0.32	0.32	0.32	0.52	
कुल	43.32	54.00	62.90	73.57	
(स) उधारीयाँ	---	---	---	---	
(द) चालू दायित्व एवं प्रावधान	151.93	153.82	194.06	156.61	
(च) गैर चालू दायित्व	---	---	---	59.34	
कुल	**198.08**	**210.65**	**259.80**	**292.35**	
संपत्तियाँ					
विवरण					
(छ) सकल (ब्लाक) परिसंपत्तियाँ	11.11	12.83	16.86	9.91	
(ज) *मूल्य : ह्रास*	6.04	6.28	7.52	1.35	
(झ) शुद्व (ब्लाक) परिसंपत्तियाँ	5.07	6.55	9.34	8.46	
(ण) प्रगति में पूंजीगत कार्य	---	---	---	---	
(ट) विनियोजन	0.73	0.75	0.76	0.77	
चल सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम	192.28	203.35	249.70	283.12	
कुल	**198.08**	**210.65**	**259.80**	**292.35**	
नियोजित पूंजी *	46.15	56.83	65.73	76.40	
ब्याज भुगतान	---	---	---	0.11	
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	13.18	13.94	11.62	13.76	
नियोजित पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल	28.56	24.53	17.68	18.01	
शुद्व मूल्य (अ(i) + ब (ii))	**46.15**	**56.83**	**65.74**	**76.40**	

* नियोजित पूँजी – अंशधारियों का कोष (+) दीर्घकालीन ऋण

परिशिष्ट – 2.2.6
वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक कंपनी की कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका क्र. 2.2.15 में संदर्भित)

(₹करोड़ में)

विवरण	वर्ष				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय					कम्पनी के पास प्रावधिक आकड़े उपलब्ध नहीं है।
(अ) टर्नओवर					
(अ) i विक्रय					
कच्चा माल डिपो	71.38	52.54	44.43	64.19	
एम्पोरियम	15.18	19.47	27.83	30.99	
मुख्यालय	38.30	65.56	84.79	98.73	
इकाईयों के मध्य स्थानांतरण	(1.32)	---	---	---	
(अ) ii पर्यवेक्षण शुल्क	5.85	8.98	9.53	9.27	
(अ) iii सेवा कमीशन	22.53	16.86	19.36	19.87	
(अ) कुल टर्न ओवर	**151.92**	**163.40**	**185.95**	**223.05**	
(ब) अंतिम स्कंध	6.82	5.77	7.61	7.65	
(स) विविध आय	1.75	1.25	1.84	1.90	
(द) सावधिक जमा पर ब्याज	8.24	12.17	10.35	15.59	
कुल आय	**168.73**	**182.59**	**205.75**	**248.19**	
व्यय					
(अ) क्रय प्रारंभिक स्कंध को जोड़कर	123.94	136.29	154.63	190.11	
(ब) प्रत्यक्ष व्यय	1.16	0.98	2.00	---	
(स) कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान	15.01	17.53	16.36	21.09	
(द) प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	5.57	4.78	7.07	11.68	
(च) विक्रय एवं वितरण व्यय	1.91	2.09	1.80	---	
(छ) ह्रास	0.77	0.75	1.27	1.35	
कुल व्यय	**148.36**	**162.42**	**183.14**	**224.23**	
लाभ/हानि कर के पूर्व	20.37	20.17	22.61	23.96	
लाभ/हानि (सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज छोड़कर)	12.13	8.00	12.26	8.37	
कर एवं अस्थगित कर प्रावधान	(6.96)	(6.14)	(7.56)	(10.20)	
समायोजन के पूर्व लाभ	(0.23)	(0.09)	(3.43)	---	
कर के बाद लाभ/हानि	13.18	13.94	11.62	13.76	
सामान्य संचय के लिए प्रावधान	1.32	1.39	1.16	1.37	
लाभांश	2.63	2.79	2.32	2.75	
लाभांश कर	0.45	0.47	0.39	0.46	
संचय एवं आधिक्य को स्थानांतरित शुद्व लाभ	8.78	9.29	7.75	9.18	

परिशिष्ट–2.3.1

मांगपत्र प्राप्ति दिनांक से निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका क्र. सं. 2.3.7.1 में संदर्भित)

(लिया गया समय दिनों में)

क्र. स.	विवरण	मांग पत्र की प्राप्ति दिनांक से एन.आई.टी. प्रकाशन में लिया समय	मांग पत्र की प्राप्ति दिनांक से क्रय आदेश देने में लगा कुल समय
(पूर्वानुमानित वार्षिक आवश्यकता) (ए.ए.आर.)			
1	मिल्स बियरिंग	177	333
2	आक्सिलेयरी बियरिंग	246	510
3	क्नवेयर बेल्टस	133	334
4	केमिकल/रेसिन्स	101	278
5	पावर केबल्स	93	340
6	हाई प्रेशर बायलर ट्यूब्स	38	238
7	ई. आर. डब्ल्यू. पाईप्स	112	313
नियमित क्रय			
1	ग्राइन्डिग बाल्स	160	360
2	ग्राइन्डिग बाल्स	120	210
3	ट्रांसफार्मर ऑयल	40	245
4	हाई प्रेशर फिनेड ट्यूब	117	279
5	स्टील पाइप	96	285
6	बियरिंग मिल्स को छोड़कर	155	441
7	ऐश स्लूरी पाईप्स	109	312
8	एयर हीटर ट्यूब	30	210

नोट : i) 141 क्रयआदेशों में से समीक्षीत
i) सुपुर्दगी अवधि को छोड़कर कुल उपयोग दिवस

परिशिष्ट–2.3.2

निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन और क्रय आदेश देने में लगे वास्तविक समय दर्शाने वाला विवरण पत्र

(कंडिका सं. 2.3.7.1 में संदर्भित)

क्र. स.	विवरण	एन.आई.टी. के प्रकाशन में लिया गया समय (दिनों में)	क्रय आदेश देने में लगा कुल समय (दिनों में)	क्रय आदेश देने के दिनांक से सुपुर्दगी अवधि
पूर्वनुमानित वार्षिक आवश्यकता (एएआर)				
1	मिल्स बियरिंग	177	333	3 माह
2	आक्सिलेयरी बियरिंग	246	510	8 माह
3	क्नवेयर बेल्टस	133	334	4 माह
4	पावर केबल्स	93	340	3 माह
5	हाई प्रेशर बायलर ट्यूब्स	38	238	6 माह
6	ई. आर. डब्ल्यू. पाईप	112	313	4 माह
नियमित क्रय				
1	ग्राइन्डिग बाल्स	160	360	-
2	बियरिंग मिल्स	155	441	-

परिशिष्ट – 2.3.3

तापीय संयंत्र स्टोर्स पर उपलब्ध निष्क्रिय, धीमी और अगतिमान सामग्री/पुर्जो को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका क्र. 2.3.8.2 में संदर्भित)

क्र. स.	सामग्री की प्रकृति	01.04.2010 में प्रारंभिक स्टाक	वर्ष 2010–13 के दौरान क्रय	वर्ष 2010–13 के दौरान उपयोग	अंतिम स्कंध 31.03.2013		लेखापरीक्षा अवलोकन
					संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	
1	गेट वाल्व कम्पलीट एसेम्बली	शून्य	10 नग	शून्य	10 नग	10.51	10 नग 8 इंच व 6 इंच नाइफ गेट वाल्व अपने प्राप्ति दिनांक से लेकर 3 वर्ष तक बिना प्रयोग के रखा हुआ है। (बिरसिंगपुर)
2	वेक्यूम पम्प स्पेयर	शून्य	5 नग	शून्य	5 नग	25.48	मुख्य व अन्य वक्कुम पंप पुर्जे 2 1/2 वर्ष से अधिक समय से बिना उपयोग के रखे हुए है।
3	आई.डी. फेन्स	1 नग	1 नग	1 नग	1 नग	13.42	एक आवश्यक आई.डी. फैन का सेट होने के बावजूद, प्रबंधन ने अतिरिक्त एक और आई.डी. फैन क्रय (अगस्त 2010), किया जो बिना उपयोग किये रखा हुआ है। (सारणी)
4	वीक बेस एनिओन रेनिस (7130486253704)	शून्य	4000 ली.	शून्य	4000 ली.	10.16	इकाई प्रबंधन एक लीटर डब्ल्यू. सी. ए. आर./डब्ल्यू. ए.सी.आर. का उपभोग करने में असफल रहा तथा इसकी 18 माह की गारंटी अवधि समाप्त हो गई। (बिरसिंगपुर)
5	वीक एसिड काशन रेनिस (7130486253604)	शून्य	5000 ली.	शून्य	5000 ली.		
6	ई.आर.डब्ल्यू. पाईप्स (7130641488402)	4231 मी.	9952.46 मी.	11623.46 मी.	2551 मी.	84.36	औसत उपयोग 617 मीटर/माह जबकि स्टाक 6 माह का रखा गया है। (बिरसिंगपुर)
7	ई.आर.डब्ल्यू. पाईप्स (7130641724602)	3898 मी.	17224.10 मी.	10794.10 मी.	10328	341.00	औसत खपत 432 मीटर/माह, जबकि सामग्री 24 माह की रखी थी।
8	ई.आर.एस. स्टील टयूबस (0321401001901)	10600 नग	17400 नग	20000 नग	8000 नग	89.00	बी.एम.डी.–II के गलत निर्धारण के कारण 8000 नग ए.आर.डब्ल्यू.एस. टूल्स का अधिक क्रय। (बिरसिंगपुर)
9	जनरल बियरिंग (लोअर एण्ड अपर)	6 नग	18 नग	3 नग	21 नग	35.90	18 नग बियरिंग क्रय किये गये जिनमें से 1 (निचला) व 2 (उपरी) वियरिंग उपयोग किये गये और बाकी 21 नग स्टोर में रखे हुए है।
10	रेडियल बियरिंग लोअर–अपर	शून्य	8 नग	शून्य	8 नग	21.47	बॉयल मरम्मत प्रभाग के द्वारा खरीदे गये ये सभी कोल मिल बियरिंग प्राप्ति की तारीख से, बिना उपयोग किये रखे हुए है। (अप्रैल, 2010), (बिरसिंगपुर)
11	टेपर रोलर बियरिंग	शून्य	4 नग	शून्य	4 नग	20.18	
12	रेडियल रोलर बियरिंग–अपर	शून्य	4 नग	शून्य	4 नग	13.90	
13	सीमलेस स्टील टयूब (0042406772802)	1018.73 मी.	शून्य	244.70 मी.	774.03 मी.	15.28	सिर्फ 244.70 मीटर एस.एस.टी. खपत है। (चेचाई)
14	सीमलेस स्टील टयूब (0042404760102)	111.70 मी.	499.46 मी.	शून्य	611.16 मी.	5.60	प्रबंधन ने अतिरिक्त मात्रा 499.46 मीटर क्रय (2012–13) किया जबकि अभी तक कुछ भी जारी नहीं हुआ है। चेचाई)
15	सीमलेस स्टील टयूब	462.55 मी.	शून्य	शून्य	462.55 मी.	12.10	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)

	(0322300180902)						
16	सीमलेस स्टील टयूब (0322300110202)	1464.40 मी.	शून्य	शून्य	1464.40 मी.	12.89	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)
17	सीमलेस स्टील टयूब (0322300104902)	111.00 मी.	1385.98	100 मी.	1396.98 मी.	10.11	100 मीटर खपत के विपरीत प्रबंधन ने 1385.98 मीटर एस.एस.टी. क्रय किया। (बिरसिंगपुर)
18	सीमलेस स्टील टयूब (0522406766502)	635.00 मी.	शून्य	शून्य	635.00 मी.	12.33	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (सारणी)
19	अलाय स्टील टयूब (9160486338402)	925.00 मी.	शून्य	शून्य	925.00 मी.	18.92	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)
20	अलाय स्टील टयूब (9160486975502)	1089.91 मी.	403.78 मी.	50 मी.	1443.69 मी.	17.80	50 मीटर खपत के विपरीत प्रबंधन ने 403.78 मीटर ए.एस.टी. क्रय किया। (बिरसिंगपुर)
21	अलाय स्टील टयूब (0322300152002)	884.72 मी.	शून्य	शून्य	884.72 मी.	10.77	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)
22	अलाय स्टील टयूब (9160486228202)	495.65 मी.	शून्य	शून्य	495.65 मी.	6.22	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)
23	अलाय स्टील टयूब (0322300112602)	1458.50 मी.	शून्य	शून्य	1458.50 मी.	14.76	पिछले तीन वर्षो (2010–13) के दौरान कोई खपत नहीं हुई (बिरसिंगपुर)
24	अलाय स्टील टयूब (9160473380602)	1678.56 मी.	499.96 मी.	78.00 मी.	2100.00 मी.	20.40	1678 मीटर का स्टाक होने के बावजूद कम्पनी ने 500 मीटर और क्रय किया तथा सिर्फ 78 मीटर खपत हुआ और परिणाम स्वरूप 2100 मीटर ए.एस.टी. रखा हुआ है। (सारणी)
25	अलाय स्टील टयूब (9160473380702)	875.31 मी.	1002.62 मी.	352.31 मी.	1525.62 मी.	12.84	वास्तविक खपत का निर्धारण किये बिना बड़ी मात्रा में खरीदी से अनावश्यक सामग्री एकत्रित होती है। (सारणी)
26	अलाय स्टील टयूब (9160473380402)	5303.25 मी.	499.73 मी.	98.00 मी.	5704.98 मी.	36.77	ए.एस.टी. के 98.00 मीटर खपत के विपरीत प्रबंधन ने 499.73 मीटर क्रय किया। (सारणी)
27	अन्य पुर्जे	-	-	-		35.58	निम्न सामग्री 2004–2009 के दौरान खरीदे गये और बिना उपयोग के रखे हुए थे जैसे बैलेसिंग पिस्टन (रू. 1.50 लाख), इनपुट पिनियन (रू. 2.38 लाख), ट्रस्ट बियरिंग सिगमेंट (रू. 2.46 लाख), सेट आफ बियरिंग (रू. 12.23 लाख), थ्रोटाईल बुश (रू. 1.19 लाख), रोटर एसेम्बली (रू. 15.81 लाख), (सारणी)
28	अन्य पुर्जे	-	-	-		67.58	निम्न सामग्रियां 1997–2008 के दौरान क्रय की गई जो बिना उपयोग किये रखे हुए थे। जैसे (मेजर स्पेयर लाईक आर.एच. होरिझेन्टल (रू. 39.42 लाख), पायलेट वेल्व फार डाया–80 (रू. 1. 35 लाख), कम्प्यूटर माडल ए.वी.जी.–2 (रू. 7.47 लाख), फ्यूजिंग और एडोपशन (रू. 1.91 लाख), पावर सप्लाई 24, 15 और 10 (रू. 2.35 लाख), वाल्व स्पिनडल (रू. 8.00 लाख), कंट्रोल को आर्टीनेटर मॉडुल एफके–II (₹ 7.08 लाख) । (बिरसिंगपुर)

नोटः - अचलीत सामग्रियों का मूल्य रू. 3.01 करोड़ निम्न क्रम संख्या के अनुसार 1,4,5,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27 & 28

परिशिष्ट 2.3.4
60 दिनों से अधिक द्वितीयक तेल रखाव का आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका सं. 2.3.8.4 में संदर्भित)

क्र. स.	स्टोर का नाम	2010–11				2011–12				2012–13			
		एफ.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य (₹ करोड में)	एल.डी.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य (₹ करोड में)	एफ.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य (₹ करोड में)	एल.डी.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य (₹ करोड में)	एफ.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य ₹ करोड में)	एल.डी.ओ. (कि. ली. में)	मूल्य (₹ करोड में)
1	कार्यकारी अभियंता स्टोर–I एस.टी.पी.एस., सारणी	-	-	-	-	-	-	-	-	2351 (47)	10.93	-	-
2	कार्यकारी अभियंता स्टोर–I एस.जी.टी.पी., बिरसिंगपुर	448 (20)	1.36	653 (48)	2.76	434 (16)	1.86	555 (41)	3.10	597 (27)	2.58	716 (59)	4.35
3	कार्यकारी अभियंता स्टोर–I ए.टी.पी.एस. चेचाई	2445 (240)	7.20	1016 (321)	4.26	2177 (252)	9.62	837 (246)	4.83	1780 (151)	7.89	795 (156)	4.93

नोट : i) कोष्टक वाले आंकडे दिनों में है तथा द्वितीयक तेल में 60 दिनों से आधिक्य स्टाक को दिखाते है।

ii) वार्षिक औसत उपयोग व अंतिम शेष दोनो को लेते हुए रखी गई आधिक्य सामग्री की गणना की गई है।

iii) 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से रखाव लागत वर्ष 2010–11, 2011–12, व 2012–13 के लिए क्रमशः ₹1.40 करोड़ (₹1.36+₹7.20+₹2.76+₹4.26 = ₹ 15.58 करोड़), ₹1.75 करोड़ (₹1.86+₹9.62+₹3.10+₹4.83 = ₹19.41 करोड़), ₹2.76 करोड़ (₹10.93+₹2.58+₹7.89+₹4.35+₹4.93 = ₹30.68 करोड़),

परिशिष्ट 2.3.5

स्थल पर सामग्री जो प्रतिस्थापना के बाद न तो स्टोर को सौंपा गया और न ही पुर्जा या अवशेष के रूप में दिखाया गया दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका सं. 2.3.9.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	प्रतिस्थापित सामग्री	प्रतिस्थापना की अवधि	टिप्पणीयाँ
1	सी. एच. पी. (एम–1) बीरसिंगपुर	विभिन्न आकार के वियरिंग (149 नग)	अक्टूबर 2009 और मार्च 2013	अवशेष व सौंपा नहीं गया
2	सी. एच. पी. (एम–1) एस.जी.टी.पी. एस. बीरसिंगपुर	रोलर/आईडल 2662 नग (इम्पेक्ट रोलर–69 नग, वापिस रोलर–756 नग एवं केरिंग रोलर–1837 नग)	सितम्बर 2011 और मार्च 2013	इस सामग्री का वापसी पत्रक 27 सितम्बर 2011 के बनाया गया
3	सी. एच. पी. (एम–1) इलेक्ट्रिकल एस.जी.टी.पी.एस. बीरसिंगपुर	4 नग डी.सी. ड्राइव सिस्टम फार स्लीव आपरेशन (कम्पलीट असेंबली)	सितम्बर 2010 और दिसम्बर 2011	अवशेष व सौंपा नहीं गया
4	बी.एम.डी. (1 x 210 एम.डब्ल्यू.), एस. ई./एम.एम./III, ए.टी.पी.एस. चचाई	6 नग ग्रिडिंग रोल और एक जोड़ी ट्रेपेड रोलर बियरिंग (एच. एच. 249910)	जुलाई 2009 एवं मई 2012 एवं जनवरी 2013	अवशेष व सौंपा नहीं गया
5	टी.एम.डी. (1 x 210 एम.डब्ल्यू.), एस. ई./एम.एम./III, ए.टी.पी.एस. चचाई	बियरिंग नं. 29444 (2 नग), हाइड्रोजन सील रिंग (2 नग), ओवर रनिंग क्लच (1 नग), एलपीबीपी सीवी कोन (1 नग), एचपी बाइपास वाल्व स्टीम (1 नग), एन. डी.ई. जनरल बियरिंग बी.एफ.पी. (1 नग), कूलिंग टावर ब्लेड एवं हब (1 नग)	मई 2010 से फरवरी 2013	अवशेष व सौंपा नहीं गया
6	सी. एच. पी. (एम–1) इलेक्ट्रिकल एस.जी.टी.पी.एस. बीरसिंगपुर	विभिन्न क्षमताओं वाले मोटर 15 नग (5.5 के. डब्ल्यू. से 450 के. डब्ल्यू.)	जून 2004 से जुलाई 2011	यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे अप्रैल 2004 और अप्रैल 2008 के बीच 15 नग में से 14 नग बदले गये मोटर अब तक कार्यशील दशा में कहा जा रहा है।
7	बी.एम.डी.-III (1 x 500 एम.डब्ल्यू.), एस.ई./एम.एम./III, एस.जी.टी.पी. एस. बिरसिंगपुर	गियर बाक्स ऑफ आर.सी.एफ. पूर्ण (1 नग), जूनियर शाफ्ट बियरिंग (अपर) (07 नग), जूनियर शाफ्ट बियरिंग (लोअर) (06 नग), जूनियर शाफ्ट एसली (12 नग)	नवम्बर 2008 से फरवरी 2013	पुनः उपयोग के लिए आवश्यक बताया गया परन्तु इसे न तो लेखा में लिया गया और न ही पुर्जो के रूप में दिखाया गया।

8	टी.एम.डी.-III (1 x 500 एम.डब्ल्यू.), एस.ई./एम.एम./III, एस.जी.टी.पी. एस. बिरसिंगपुर	पिस्टन (डी.बी. 213) (01 नग), स्लीव डी.आर.आर.–6862 (02 नग), ग्लैड प्लेट (पी. टी.एन. 12) (01 नग), मेक सील एन.डी.ई. फार बी.एफ.पी. (01 नग), अर्थ फिल्टर (12 नग), सी.आर.एच.व्ही.–8 (01 नग), लाइनर (1000/5000) (03 नग), बियरिंग जूनियर (डी.बी.–313) (01 नग)	मई 2011 से मार्च 2013	अर्थ फिल्टर (12 नग) जो स्टोर को पास सौंप दिया को छोड़कर अन्य सामग्रियों के सम्बन्ध में पुनः उपयोग हेतु कहा गया।
9	बी.एम.डी.-I (2x210एम.डब्ल्यू.), एस. जी.टी.पी.एस. बिरसिंगपुर	रिलिफ गेट (19 नग), शाफ्ट रोलर बियरिंग 22322 (23 नग), टेपर रोलर बियरिंग 98400 (23 नग), टेपर रोलर बियरिंग 82680 (15 नग), शाफ्ट रोलर बियरिंग 23132 (13 नग), टेपर रोलर बियरिंग (04 नग), थोरट प्लेट सिगिनेंट (13 नग),	अगस्त 2007 से अप्रैल 2013	ये सामग्रियाँ बिना मरम्मत के रखी हुई थी और जिनका पुनः उपयोग सुधारने के बाद किया जायेगा।
10	टी.एम.डी.-I (2x210 एम. डब्ल्यू), एस.जी. टी.पी.एस. बिरसिंगपुर	गियर पम्प एसेम्बली (4 नग), एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स (286 नग), पम्प शाफ्ट (03 नग), सी.आई.गेट वी/वी साईज 100 एच.बी. (14 नग), ग्लोब वेल्व 1.5 (800 क्लास) (10 नग), ग्लोब वेल्व-I (800 क्लास) (11 नग), कार्बन रिंग (दुर्ग), बी.आई.पी. (6 नग), विन्टन ओ रिंग (पी.टी. क्र. पी.) (11 नग),स्लीवस पैकिंग (7 नग), कार्बन सील रिंग (5 नग)	अक्टूबर 2005 से मई 2013	भविष्य के जरूरत के लिए पुर्जे के रूप में रखा गया।
11	बी.एम.डी. (1 x 210 एम. डब्ल्यू), एस.ई./एम.एम./III ए.टी.पी.एस. चचाई	ग्राइंडिग रोल–लाक नट (04 नग), जनरल हेड एसेम्बली (02 नग), लेबरिन्थ सील बाल मिल (02 सेट), एम.पी.आ. मुलती पोर्ट आउटलेट (08 नग)	दिसम्बर 2009 से जुलाई 2012	बिना मरम्मत के रखा हुआ है तथा मरम्मत के बाद पुनः उपयोग किया जायेगा।
12	टी.एम.डी. (1 x 210 एम. डब्ल्यू), एस.ई./एम.एम./III ए.टी.पी.एस. चचाई	गियर बाक्स सी.टी. (1 नग) व बियरिंग न. 7 (1 नग)	मई 2012 से जुलाई 2012	भविष्य के जरूरत के लिए पुर्जे के रूप में रखा गया।
13	टी.एम.डी. (2 x120 एम. डब्ल्यू), ए.टी.पी. .एस. चचाई	थ्रोट रिंग सेट (03 नग), हाई पेनमेटिक लेंडिंग (36 नग), स्टेप सेट (यू. बोल्ट) (28 नग), साइलेंट बी.आर.जी. बुश (एल.यू.ए.), (44 नग), स्पायरल बैरल सेट 0040303827901 (05 नग), एअर हीटर टयूब साईज 63x2.34 (13317 नग)	अप्रैल 2009 से मार्च 2012	भविष्य के जरूरत के लिए पुर्जे के रूप में रखा गया।

परिशिष्ट 2.4.1

अप्रैल 2009 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान पी पी पी मॉडल के तहत बी.ओ.टी. और बी.ओ.टी (टोल प्लस वार्षिकी) पर पूर्ण किये गये परियोजना राजमार्ग

(कंडिका क्र. सं. 2.4.1में संदर्भित)

अ. बी.ओ.टी. (टोल)

स. क.	सड़क का नाम	सड़को की लम्बाई कि. मी. मे	संपादन का वर्ष	प्राक्कालन लागत ₹ करोडो मे	शासन से सहायता या वी.जी.एफ. ₹ करोडो मे	शासन से प्राप्त सहायता का प्राक्कालन लागत पर प्रतिशत	कन्शेसन अवधि वर्षो में
01	मंदसौर–सीतामउ	44.00	2009-10	42.34	9.90	23.38	25
02	भोपाल–देवास	140.79	2010-11	640.00	81.00	12.66	25
03	चॉदपुर–बड़वानी	99.13	2010-11	144.00	24.11	16.74	25
04	इन्दौर–उज्जैन	48.85	2010-11	298.00	-	-	25
05	भिन्ड–गोपालपुर	50.86	2011-12	82.06	31.17	37.98	25
06	मटकुली–छिन्दवाड़ा	112.00	2011-12	213.25	38.70	18.15	25
07	लेबड़–जावरा	125.00	2011-12	682.51	-	-	25
08	बीना–मलथान	39.42	2011-12	67.30	26.27	39.03	25
09	लेबड़–मानपुर	34.30	2011-12	200.10	-	-	25
10	जावरा–नयागॉव	127.81	2011-12	730.00	-	-	25
11	सागर–दमोह	68.81	2012-13	130.25	44.28	34.00	25
12	महु–घटाबिल्लौद	27.00	2012-13	177.27	-	-	23
13	उज्जैन–उनहेल–नागदा–द्यिनौदा	95.225	2012-13	189.29	-	-	20
	योग	**1013.195**	**2009-13**	**3596.37**	**255.43**		

(स्त्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारीयो पर आधारित)

ब. बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी)

स. क.	सड़क का नाम	सड़को की लम्बाई कि. मी. मे	संपादन का वर्ष	प्राक्कालन लागत ₹ करोडो मे	एन्युटी के रूप में शासन से प्राप्त सहायता ₹ करोडो मे	कुल शासन से प्राप्त सहायता ₹ करोडो मे	कन्शेसन अवधि वर्षो में
01	बड़वानी–सेंधवा	56.887	2012-13	103.99	4.97	129.22	15
02	सरदारपुर–बदनावर	43.00	2012-13	84.00	4.71	122.46	15
03	मंदसौर–प्रतापगढ़	11.53	2012-13	19.45	1.17	30.42	15
	योग	**111.417**	**03**	**207.44**	**10.85**		

(स्त्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारीयो पर आधारित)

परिशिष्ट 2.4.2

चल रही बी.ओ.टी. (टोल) परियोजनाओ के तहत चयनित परियोजना राजमार्ग

(कंडिका क्र. सं. 2.4.3 में संदर्भित)

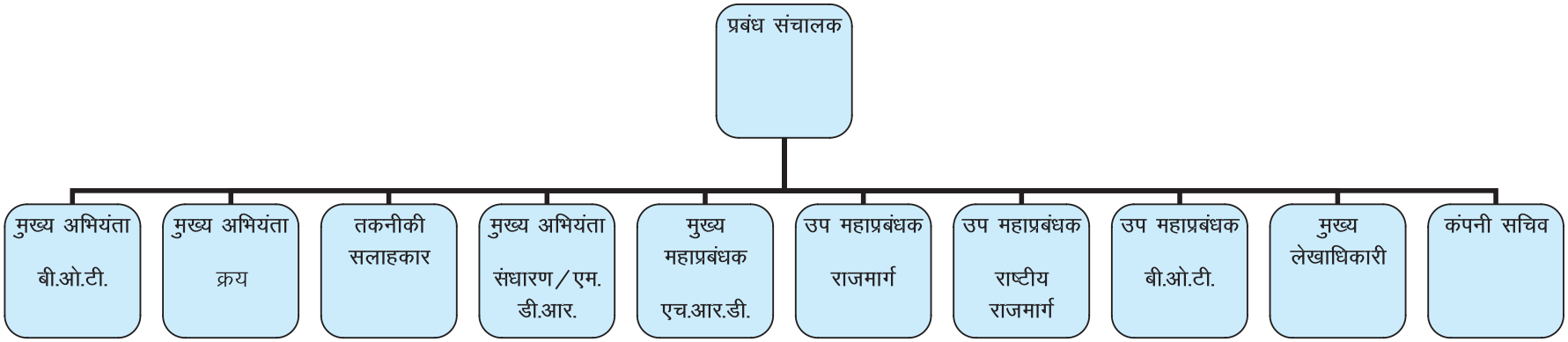
स. क.	सड़क का नाम	सड़को की लम्बाई कि. मी. मे	संपादन का वर्ष / कार्य की स्थिति	प्राक्कालन लागत ₹ करोडो मे	शासन से सहायता या वी. जी.एफ. ₹करोडो मे	शासन से प्राप्त सहायता का प्राक्कालन लागत पर प्रतिशत	कन्शेसन अवधि वर्षो में
01	सतना–चित्रकूट	74.13	जारी है	121.78	47.43	38.95	25
02	बीना–खुरवई–सिरोंज	56.10	जारी है	91.72	-	00.00	25
03	दमोह–जबलपुर	98.90	जारी है	212.13	82.71	38.99	25
	योग	**229.13**		**425.63**	**130.14**		

(स्त्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारियो पर आधारित)

परिशिष्ट 2.4.3

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का संगठन चार्ट

(कंडिका क्र. सं. 2.4.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट 2.4.4
समीक्षा अवधि में परियोजना राजमार्गो का निष्पादन
(कंडिका क्र. सं. 2.4.6 में संदर्भित)

अ. बी.ओ.टी. (टोल) कार्यो के अंतगर्त लिये गये परियोजना राजमार्ग

स.क.	सड़क का नाम	सड़को की लम्बाई कि. मी. मे	रियायत समझौते की तारीख	वित्तीय उपलब्धता की शियडल तारीख	वित्तीय उपलब्धता की वास्तविक तारीख	दिनो में देरी	सी.ओ.डी. प्राप्त करने की शियडल तारीख	सी.ओ.डी. प्राप्त करने की वास्तविक तारीख	दिनो में देरी
01	मंदसौर–सीतामउ	44	10.07.2007	06.01.2008	27.11.2007	समय पर	26.11.2009	05.02.2009	समय पर
02	भोपाल–देवास	140.79	30.06.2007	27.12.2007	20.03.2008	समय पर	19.09.2010	30.04.2010	समय पर
03	चॉदपुर–बड़वानी	99.13	30.06.2007	26.12.2007	29.03.2008	94	28.09.2009	01.10.2010	369
	देरी के प्रमुख कारण: वित्तीय उपलब्धता में देरी (94 दिन), आर.ओ.डब्लू से जुडी समस्याये और क्षेत्र की जनता से विवाद								
04	इंन्दौर–उज्जैन	48.85	17.09.2008	16.03.2009	25.05.2009	70	25.05.2011	19.11.2010	समय पर
05	भिन्ड–गोपालपुर	50.86	07.08.2009	03.02.2010	25.05.2010	111	24.05.2012	29.03.2011	समय पर
06	मटकुली–छिन्दवाड़ा	112	30.06.2007	26.12.2007	29.03.2008	94	28.03.2009	15.04.2011	564
	देरी के प्रमुख कारण: वित्तीय उपलब्धता में देरी (94 दिन), आर.ओ.डब्लू से जुडी समस्याये और क्षेत्र की जनता से विवाद								
07	लेबड़–जावरा	125	30.08.2007	25.02.2008	19.03.2008	24	15.02.2010	04.06.2011	474
	देरी के प्रमुख कारण: वित्तीय उपलब्धता में देरी (24 दिन) और आर.ओ.डब्लू से जुडी समस्याये								
08	बीना–मलथान	39.42	07.08.2009	03.02.2010	25.05.2010	111	24.05.2012	21.12.2011	समय पर
09	लेबड़–मानपुर	34.30	04.05.2010	31.10.2010	27.10.2010	समय पर	26.10.2012	30.11.2011	समय पर
10	जावरा–नयागॉव	127.81	20.08.2007	15.02.2008	20.11.2008	279	20.02.2011	17.02.2012	362
	देरी के प्रमुख कारण: वित्तीय उपलब्धता में देरी (279 दिन) और आर.ओ.डब्लू से जुडी समस्याये								
11	सागर–दमोह	68.81	07.08.2009	03.02.2010	25.05.2010	111	24.05.2012	05.12.2011	समय पर
12	मउ–घटाबिल्लौद	27.00	07.09.2011	07.03.2012	02.03.2012	समय पर	01.03.2014	30.12.2012	समय पर
13	उज्जैन–उनहेल–नागदा–द्यिनौदा	95.225	06.05.2010	02.11.2010	13.01.2011	73	11.01.2013	19.03.2013	67
	देरी के प्रमुख कारण: वित्तीय उपलब्धता में देरी (73 दिन), आर.ओ.डब्लू से जुडी समस्याये और नागदा क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण से जुडी समस्याये								

ब. बी.ओ.टी. (टोल) कार्यो के अंतगर्त लिये गये परियोजना राजमार्ग

स. क.	सड़क का नाम	सड़को की लम्बाई कि. मी. मे	रियायत समझौते की तारीख	वित्तीय उपलब्धता की शेडयूल तारीख	वित्तीय उपलब्धता की वास्तविक तारीख	दिनो में देरी	सी.ओ.डी. प्राप्त करने की शेडयूल तारीख	सी.ओ.डी. प्राप्त करने की वास्तविक तारीख	दिनो में देरी
01	बड़वानी–सेंधवा	56.89	13.04.2011	13.10.2011	04.10.2011	समय पर	03.10.2013	03.07.2012	समय पर
02	सरदारपुर–बदनावर	43.00	29.06.2011	29.01.2012	16.12.2011	समय पर	15.12.2013	09.06.2012	समय पर
03	मंदसौर–प्रतापगढ़	11.53	16.03.2011	16.09.2011	05.09.2011	समय पर	04.09.2013	18.06.2012	समय पर

(स्त्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारीयो पर आधारित)

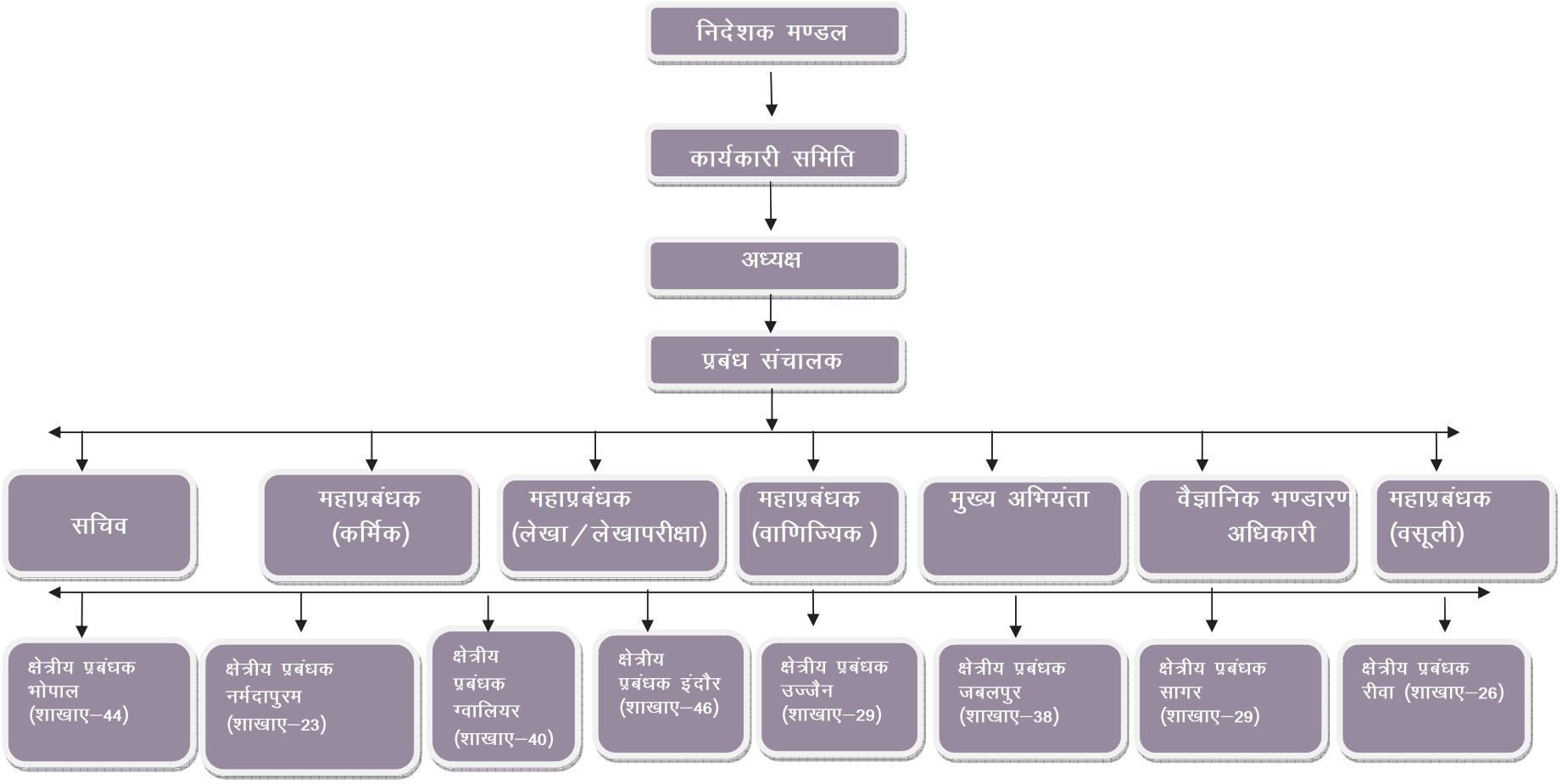
परिशिष्ट 2.4.5
टोल दरो के निर्धारण में त्रुटि के कारण कन्शेसनायर को अनपेक्षित लाभ की गणना
(कंडिका क्र. सं. 2.4.6.6 में संदर्भित)

स.क.	परियोजना राजमार्ग का नाम/वर्ष	वाहन का प्रकार	वर्ष 2011 के दौरान गुजरने वाले वाहनो की संख्या				वर्ष 2012 के दौरान गुजरने वाले वाहनो की संख्या								योग	अतिरिक्त टोल प्रति वाहन (₹करोड में)[1]	कुल अतिरिक्त टोल की राशि (₹ करोड में)
			सितंम्बर 2011	अक्टूबर 2011	नम्बर 2011	दिसम्बर 2011	जनवरी 2012	फरवरी 2012	मार्च 2012	अप्रैल 2012	मई 2012	जून 2012	जुलाई 2012	अगस्त 2012			
1	लेबड़–मानपुर	बस	0	0					793	414	564	486	472	436	3165	5	15825
		मल्टी एक्सल वाहन	0	0					258190	65346	62138	59012	61455	64923	571064	5	2855320
2	सागर–दमोह	मल्टी एक्सल वाहन				5502	6728	7367	8025	7679	6990	6178			48469	5	242345
3	बीना–मलथान	ट्रक				346	825	762	793	774	868	644	575	388	5975	5	29875
		मल्टी एक्सल वाहन				505	1532	1649	1698	2137	2217	2368	2167	2180	16453	5	82265
4	भिन्ड–गोपालपुर	मल्टी एक्सल वाहन	2708	4998	5877	6943	7235	9051	8877	8148	13646	19375	9798	6755	103411	5	517055
			कुल योग														**3742685**

[1]

स.क.	परियोजना राजमार्ग का नाम	वाहन का प्रकार	मासिक डब्लू पी आई के अनुसार टोल का नियतन (निकटतम पॉच में)	वार्षिक डब्लू पी आई के अनुसार टोल का नियतन (निकटतम पॉच में)	अंतर
1	लेबड़–मानपुर	बस	80	75	5
		मल्टी एक्सल वाहन	190	185	5
2	सागर–दमोह	मल्टी एक्सल वाहन	105	100	5
3	बीना–मलथान	ट्रक	205	200	5
		मल्टी एक्सल वाहन	210	205	5
4	भिंड–मिहोना –गोपालपुर	मल्टी एक्सल वाहन	280	275	5

परिशिष्ट–3.1
निगम का संगठनात्मक ढ़ाचा
(कंडिका 3.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट–3.2
पारंपरिक गोदामों एवं प्री–इंजीनियरिंग गोदामो का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका 3.12 में संदर्भित)

पारंपरिक गोदाम

स. क्र.	कनवर्टीवत्त केप (जिसे गोदाम में परिवर्तित किया जाना था)	भण्डारण क्षमता (मेट्रक टन में)	निर्माण पूर्ण होने की नियत दिनांक	निर्माण पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक	कनवर्टीवल केप के गोदाम में परिवर्तन में देरी[1] (महीनो में)	भण्डारण दर की हानि रूपये 25 प्रति टन के हिसाब से (₹ 49– ₹24)	कुल हानि (भण्डारण क्षमता X भण्डार दर की हानि X देरी)
1	सीहोर	20000	22.07.11	15.03.12	16	25	80,00,000
2	सुल्तानपुर, हरदा	16000	13.07.10	28.02.11	29	25	1,16,00,000
3	सुल्तानपुर, हरदा	34000	04.04.10	31.03.12	16	25	1,36,00,000
4	सुल्तानपुर, हरदा	20000	26.07.11	15.04.12	15	25	75,00,000
5	पवारखेड़ा	10000	17.05.11	30.10.11	21	25	52,50,000
6	सिवनी	25000	22.05.12	18.12.12	7	25	43,75,000
7	पवारखेड़ा B (इटारसी)	20000	15.07.10	15.06.11	25	25	1,25,00,000
	कुल						**6,28,25,000**

प्री–इंजीनियरिंग गोदाम

सरल क्रमांक	स्थान	भण्डारण क्षमता	निर्माण पूर्ण होने की नियत दिनांक	10 फीट तक का कार्य समाप्त होने की वास्तविक दिनांक	छत बनाने में देरी[2] (महीनो में)	भण्डारण दर की हानि रूपये 25 प्रति टन के हिसाब से (रू. 49–रू.24)	कुल हानि (भण्डारण क्षमता X भण्डार दर की हानि X देरी)
1	सनावद	3600	18.06.2010	11.09.2010	34	25	30,60,000
2	सिहोरा रोड़	1800	11.12.2009	21.08.2010	35	25	15,75,000
3	कटनी	5400	11.12.2009	12.11.2010	32	25	43,20,000
4	बालाघाट	5400	08.01.2010	02.09.2010	35	25	47,25,000
5	सिंगरौली	5400	11.02.2011	30.07.2011	24	25	32,40,000
6	सिवनी	5400	09.01.2010	28.02.2011	29	25	39,15,000
7	बैरछा	3600	02.10.2010	03.01.2012	19	25	17,10,000
8	मक्सी	3600	02.10.2010	03.01.2012	19	25	17,10,000
9	करौद	4000	25.02.2010	अप्रैल 2012	15	25	15,00,000
	कुल						**2,57,55,000**
	कुल						**8,85,80,000**

[1] निर्माण की वास्तविक दिनांक से 31 जुलाई 2013 तक
[2] 31 जुलाई 2013 तक निर्माण में देरी

परिशिष्ट–3.3
निर्माण कार्यों में कम दण्ड राशि काटने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका 3.13 में संदर्भित)

(*राशि ₹ में*)

क्र.	*निर्माण कार्य का नाम*	*ठेकेदार का नाम*	*कार्य आदेश जारी करने की दिनांक*	*अनुबंध की राशि*	*कार्य समाप्ति की नियत दिनांक*	*आवंटित समय (महीनो में)*	*कार्य समाप्ति की वास्तविक दिनांक*	*देरी (दिनो में)*	*काटी गई दण्ड राशि*	*क्षमता (मेट्रिक टन में)*	*वास्तविक दण्ड राशि जो काटी जानी थी*	*दण्ड राशि जो कम काटी गई*
1	*करोद में प्री–इंजीनियरिंग गोदाम*	*संतोष सोनी, अशोकनगर*	6420/11.11.2009 (*लेआउट दिनांक* 26.11.09)	62,01,367	25.02.2010	*3 महीने*	*02 दिसम्बर 2013 तक समाप्त नही*	638	161293	4000	353256.44	191963.44
2	*सनावद में प्री–इंजीनियरिंग गोदाम*	*मैसर्स लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन*	9502/19.03.2010 (*लेआउट दिनांक* 26.03.10)	1,35,82,175	03.07.2010	*3 महीने*	11.09.2010	68	54508	3600	82463.21	27955.21
3	*आलोट, बेरछा, मक्सी में प्री–इंजीनियरिंग गोदाम*	*संतोष सोनी, अशोकनगर*	1888/dated 18.06.2010 (*लेआउट दिनांक:- मक्सी* 15.07.2010, *बैरछा* 16.07.2010)	1,69,32,195	02.10.2010	*3 महीने*	03.01.2012	451	145138	*आलोट* - 1800, *बेरछा* - 3600, *मक्सी* - 3600	681823.21	536685.21
4	*बमोरी (रायसेन) में कनवर्टीवल कैप*	*देवेन्द्र प्रसाद बोहरे जबलपुर*	147/08.04.2011	2,55,45,000	22.07.2011	*3 महीने*	30.08.12	405	0	20000	923725.45	923725.45
5	*सीहोर में कनवर्टीवल कैप*	*एस.एस. गोयल*	145/08.04.11	2,91,48,000	22.07.2011	*3 महीने*	15.03.2012	237	103075	20000	616792.50	513717.50

6	सुल्तानपुर (हरदा) में कनवर्टीवल कैप	ज्योति कन्स्ट्रक्शन हरदा	6193/24.01.2012 (लेआउट दिनांक 24.01.2012)	1,97,12,105	08.08.2012	6 महीने	20.03.13 तक निर्माणाधीन	195	96240	10000	343201.83	246961.83
7	सुल्तानपुर (हरदा) में कनवर्टीवल कैप	मैसर्स अमृत लाल जैन हरदा	1098/14.05.10	1,80,49,920	13.07.2010	45 दिन	28.02.2011	231	167606	16000	372279.60	204673.60
8	सुल्तानपुर (हरदा) में कनवर्टीवल कैप	मैसर्स अमृत लाल जैन हरदा	7665/20.12.2010	3,90,59,788	04.04.2011	3 महीने	31.03.2012	361	457448	34000	1258980.67	801532.67
9	सुल्तानपुर (हरदा) में कनवर्टीवल कैप	मैसर्स अमृत लाल जैन हरदा	200/11.04.2011	2,97,79,403	26.07.2011	3 महीने	15.04.2012	263	53178	20000	699284.20	646106.20
10	पवारखेड़ा में कनवर्टीवल कैप	मैसर्स अमृत लाल जैन हरदा	06.12.10	14280400	17.05.11	3 महीने	30.10.11	182	195240	10000	232056.50	36816.50
11	मेघानगर में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन	5798/03.01.2012 (लेआउट दिनांक 26.11.09)	2,70,18,000	16.09.2012	8 महीने	31.01.13 तक निर्माणाधीन	139	62458	8000	335312.68	272854.68
12	रीवा में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स सिंह एसोसिएट्स	110/07.04.2010 (लेआउट दिनांक 17.04.10)	1,27,00,105	20.12.2010	8 महीने	31.07.12 तक निर्माणाधीन	588	165802	4500	666755.51	500953.51
13	श्योपुर में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स लक्ष्मीचंद कम्पनी	2609/5.08.2011 (लेआउट दिनांक 30.08.11)	4,14,69,161	17.04.2012	8 महीने	31.12.2012	259	87534	11900	747925.94	660391.94

14	आशोक नगर में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स सम्राट रोड डब्लपर्स	8055/25.02.08	1,28,91,364	08.11.2008	8 महीने	10.05.2010	550	0	3600	146178.86	146178.86
15	देवास में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन मुरैना	5217/24.09.09	85,73,620	06.04.2010	6 महीने	06.05.2010	30	0	3000	442460.03	442460.03
16	सिवनी में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स एस.एन. गोयल	1259/19.04.11	3,34,97,946	04.11.2011	6 महीने	20.10.12	350	351786	10800	1046810.81	695024.81
17	शिवपुरी में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स ए.पी. कन्स्ट्रक्शन मुरैना	1608/16.06.11	1,58,86,082	31.12.11	6 महीने	20.07.12	202	25000	5000	468072.06	443072.06
18	सिवनी में पारंपरिक गोदाम	शिवम इण्डस पावर सोल्यूशन	4842/18.11.11	1,77,15,148	01.08.2012	8 महीने	04.01.13 तक निर्माणाधीन	127	137609	4200	529872.73	392263.73
19	मुरैना में पारंपरिक गोदाम	मैसर्स शुक्ला कन्स्ट्रक्शन कंपनी केलारस	6740/19.01.2009	1,19,28,286	30.09.2009	8 महीने	30.04.2011	578	78812	3600	387669.30	308857.30
20	आष्ठा (सिहोर) में गोदाम	धारा सिंह पटेल, आष्टा	7861/02.03.2009	29,35,157	17.09.09	6 महीने	12.08.2010	330	30725	1000	86482.30	55757.30
21	मछेराकंला में कनवर्टीवल कैप एवं गोदाम	मैसर्स शिवम कन्स्ट्रक्शन नरसिंहपुर	6005/21.01.12	5,24,97,061	25.09.2012	8 महीने	30.08.13 तक निर्माणाधीन	335	70310	10000 (गोदाम) & 15000 (कनवर्टीवल कैप	1570224.59	1499914.59

22	बामोरी (रायसेन) कनवर्टीवल कैप से गोदाम निर्माण	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन	4469/08.11.2011 (लेआउट दिनांक 17.12.11)	4,10,07,070	02.06.2012	6 महीने	31.05.13 तक निर्माणाधीन	364	181000	20000	1332729.78	1151729.78
23	सिवनी में गोदाम (10800 मेट्रिक टन)	एस.एस. गोयल	20.04.2011	3,34,97,946	04.11.2011	6 महीने	अगस्त 2013 तक निर्माणाधीन	638	351786	10800 MT	1908186.57	1556400.57
									2976548.00		**15232544.75**	**12255996.75**

परिशिष्ट–3.4

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक हुये निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमिततायें को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 3.14 एवं 3.22 में संदर्भित)

क्र.	स्थान	क्षमता (मेट्रिक टन में) एवं निर्माण किये गये कैप का प्रकार	अनुबंध की राशि	ठेके की दर (एस. ओ.आर. के संदर्भ में)	कार्य आदेश जारी करने की दिनांक	नियत समय सीमा (महीने में)	वास्तविक समाप्ति की दिनांक	किये गये अतिरिक्त कार्य के संबंध में अनाधिकृत भुगतान	अनुमानित मूल्य के 10 से अधिक की अतिरिक्त मात्रा खपत	संतोषजनक गुणवत्ता रिपोर्ट का प्राप्त न किया जाना	नींव भराई में महंगी वस्तु उपयोग के कारण परिहार्य अतिरिक्त लागत	क्या स्वीकृत ड्राईग व डिजाइन एवं अनुमान उपलब्ध थें
1	सुल्तानपुर	34000	455.00	-14.14	29.01.2011	3 माह	31.03.2012	52.41	68.29	उपलब्ध नही	0.00	नही
	हरदा											
		कनवर्टीनल कैप										
2	सुल्तानपुर	20000	300.00	5.45	7.4.2011	3 माह	15.04.2012	34.50	86.22	उपलब्ध नही	0.00	नही
	हरदा											
		कनवर्टीनल कैप										
3	मुगलिया कोट	64800	108.00	निरंक	05.05.2012	1 माह	03.06.2012	0.00	0.00	उपलब्ध नही	0.00	नही
	भोपाल											
		अस्थाई कैप										
4	पवारकोड़ा	20000	319.00	-1.82	14.05.2010	45 दिन	31.03.2011	0.00	52.61	उपलब्ध नही	0.00	नही
	इटारसी											
		कनवर्टीनल कैप										
5	सीहोर	20000	300.00	-2.84	08.04.2011	3 माह	15.03.2012	59.67	52.77	उपलब्ध	0.00	नही

										नही		
		कनवर्टीनल कैप										
6	पवारकोड़ा	20000	319.00	-3.99	15.06.2010	45 दिन	15.06.2011	निरंक	49.51		52.18	हाँ
	इटारसी											
		कनवर्टीनल कैप										
7	बामोरी	20000	300.00	-14.00	08.04.2011	3 माह	30.8.2012	निरंक	31.92	उपलब्ध नही	0.00	हाँ
	रायसेन											
		कनवर्टीनल कैप										
8	पवारकोड़ा	10000	160.00	-11.11	02.02.2011	3 माह	30.10.2011	निरंक	37.10	उपलब्ध नही	19.02	हाँ
	इटारसी											
		कनवर्टीनल कैप										
9	उमरधा	20000	160.00	5.98	05.05.2011	1 माह	05.12.12 (समय विस्तारित)	35.06	निरंक	उपलब्ध नही	11.10	हाँ
	बनखेड़ी											
		अस्थाई कैप										
10	मछेराकला	25000	200.00	4.50	20.04.2011	2 माह	15.10.2011	34.18	0.00	उपलब्ध नही	8.75	हाँ
		अस्थाई कैप										
11	कुसमानिया	27000	138.34	-3.00	14.04.2012	45 दिन	30.08.2012	0.00	0.00		0.00	हाँ
	देवास											

		अस्थाई कैप										
12	केसला	10000	83.68	4.60	12.05.2011		30.11.2011	31.71	31.01		0.00	
	इटारसी	पक्का कैप										
13	खेड़ा हरदा	20000	150.47	2.99	23.02.2012		25.10.2012	निरंक	निरंक		0.00	
14	इच्छावर	10000	80.39	8.10	11.01.2012		25.07.2012	21.31	निरंक		0.00	
15	केसला इटारसी	10000	133.00	5.00	22.02.20		15.07.2013 (समय विस्तारित)	निरंक	निरंक		13.17	
16	इच्छावर	10000	82.40	3.10	18.05.2011		30.11.2011	0.00	15.07		0.00	
17	रेहटी	5000	39.45	-6.10	23.12.2011			6.42	निरंक		0.00	
18	खेड़ा हरदा	20000	133.45	-6.09	15.11.11			64.56	19.78		0.00	
19	डिण्डोरी	10000	84.57	-0.70	19.11.12		02.01.2013	39.33	13.39		0.00	
								379.15	**457.67**		**0.00**	

परिशिष्ट–3.5

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्दिष्ट भण्डार लाभ (एक प्रतिशत) प्राप्त ना होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 3.18 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र.	क्षेत्रिय कार्यालय	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	रीवा	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	5.24	27.19	5.75	10.16	-
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	2.03	15.39	12.83	6.47	-
2	नर्मदापुरम	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	9.69	39.88	2906.87 (2777.64)	351.48	1620.79 (89.86)
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	-	-	2.25	-	129.85
3	भोपाल	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	15.69	28.7	165.49 (9.36)	504.21 (380.37)	1281.28 (123.94)
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	9.98	3.65	20.78	4.43	38.67
4	ग्वालियर	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	21.43	46.51	12.75	53.62	814.49 (10.50)
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	47.74	14.58	6.8	34.26	90.25
5	सागर	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	14.19	30.84	4.23	62.13	278.98
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	10.53	-	-	11.67	-
6	उज्जैन	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	10.51	19.6	59.52	106.84	159.79
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई	3.29	10.05	56.98	209.91	141.08

		राशि					
7	जबलपुर	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	17.92	36.17	85.04	115.72	182.21
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	6.08	17.8	6.55	42.4	0
8	इंदौर	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	9.24	1.84	20.7	5.56	20.43
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	8.38	1.78	21.05	35.89	68.21
	कुल	एक प्रतिशत भण्डारण लाभ की मात्रा जो प्राप्त नही हुआ ।	**100.91**	**230.73**	**3260.35**	**1209.72**	**4347.97**
		म.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा काटी गई राशि	**88.03**	**63.25**	**127.24**	**345.03**	**468.06**

परिशिष्ट–3.6
वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में निगम की वित्तीय स्थिति, कार्यकारी परिणाम एवं परिचालन प्रदर्शन
(कंडिका 3.22 में संदर्भित)

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रमांक	*विवरण*	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
क	***दायित्व***					
	प्रदत्त पूंजी	1.50	1.50	1.50	1.50	8.06
		6.56	6.56	6.56	6.56	---
	भण्डार और अधिशेष	97.66	102.47	117.13	143.67	202.03
	ऋण (सरकार)					
	(अन्य)	3.31	4.75	5.05	1.78	85.27
	व्यापारिक देन दरिया एवं चालू दायित्व (प्रावधान सहित)	41.64	69.39	97.27	242.30	271.87
	कुल	**150.67**	**184.67**	**227.52**	**395.81**	**567.23**
ख	***परिसम्पत्तियां***					
	सकल ब्लाक	139.68	142.17	150.93	164.41	191.31
	(घटायें) : ह्रास	46.52	50.81	55.31	60.03	65.76
	कुल स्थाई परिसम्पत्तियां	93.16	91.36	95.62	104.38	125.55
	पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	5.45	8.79	17.02	32.56	50.88
	सकल डैड स्टाक	8.26	9.22	12.48	18.87	22.70
	(घटायें) : हास	6.45	7.19	8.67	13.28	16.05
	कुल डैड स्टाक	1.81	2.03	3.81	5.60	6.65
	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	50.25	82.48	111.06	253.27	384.16
	कुल	**150.67**	**184.67**	**227.52**	**395.81**	**567.23**
ग	***नियोजित पूंजी***	**109.03**	**115.28**	**130.24**	**153.51**	**295.37**

स्त्रोत :– संबंधित वर्ष के लिये निगम की वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे

परिशिष्ट–3.7

वर्ष 2012–13 तक के पांच वित्तीय वर्षो में निगम के कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 3.22 में संदर्भित)

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रमांक	*विवरण*	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	***आय***					
	क) भण्डारण प्रभार	46.34	61.63	89.65	107.37	157.64
	ख) अन्य आय	2.63	4.90	10.31	29.28	63.18
	कुल	**48.97**	**66.53**	**99.96**	**136.65**	**220.82**
2	***व्यय***					
	क) स्थापना व्यय	24.50	33.01	37.29	44.99	57.05
	ख) अन्य आय	**11.25**	10.37	16.30	43.05	82.91
	कुल	**35.75**	**43.38**	**53.59**	**88.04**	**139.96**
3	***कर, ह्रास एवं भू–प्रब्याजी पूर्व लाभ***	13.21	2.31	46.36	48.61	80.86
	ह्रास एवं भू–प्रब्याजी	4.84	5.03	6.10	9.43	8.47
	कर पूर्व लाभ	8.37	18.11	40.26	39.18	72.39
4	***कर प्रावधान***	3.39	6.62	13.30	9.88	19.28
5	***लाभांश वितरण के लिये उपलब्ध राशि***	4.99	11.49	26.96	29.30	53.11

स्त्रोत :– संबंधित वर्ष के लिये निगम की वार्षिक प्रतिवेदन

परिशिष्ट – 4.1
मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड को आवंटित किए गये कोल ब्लॉको की स्थिति
(कंडिका क्र. सं. 4.11.1 में संदर्भित)

स. क्र.	कोल ब्लॉक विवरण	अमेलिया	अमेलिय नार्थ	डोगंरी ताल–II	मण्डला साऊथ	सिमरिया / पिपरिया	मरकी बरका	बिचारपुर	मोरगा–IV	मोरगा–III	मोरगा-I
1	आवंटन की तिथि	12-01.2006	12-01.2006	02-08-.2006	25-07-2007	25-07-2007	25-07-2007	25-07-2007	25-07-2007	25-07-2007	02.08.2006
2	खान का प्रकार	खुली / भूमिगत	खुली / भूमिगत	खुली	भूमिगत	भूमिगत	भूमिगत	भूमिगत	भूमिगत	भूमिगत	खुली / भूमिगत
3	प्रयोजन	विद्युत परियोजना	विद्युत परियोजना	विद्युत परियोजना	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	विद्युत परियोजना
4	संयुक्त जोखिम साझेदार का नाम	सैनिक माईनिंग	जे. पी. एसोसिएट	जे. पी. एसोसिएट	जे. पी. एसोसिएट	जे. पी. एसोसिएट	ए.सी.सी. लिमिटेड	ए.सी.सी. लिमिटेड	ए.सी.सी. लिमिटेड	मोनेट इस्पात	निरंक
5	निविदा की तिथि एवं आधार	रूचि की अभिव्यक्ति 01.09.2003	निविदा आमंत्रण की सूचना 29.08.2005	रूचि की अभिव्यक्ति 21.01.2006	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	रूचि की अभिव्यक्ति 13.08.2008	-
6	संयुक्त जोखिम कम्पनी का नाम	एम.पी सैनिक माईनिंग प्रायवेट लिमिटेड	एम. पी. जे. पी. मिनरल्स लि.	एम. पी. जे. पी. कोल मिनरल्स लि.	एम. पी. जे. पी. कोल मिनरल्स लि.	एम. पी. ए.एम. आर. एल. (सिमरिया) कोल कम्पनी लिमिटेड	एम. पी. ए.एम. आर. एस. (मरकी बरका) कोल कम्पनी लिमिटेड	एम. पी. ए.एम. आर. एल. (बिचारपुर) कोल कम्पनी लिमिटेड	एम. पी. ए.एम. आर. एल. (मोरगा-IV) कोल कम्पनी लिमिटेड	एम. पी. मोनेट माइनिग (मोरगा-III) कम्पनी लिमिटेड	-
7	संयुक्त जोखिम अनुबंध की तिथि	22-06-2005 19.04.2011 (पुनरीक्षित)	27-01-2006	24-12-2008	20-06-2009	20-06-2009	20-06-2009	20-06-2009	20-06-2009	20-06-2009	-
8	फेसिलिटेशन शुल्क	अ से एफ जे. पी. कोल पर कोल के विक्रय मूल्य का 10% से 0. 30%	अ, ब स, कोल जे. पी. पर 35% डी एवं ई जेपियों पर 25% एफ एवं जी श्रेणियों पर 20% कोल के विक्रय समय पर	अ, ब स, कोल जे. पी. पर 35% डी एवं ई जेपियों पर 25% एफ एवं जी श्रेणियों पर 20% कोल के विक्रय समय पर	1400% कोल की रायल्टी की दर पर	2205% कोल की रायल्टी की दर पर	2255% कोल की रायल्टी की दर पर	1355% कोल की रायल्टी की दर पर	1655% कोल की रायल्टी की दर पर	860% कोल की रायल्टी की दर पर	-

स. क्र.	कोल ब्लॉक विवरण	अमेलिया	अमेलिय नार्थ	डोगंरी ताल–II	मण्डला साऊथ	सिमरिया/ पिपरिया	मरकी बरका	बिचारपुर	मोरगा–IV	मोरगा–III	मोरगा-I
9	कोल ब्लाक का क्षेत्र (हेक्टेयर)	1619	728.75	3009	658.88	500	700	500	600	600	1500
10	भूमिगत भण्डार (एम. टी.)	393.60	123.54	43.27 चरण–I	72.00	38.62	80.00	36.00	35.00	35.00	250
11	खनन योग्य भण्डार (एम. टी.)	287.96	83.94	37.98 चरण–I	13.35	17.97	30.79	29.12	जी. आर. तैयार नहीं है	जी. आर. तैयार नहीं है	जी. आर. तैयार नहीं है
12	संयुक्त कम्पनी बनाने की प्रशासनिक अनुमति की तिथि	जी. ओ. एम. पी. एम.आर. डी. दिनांक 30.09. 2003	जी. ओ. एम. पी. एम.आर. डी. दिनांक 11.05. 2005	जी. ओ. एम. पी. एम.आर. डी. दिनांक 11.05. 2007	**मंत्रिमंडल की सहमति**						जी. आर. तैयार नहीं है
13	पर्यावरणीय मंजूरी	27-03-2008	25-07-2007	22-02-2012	02-01-2013	अस्वीकृत	चरण–I जनवरी 2013	06-11-2012	ड्रिलिंग के लिए आपेक्षित	ड्रिलिंग के लिए आपेक्षित	ड्रिलिंग के लिए आपेक्षित
14	वन मंजूरी चरण–i/ चरण–ii	एम.ओ.ई.एफ. में लम्बित	फरवरी 2009/नवम्बर 2012	एन.आर. चरण–1 में	चरण–1 में जनवरी 2012	चरण–1 में जून 2012	एम.ओ.ई.एफ. में लम्बित	स्वीकृत	एम.ओ.ई.एफ. में लम्बित	एम.ओ.ई.एफ. में लम्बित	एम.ओ.ई.एफ. में लम्बित
15	खनन पट्टा स्वीकृति	एम.ओ.सी में लम्बित	04-02-2013	17-05-2013	-	-	-	मई 2013	-	-	-
16	उत्पादन आरंभ करने की तिथि	-	दिसम्बर 2013	अप्रैल 2014	दिसम्बर 2013	दिसम्बर 2013	फरवरी – 2016	फरवरी – 2016	-	-	-

परिशिष्ट–4.2

पुनः निविदा प्रक्रिया का पालन न करने के कारण व अमेलिया कोयला ब्लाक के संदर्भ में अग्रिम में आयोग्य जे. बी. साझेदार के चयन के कारण संभावित हानि

(कंडिका क्र. सं. 4.11.2 में संदर्भित)

भूगर्भीक संचय मिलियन टन में			शुद्व खनन योग्य संचय मिलियन टन में			अधिक आरक्षण किया गया मिलियन टन में	कोल की महत्ता	प्रति कोल का मूल्य दिनांक 27.05.2013	एस.एम.ए.एल.एल. द्वारा प्रस्ताव			अमेलिया उत्तर व डोंगरी ताल–II की निविदा		
									फेसिलिटेसन शुल्क की दर आधार मूल्य के प्रतिशत में	फेसिलिटेसन शुल्क रू. प्रति टन में	कुल फेसिलिटेसन शुल्क रू. करोड़ में (7*11)	फेसिलिटेसन शुल्क की दर आधार मूल्य के प्रतिशत में	फेसिलिटेसन शुल्क रू. प्रति टन में (99*13) /100	कुल फेसिलिटेसन शुल्क (रू. करोड़ में) (7*14)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
खुली	भूमिगत	कुल	खुली	भूमिगत	कुल	टन में								
0	0.17	0.17	0	0.0918	0.0918	91800	ए	4380	10	438	4.02084	35	1533	14.07294
0	13.67	13.67	0	7.3818	7.3818	7381800	बी	3145	6	188.7	139.294566	35	1101	812.551635
0	86.44	86.44	0	46.6776	46.6776	46677600	सी	1500	4	60	280.0656	35	525	2450.574
28.82	65.47	94.29	25.3616	35.3538	60.715	60715400	डी	1110	3	33.3	202.182282	25	277.5	1684.85235
154.72	10.53	165.25	136.1536	5.6862	141.84	141839800	ई	780	1	7.8	110.635044	25	195	2765.8761
19.77	2.86	22.63	17.3976	1.5444	18.942	18942000	एफ	635	0.5	3.175	6.014085	20	127	240.5634
11.14	0	11.14	9.8032	0	9.8032	9803200	जी	530	0.25	1.325	1.298924	20	106	103.91392
214.45	**179.14**	**393.59**	**188.716**	**96.7356**	**285.45**	**285451600**				कुल	**743.511341**			**8072.404345**
										कुल हानि	**7328.893**			

टीप :

1. एम.पी.एस.एम.सी.एल को देय फैसिलिटेसन शुल्क एन.सी.एल. मूल्य व जे. पी. कम्पनी की लागत दोनों में से जो अधिक हो के आधार पर होगा।
2. लेखापरीक्षा ने एन. सी. एल. के मूल्यों को लागू किया जो कि सी.आई.एल. के अधिसूचना क्रमांक मूल्य 235 दिनांक 27.05.2013 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। विभिन्न श्रेणी के कोयले के मूल्य विभिन्न कैलोरी मूल्यों में उपस्थित समान श्रेणी के मूल्यों का औसत निकालकर लिया गया।
3. खुली और भूमिगत खदान के कुल भूगर्भिक संचय का कुल खनन योग्य संचय क्रमशः 88 प्रतिशत व 54 प्रतिशत है।

परिशिष्ट 4.3

उत्पादन की निर्धारित तिथि से विलम्ब की स्थिति में उत्पादन के प्रारम्भ का विवरण

(कंडिका क्र. सं. 4.11.3 में संदर्भित)

ब्लॉक का नाम	आवंटन का दिनांक	जे.पी. अनुबंध का दिनांक	जे. पी. साझेदार	एम.ओ.सी. द्वारा आवंटन के दिनांक की तिथि से विकास के लिए आवंटित समय (माह)	उत्पादन का निर्धारित दिनांक	उत्पादन का वास्तविक दिनांक	म्हीनों में विलम्ब
अमेलिया (ई)	12.01.2006	22.06.2005	सैनिक माईनिंग	42	12.07.2009	…….	48
अमेलिया उत्तर (ई)	12.01.2006	27.01.2006	जे.पी. एसोसिएटस	42	12.07.2009	……	48
डोंगरी ताल–II आर. ई.	02.08.2006	24.12.2008	जे.पी. एसोसिएटस	63	02.11.2012	….	8
दक्षिण मंडला (ई)	25.07.2007	20.06.2009	जे.पी. एसोसिएटस	54	25.01.2012	जब्त की गई बैंक गारंटी	16
पिपरिया/सिमरिया (ई)	25.07.2007	20.06.2009	ए.सी.सी. लिमिटेड	54	25.01.2012	आवंटन रद्द हुआ	17
मरकी बरका (आर.ई.)	25.07.2007	20.06.2009	ए.सी.सी. लिमिटेड	81	25.04.2014	कारण बताओं नोटिस जारी करना	
विचारपुर (आर.ई.)	25.07.2007	20.06.2009	ए.सी.सी. लिमिटेड	81 महीने	25.04.014		
मोरगा-IV (आर.ई.)	25.07.2007	20.06.2009	ए.सी.सी. लिमिटेड	81 महीने	25.04.2014		
मोरगा-III (आर.ई.)	25.07.2007	20.06.2009	ए.सी.सी. लिमिटेड	81 महीने	25.04.2014		

परिशिष्ट 4.4

उत्पादन में देरी के लिए तरल क्षतिपूर्ति का विवरण

(कंडिका क्र. सं. 4.11.4 में संदर्भित)

कोल ब्लाक का नाम	संयुक्त जोखिम अनुबंध की तिथि	संयुक्त जोखिम कम्पनी का लाभ	कोल ब्लाक का प्रकार	उत्पादन की अनुमानित तिथि	देरी महीनों में	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	तरण क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)
अमेलिया (नार्थ)	27 जनवरी 2006	एम. पी. जे. पी. मिनरल लिमिटेड	दोनों खुली व भूमिगत	27 जनवरी 2010	41	675	55.35
अमेलिया	22 जून 2005 (आवंटन की तिथि 12 जनवरी 2006)	एम. पी. सैनिक कोल माइनिंग प्रायवेट लिमिटेड	दोनों खुली व भूमिगत	01 दिसम्बर 2010	42	1166	97.94
कुल							**153.29**

टीप :– तरल क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए, उत्पादन आरंभ करने के लिए दिये गये समय की गणना प्रथम संयुक्त जोखिम अनुबंध से की गई है ताकि आवंटन की तिथि से उत्पादन आरंभ होने की अनुमति तिथियां जो कि परिशिष्ट 4.12.3 में उल्लेखित है। इस परिशिष्ट की तिथियों से अलग हो सकती है।

परिशिष्ट – 4.5

कंडिकाएं/निष्पादन लेखापरीक्षाएं जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ नहीं प्राप्त की गई है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 4.12.1 में संदर्भित)

क्र.संख्या	विभाग का नाम	2010–11
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	01
2.	शहरी विकास	01
3.	परिवहन	01
योग		**03**

परिशिष्ट – 4.6

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कंडिका 4.12.3 में संदर्भित)

क्र. संख्या	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	अद्यतन वर्ष जिनसे कंडिकाऐं बकाया है
1	ऊर्जा	11	465	1176	2004–05
2	वाणिज्य और उद्योग	13	18	81	2010–11
3	खनन संसाधन	5	6	14	2010–11
4	आदिवासी कल्याण	1	3	15	2008–09
5	पर्यटन	1	1	8	2010–11
6	गृह पुलिस	1	4	17	2009–10
7	ग्रामीण उद्योग	1	2	10	2010–11
8	कृषि	1	2	12	2008–09
9	अल्पसंख्यक कल्याण	1	3	8	2010–11
10	वन	1	1	2	2010–11
11	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	3	20	2008–09
12	लोक निर्माण विभाग	1	1	1	2010–11
13	शहरी विकास	5	15	43	2006–07
14	परिवहन	1	35	76	2004–05
15	वित्त	1	5	31	2007–08
	योग	**46**	**564**	**1514**	

परिशिष्ट– 4.7

निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा प्रारूप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है

(कंडिका 4.12.3 में संदर्भित)

क्र. संख्या	विभाग का नाम	निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1	वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग	–	05	मई 2013 से अगस्त 2013
2	खनिज संसाधन विभाग	–	03	जून 2013
	योग	**–**	**08**	